वार्षिक प्रतिवेदन एवं

लेखा

2018-19

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

मो./डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला

संबलपुर-768020 (ओड़िशा)

Website: www.mahanadicoal.in

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का
पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं
में उभरना

‘लक्ष्य’

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना।

गत दस वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें

क्रम.सं.	विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	कोयले क उत्पादन	मिलियन टन(मि.टन.)	96.34	104.08	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38	137.90	139.21	143.01	144.15
2	कोयले के प्रेषण	मिलियन टन (मि.टन)	91.28	98.13	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00	140.22	143.01	138.26	142.30
3	कोयले क विक्रय (सकल)	रु. करोड़	6,487.55	7,466.56	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	14989.05	19829.58	23450.72	22379.91	24607.68
4	पीबीटी	रु. करोड़	2,600.91	2,950.58	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24	6260.43	6853.32	7339.66	9281.08
5	पीएटी	रु. करोड़	1,718.03	1,946.69	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10	4184.74	4491.09	4761.29	6039.54
6	लाभांश	रु. करोड़	1,040.00	1,169.00	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82	3608.45	2982.00	4350.00	3,875.00
7	कुल तय परिसंपातियाँ (10ए)	रु. करोड़	1,364.10	1,589.69	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48	3252.55	3943.29	4534.24	6433.84
8	कुल मूल्य	रु. करोड़	5,188.00	5,769.60	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57	4319.26	3385.38	2943.12	3873.17
9	दीर्घावधि ऋण	रु. करोड़	183.97	150.79	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90	7.21	6.64	7.09	6.29
10	नियोजित पूंजी	रु. करोड़	4,853.15	5,305.38	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55	16629.66	15183.59	15469.43	18437.96
11	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	प्रतिशत	35	37	22	26	26	25	23	25	23	31	33
12	मूल्य योग	रु. करोड़	4,988.95	5,594.64	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46	11990.49	12474.74	12979.8	13176.07
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रु.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर बूक वैल्यू	रु.	27,832.48	30,952.64	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18	23171.89	23971.26	4167.94	5852.16
15	प्रति शेयर लाभांश	रु.	5,579.37	6,271.43	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52	19358.54	21,115.00	6160.31	5854.92
16	प्रति शेयर आय	रु.	9,216.84	10,443.57	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97	22450.21	31800.60	32419.32	8622.45
17	इक्विटी शेयरों की संख्या	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1412266	7061330	6618363

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	1-3
2.	सूचना	4-8
3.	अध्यक्ष का वक्तव्य	9-16
4.	निदेशको की रिपोर्ट	17-98
5.	सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट	99-104
6.	सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	105-114
7.	निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक	115-118
8.	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	119-129
9.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	130-133
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	134-135
11.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	136-157
12.	31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलनपत्र	159-160
13.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	161-162
14.	नकद प्रवाह विवरण	163-163
15.	तुलनपत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	164-252
16.	एमसीएल और उसके सहायक कंपनियों का समेकित लेखा	253-351

वर्तमान प्रबंधन

(08.07.2019 के अनुसार)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री बी. एन. शुक्ला
कार्यकारी निदेशकगण	:	श्री ओ सिंह .पी . निदेशक (तक./संचा.)
		श्री के. आर. वासुदेवन निदेशक(वित्त)
		श्री के. के. मिश्रा निदेशक (तक. /यो. एवं परि.)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री आर .के .सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री एस. एन. प्रसाद निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता
गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक	:	श्री एच.एस.पति
		श्री राजीव मल्ल
		श्रीमती सीमा शर्मा
स्थायी आमंत्रित	:	श्री डी .पंडा प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री ए .के .सिंह

2018-19 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री आर. आर. मिश्रा (दिनांक 25.09.2018 से प्रभावी) श्री ए. के. झा (25.09.2018 तक)
कार्यकारी निदेशकगण	:	श्री जे.. पी. सिंह निदेशक (तक./संचा) (28.02.2019 तक) श्री एल. एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक) (31.12.2018 तक) श्री ओ. पी. सिंह निदेशक (तक./यो. एवं परि.) श्री के. आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री आर के.सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली श्री एस.एन.प्रसाद निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता
गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक	:	श्री एच.एस.पति डॉ .राजीव मल्ल श्रीमती सीमा शर्मा
स्थायी आमंत्रित	:	श्री डी .पंडा प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री ए .के .सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
केनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
ऐक्सिस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
इलाहाबाद बैंक,
सिंडिकेट बैंक,
कॉर्पोरेशन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी
लागत लेखाकार, नई दिल्ली
शाखा लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स एस .धल एंड कं
लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स देव महापात्र एंड कं
कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा
पंजीकृत कार्यालय
पो :जागृति विहार, बुर्ला,
सम्बलपुर - 768020, ओड़िशा
वेवसाइट : www.mahanadicoal.in

<u>27 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना</u>

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 27 वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार 11 जुलाई, 2019 को सुबह 10.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पोस्ट – जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर – 768020 में निम्नलिखित कार्यों के प्रबंधन के लिए आयोजित की जाएगी।

I. <u>सामान्य कार्य :</u>

1. **<u>विचार करने और अपनाने के लिए</u>** :

क) 31 मार्च, 2019 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2019 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उस पर लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

ख) 31 मार्च, 2019 को समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा उस पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित अंतरिम लाभांश भुगतान और अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने के लिए।

3. श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (डीआईएन: 07627471) के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करेंगे।

4. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (डीआईएन: 07915732) के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करेंगे।

II. <u>विशेष कार्य :</u>

<u>मद संख्या 1</u>

<u>विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन .</u>

<u>सामान्य संकल्प :</u>

वित्तीय वर्ष **2018-19** के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या उसके बिना, निम्न संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित किया जा सकता है:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) तथा कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 14 (लेखा परीक्षक और परीक्षकों) तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों का अवलोकन करते हुए मेसर्स चंद्रा वाधवा एवं कंपनी, लागत लेखापाल, नई दिल्ली को कंपनी मुख्यालय और इसके इकाइयों, ईब-वैली कोलफील्ड्स , बसुंधरा क्षेत्र तथा सीडबल्यूएस (ईब-वैली) के लागत रिकोर्डों की लेखा परीक्षा करने हेतु कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 2**,78,910.00** प्रति वर्ष, जिसमें से पॉकेट खर्च प्रति वर्ष रु 1**,39,455.00** (अधिकतम) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर में वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के मुख्य लागत लेखा परीक्षक के रूप में एतद द्वारा नियुक्त किया गया।"

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) तथा कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 14 (लेखा परीक्षक और परीक्षकों) तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों का अवलोकन करते हुए मेसर्स एस धल एवं कंपनी, भुवनेश्वर को तालचेर कोलफील्ड्स सहित कनिहा क्षेत्र तथा सीडबल्यूएस (तालचेर) के लागत रिकोर्डों की लेखा परीक्षा करने हेतु कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 1,84,570.00 प्रति वर्ष, जिसमें से पॉकेट खर्च प्रति वर्ष रु 92,285.00 (अधिकतम) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर में वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में एतद द्वारा नियुक्त किया गया।"

"आगे संकल्प किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन माने जाने वाले सभी कार्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया गया हैं।"

<u>मद संख्या **. 2**</u>

<u>विषय : श्री हिमांशु शेखर पति, (डीआईएन : 05283445), एमसीएल बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति का अनुसमर्थन</u>

<u>विशेष संकल्प</u>

विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, बिना संशोधन (एस) , निम्न संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जा सकता है :

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (10) और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार श्री हिमांशु शेखर पति (डीआईएन : 05283445), को दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो एक वर्ष की अवधि के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।"

<u>मद संख्या . 3</u>

<u>विषय : डॉ राजीब मल्ल, (डीआईएन : 07385765), एमसीएल बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति का अनुसमर्थन</u>

<u>विशेष संकल्प</u>

विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, बिना संशोधन (एस) , निम्न संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जा सकता है:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (10) और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार डॉ राजीब मल्ल, (डीआईएन : 07385765) को दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो एक वर्ष की अवधि के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।"":

"बोर्ड / समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठने की फीस समय-समय पर सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।"

"इस मामले में आगे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एतद द्वारा कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 08.07.2019

<u>पंजीकृत कार्यालय</u> :

जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर , ओड़िशा - 768020,

टिप्पणी <u>:</u>

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरे प्रॉक्सी फॉर्म को बैठक से 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. सदस्यों की ओर से मतदान का अधिकार रखने वाला प्रॉक्सी व्यक्ति कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा तथा पचास से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक वाला सदस्य एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (2) के तहत लघु सूचना पर बैठक बुलाने की अपनी सहमति दें।

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अधीन)

मद संख्या . 1

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या G.S.R. 430 (ई) दिनांक, 3 जून 2011 के तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लागत लेखा परीक्षक शाखा, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एफ़ नं 52/26/CAB-2010, दिनांक 24 जनवरी, 2011 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 52/26/CAB- 2010, दिनांक 24 जनवरी, 2012 के अनुसार कोल उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु।

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने 17 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी 181 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। शुल्क के अलावा लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों / लेवी की प्रतिपूर्ति की संरचना निम्नानुसार है:

1. "मेसर्स चंद्रा वाधवा एवं कं, लागत लेखापाल, नई दिल्ली को कंपनी मुख्यालय और इसके इकाइयों, ईब-वैली कोलफील्ड्स , बसुंधरा क्षेत्र तथा सीडबल्यूएस (ईब-वैली) के लागत रिकोर्डों की लेखा परीक्षा करने हेतु कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 2**,78,910.00** प्रति वर्ष**,** जिसमें से पॉकेट खर्च प्रति वर्ष रु 1**,39,455.00** (अधिकतम) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर में वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के मुख्य लागत लेखा परीक्षक के रूप में एतद द्वारा नियुक्त किया गया।"

2. मेसर्स एस धल एवं कंपनी, भुवनेश्वर को तालचेर कोलफील्ड्स सहित कनिहा क्षेत्र तथा सीडबल्यूएस (तालचेर) के लागत रिकोर्डों की लेखा परीक्षा करने हेतु कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 1,84,570.00 प्रति वर्ष, जिसमें से पॉकेट खर्च प्रति वर्ष रु 92,285.00 (अधिकतम) और लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर में वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के शाखा लागत लेखा परीक्षक के रूप में एतद द्वारा नियुक्त किया गया।"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के साथ कंपनी नियमावली, 2014 (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों) के नियम 14 के अनुसार, ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद उसे शेयरधारकों द्वारा मंजूर किया जाएगा।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संकल्प में नहीं हैं।

बोर्ड ने आपकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की।

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 08.07.2019

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अधीन)

<u>मद संख्या . 2</u>

<u>विषय : श्री हिमांशु शेखर पति, (डीआईएन : 05283445), एमसीएल बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति का अनुसमर्थन</u>

श्री संजीब भट्टाचार्य, भारत सरकार के सचिव के अधीन, कोयला मंत्रालय के दिनांक 17 नवम्बर, 2018 के पत्र संख्या 21/33/2018-बीए (वी) द्वारा श्री हिमांशु शेखर पति (डीआईएन: 05283445) को स्वतंत्र निदेशक / गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष की मंजूरी का संचार किया गया, जो 17.11.2015 से 16.11.2018 तक एमसीएल के बोर्ड में थे, दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक बने रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (10) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने और पुनर्नियुक्ति के लिए और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति का खुलासा करने के लिए पात्र होंगे।

उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर, यह अनिवार्य हो गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति आगामी बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन के लिए रखी जाए।.

तदनुसार महानदी कोलफील्ड्स बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक श्री हिमांशु शेखर पति की पुनर्नियुक्ति को दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वार्षिक आम बैठक से पहले विचार या अनुमोदन के लिए रखा जाए।

बोर्ड / समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठने की फीस समय-समय पर सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार की संकल्प में रुचि या चिंता नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : सम्बलपुर

दिनांक : 08.07.2019

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अधीन)

<u>मद संख्या . 3</u>

<u>विषय : श्री राजीब मल्ल, (डीआईएन : 07385765), एमसीएल बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति का अनुसमर्थन</u>

श्री संजीब भट्टाचार्य, भारत सरकार के सचिव के अधीन, कोयला मंत्रालय के दिनांक 17 नवम्बर, 2018 के पत्र संख्या 21/33/2018-बीए (वी) द्वारा श्री राजीब मल्ल, (डीआईएन : 07385765),को स्वतंत्र निदेशक / गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष की मंजूरी का संचार किया गया, जो 17.11.2015 से 16.11.2018 तक एमसीएल के बोर्ड में थे, दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक बने रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (10) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने और पुनर्नियुक्ति के लिए और बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति का खुलासा करने के लिए पात्र होंगे।

उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर, यह अनिवार्य हो गया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति आगामी बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन के लिए रखी जाए।.

तदनुसार महानदी कोलफील्ड्स बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक श्री डॉ राजीब मल्ल की पुनर्नियुक्ति को दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वार्षिक आम बैठक से पहले विचार या अनुमोदन के लिए रखा जाए।

बोर्ड / समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठने की फीस समय-समय पर सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार की संकल्प में रुचि या चिंता नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 08.07.2019

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

मित्रों,

मुझे महानदी कोलफील्ड्स की 27 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभति हो रही है। वर्ष 2018-2019 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट, निदेशकों के रिपोर्ट के साथ ही साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट एवं समीक्षा जिसको पहले ही आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। विषमताओं के बावजूद अपने सर्वोत्तम अभ्यासों और परिचालन उत्कृष्टता के कारण यह सीआईएल के सर्वश्रेष्ठ सहायक कंपनियों में से एक के रूप में उभरा है। आपको यह बताते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि, आपकी कंपनी ने विशेष रूप से तालचेर कोलफील्डस् में कुल 15 खुली खदानों में से 11 खदानों में भूमि के अवरोध और बन्धनों के गंभीर बाधाओं का सामना करने के बावजूद सर्वोत्तम 144.15 मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया और पिछले की तुलना में 10.9 लाख टन की वृद्धि दर्ज की। पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर के माध्यम से कोयले का उत्पादन कुल 143.28 मीट्रिक टन, (भूमिगत उत्पादन 0.87 मीट्रिक टन) भूमिगत कोयले के उत्पादन में से 133.67 मीट्रिक टन था, जो कि लगभग 93.29% था और यह सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है। सरफेस माइनर के माध्यम से कोयले का उत्पादन, परम्परागत खनन प्रक्रिया अर्थात् ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग में उपयोग किए जाने वाले वायु प्रदूषणकारी इकाई के संचालन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। सीआईएल की सहायक कंपनियों में औसतन सरफेस माइनर कोयला उत्पादन लगभग 42% है।

आपकी कंपनी ने 142.31 मीट्रिक टन कोयले का प्रेषण किया है। एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी साधनों जैसे रेल, एमजीआर और बेल्ट (142 मीट्रिक टन के कुल प्रेषण में 112 एमटी, जो लगभग 79% है) के माध्यम से उच्चतम ऑफ-टेक दर्ज किया है।

एमसीएल ने पिछले वर्ष की तुलना में 26.45% की वृद्धि दर्ज करते हुए, उच्चतम लाभ अर्थात् रू.9,281.08 करोड़ (पीबीटी) अर्जित किया है। यह आपके पूर्ण सहयोग और मूल्यवान मार्गदर्शन के साथ संभव हो पाया है। अपने कार्यों में हमें प्रेरित करने के लिए हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों को बनाने में आपका निरंतर विश्वास, सहयोग और सद्भावना हमेशा से हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है।

1. कोयला - ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में :

भारत में कोयले की बहुतायतता,उपलब्धता और सामर्थ्य ही इसे एक मुख्य ऊर्जा इंर्धन बनाता है। हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयले से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कोयला सूची के दिनांक 01.04.2018 के अनुसार 68 कोयला अंचलों में 1200 मीटर की गहराई तक 319.02 बिलियन टन(बीटी) है। देश में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 74.3% कोयले पर आधारित है। विश्वसनीय ऊर्जा आर्थिक विकास और मानव विकास का मुख्य घटक है। कोयला विश्वसनीय प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य करता रहता है और आने वाले दशकों तक भारतीय बिजली उत्पादन में प्रमुख बना रहेगा।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल तापीय श्रेणी के नॉन – कोकिंग कोयले का भंडार गृह है। ओड़िशा का भारत में कोयला भंडार में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। दिनांक 01.04.2018 के अनुसार ओड़िशा में कुल कोयले भंडार का 79.295 बिलियन टन अनुमानित किया गया है जो कि कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का करीब 24.86% है। ओड़िशा के दो कोयलांचल तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड्स (51.220 बिलियन टन) तथा ईब-वैली भारत का तीसरा सबसे बड़ा (24.074 बिलियन टन) कोलफील्ड्स है ।

2. एमसीएल की उपलब्धियां-2018-19

- उच्चतम कोयला उत्पादन 144.15 मीट्रिक टन रहा। विशेष रूप से तालचेर कोलफील्ड्स में कुल 15 खुली खदानों में से 11 में भूमि अवरोध और गंभीर प्रतिरोधों का सामना करने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 10.9 लाख टन की वृद्धि दर्ज की गई है।
- मार्च के महीने में अब तक का सबसे अधिक औसत दैनिक उत्पादन रहा, जो पिछले वर्ष के मार्च के औसत 536.3 लाख टन / दिन के मुकाबले 583.3 लाख टन / दिन का था और इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक औसत कोयला उत्पादन 395.41 लाख टन / दिन था।
- सरफेस माइनर के माध्यम से सीआईएल की सभी अनुषंगी के बीच, सबसे ज्यादा पर्यावरण हितैषी कोयले का उत्पादन (कुल 143.28 मीट्रिक टन में से 133.67 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन खुले खदान के माध्यम से लगभग - 93.29%), पारंपरिक खनन यानी ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग में उपयोग किए जाने वाले वायु प्रदूषणकारी इकाई संचालन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। सीआईएल की सहायक कंपनियों में औसत सरफेस माइनर कोयला उत्पादन लगभग 42% है।
- रेल, एमजीआर और बेल्ट जैसे पर्यावरण हितैषी साधनों के माध्यम से उच्चतम ऑफ-टेक (कुल प्रेषण 142.31 मीट्रिक टन में से 112 मीट्रिक टन रहा, जो लगभग 79% है)
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के बीच 1540.10 करोड़ रुपये का उच्चतम सीएपीईएक्स।
- 167.16 करोड़ का उच्चतम सीएसआर.
- उच्चतम समग्र ओएमएस 23.87
- **नॉन -कोकिंग कोल वाशरी में आगे:** ईब-वैली वॉशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण शुरू, निविदा की प्रक्रिया पूरी हुई, जगन्नाथ वॉशरी (10 एमटीपीए) और हिंगुला वाशरी (10 एमटीपीए) के लिए एलओआई जारी की गई।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक- 23 सितंबर, 2019 को नई ग्रीनफील्ड खदान गरजनबहाल ओसीपी (13 एमटीपीए क्षमता) का उद्घाटन किया गया और छह महीने के भीतर लगभग 2.81 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन हुआ।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा झारसुगुड़ा-सरडेगा रेल लाइन (53.1 कि.मी.) और सरडेगा साइडिंग का उद्घाटन 23 सितंबर 2019 को किया गया, जिसकी लागत रु .1, 007 करोड़ थी और छह महीने के अंतर्गत 6 रेक / दिन तक की क्षमता निर्मित की गई।
- मार्च 2019 में लखनपुर क्षेत्र और बसुंधरा क्षेत्र में 50 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया गया जिसमे लगभग 106 करोड़ रुपये खर्च हुए।
- तालचेर कोलफील्डस् में मेडिकल कॉलेज का सिविल निर्माण कार्य लगभग 493 करोड़ रुपये की लागत से एक रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया ।
- तालचेर कोलफील्ड में कोयला कॉरिडोर को हिंगुला ओसीपी से नेशनल हाईवे तक संचालित किया गया, जो सभी लगभग 12 कॉलोनियों, 10 गांवों, बाजार की जगह, सेंट्रल एंड रीजनल स्टोर्स, अस्पताल, स्कूल इत्यादि के सभी खानों को आपस में जोड़ता है और प्रभावी रुप से वायु प्रदुषण को काफी कम कर देता है।
- कोलनेट के माध्यम से ई-कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम को कार्यान्वित करने और बनाए रखने वाली पहली कंपनी है।
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के बीच सौर ऊर्जा की सबसे बडा उत्पादनकर्ता। (हर साल लगभग 24 लाख यूनिट)।

➢ भुवनेश्वरी ओसीपी और हिंगुला ओसीपी में पाइप कन्वेयर के माध्यम से सबसे पर्यावरण हितैषी निकासी मोड का परिचायक है।.

3. वित्तीय कार्य निष्पादनः

एमसीएल ओडिशा राज्य में केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। एमसीएल ने रॉयल्टी, सेस, वस्तु एवं सेवा कर,जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर,एनएमईटी,डीएमएफ तथा अन्य लेवी के लिए रु.9,282.93 करोड़ का भुगतान किया है।

समीक्षा के तहत वर्ष में कर पश्चात लाभ 6,039.54 करोड़ रुपये रहा है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 6.160.31 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में 3,875 करोड़(अर्थात प्रति शेयर के अंकित मूल्य 1,000/ - पर रु.5854.92 प्रति इक्विटी शेयर) के लाभांश की सिफारिश की है । लाभांश के कारण कुल आउटफ्लो रु.4,671.52 करोड़ था जिसमें सीआईएल को दिए गए लाभांश के रूप में रु. 3,875 करोड़ और लाभांश पर कर के रूप में रु. 796.52 करोड़ शामिल थे। डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसीएल प्रबंधन ने 4,42,967 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो वर्ष के दौरान रु. 355.00 करोड़ का मूल्यनिरूपित की गई है।

4. विकास के लिए रणनीतियां

एमसीएल आने वाले वर्ष में चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना कर रहा है। हम एमसीएल में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति देश की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में अपने ऑफटेक और उत्पादन में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने निम्नलिखित बहुमुखी रणनीतियों को प्रतिपादित किया है –

क) क्रिटिकल रेलवे लिंक - देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने हेतु रेल द्वारा कोयले की अनियंत्रित आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ साझेदारी कर जे.वी. / एस.पी.वी. यानि एम.सी.आर.एल. का गठन किया है। एमसीआरएल ने अंगुल-बलराम रेल लिंक की पहली परियोजना (चरण- I) के रूप में 'इनर कॉरिडोर' के काम की शुरूआत की है। एमसीआरएल के माध्यम से पहचान की गई परियोजनाएं है :

- **चरण-I(**क) : अंगुल-बलराम लिंक (लंबाई -13 कि.मी.)
- **चरण -I(**ख) : बलराम-जरापाड़ा संयोजकता जिसमें पुटुगड़िया-टेंटुलोई लिंक शामिल है (इनर कॉरिडोर) – 55 कि.मी.
- **चरण -II**: जरापाड़ा-बुधापंक वाया टेंटूलोई (आउटर कॉरिडॉर) - 136 KM

खदान बैकफील्ड क्षेत्र के माध्यम से 'Y 'कर्व की शिफ्टिंग के अतिरिक्त , झारसुगुड़ा-सरडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण, लिंगराज एमजीआर साइडिंग के साथ देउलबेड़ा साइडिंग को जोड़ना, आदि कुछ प्रमुख रेल परियोजनाएँ एमसीएल द्वारा किए जा रहे हैं।

ख) भूमि का अधिग्रहण और कब्जा : वर्ष 2018-19 के दौरान, एमसीएल ने 237.989 हेक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्ज़ा प्राप्त किया है।

ग. **वाशरी की स्थापना**: - चरण- I में, उच्च राख वाले कोयले के किफ़ायती धुलाई के लिए कोयला वाशरी की संस्थापना हेतु सीआईएल के निर्णय के अनुरूप, एमसीएल ने चार कोयला वाशरी, हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, लखनपुर में ईब-वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी, प्रत्येक में 10 एमटीवाई क्षमता वाली वाशरी स्थापित करने का इरादा रखती

है। लखनपुर क्षेत्र में इब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में अन्य तीन वॉशरियों का निर्माण शुरू हो जाएगा।

चरण- I के अतिरिक्त, एमसीएल 3 और वॉशरी स्थापित करने की योजना बना रहा है, यानी लखनपुर वाशरी (20एमटीवाई), गजरनबहाल वाशरी (10 एमटीवाई) और सिआरमल वाशरी (40 एमटीवाई)। इस प्रकार चरण- I और II के पूरा होने के बाद एमसीएल की कुल धुलाई क्षमता 110 एमटी होगी।

घ) **वेब आधारित ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम**: - निम्न प्रयोजन के लिए मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं (i) कोयले के उत्पादन / आंतरिक परिवहन से संबंधित स्टेटिक और इन-मोशन वेब्रिज पर लिए गए वजन देखना (ii) रेलवे साईडिंग्स में मोबाइल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की वीडियो स्ट्रीमिंग देखना, (iii) ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की ट्रैकिंग स्थिति, (iv) एमसीएल के सीएसआर से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करना जैसे- सीएसआर नीति की जानकारी , वार्षिक रिपोर्ट, बजट और सीएसआर के तहत व्यय, प्रमुख सीएसआर गतिविधियों झलकियों के अतिरिक्त ओडिशा के कई जिलों में पूर्ण और कार्यशील गतिविधियाँ। आरडीओ के विवरण, लोडिंग शेड्यूल, दैनिक डिस्पैच सारांश और किसी आरडीओ के लिए डिस्पैच विवरणों को देखने के लिए एमसीएल द्वारा एक अलग मोबाइल ऐप विकसित किया गया है,जिसे सीआईएल के मोबाइल ऐप "ग्राहक सड़क कोयला वितरण " के साथ एकीकृत किया गया है।

ड.) **प्रौद्योगिकी विकास**: एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सरफेस माइनर की प्रयोग की बात आती है या खरीद या अन्य अनुबंधों के लिए निविदा की ई-मोड की बात हो, तो यह सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों से अलग है। लगभग 93% कोयला उत्पादन विस्फोट-मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सर्फ़ेस माइनर के माध्यम से किया जाता है। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की ऑटो रिफ़ंड शुरू करने वाली एमसीएल भारत की पहली कंपनी है। एमसीएल कोलनेट के माध्यम से ई-कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने और संधारण करने वाली भी पहली कंपनी है।

i. **जीपीएस / जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम:-** कोयले के उत्पादन और आंतरिक परिवहन में लगे 1800 निजी ट्रकों / टिपरों में जीपीएस आधारित वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) इकाइयाँ लगाई गई हैं। इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग के साथ-साथ, जियो-फेंसिंग, ट्रिप, लंबा टहराव, तय दूरी आदि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के लिए वेब सक्षम लिंक यानी **http://.mclvts.in** पर उपलब्ध हैं। यह लिंक हमारी वेबसाइट **www.mahanadicoal.in** पर भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंधित उपयोगकर्ताओं को ऑटो जनरेटेड एसएमएस अलर्ट भेजने की भी व्यवस्था है। यदि वे जियो-फेंस की सीमा को पार करते हैं तो वाहनों की ट्रैकिंग के लिए मार्गों के साथ-साथ खदान-सीमा की जियो-फेंसिग की गई है। एमसीएल-मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

ii. **अनुबंध प्रबंधन निगरानी प्रणाली -** अनुबंध संबंधी जानकारी जैसे अनुबंध का विवरण, कार्य प्रारंभ, मुख्यालय / क्षेत्र / परियोजना स्तर पर दैनिक निष्पादन प्राप्त करने के लिए कोलनेट में मॉड्यूल विकसित किया गया है इस मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे सभी अनुबंधों के प्रभावी निगरानी में मदद मिली है।

iii. **एमसीएल में ईआरएम का कार्यान्वयन**: सीआईएल द्वारा एमसीएल को ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए पहले चरण में चुना गया है, जिसके लिए सीआईएल द्वारा निविदा मंगाई गई है। ईआरपी केंद्र के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

च) **ग्राहक संतुष्टि** :

i. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ नित्य चर्चा की जाती है। साइडिंग पर कोयला ढुलाव प्रणाली के साथ ही साथ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं में व्यक्तिगत रूप से जाँच और पर्यवेक्षण के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है । सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण हेतु गुणवत्त विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंग पर लगातार इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी की जाती है। गुणवत्ता विभाग द्वारा नियमित रूप से कामकाज, साइडिंग और कोयला विश्लेषण की प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कोई गड़बड़ी या गलती पाए जाने पर, सूचना को क्षेत्र के संबंधित महाप्रबंधक को सूचित किया जाता है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि के लिए सीआईएमएफआऱ को एक स्वतंत्र तीसरी पार्टी सैंपलिंग एजेंसी के रूप में प्रसारित किया गया है, जो आईपीपी और पॉवर उपयोग उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे कोयले के संग्रहण और विश्लेषण के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए एमओसी /सीआईएल के निर्देशों पर आधारित है। गैर-विनियमित क्षेत्र जैसे सीपीपी, स्पंज और सीमेंट क्षेत्र आदि लिंकेज निलामी, अन्य निलामी योजनाएं गैरबिजली के लिए ग्राहकों को भारतीय गुणवत्ता परिषद / आईआईटी-आईएसएम द्वारा तीसरी पार्टी के सैंपलिंग के लिए शामिल किया जा रहा है।

ii. विभिन्न क्षेत्रों में कुल दस कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें , ईब-वैली, लखनपुर, ओरिएंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा। ईब-वैली, भरतपुर, जगन्नाथ, हिंगुला और कनिहा क्षेत्रों की पांच कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। लखनपुर कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला की एनएबीएल मान्यता के लिए अंतिम मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और एनएबीएल प्राधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है। चरणबद्ध तरीके से शेष क्षेत्रों के विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

iii. ग्राहकों को (-) 100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए उस कोयला को जिसे रेल, बेल्ट, रोड और एमजीआर द्वारा भेजा जा रहा है, सरफेस माइनर, सीएचपीस और एफवीएस द्वारा क्रश किया जाता है। पारदर्शिता और कोयला गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, सभी साईडिंग / लोडिंग पॉइंट्स में बाउंड पेजेड रजिस्टर रखे गए हैं, जिसमें लोडिंग के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि कोयले के गुणवत्ता / आकार और अन्य सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणी / सुझाव लिख सकते हैं। कोयला नियंत्रण संगठन, कोलकाता द्वारा कठोर नमूना प्रक्रिया अपनाकर, सीम, साइडिंग और टिपर के कोयले नमूनों की गुणवत्ता का आकलन किया गया और उसे वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान उपयुक्त ग्रेड के रूप में घोषित किया गया। इससे उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा हुआ है।

5. पर्यावरण पहल:-

आपकी कंपनी ने पूरे सीआईएल में 42% की औसत उपलब्धि की तुलना में 93.29 % के बराबर पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर द्वारा उच्चतम मात्रा में कोयले का उत्पादन किया है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने पर्यावरण हितैषी माध्यम रेल, वाहन, वाशरी मोड के माध्यम से 79% कोयले का और शेष 21% सड़क के माध्यम से कोयले का प्रेषण किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए, घनी आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग कोयला गलियारे के निर्माण हेतु आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाएँ हैं ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपकी कंपनी ने आनंद विहार, बुर्ला, संबंलपुर में 02 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यह 24 लाख इकाई/वर्ष की बिजली का उत्पादन कर रहा है।

बेहतर तरीके से खदानों के पानी का मानव उपभोग के अनुकूल उपयोग के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ओसीपी खदानों में संग्रहित अधिशेष जल/खानों में बेकार पानी का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, अग्निशमन और एक्वाफर्स के पुनर्भरण जैसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है। पीने, कृषि, वानिकी, तालाबों के पुनर्भरण आदि की समुदाय को आपूर्ति करने के लिए अधिशेष भूमिगत खदान के पानी का उपयोग किया जा रहा है।

“कोल जल” लॉन्च करने के लिए दिनांक 14.08.2018 को सीएमपीडीआई, रांची में खदान पानी के उपयोग का वैध डेटा मोबाइल ऐप प्रस्तुत किया गया है, जिसे संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मंजूरी दी गई। पीने के लिए लगभग 85, 79,632 एम 3 / वर्ष और कृषि/ के सिंचाई के उद्देश्य से 54,64,656 एम3/वर्ष आसपास के गांवों को पानी की आपूर्ति की जाती है।

एमसीएल के 12 विभिन्न स्थानों में सेवा भवन के छत पर सोलर रुफ टॉप पावर प्लांट बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई को सौपी गई है। 7,044 उच्च वाट वाले स्ट्रीट लाइट के स्थान पर कम वाट वाले एलईडी लाइट की प्रतिस्थापन योजना खरीद की कार्रवाई के अंतर्गत है। वर्ष 2019-20 के दौरान लाइट का प्रतिस्थापन अपेक्षित है।

पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुये एमसीएल ने (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) मिश्रित स्वदेशी प्रजाति के पौधों को बाहरी डंप तथा बैकफिल क्षेत्रों में साथ ही साथ खदान में अन्य भूमि और रास्ते के खाली भाग में लगाया हैं। आरंभ से अब तक बृक्षारोपण (1992-93 से 2018-19 तक) 59.411 लाख है (तालचेर कोलफील्ड्स - 21.558 लाख, ईब वैली कोलफील्ड्स -31.016 लाख, मुख्यालय तथा सरकारी भूमि में – 6.836 लाख)। भूमि की कमी और खदान क्षेत्रों में वृक्षारोपण के गिरावट के कारण, एमसीएल ने सरकारी भूमि पर और इसके संचालित जिलों - अंगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, खोरधा और सुंदरगढ़ आदि के हरियाली में सुधार कर, अपने दायरे का विस्तार किया है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, पौधे की कुल संख्या 4.041 लाख (सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण सहित) है। राज्य वन विभाग द्वारा एमसीएल के सीएसआर निधि के तहत सरकारी भूमि पर 3.606 लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है। (अंगुल - 0.4 लाख, झारसुगुड़ा - 1.0 लाख, चंदका डब्लूएल बीबीआरआर- 0.8 लाख, भुवनेश्वर शहर- 0.6 लाख, संबलपुर - 0.35 लाख और सुंदरगढ़ - 0.456 लाख)।

विशेष रूप से फलदार, फूल और औषधीय पौधे और पेड़ों को आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में लगाया जाता है।

वृक्षारोपण के साथ ही साथ कर्मचारियों के बीच, आसपास के स्कूलों और आश्रमों में पौधे वितरित करके पौधों का त्योहार "वन महोत्सव", मनाया गया,। एमसीएल के द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 12,577 पेड़- पौधे वितरित किये गये हैं।

6. सुरक्षा (सेफ़्टी)

खदानों और इनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को एमसीएल में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाता है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार होती है योजना बनाती है तथा स्वयं को सुसज्जित करती है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ उचित सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती । इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता ।

कंपनी के शून्य क्षति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए हैं ।

.

7. निगमित प्रशासन (गवर्नेंस)

एमसीएल भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (सी.पी.एस.ई.) द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देशों मे अनुबंधित शर्तो को पूरा करता है। कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है। सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट निदेशकों के रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न है।

8. सीएसआर

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कॉर्पोरेट होने के नाते, अपने सीएसआर के माध्यम से एमसीएल ने राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शन को जारी रखा है ,जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर को लागू करने का अंतर्निहित सिद्धांत है।

एमसीएल ने अपनी सीएसआर के माध्यम से सामुदायिक बनाम कंपनी के संतुलन को बनाए रखा है ।कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पाइप जलापूर्ति, ग्रामीण सामुदायिक विकास और स्वच्छता पर भारी निवेश किया है। एमसीएल, ओडिशा राज्य में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा उच्चतम सीएसआर खर्च के मामले में पिछले कई वर्षों से एक स्तंभ की स्थिति बनाए हुए है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, तालचेर में मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल के शैक्षणिक संवर्ग राष्ट्र को समर्पित किया गया है।अस्पताल का ब्लॉक भी पूरा होने की कगार पर है। वित्त वर्ष 2018-19 में 64.58 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

एमसीएल का उद्देश्य अंततः अपने कोयला क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में अर्थात् हर घर में जलापूर्ति पाइप प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए एमसीएल ग्रामीण जलापूर्ति पाइप की परियोजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें तालचेर कोलफील्ड में 76.32 करोड़ रुपये की, ईब-वैली कोलफील्ड्स में 8.88 करोड़ रुपये की लागत, और संबलपुर में 8.62 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शामिल है।इन परियोजनाओं को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, ओडिशा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।वित्त वर्ष 2018-19 में इन चालू परियोजनाओं पर 17.69 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इसके अलावा, एमसीएल मोबाइल टैंकर के माध्यम से खनन परिचालन क्षेत्र के आसपास की दुर्लभ बस्तियों को पानी प्रदान कर रहा है।इस परियोजना में लगभग 250 गांवों को शामिल किया गया है जैसा कि प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 2018-19 में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति में 8.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

एक खनन दिग्गज होने के नाते, एमसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करता है। एमसीएल का सपना हरियाली को बहाल करके प्रकृति को वापस करना है।एमसीएल ने क्रमशः 2017-18 और 2018-19 में वन विभाग के साथ रू.7.59 करोड़ और रू.14.15 करोड़ की दो मेगा शहरी वृक्षारोपण परियोजनाएं शुरू की हैं। ये 4 साल की परियोजनाएं हैं, जिस पर एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 में 4.75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सीएसआर का तहत 136.36 करोड़ रुपये के वैधानिक बजट आवंटन के बावजूद वर्ष 2018-19 में एमसीएल ने 167.16 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एमसीएल को 11 पुरस्कार मिले हैं।

9. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने पर हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

10. अभिस्वीकृति –

मैं कंपनी के सभी शेयर धारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों,राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों तथा उनके संघों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और मीडिया के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-
(श्री बी. एन. शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
(डीआईएम: 05131449)

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकों,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों**,**

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 27 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हु एकाफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने सभी मोर्चों में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता ,कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

1. **क्षेत्रों, खदानों आदि का संगठन** -

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संगठन में दो कोयलांचल शामिल है जिसमें 4 प्रचालन भूमिगत खदानों एवं 15 खुले खदान को शामिल करते हु ए 10 क्षेत्र खनन, दो केन्द्रीय कर्मशाला, दो केन्द्रीय चिकित्सालय तथा कोलकाता एवं भुवनेश्वर में विक्रय कार्यालय के साथ मुख्यालय बुर्ला, संबलपुर भी शामिल है ।

क	तालचेर कोलफील्ड्स
(i)	जगन्नाथ क्षेत्र
(ii)	भरतपुर क्षेत्र
(iii)	हिंगुला क्षेत्र
(iv)	लिंगराज क्षेत्र
(v)	कनिहा क्षेत्र
(vi)	तालचेर क्षेत्र (भूमिगत खदान)

ख	ईब-वैली कोलफील्ड्स
(i)	लखनपुर क्षेत्र
(ii)	ईब-वैली क्षेत्र
(iii)	बसुंधरा –गर्जनबहाल क्षेत्र
(iv)	ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत खदान)

तालचेर कोलफील्ड्स में, इसके पास एक केंद्रीय कर्मशाला तथा नेहरू शताब्दी केंद्रीय अस्पताल है वही ईब-वैली कोलफील्ड्स में एक केंद्रीय कर्मशाला तथा केंद्रीय अस्पताल है।

2.2 एमसीएल की अनुषंगी और सहायक कंपनियाँ::

2.2.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

एमजेएसजे कोल लिमिटेड को एमसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 13 अगस्त, 2008 को गोपालप्रसाद ओसीपी के लिए शामिल किया गया था जिसके पास 60% शेयर था।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.08.2014 के निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के आदेश में उत्कल-ए कोल ब्लॉक के आवंटन को एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लिए अवैध घोषित किया और उसके आवंटन को रद्द कर दिया।

2.2.2. एमएनएच शक्ति लिमिटेड

एमएनएच शक्ति लिमिटेड को एमसीएल की संयुक्त कंपनी के रुप में तालबीरा – II एवं III ओसीपी के लिए दिनांक 16 जुलाई, 2008 को शामिल किया गया, जिसके पास 70% शेयर था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.08.2014 के निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के आदेश में तालबीरा II एवं तालबीरा III कॉल ब्लॉक के आवंटन को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लिए अवैध घोषित किया और उसके आवंटन को रद्द कर दिया।

2.2.3. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड का गठन 02 दिसम्बर, 2011 को किया गया था एवं दिनांक 06.02.2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए इसे प्रमाणपत्र दिया गया था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और नामिनियों के 100% शेयर के साथ एमबीपीएल की स्थापना एसवीपी के रुप में की गई है साथ ही बसुंधरा क्षेत्र में पिट हेड पावर संयंत्र के माध्यम से 2X800 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 31.03.2019 को शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

2.2.4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

दिनांक 20, मई 2015 को इड्को, एमसीएल और इरकॉन (IRCON) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 31 अगस्त, 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया जिसमें एमसीएल, इरकॉन और इड्को की भागीदारी का अनुपात क्रमश: 64:26:10 है जिसे ओड़िशा में कोल संबद्धता के लिए दोहरी, तिहरी लाइन, यातायात सुविधा प्रोजेक्ट सहित निर्माण, संरचना, संचालन और अभिरक्षण के लिए रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है जो खदान से कोयले के निकासी हेतु कठिन है। 31.03.2019 को महानदी कोल रेलवे की शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

2.2.5. नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक 8 जनवरी, 2013 को ओड़िशा में पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य से एमसीएल और ओपीटीसीएल कार्य के बीच संयुक्त उद्यम समझौता के तहत 50 : 50 की भागीदारी पावर नीलांचल से ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया। चूँकि कंपनी अपना परिचालन शुरू नहीं कर सकी, इसलिए एनपीटीसीपीएल का नाम आरओसी द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से दिनांक 28.06.2018 से हटा दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के अनुसार भंग कर दिया गया।

3. क) वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमसीएल की उपलब्धियां :

- आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन 143.06 मिलियन टन के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान 0.76 % की वृद्धि दर्ज करते हु ए सर्वाधिक 144.15 मिलियन टन (मिलियन टन) कोयला उत्पादन हासिल किया है।
- गतवर्ष कोयले के उठाव 138.26 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 2.92% की वृद्धि दर्ज करते सर्वाधिक 142.30 मिलियन टन कोयले का उठाव किया।
- आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के सकल बिक्री मूल्य रु. 22287.23(पुन: व्याख्यायित) करोड़ की तुलना में 4.15% की वृद्धि दर्ज करते हु एसर्वाधिक रु. 24,607.68 करोड़ की सकल बिक्री मूल्य हासिल किया है।
- गतवर्ष रु 7,339.66 करोड़ के पीबीटी (कर पूर्व लाभ) की अपेक्षा इस वर्ष का करपूर्व लाभ रु9,281.08 करोड़ रहा। गतवर्ष रु 4,761.29 करोड़ के कर पश्चात लाभ की अपेक्षा इस वर्ष समीक्षाधीन कर पश्चात लाभ रु. 6,039.54 करोड़ रहा।
- कंपनी दस वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान करती आ रही है। गतवर्ष भुगतान किए गए 4,350.00 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष इक्विटी शेयर पूँजी रु. 3,750.00 करोड़ का भुगतान किया गया। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए रु. 125 करोड़ रुपये अंतिम लाभांश के रुप में दिये।

3.ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमसीएल की उपलब्धियां

- उच्चतम कोयला उत्पादन 144.15 मिलियन टन। लगभग सभी खानों में भूमि की कमी और विशेष रूप से तालचेर कोलफील्डस में रुकावट और बन्धनों के गंभीर अवरोधों का सामना करने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 1.09 मिलियन टन की वृद्धि हु ईहै।
- मार्च के महीने में अब तक का सबसे अधिक औसत दैनिक उत्पादन जो पिछले वर्ष के औसत उत्पादन 536 लाख टन / दिन की तुलना में 583.3 लाख टन /दिन था और इस वित्तीय वर्ष में 395.41 लाख टन/दिन वार्षिक औसत कोयला उत्पादन के खिलाफ था।
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के बीच सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से कोयला उत्पादन (खुले खदान के माध्यम से कुल 143.281 मिलियन टन कोयला उत्पादन में से 133.67 मिलयन टन, लगभग 93.29%), सर्फेस माइनर के माध्यम से पारंपरिक खनन जैसे - ड्रिलिंग, ब्लास्टिंगऔर कटाई में इस्तेमाल होने वाले वायु प्रदूषक इकाई संचालन को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। CIL सहायक कंपनियों में औसत सरफेस माइनर कोयला उत्पादन लगभग 42% है।
- पर्यावरण अनुकूल साधनों जैसे रेल, एमजीआर और बेल्ट के माध्यम से उच्चतम उठाव। (कुल प्रेषण 142.30 मीट्रिक टन में से 112 मिलियन टन, जो लगभग 79% है)
- उच्चतम समग्र ओएमएस.
- गैर-कोकिंग कोल वाशरी में आगे : ईब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण शुरू हो गया है, निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीपीए) और हिंगुला वाशरी(10 एमटीपीए) के लिए एलओआई जारी की गई।
- नया ग्रीनफील्ड खदान गरजनबहाल ओसीपी (13 MTPA क्षमता) का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और छह महीने के भीतर लगभग 2.81 मिलियन टन कोयला उत्पादन हु आ।

- झारसुगुड़ा-सरडेगा रेल लाइन (53.1 किलोमीटर) और सरडेगा साइडिंग का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा लगभग @ रु 1,007 करोड़ में किया गया और 6 महीने के अंदर तक उसकी क्षमता 6 रेक /दिन निर्मित की गई।
- लखनपुर और बसुंधरा में 50 बेडेड दो अस्पताल पर लगभग रु. 106 करोड़ खर्च हुए और मार्च 2019 में उद्घाटन किया गया।
- तालचेर कोलफील्ड्स में मेडिकल कॉलेज का सिविल निर्माण कार्य लगभग रु. 493 करोड़ की लागत से एक निश्चित समय में पूरा किया गया।
- हिंगुला ओसीपी से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सभी खदानों को जोड़ने वाले कोयला गलियारे को तालचेर कोलफील्ड्स में चालू किया गया, जिससे लगभग 12 कॉलोनियों, 10 गांवों, बाजार की जगह, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोर, अस्पताल, स्कूल, आदि को दरकिनार कर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
- कोलनेट के माध्यम से ई-कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने और बनाए रखने वाली पहली कंपनी।
- सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के बीच सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन(लगभग 20.32 लाख यूनिट)।
- भुवनेश्वरी ओसीपी और हिंगुला ओसीपी में पाइप कन्वेयर के माध्यम से सबसे पर्यावरण हितैषी निकासी मोड की शुरुआत।

4. उत्पादन कार्य –निष्पादन

(**क**) पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मि.टन में)

उत्पादन	2018-19		2017-18		लक्ष्य के ये उपलब्धि का %	% वृद्धि गत वर्ष
(i) कोयला (मिलियन टन)	एमओयू /एएपी लक्ष्य	वास्तविक	एएपी लक्ष्य	वास्तविक		
खुली खदान	150.50	143.28	148.95	142.02	95.20	0.89
भूमिगत	1.00	0.87	1.05	1.04	87.10	-16.27
कुल कोयला (खुली खदान +भूमिगत)	151.50	144.15	150.00	143.05	95.15	0.76
(ii) ओबीआर (मि.घन मीटर)	157.00	130.00	160.00	138.18	82.80	-5.92

(**ख**) पिछले पांच वर्षों के लिए एमसीएल का उत्पादन प्रदर्शन (2018-19) नीचे संलग्न है :

(i) ***एम.सी.एल. का कुल कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन)*** *:*

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गत वर्ष की वृद्धि		उपलब्धि (%)
			वास्तविक	% उम्र	
2014-15	127.00	121.38	10.94	9.90	95.57
2015-16	150.00	137.90	16.52	13.61	91.93
2016-17	167.00	139.21	1.31	0.95	83.36
2017-18	150.00	143.06	3.85	2.76	95.37
2018-19	151.50	144.15	1.09	0.76	95.15

(ii) ***सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन.)*** *:*

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	गत वर्ष की वृद्धि		कुल कोयला उत्पादन के सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा
		वास्तविक	%उम्र	
2014-15	106.82	20.35	23.5	88.0
2015-16	125.68	18.87	17.7	91.1
2016-17	127.81	2.13	1.7	91.8
2017-18	130.89	3.08	2.4	91.5
2018-19	133.80	2.91	2.2	92.8

कोयले का उत्पादन एएपी लक्ष्य का 95.15% है जिसमें पिछले वर्ष से (+) 0.76 % की वृद्धि हुई है। ओबी की निकासी एएपी लक्ष्य का 82.8% है**,** जिसमें पिछले वर्ष से **(-) 5.92 %** की वृद्धि हुईहै। एएपी लक्ष्य में कमी आने के मुख्य कारण निम्न है **–**

कोयला उत्पादन **(**खुली खदान**)**

1. जगन्नाथ: भूमि की कमी - विस्तार क्षेत्र के लिए 06 महीने तक ईसी की प्राप्ति में देरी।

2. भरतपुर: भूमि की कमी **–** 16.10.2018 को पंचायत मार्ग के मोड़ के बाद जमीन पर ग्रामीणों द्वारा काम करने की अनुमति नहीं देना। पद्मावती पुर के ग्रामीणों द्वारा ओबी बेंच पर ब्लास्टिंग में बाधा।

3. लिंगराज: भूमि में कमी **–** डेरा-कंधाला रोड का गैर-स्थानांतरण और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को छोड़ देना । दिनांक 10.12.2018 को पुराने रोड को स्थानांतरित और नए रोड का निर्माण किया गया।

4. कनिहा: भूमि में कमी **–** ज़रदा गाँव का गैर-स्थानांतरण **.** पट्टामुंडा के ग्रामीणों द्वारा आर एंड आर नीति प्रावधानों से परे रोजगार को बंद करना**.** आर एंड आर से परे मांग के कारण कंसमुंडा**,** ज़मानिया**,** तेलीसिंह**,** जारदा के ग्रामीणों द्वारा बार-बार बाधा**.** राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा हस्तक्षेप मुख्य रूप से नए ठेकेदार की कंपनी में रोजगार का बड़ा हिस्सा पाने के लिए और उच्च विश्वास के कारण खनन कार्य बंद हो गया**,** मामला अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआहै।

5. **हिंगुला:** भूमि में कमी **-** दन्नारा के ग्रामीणों को इसकी अनुमति नहीं देने के कारण भालूगड़िया और अन्य बस्ती क्षेत्रों को कोचिया नाली पुनर्वास स्थल में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। रोड सेल के मुद्दों के लिए ग्रामीणों के

दो समूहों (दानारा और सोलदा) के बीच संघर्ष के कारण गोपालप्रसाद, बनबासपुर, भालुगड़िया और मल्लीबांध के ग्रामीणों द्वारा बार-बार अवरोध। स्थानीय वीएसएस द्वारा बाधित विस्तार क्षेत्र में वन क्षेत्र में नई खदान खोलने का विरोध।

6. बलराम: भूमि में कमी – हिंगुला कॉलेज, हाई स्कूल, पुलिश स्टेशन, 6-7 परियोजना प्रभावित व्यक्ति तथा कलमछुई गाँव के साथ गैर-स्थानांतरण। दनारा और कलमछुई के ग्रामीणों द्वारा लगातार रुकावट। रोड सेल के मुद्दों के लिए ग्रामीणों (दनारा और सोलडा) के दो समूहों के बीच संघर्ष के कारण बंद। विभिन्न मांगों के कारण ट्रक मालिकों एसोसिएशन द्वारा बंद।

7. सम्बलेश्वरीi: चिंग्रीगुडा गाँव की गैर-शिफ्टिंग के कारण ब्लास्टिंग मुद्दे और भूमि की कमी,। विस्तार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वर्तमान ईसी सीमा में सीमित आरक्षण प्रथम चरण के एफ़सी और ईसी को प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

8. कुलदा: विभिन्न मांगों के कारण तुमुलिया और 4 अन्य ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा ठहराव। 8 महीने से जिबाधन पटेल की जमीन को सौंपने में देरी और दिनांक 3.11.2018 को साइट सौंप दिया गया ।

ओबी रिमुवल :

1. जगन्नाथ: भूमि में कमी - विस्तार क्षेत्र के लिए 06 महीने तक ईसी के सुपुर्दगी में देरी

2. अनंता: भूमि में कमी - वन भूमि को सौंपने में देरी।

3. बीबीएसआरआई: भूमि में कमी – तालासाही, सहरसाही और नरहरीपुर के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का गैर-स्थानांतरण।

4. भरतपुर: नकेईपासी की पंचायत सड़क को आखिरकार 16 अक्टूबर को बदल दिया गया, लेकिन ग्रामीणों ने मशीन की परिनियोजन की अनुमति नहीं दी। इसी तरह, दशरथपुर भूमि का मुआवजा अधिकरण में जमा किया गया था, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया।

5. कनिहा : भूमि में कमी - ज़रदा गाँव को पथेरमुंडा पुनर्वास स्थल में स्थानांतरित करने के लिए लंबे समय से मुद्दा लंबित है, लेकिन देशी ग्रामीणों ने पुनर्वास स्थल के विकास की अनुमति नहीं दी और अपनी भूमि के अधिग्रहण की मांग की। आर एंड आर मानदंडों से परे मांग के कारण कंसामुंडा, जमानिया और जरदा के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार गड़बड़ी।

6. हिंगुला : भूमि में कमी - कोच्चिअनली पुनर्वास स्थल पर भालुगड़िया और अन्य बस्ती क्षेत्रों की गैर-शिफ्टिंग, जिसे पास के दनारा ग्रामीणों द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। स्थानीय वीएसएस द्वारा वन पैच में नई खदान खोलने के लिए वन भूमि की सुपुर्दगी भी बाधित की जा रही है। नीतिगत प्रावधानों से परे रोजगार की मांग के लिए ग्रामीणों द्वारा लगातार ठहराव।

7. संलेश्वरी : सुखवसीस सहित चिंगड़ीगुड़ा गाँव की शिफ्टिंग न होने के कारण ब्लास्टिंग के मुद्देऔर भूमि की कमी। विस्तार क्षेत्र में प्रवेश के लिए, चरण - 1 एफसी और ईसी आवश्यक है।**.**

8. बेलपहाड़: भूमि में कमी - सुखबसिस (भूमिहीन लोग) सहित दरालीपाल के बस्ती क्षेत्र का गैर-स्थानांतरण।

9. लखनपुर**:** सरकार का अतिक्रमण मुद्दा। खलियापालि और करलजोरी गाँवों में मुआवजा रोल तैयार करने और सुखबसीस के स्थानांतरण के मुद्दे पर सर्वेक्षण कार्य को अनुमति नहीं देना।

10. बसुंधरा : ईसी सीमा के भीतर भूमि समाप्त हो गई।

11.कुलडा: जिबाधन पटेल भूमि के सुपुर्दगी में 9 महीने की देरी होने से भूमि में कमी और तुमुलिया गांववालों द्वारा दिसंबर महीने में 06 दिन के लिए फिर से बंद।

<u>अवधि के दौरान प्रमुख बंद / प्रतिबंध / अवरोध</u>

1. दिनांक 2 अप्रैल और 10 अप्रैल, 2018 को भारत बंद के कारण तालचेर कोलफील्ड्स की खानों को लगभग 16 घंटे के लिए रोक दिया गया था और पुन: 12 अप्रैल को अंगुल जिले के बंद होने के कारण उसे फिर से बंद कर दिया गया।
2. मई दिवस समारोह मनाने के लिए स्थानीय राजनीतिक समूहों द्वारा तालचेर कोलफील्ड्स के खदानों को 1 मई को लगभग 20 घंटे के लिए बंद कर दिया गया।
3. महानदी संविदा परिवहन कर्मचारी संघ द्वारा बंद के आह्वान के कारण 25 जून और 26 जून, 2018 के दौरान तालचेर कोलफील्ड्स की खदानें पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गईं और ड्यूटी के लिए ऑपरेटरों / चालकों की गैर-रिपोर्टिंग की गई। विभिन्न मांगों के कारण 24 से 26 अगस्त, 2018 तक महानदी संविदा परिवहन कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषण सहित बंद और खनन कार्यों का विराम।
4. पेट्रोलियम/डीजल के मूल्य बढ़ोतरी के कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा 10 सितंबर, 2018 को भारत बंद।
5. तालचेर कोलफील्ड्स – ट्रक ओनर एसोसिएशन द्वारा 22 नवंबर, 2018 को सभी खनन गतिविधियों को बंद कर दिया गया था, और 1 और 2 नवंबर 2018 को एक संविदात्मक कर्मचारी के इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण कानून और व्यवस्था की समस्या बनाई गई थी।
6. ईब-वैली तालचेर कोलफील्ड्स – 29 और 30 नवंबर, 2018 को पश्चिम ओड़िशा के 48 घंटे के महाबंद तथा 7 जनवरी 2019 स्थायी उच्च न्यायालय बेंच के लिए बार एशोसिएशन द्वारा किए गए बंद ने ईब-वैली कोलफील्ड्स के सभी खदानों को प्रभावित किया।
7. तालचेर कोलफील्ड्स – 6, 7 और 19 दिसंबर, 2018 को रेत भरने से पुराने भूमिगत काम को स्थिर करने की मांग के साथ तालचेर शहर में एक घर के गड्ढे के कारण तालचेर सुरक्षा परिषद द्वारा बंद करना।.
8. 17 से 21 दिसंबर, 2018 लगभग 5 दिनो तक तूफान “फेथाई” और साथ ही साथ भरी वर्षा और खराब मौसम।
9. विभिन्न चार्टर ऑफ डिमांड के पूरे न किए जाने हेतु दिनांक 8 और 9 जनवरी, 2019 को केंद्रीय व्यापार संघो द्वारा बंद।.
10. तालचेर कोलफील्ड्स – तालचेर सुरक्षा मंच द्वारा विभिन्न मांग करते हुए 10 से14 जनवरी, 2019 को 5 दिनों के लिए खनन प्रचालन को पूरी तरह बंद करना।
11. अप्रैल, 2018 में लगभग 07 दिनों के लिए, मई, 2018 के दौरान 10 दिन, जून के महीने में 06 दिन और जुलाई, 2018 में मानसून के आगमन के साथ, आंधी हवाओं और बिजली गिरने से बिजली की कटौती हुई। 2018-19 में मानसून के दौरान गत वर्ष से अधिक वर्षा हुई।
12. अप्रैल के अंतिम सप्ताह से 15 जून तक हीट वेव की स्थिति के कारण जिला प्रशासन द्वारा सुबह 11 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक खनन कार्य पर प्रतिबंध।

(iii) ***एमसीएल का ओबी हटाना (आकड़े मि.क्यू.मि.)***

			गत वर्ष से वृद्धि		
वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य**	**वास्तविक**	**वास्तविक**	**% उम्र**	**%लक्ष्य से उपलब्धि**
2014-15	113.00	89.22	-6.81	-7.09	79.0
2015-16	115.00	98.41	9.19	10.30	85.6
2016-17	150.00	123.34	24.93	25.33	82.2
2017-18	160.00	138.18	14.84	12.03	86.4
2018-19	**157.00**	**130.00**	**-8.18**	**-5.92**	**82.8**

5. उत्पादकता

5.1 आपकी कंपनी ने निम्न रूप में आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) के मामले में उत्पादकता हासिल की है:

(आंकड़े टन /मैनसिफ्ट)

	2018-19		2017-18		
	एएपी लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	% लक्ष्य से उपलब्धि	% गत वर्ष से वृद्धि
खुली खदान	29.27	28.75	31.52	98.22	91.21
भूमिगत	0.75	0.82	0.74	109.33	110.81
सम्पूर्ण	23.41	23.83	24.22	101.79	98.39

5.2 2018-19 के दौरान ओएमएस 23.83 टन / मैनशिफ्ट था

ओएमएस की गणना का विवरण दिया गया है :

क्रमांक		2018-19	2017-18	गत वर्ष से वृद्धि
1.	ओसी ओएमएस	25.75	24.24	6.11
2	ओसी ओएमएस	28.75	31.52	(8.79)
3	युजी ओएमएस	0.82	0.74	10.81
4	ओसी (लाख) का समायोजित एम/एस	49.836	45.05	10.62
5	यूजी (लाख) का मैनसिफ्ट	10.665	14.014	(23.90)
क	**ओएमएस के लिए कुल मैनसिफ्ट**	**60.501**	**59.064**	**2.43**
6	ओसी कोल (L.Tes)	1432.803	1420.175	0.89
7	यूजी कोल (L.Tes)	8.711	10.404	(16.27)
ख	**कुल कोल (L.Tes)**	**1441.514**	**1430.579**	**0.76**
8	**कुल ओएमएस (बी/ए)**	**23.83**	**24.22**	**(1.63)**
9	ओएमएस सूत्र			
	यूजी =	कोयला उत्पादन / वास्तविक मैनसिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन) / वास्तविक मैनसिफ्ट x (1+(1.4xSt. Ratio))		
	कुल =	यूजी का कोयला उत्पादन + ओसी का कोयला उत्पादन / यूजी का मैनसिफ्ट + ओसी का समायोजित मैनसिफ्ट		
10	समायोजित मैनसिफ्ट (ओसी के लिए खदान अनुसार) =	कोयला उत्पादन / ओएमएस		
	कुल ओएमएस की गणना =	1432.803+8.711 / 49.836+10.665	1420.175+10.404 / 45.050+14.014	
		1441.514 / 60.501	1430.579 / 59.064	

6. एचईएमएम की नियुक्ति और प्रदर्शन

6.1 सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दर्शाते हुए बेड़े की ताकत के साथ एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग का विवरण तथा उपलब्धि नीचे दी जा रही है:

I. प्राप्त की गई उपलब्धता तथा उपयोगिता % (सम्पूर्ण आंकड़े):

क्र.	उपकरण	के अनुसार जनसंख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.19	31.03.18	अप्रैल '18 से मार्च '19	अप्रैल '17 से मार्च'18	सीएमपीडीआईएल नोर्म	अप्रैल'18 to मार्च '19	अप्रैल '17 to मार्च '18	सीएमपीडीआईएल नोर्म
1	ड्रैगलाइन	01	1	98	93	85	0	2	73
2	शौवेल	78	82	69	71	80	28	30	58
3	सरफेस/माइनर	20	20	84	83	--	47	46	--
4	डंपर	342	323	73	71	67	21	27	50
5	डोजर	116	130	72	71	70	25	26	45
6	ड्रिल	87	88	82	82	78	21	21	40
कुल		644	644						

II. <u>हासिल किए गए कार्य घंटे</u>:

क्रमांक	उपकरण	कार्यघंटे	
		2018-19	**2017-18**
1	ड्रैगलाइन	24	141
2	शौवेल	172711	192545
3	सरफेस/माइनर	71243	56858
4	डंपर	451440	520317
5	डोजर	192442	180812
6	ड्रिल	73253	76537

III.

क. ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर, डम्पर और डोजर की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है और साथ ही सीएमपीडीआई मानदंडों से भी अधिक है। शोवेल की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में कम और सीएमपीडीआई मानक से भी कम हासिल की गई है। ड्रिल की उपलब्धता पिछले वर्ष के बराबर हासिल की है।

ख. अकर्मण्यता और उपर्युक्त कार्य फेश/भूमि की अनुपलब्धता के कारण ड्रैगलाइन के कार्य घंटे गत वर्ष की तुलना में कम है।

ग. 1 अप्रैल से 15 जून तक अर्थात गर्मियों के दौरान समय की पाबंदी, 11.00 बजे से 3.30 बजे तक परियोजनाओं के संचालन की बंदी एचईएमएम के उपयोग को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव लगभग 2% है।

घ. कार्यफेश के अनुलब्धता के कारण भरतपुर ओसीपी की ड्रैगलाइन पूरे साल बेकार रही। एमसीएल में ड्रैगलाइन के लिए कोई कार्य फेश नहीं है।

- शोवेल और डम्पर का उपयोग पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

उपयोगिता निम्न कारण से भी प्रभावित हुआ--

1) विशेषकर तालचेर कोलफील्ड में कानून और व्यवस्था की समस्या।

2) जगन्नाथ और अनंत ओसीपी की वन मंजूरी में देरी की वजह से।

3) भरतपुर, हिंगुला, बलराम, बेलपहाड़ और समलेश्वरी ओसीपी पर ब्लास्टिंग बाधा

IV उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए :

क) एचईएम से दैनिक उत्पादन और उनके काम के घंटों का क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय स्तर पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।

ख) एचईएमएम का समय पर सर्वेक्षण करना और ऐसे सर्वेक्षण बंद उपकरणों के खिलाफ प्रतिस्थापन खरीद कार्रवाई।

ग) तात्कालिक आवश्यकता के प्रस्थापन हेतु विभिन्न फ्लोट उप-असेंबली जैसे इंजन, प्रसारण और अन्य असेंबली को मुख्यालय और सीडबल्यूएस में बनाए रखना

घ) ओईएम द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करके नए मॉडल उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी कौशल में सुधार करना।

ङ) मानसून अवधि से पहले ढ़लती सड़कों का रखरखाव।

च) संचालक के आराम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए एचईएमएम जो खरीदे जा रहे हैं, वे वातानुकूलित केबिनों से सुसज्जित हैं।

छ) एमसीएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न मंचों पर भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था की समस्याओं को उठाया जा रहा है।

ज) विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भू-विस्थापित जैसी अकुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

V. <u>एचईएमएम का अवरोध:</u>

उपकरण	जनसंख्या		अवरोध > 3 महीने	
	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.18 के अनुसार
ड्रैगलाइन	01	1	00	00
शोवेल	78	82	04	05
सर. माइनर	20	20	01	01
डंपर	342	323	55	49
डोजर	116	130	25	24
ड्रिल	87	88	10	06
एमसीएल कुल	644	644	95	85

VI. केंद्रीय कर्मशाला में उपकरण की मरम्मत/प्रणाली सुधार की गई:

क्षेत्र	**वर्ष**	
	2018-19	**2017-18**
सीडबल्यूएस (तालचेर)	00	01
सीडबल्यूएस (ईब-वैली)	00	03
एमसीएल कुल	00	04

VII. क्षमता उपयोगिता (खुली परियोजनाएं)

क्रमांक	**विवरण**	**क्षमता (वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर)**		**गत वर्ष से वृद्धि**
		2018-19	2017-18	-
1	विभागीय क्षमता (मि. क्यूब)	99.45	96.34	3.23%
2	प्रणाली क्षमता (मि. क्यूब)	269.56	261.43	3.11%
3	विभागीय उत्पादन (मि. क्यूब)	47.216	48.91	-3.46%
4	कुल उत्पादन (मि. क्यूब.)	216.316	223.731	-3.31%
5	विभागीय क्षमता उपयोगिता	47.5%	51%	-6.86%
6	प्रणाली क्षमता उपयोगिता	80.25%	85.58%	-6.23%

8. बिजली

i) तालचेर कोलफील्ड्स : 31.0 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ केंद्रीय विद्युत आपूर्ति उपयोगिता, ओड़िशा (सीईएसयू) के कमांड क्षेत्र के तहत ओपीटीसीएल अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लंबे 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नंदिरा कोलियरी 60 एमवीए (3x20 एमवीए), 132/33 केवी, ग्रिड सब-स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

ii) ईब-वैली कोलफील्ड्स : 22.25 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी, ओड़िशा (WESCO) के कमांड क्षेत्र के तहत. ओपीटीसीएल बुधिपाड़ा सब-स्टेशन से 19 किलो.मी लंबा 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोराबागा, 52.5 एमवीए(2क्ष20एमवीए+1x12.5 एमवीए), 132/33 केवी, ग्रिड सब-स्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स : 6 केवीए की अनुबंध मांग के साथ 220 केवी पर पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी, ओड़िशा (WESCO) के कमांड क्षेत्र के तहत 33 किलो. मी. लंबा 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 40 एमवीए (2x20एमवीए) 220/33 केवी सब-स्टेशन के द्वारा ओपीटीसीएल, बुधिपदार से बसुंधरा क्षेत्र को बिजली प्राप्त हो रही है ।

8.4 बिजली की उपलब्धता

पैरामीटर	2018-19	2017-18
अनुबंध की मांग (एमवीए)	61.271	61.271
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्तीय वर्ष के दौरान महीने में उच्चतम)	60.44	60.21
ऊर्जा की खपत (मिलियन kWh)	311.65	303.53
कुल राशि (करोड़ रु.)	189.78	185.32
यूनिट मूल्य (रु./kWH)	6.09	6.10

एमसीएल आनंद विहार कार्यालय को 200 केवीए के के अनुबंध के मिश्रण के साथ आनंद विहार कॉलोनी के अनुबंध की माँग को 400 केवीए से बढ़ाकर 1400 केवीए करने के लिए समझौता किया गया। बढ़ाने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

9. एमसीएल के प्रमुख भुमिगत उपकरणों की जनसंख्या :

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरणों की आबादी और उनकी उपलब्धता यहाँ दी गई है

क्रमांक	उपकरण का नाम	सूची में संख्या		2018-19		2017-18	
		2018-19	2017-18	% उपलब्ध	% उपयोगता	% उपलब्धता	% उपयोगिता
1	**एसडीएल** *	14	13	91.39	14.34	52.90	22.54
2	**एलएचडी** *	27	27	56.35	36.47	61.22	32.14
3	**मुख्य पंप**	45	58	93.33	87	67.24	99.09
4	**बेल्ट कनवेयर**	54	58	96.15	87	81.03	99.09
5	**वाईन्डर**	6	2	66.67	87	100.00	99.09
6	**स्वचालित यंत्र**	2	4	0	0	100.00	99.09

यूजी उत्पादन	2018-19	2017-18
वास्तविक। (मि.टन.)	0.87	1.04
लक्ष्य (मि.टन.)	1.00	1.05

उपकरणों के लिए अन्य एसडीएल और एलएचडी जिसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड उपलब्ध नहीं है

$$\text{\% उपलब्धता} = \frac{\text{उपलब्ध उपकरण}}{\text{सूची में उपकरण}} \times 100 \qquad \text{\% उपयोगिता} = \frac{\text{वास्तविक उत्पादन}}{\text{लक्ष्य उत्पादन}}$$

*एसडीएल और **एलएचडी** के लिए, सूत्र **सीआईएल** के मानदंडों के अनुसार हैं*

$$\text{* \% उपलब्धता} = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$$

कहाँ,

H_w = **वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष**

H_i = **निष्क्रिय घंटे / वर्ष**

H_s = **सिफ्ट घंटे / वर्ष**

$$\text{* \% उपयोगिता} = \frac{H_w}{H_s} \times 100$$

कहाँ,

H_w = **वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष**,

H_s = **सिफ्ट घंटे / वर्ष**

9.2 कोल हैंडलिंग प्लांटों, वेबब्रिज की संख्या और उनकी कार्यप्रणाली

2017-18 के दौरान सीएचपी और फीडर ब्रेकरों से 8.21 मिलियन टन कोयले के मुकाबले 2018-19 के दौरान 8.90 मिलियन टन कोयले को क्रश किया गया।

वर्ष	2018-19		2017-18	
	कटाव क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किए गए कोयले (एमटी)	कटाव क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किए गए कोयले (एमटी)
क्षमता बनाम कोयला कुचला गया	36.50	8.90	36.50	8.21
% संयंत्र की कटाई क्षमता का उपयोग	24.38%		22.49%	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर की शुरूआत के बाद, क्रशर / सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया और इस प्रकार इसे अतिरिक्त के रूप में उपयोग किया जाता है और जहां भी कोयला उत्पादन की मात्रा को पारंपरिक रूप से किया जाता है, उस मात्रा को केवल कुचल दिया जा रहा है। 2018-19 के दौरान कुल कोयला उत्पादन का 92.73% सरफेस माइनर के द्वारा किया गया । एमसीएल में 2017-18 के दौरान रॉम (ROM) कोयला उत्पादन सिर्फ 9.61 मिलियन टन था। चूंकि क्रशिंग की क्षमता काफी अधिक है, इसलिए किसी भी नए क्रशर या फीडर ब्रेकर को आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पे लोडर लोडिंग से बचने के लिए सड़क द्वारा बिक्री वाले ट्रकों को कोयले के ट्रक लोडिंग सिस्टम की शुरुआत के लिए सीएचपी के नवीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

9.2.1 इन सीएचपी के कार्यात्मक बिंदु निम्नानुसार हैं:-

प्रमुख सीएचपी

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.00
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.50
कुल		5.50

9.2.2 **मिनी सीएचपी / फीडर ब्रेकर**

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.00
	अनंता ओसीपी	7.00
हिंगुला	हिंगुला	2.00
	बलराम	4.00
ईब-वैली	लजकुरा ओसीपी	2.00
	संलेश्वरी ओसीपी	1.00
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.00
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.00
बसुंधरा	बसुंधरा ओसीपी	1.00
	कुलडा ओसीपी	2.00
कुल		31.00

9.2.3 **कोयला प्रेषण सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीएल की सभी प्रमुख खुले खदानों में सीएचपी / साइलों का निर्माण योजना के निष्पादन / निविदा / अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।**

क्रमांक	सीएचपी /साइलों विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई	एमसीएल द्वारा संयंत्र को दिनांक 09.10.2018 को ले लिया गया है। प्रदर्शन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और संयंत्र दिसंबर 2018 से परिचालन में है।
2	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और एसएलओ लोडिंग की व्यवस्था	16 एमटीवाई	कार्य प्रगति पर है और समग्र प्रगति 99.93% है। अप्रैल, 2019 तक परियोजना के पूरा होने की संभावना है।
3	भुवनेश्वरी ओसीपी से साइलों तक स्पर साईडिंग –III के पास जगन्नाथ वाशरी के पास कच्चे कोयले का परिवहन	10 एमटीवाई	परियोजना की समग्र प्रगति 68.32% है और सितंबर, 2019 तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है।
4	हिंगुला वाशरी के साथ ही साथ बलराम साईडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साइलों व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए हिंगुला ओसीपी से पाइप कनवेयर द्वारा कोयला परिवहन	10 एमटीवाई	परियोजना की समग्र प्रगति 32.33% अक्तूबर, 2019 तक परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है।
5	ईब वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में साइलों के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट और रैपिड लोडिंग सिस्टम।	10 एमटीवाई	एनआईटी नंबर-78, दिनांक .01.03.2016 के लिए निविदा जारी की गई थी, उसे रद्द कर दिया गया , क्योंकि एनआईटी की आवश्यकता का पालन नहीं करने के कारण सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को खारिज कर दिया गया था। नए सिरे से निविदा जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.

9.2.4 वेबब्रिजों का विवरण

क्रमांक	वेबब्रिज का प्रकार	2018-2019	2017-2018
1	इलेक्ट्रोनिक रोड वेबब्रीज (स्टेटिक)	99	96
2	इलेक्ट्रोनिक रोड वेबब्रीज (इन-मोशन)	40	40
3	रेल वेबब्रीज(इलेक्ट्रोनिक)	36	29

दोनों सिरों पर (साइडिंग्स और स्टॉकयार्ड)100% वज़न सुनिश्चित करने के लिए, 100 टन का 34 मोशन रोड वेबब्रिजों खरीद कार्रवाई के तहत हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त वजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 टन क्षमता के 21 स्टैटिक रोड वेटब्रिज की खरीद की गई है। 21 में से 3 वेबब्रिजों को चालू किया गया है और 18 वेबब्रिजों स्थापना के अधीन है। इसके अतिरिक्त, 140 टन वाले 15 रेल इन-मोशन वीवीब्रिज की खरीद की गई है। 15 में से, 6 वेबब्रिज चालू किया गया है और 9 वेबब्रिज स्थापना के अधीन हैं।

10. **पूंजीगत संरचना**

दिनांक 31.03.2018 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी. 980.00 करोड़ है, जो 1,000 / - के 77,58,200 इक्विटी शेयर्स में एवं प्रत्येक 1,000 / - के 20,41,800 इक्विटी के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर 1,000 / - में विभाजित है।

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी, रु 661,83,63, 000 करोड़ है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसके नामितों द्वारा नियंत्रित होती है।

11. वित्तीय समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए डेटा वैधानिक लेखा परीक्षा एवं सीएजी द्वारा समीक्षा के पश्चात अद्यतित होगी।

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल रु .22,287.23 करोड़ के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में सकल विक्रय मूल्य रु .24,607.68 करोड़ का कारोबार रिकॉर्ड किया है। गतवर्ष के रु .7,339.66 करोड़ का कर पूर्व लाभ 2018-19 में रु . 9,281.08 करोड़ हु आहै। पिछले वर्ष रु. 4,761.29 करोड़ के तुलना में इस वर्ष कर प्रश्चात लाभ रु.6,039.54 करोड़ है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है

[₹ करोड़ में]

	2018-19	2017-18
कुल लाभ (ब्याज और ह्रास से पूर्व)	9846.76	7784.26
घटाव : ह्रास (सामाजिक मद मूल्य ह्रास सहित)	501.19	371.34
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	45.20	73.26
कर पूर्व निवल लाभ	9300.37	7337.66
घटाव : आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित का दायिता	3248.29	2578.37
कर पश्चात निवल लाभ	6039.54	4761.29
पी और एल में उपलब्ध ओपी बेलेन्स	207.72	920.05
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	301.98	238.06
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	-	-

दीर्घकालिक विकास में अंतरित	-	-
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	3750.00	4350.00
2017-18 का अंतरिम लाभांश	125.00	-
लाभांश पर कर	796.52	885.56
वापिस खरीदे गये इक्विटी शेयर पर दिया गया कर	72.38	-
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ/हानि	1201.38	207.72
कर से पूर्व (ओसीआई)अन्य व्यापक आय	(16.28)	27.34
घटाव : ओसीआई में आयकर के लिए प्रावधान	(5.69)	9.46
कर के पश्चात (ओसीआई) अन्य व्यापक आय	(10.59)	17.88
कर के पश्चात कुल विस्तृत आय	6028.95	4779.17

11.1 **रिजर्व में स्थानांतरण**

वर्ष के लिए 301.98 करोड़ की राशि कर के बाद लाभ का 5% होने के नाते, जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

11.2 लाभांश

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए 125 करोड़ अन्तरिम लाभांश के रूप में दिये। निदेशकगणों ने रु. 3750.00 करोड़ अंतरिम लाभांश के रुप में अनुशंसा की है जो कि भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 566.60% (गत वर्ष के 616.03) है।

इस तरह कुल बहिर्वाह रु. 4,671.52 करोड़ जिसमें कुल लाभांश रु. 3750.00 करोड़ और लाभांश पर कर रु 796.59 करोड़ है।

11.3 ऋण

असुरक्षित ऋण :

कंपनी ने सामान्य निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रु 2000 करोड़ @ 7% प्रति वर्ष के हिसाब से NLCIL को ऋण दिया है और 31.03.2019 के अनुसार 1625 बकाया है।

12. निवेश

12.1 एमसीएल की सहायक कंपनियां एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के इक्विटी शेयर में गैर-वर्तमान निवेश रु 59.57 करोड़, ₹ 57.06 करोड़, ₹ 5.00 लाख और ₹ 3.20 लाख हैं।

12.2 दिनांक 31.03.2019 को 7.55% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफ़सी टैक्स फ्री 2021 श्रृंखला 79 बांड, 8% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC बांड, 7.22% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय IRFC टैक्स फ्री बॉन्ड, 7.22% सुरक्षित प्रतिदेय क्रमशः 200.00 करोड़, ₹ 108.75 करोड़, रु 499.95 करोड़ और रु 150.00 करोड़ था।

13. **पूंजीगत व्यय**

गत वर्ष के 1374.27 करोड़ (पुन: कथित) खर्च की तुलना में इस वर्ष कुल पूंजीगत व्यय 1540.11 रु करोड़ (पूर्व-लेखा परीक्षित) था।

14. **उधार**

दिनांक 31.03.2019 तक मेसर्स लिबेनर फ्रांस एसए, फ्रांस को क्रेडिट पर चार हाइड्रोलिक शोवेल की आपूर्ति के लिए रु 6.29 करोड़ की राशि बकाया है।

15. **<u>विक्रय मूल्यांकन</u>**

वर्ष 2017-18 में एमसीएल की सकल बिक्री 22,287.23 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 26464.46 करोड़ रहा।

वर्ष 2018-19 में कुल मूल्यांकन रु 26307.89 करोड़ था जो चालू वर्ष के सकल विक्रय पर 99.41 % काम करता है।

15. **राजकोष को भुगतान**

आपकी कंपनी केंद्र और राज्य के सरकारी कोष के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है।

पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी, सेवा कर, स्टोविंग उत्पाद शुल्क और प्रवेश कर लिए कंपनी द्वारा किए गए भुगतान निम्नानुसार है :

[₹ करोड़ में]

	2018-19	2017-18
रॉयल्टी	2035.36	1752.01
एनएमईटी	40.71	35.03
डीएमएफ़	610.50	525.58
विक्रय कर/ओड़िशा वीएटी	-	191.42
स्टोविंग उत्पाद शुल्क	-	33.36
प्रविष्टि कर	-	16.38
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	1334.59
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	230.50
वस्तु और सेवा कर	904.24	668.71
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	5692.12	4195.91
कुल	9282.93	8983.49

16. **परियोजना गठन /पूंजी परियोजना**

16.1 **योजनाएँ**

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 162.50 मिलियन टन कोयला प्राप्त करने की योजना बनाई है। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय रु. 1600.00 करोड़ है, जिसका प्रमुख हिस्सा भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचनाओं के विकास और हेवी अर्थ मूविंग मशीन (HEMM) की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।

16.2 **परियोजना गठन**:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा चार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी :

1. लजकुरा-ओरिएंट विस्तार (15 एमटीवाई)
2. कुलडा –गरजनबहाल विस्तार ओसीपी (40 एमटीवाई)
3. भुवनेश्वरी विस्तार (40 एमटीवाई)
4. गोपालजी –कनिहा विस्तार (40 एमटीवाई)
5. बलराम विस्तार (15 एमटीवाई)

16.3 परियोजना कार्यान्वयन:

2018-19 के दौरान एमसीएल का कुल पूंजी व्यय लक्ष्य 1600.00 करोड़ रुपये की तुलना में 1490.23 करोड़ रुपये है।

16.4 पूंजी परियोजनाएं /योजना

कोयला परियोजना : -

एमसीएल में अब तक कुल 53 (3 बंद परियोजनाओं सहित) स्वीकृत कोयला खनन परियोजनाएं है। इस स्वीकृत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता दर 230.61 एमटीवाई थी, जिसमें स्वीकृत पूंजी लागत (आरसीई सहित) रु 17578.11 करोड़ थी । कुल 53 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 16 परियोजनाएँ चालू परियोजनाएं है। 53 परियोजनाओं की पूंजी परिव्यय के साथ वर्तमान क्षमता निम्नानुसार है :

परियोजना वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				बंद	पूर्ण	कार्यरत (चालू)
100 और अधिक	21	177.40	16602.14	1	7	13
50 से 100	12	17.83	685.52	0	9	3
20 से 50	13	28.10	225.93	1	12	0
20 से कम	07	7.28	64.52	1	6	0
कुल	53	230.61	17578.11	3	34	16

पूर्ण परियोजना : - 37

क्रमांक	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु . करोड़)	पूर्ण करने की तय तिथि
तालचेत कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ सी/	4.00		
2.	अनंता ओसी/ विस्तार चरण -I	1.50	338.44*	मार्च 2008
3.	अनंता ओ विस्तार सी/ चरण -II	6.50		
4.	बलन्डा ओ तथा सी/ संशोधित पीआर (बंद)	1.00	33.20	मार्च 1984
5.	बलराम ओ सी/(कलिंगा ओसीसीपी)	8.00	344.63*	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओसी/	3.50	158.97 (आरसीई)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ चरण सीविस्तार/-I	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	भरतपुर ओ विस्तार सी/ चरण -II	6.00	**95.87	मार्च 2007
9.	भरतपुर ओ विस्तार सी/ चरण -III	9.00	131.39	मार्च 2010
8.	छेंदीपाड़ा ओसी/	0.35	19.75	मार्च 2007
9	हिंगुला-II ओसी/	2.00	47.93*	मार्च 2002
10	हिंगुला –II ओ चरण चरण सी/-I	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला –II ओ चरण सी/ चरण -II	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ सी// जंगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71 / 4.71	मार्च 2004
13.	जगन्नाथ ओ चरण रविस्ता सी/-II	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओसी/	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ चरण विस्तार सी/ओ सी/-I	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ चरण विस्तार सी/-II	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	लिंगराज ओ चरण विस्तार सी/-III	3.00	306.18**	मार्च 2014
18.	नंदिरा यू जी/(वृद्धि)	0.33	17.96	मार्च 1995
कुल योग (जिसमें बंद खानों की क्षमता भी शामिल है)		51.68	1640.82	
ईब-वैली कोलफील्ड्स				
19.	बसुंधरा (ई) ओसी/(बंद)	0.60	19.70	मार्च 1998
20.	बसुंधरा (पश्चिम) ओ सी/	2.40	68.74 (आरसीई)	मार्च 2007
21.	बसुंधरा (पश्चिम(विस्तार चरण -I	4.60	46.52	मार्च 2011
22.	बेलपहाड़ ओसी/	2.00#		
23.	बेलपहाड़ ओ चरण विस्तार सी/-I	1.50#	246.93*	मार्च 2015
24.	बेलपहाड़ ओ चरण विस्तार सी/-II	4.50#		
25.	लजकुरा ओ सी// लजकुरा विस्तार	1.00	38.98 (RCE) / 3.22	मार्च 1991
26.	लजकुरा ओसीपी विस्तार चरण -I	1.50	194.99**	मार्च 2013
27.	लखनपुर ओसी/	5.00#	215.02*	मार्च 2000
28.	लखनपुर ओ चरण विस्तार सी/-I	5.00#	98.74	मार्च 2010
29.	लखनपुर ओसीपी विस्तार चरण -II	5.00#	116.54	मार्च 2011

30.	लिलारी ओसी// लिलारी विस्तार	0.80#	19.78 / 0.63	मार्च 1992
31.	संबलेश्वरी ओसी/	3.00	636.24**	मार्च 2013
32.	संबलेश्वरी ओ चरण विस्तार सी/-I	1.00		
33	संबलेश्वरी ओ चरण विस्तार सी/-II	1.00		
34	संबलेश्वरी ओ चरण विस्तार सी/-III	2.00		
35.	संबलेश्वरी ओ चरण विस्तार सी/-IV	5.00		
कुल योग (बंद खदानों की क्षमता सहित)		22.10	1706.03	
कुल (पूर्ण परियोजना)		73.78	3346.85	

(*)स्वीकृत आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट के अनुसार समापन लागत.
(**)आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट और लक्षित वर्ष से अतिरिक्त पूंजी स्वीकृत के अनुसार।.
(#)इन खानों की क्षमता एकीकृत **एलकेपी-बीईएल -एलआईएल ओसीपी** और भरतपुर पुनः सृजित 'ओसीपी की मंजूरी के बाद बाहर रखी गई है।

चालू परियोजनाएं :- 16

क्रमांक.	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़)	पीआर अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओसीपी विस्तार चरण -III	3.00	251.95#	31.08.2008
2.	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00	^209.56	22.12.2007
3.	भरतपुर पुनर्गठन	20.00	2838.87	12.11.2018
4.	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
5.	हिंगुला -II ओसीपी विस्तार चरण -III	7.00	479.53	08.11.2008
6.	जगन्नाथ पुनर्गठन	6.00 *	337.66	26.05.2014
7.	जगन्नाथ यू/जी	0.67	80.75	15.10.2001
8.	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
9.	नटराज यू/जी	0.64	92.11	30.01.2001
10.	तालचेर (पश्चिम) यू/जी	0.52	85.08	18.02.2002
	कुल योग	**61.83**	**5323.37**	
ईब-वैली कोलफील्ड्स				
11.	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00 *	**620.42	07.05.2014
12.	कुलडा ओसीपी	10.00	^372.81#	12.01.2005
13.	कुलडा विस्तार ओसीपी	5.00	**348.16#	25.06.2014
14.	गरजनबहाल ओसीपी	10.00	**1375.38	03.05.2016
15.	समेकित लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	2434.75	22.05.2018
16.	सियारमल ओसीपी	40.00	**3756.36	29.05.2014
	कुल योग	**95.00**	**8907.89**	
कुल (चालू परियोजनाएं)		**156.83**	**14231.26**	
महायोग (बंद खदानों की क्षमता सहित)		**230.61**	**17578.11**	

(*)*ये अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने वाले मूल परियोजनाओं के विस्तार हैं। इसलिए, क्षमता में कोई जोड़ नहीं होगा।*
(**)अनुमोदित आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट और **/** या परिशिष्ट के अनुसार लक्ष्य वर्ष से परे पूंजी स्वीकृत**/**
(#)सीएमडी, एमसीएल के **शक्ति प्रत्यायोजन (डीओपी)** के भीतर कुल स्वीकृत पूंजी का *10%* शामिल है। **(^) –योजनाओं सहित।**

मौजूदा पुरानी भूमिगत खान <u>: -05 .</u>

क्रमांक.	परियोजना का नाम	CMPDIL द्वारा मूल्यांकन के रूप में क्षमता एमटीवाई में (एमटी/वर्ष)				
		2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1.	हिराखंड बूंदिया खदान	0.551	0.612	0.612	0.505	0.551
2.	ओरिएंट खदान 1 और 2	0.428	0.428	0.367	0.352	0.398
3.	ओरिएंट खदान 3	0.551	0.490	0.000	0.122	0.122
4.	ओरिएंट खदान 4	0.061	0.061	0.122	0.061	0.000
5.	तालचेर यू/जी	0.318	0.340	0.272	0.173	0.107
	कुल	**1.909**	**1.931**	**1.373**	**1.213**	**1.178**
	एमसीएल के लिए महायोग (बंद खदानों की क्षमता सहित)				**225.623**	**231.788**

<u>भविष्य परियोजना :-06</u>

क्रमांक	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	टिप्पणी
1	बलराम विस्तार ओसीपी	15.0 (अतिरिक्त I – 7.0एमटीवाई)	एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.12 को बलराम विस्तार ओसीपी के पीआर का (15 एमटीवाई) 'सिद्धान्त में' अनुमोदन। पीआर की अद्यतित लागत अनुमान (यूसीई) दिनांक 24.06.18 को तकनीकी उप-समिति की बैठक में रखी गई, जिसमें इसे एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की गई थी।
2	भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी	40.0 (अतिरिक्त I – 20एमटीवाई)	सीएमपीडीआई द्वारा ड्राफ्ट परियोजना प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत की गई। जिस पर एमसीएल की अगली तकनीकी उप-समिति की बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है।
3	**गोपालजी – कनिहा विस्तार ओसीपी**	30.00 (अतिरिक्त - 20एमटीवाई)	प्रथम वर्ष के 80.15 करोड़ के व्यय के लिए गोपालजी-कनिहा विस्तार ओसी परियोजना के पीआर को एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 20.05.15 को तथा ईएससी द्वारा 23.09.15 को अनुमोदित किया गया गोपालजी-कनिहा विस्तार (30 एमटीवाई) के अद्यतित लागत अनुमान (यूसीई)को दिनांक 24.06.18 को तकनीकी उप-समिति की बैठक के समक्ष रखा गया, जिसमें इसे एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की गई थी।
4	कुलडा – गरजनबहाल **विस्तार ओसीपी**	40.0 (अतिरिक्त I- 15एमटीवाई)	सीएमपीडीआई ने दिनांक 09.04.18 को पीआर ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया। एमसीएल के परियोजना समिति द्वारा दिनांक 02.05.18 को पीआर पर चर्चा की गई थी। योजना समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद अंतिम पीआर को दिनांक 24.06.18 को तकनीकी उप-समिति की बैठक में रखा गया था, जिसमें इसे स्थगित कर दिया गया था।
5	लजकुरा – ओरिएंट **विस्तार ओसीपी**	15.0 (अतिरिक्त I- 11.31एमटीवाई)	परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, दिनांक 31.03.17 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अद्यतित लागत अनुमान (यूसीई) दिनांक 24.06.18 को तकनीकी उप-समिति की बैठक में रखा गया था, जिसमें सीएमपीडीआई से नए मॉडल को तैयार करने का अनुरोध किया गया था।
6	**संलेश्वरी विस्तार ओसीपी** (**सभी सीम सहित**)	20.0 (अतिरिक्त – 8.0एमटीवाई)	बैठक में की गई चर्चा के अनुसार नए मॉडल को एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 21.09.15 को अनुमोदित किया गया और उसे दिनांक 10.02.16 को 89 वें सशक्त उप-समिति की बैठक के समक्ष रखा रखा। तैयारी के अनुसार सीएमपीडीआई, रांची के तहत परिकल्पित उत्पादन के रूप में सिर्फ 4 साल के लिए 20 एमटीवाई और उसकेएस बाद 12 एमटीवाई है।
कुल	कुल अतिरिक्त क्षमता – **81.31**एमटीवाई		

<u>गैर-खनन परियोजनाएं :-</u>

एमसीएल की प्रमुख चालू गैर खननपरियोजनाओं की लागत > रु. .20 करोड़ :

क्रमांक .	परियोजनाओं का नाम	पूंजी लागत (रु. करोड़.)
1	बुंदिया खदान से एनएच -200 को जोड़ने वाली 12.54 किमी के कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण	135.29
2	ईब-वैली कोलफील्ड्स में 5 साल से अधिक जीवन वाले सीटी सड़कों का निर्माण.	94.22
3	लजकुरा वेलकम गेट से माइन जंक्शन 3 तक 3.7 किलोमीटरके बाई-पास रोड का निर्माण	35.56
4	तालचेर कोयला क्षेत्र में 41.5 किलो मीटर लंबाई नए कोयला गलियारे का निर्माण।	251.35
	(क) हिंगुला – बलराम पार्ट (7.06 KM)	
	(ख) भरतपुर पार्ट (2.3 किलो मीटर)	
	(ग) जगन्नाथ पार्ट (1.26 किलो मीटर)	
	(घ) अनंता पार्ट (2.34 किलो मीटर)	
	(ड़) भुवनेश्वरी पार्ट (1.82 किलो मीटर)	
	(च) लिंगराज पार्ट (6.21 किलो मीटर)	
5	तालचेर के घांटपाड़ा गाँव के समीप के स्तर पर आरओबी का निर्माण।	37.50
6	तालचेर कोलफील्ड्स में 5 वर्ष से अधिक जीवन वाले सीटी सड़कों का निर्माण।	165.92
		संशोधित - 243.00
7	बांकीबहल से कनिका रेलवे साइडिंग तक 2 लेन से 4 लेन की सड़क का 27 किलो मीटर चौड़ाकरण-	मूल - 162.87
		संशोधित 242.06
8	सुंदरगढ़ जिले में बांकीबाहल से भेदभल (SH-10 पर) के लिए अलग-अलग 4-लेन (संशोधित 2-लेन) समर्पित कोयला गलियारा सड़क का निर्माण। लंबाई- 33.00 किलोमीटर, ब्रीज -4.	398.97
9	बसुंधरा पश्चिम विस्तार चेक पोस्ट से सरडेगा रेलवे साइडिंग तक 2-लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	30.39
10	15 एमटीवाई के लिए अनंता स्पुर साइडिंग V & VI पर साइलो लोडिंग की व्यवस्था	198.66
11	16 एमटीवाई के लिए लिंगराज ओसीपी में साइलो लोडिंग व्यवस्था ।	237.56
12	लिंगराज ओसीपी में संशोधित – सीएचपी एवं साइलों लोडिंग व्यवस्था	संशोधित - 495.01
	झारसुगुड़ा- बरपाली – सरडेगा रेलवे लाइन	मूल - 469.68
		संशोधित - 1007.12
13	अंगुल स्टेशन से कलिंग सीपीपी तक रेलवे लिंक	99.00
14	तालचेर और पैरादीप बंदरगाह के बीच स्वत: सिग्नलिंग प्रणाली	63.23
15	बसुंधरा वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-एम आधार पर	334.72
16	जगन्नाथ वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-ओ आधार पर	265.35
17	ईब-वैली वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-एम आधार पर	392.76
18	हिंगुला वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-ओ आधार पर	321.96
19	बसुंधरा –गरजनबहाल के आधारभूत संरचना योजना	498.75
	कुल	**5144.90**

<u>एमसीएल की पूर्ण गैर खनन परियोजनाओं की लागत > रु. 20 करोड़ :</u>

क्रमांक .	परियोजनाओं का नाम	पूंजी लागत (रु. करोड़.)
1	बी-जी क्षेत्र में सभी सीटी सड़कों का निर्माण, जिनका कंक्रीट के साथ 5 वर्ष से अधिक का जीवन हो।	22.96
2	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण	26.92
3	तालचेर में भुवनेश्वरी ओसीपी की सेवा हेतु तालचेर यार्ड के लिए टीएलएसबी केबिन से तीसरी लाइन का निर्माण।	47.60
	कुल	**97.48**

16.5 विदेशी सहयोग : शून्य

16.6 **आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अवशोषण**

क. सरफेस माइनर द्वारा खुले खदान में कोयला निकालने के लिए विस्फोट मुक्त तकनीक को शुरू करने में एमसीएल पथ प्रदर्शक है।

ख. एमसीएल की सभी प्रमुख खुले परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो शुरू किया जा रहा है।

ग. ईब-वैली वाशरी के मामले में निर्माण शुरू कर दिया गया है और अन्य 03 वॉशरियों के मामले में, सूचना - पत्र (LoI) को पहले ही एल -1 बोलीदाता को जारी किया जा चुका है और आवश्यक पर्यावरण मंजूरी(ईसी), वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने के लिए लागू सहमति (सीटीई)) आदि मिलने के बाद लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी किया जाएगा।

16.7 **सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं** : शून्य

16.8 **2018-19 के दौरान भूमि अधिग्रहण और अधिकार :**

(आंकड़े हैक्टेयर में)

क्रमांक .	क्षेत्र	किराए का घर		सरकार गैर-वन		वन भूमि		कुल अधिग्रहण	कुल अधिकार
		अधिग्रहण	अधिकार	अधिग्रहण	अधिकार .	अधिग्रहण	अधिकार .		
1	जगन्नाथ	0	1.804	0	0	0	10	0	11.804
2	हिंगुला	0	38.942	0	0	0	0	0	38.942
3	भरतपुर	0	121.525	0	0	0	0	0	121.525
4	लिंगराज	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कनिहा	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ईब-वैली	0	23.534	0	0	0	0	0	23.534
7	लखनपुर	0	10.817	0	0	0	0	0	10.817
8	बी-जी क्षेत्र	0	2.038	0	29.329	0	0	0	31.367
	कुल	0	198.66	0	29.329	0	10	0	237.989

16.9 निर्माण, संचालन और रखरखाव (बीओएम) के आधार पर वाशरी की स्थिति :

उच्च राख वाले कोयले के आर्थिक धुलाई के लिए बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) आधार पर कोयला वॉशरियों की स्थापना के लिए सीआईएल के निर्णय के अनुरूप, एमसीएल प्रथम चरण- I में बीओएम अवधारणा पर प्रत्येक 10.0 एमटीवाई की क्षमता वाले चार प्रकार के कोयला वॉशरी अर्थात हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, लखनपुर क्षेत्र में इब-वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी को स्थापित करने की योजना बना रहा है।

बीओएम संकल्पना पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0एमटीपीए) के लिए पहले निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। इसलिए बीओएम संकल्पना पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) के पुन: निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इस बीच जीएम (पीएमडी), CIL से एक पत्र दिनांक11/02/2017 को प्राप्त हुआ था, जिसने कोयला मंत्रालय के निर्णय के बारे में सीआईएल के

अनुमोदन को मंजूरी दे दी थी, यानी "सभी नए प्रस्तावित वॉशरियां, जिनकी निविदा को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, को बी-ओ-ओ (बिल्ड-ऑन-ऑपरेटर) अवधारणा के तहत बनाया जाना चाहिए। इसलिए, एमसीएल ने अपनी दिनांक 28/02/2017 की 186 वीं बैठक में एमसीएल के बोर्ड को सूचित करने के बाद बीओओ अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) स्थापित करने की योजना बनाई।

इसके बाद, बीओओ अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए पूर्व-निविदा गतिविधियां शुरू की गईं और बोली दस्तावेज तैयार करने को अंतिम रूप दिया गया। इस बीच, सचिवों (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 11/01/2018 को वाशरी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में, सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्डों में वाशरी के निर्माण के तरीके (बीओएम / बीओओ / ईपीसी) का निर्णय लेना चाहिए।"

एमसीएल बोर्ड ने अपनी दिनांक 31/01/2018 को हुई 198 वीं बैठक में हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) , एमसीएल से बिल्ड-ओन-ऑपरेट-(बीओओ) से बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) अवधारणा की स्थापना के बदलाव को मंजूरी दी।

बीओएम संकल्पना पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) और हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए निविदा 26 मार्च, 2018 को जारी की गई थी।

एमसीएल के निदेशक मण्डल ने दिनांक 20/12/2018 को आयोजित बैठक में "अवार्ड ऑफ वर्क" को अनुमोदित किया। बोली दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार रु 384,11,98,291.04 (रुपये तीन सौ चौरासी करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार दो सौ इकानवे हजार चार पैसे) " के सेट अप के लागत पर संशोधित पर्यावरण मंजूरी की प्राप्त पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए "सबसे कम बोली लगाने वाले" यानि मेसर्स ग्लोबल कोल तथा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को "काम के पुरस्कार" को मंजूरी दी।

इसके बाद, जगन्नाथ वाशरी (10.0 माउंटपा) की स्थापना के लिए 'सूचना पत्र'(एलओआई) दिनांक और 29/12/2018 को सबसे कम बोली लगाने वाले को जारी किया गया और संशोधित पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त होने के बाद लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) एल -1 बोली दाता को जारी किया जाएगा।

बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार रु. 424,42,25,587 (चार सौ 24 करोड़ बयालीस लाख, पच्चीस हजार, पाँच सौ सतासी)" के सेट अप लागत पर संशोधित पर्यावरण निकासी की प्राप्ति के पश्चात एमसीएल के निदेशक मण्डल ने दिनांक 28/1/2019 को आयोजित बैठक में हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए "सबसे कम बोली लगाने वाले" यानि मेसर्स झर माइनिंग इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को "काम के पुरस्कार" को मंजूरी दी। इसके बाद, हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटिमेशन (एलओआई) दिनांक और 07/02/2019 को सबसे कम बोली लगाने वाले को जारी किया गया और संशोधित पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त होने के बाद लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) को एल -1 बोली दाता को जारी किया जाएगा।

लखनपुर में इब-वैली वॉशरी (10.0 एमटीपीए) के बारे में, दिनांक 14/03/2018 को L-1 बोली लगाने वाले को लेटर ऑफ़ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया तथा लखनपुर क्षेत्र में ईबी-वैली वाशरी स्थापित करने का अनुबंध दिनांक

15/10/2018 को मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड(GCMPL) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण शुरू किया गया है।

बासुंधरा वाशरी (10.0 एमटीपीए) के बारे में, लेटर ऑफ इंटिमेशन सबसे कम बोली लगाने वाले को मई'2014 में जारी किया गया था और लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) एमओईएफ़ से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) की प्राप्ति के बाद एल -1 बोलीदाता को जारी किया जाएगा।

चरण-I से परे, एमसीएल तीन और वॉशरियों - लखनपुर वाशरी (20.0 एमटीपीए क्षमता), गर्जनबहाल वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता) और सियारमल वाशरी (40.0 एमटीपीए क्षमता) की स्थापना करने की योजना बना रही है ।

चरण- I के तहत इन चार वाशरी की वर्तमान स्थिति उसके बाद दी गई है :

(क) बीओएम संकल्पना पर लखनपुर में ईब-वैली वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता) :

1. मई , 2015 में निविदा आमंत्रित की गई थी।
2. दिनांक 12/09/16 को सबसे कम बोली दाता मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को सूचना पत्र जारी किया।
3. दिनांक 31/03/2017 को पर्यावरण मंजूरी (दिनांक 30/03/2017) प्राप्त हुई। एमओईएफ और सीसी से ईसी की कुछ विशिष्ट स्थितियों में संशोधन की मांग की गई थी। दिनांक 15.06.2017 की संशोधित ईसी दिनांक 26.07.2017 को प्राप्त हुई।
4. जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर दिनांक 01.07.2017 से , L-1 बोलीदाता ने दिनांक 08/01/2018 और 22/01/2018 को परियोजना पूंजी लागत तथा संचालित लागत (उद्धृत मूल्य पर जीएसटी और मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों के प्रभाव को देखते हुए) का अंतिम संशोधित मूल्य ब्रेक-अप प्रस्तुत किया। क्रमशः जिसे बाद में फरवरी 2018 में एमसीएल के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
5. लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) L-1 बोलीदाता को दिनांक 14/03/2018 को जारी किया गया।
6. लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी स्थापित करने का अनुबंध 15/10/18 को मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (GCMPL) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था।
7. लखनपुर क्षेत्र में इब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण शुरू किया गया है।

(ख) **बीओएम संकल्पना पर बसुंधरा वाशरी** (10.0 एमटीपीए क्षमता):

1. निविदा मई, 2013 को आमंत्रित की गई।.
2. मई, 2014 को सूचना पत्र (एलओआई) “सबसे कम बोलीदाता” मेसर्स एसीबी (भारत) लिमिटेड को जारी की गई।.
3. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2014 को संदर्भ की शर्त जारी किया गया।.
4. संशोधित संदर्भ की शर्तें दिनांक 29.02.2016 को प्राप्त हुआ।
5. पर्यावरण मंजूरी, वन निकासी और भूमि के अधिग्रहण (वन भूमि, ठेका भूमि और गैर सरकारी वन भूमि) प्राप्त करने के बाद ही निम्नतम बोलीदाता को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया जा सकता है।

6. <u>किरायेदारी भूमि का अधिग्रहण</u> - निदेशक कार्यालय, मुद्रण स्टेशनरी और प्रकाशन, ओडिशा, कटक से अधिसूचना 11 (1) की गजट अधिसूचना दिनांक 31/10/2018 को प्रकाशित हुई थी। मुआवजा राशि निर्धारित करने हेतु क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए लंबित। एलएओ सुंदरगढ़ द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में एलएओ, सुंदरगढ़ द्वारा दिनांक 28/11/2018 को कुशारा के ग्रामीणों के साथ सब कलेक्टर, सुंदरगढ़ और एमसीएल के अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई है।बैठक में, ग्रामीणों ने कसेरा गाँव की कुल किरायेदारी भूमि का अधिग्रहण करने या स्वच्छ कोयला गलियारे और रेलवे बल्ब के स्थान को बदलने की मांग की। कलेक्टर सुंदरगढ़ ने उनके पत्र संख्या 491 दिनांक 06.02.2019 को भाग क्षेत्र के अधिग्रहण के बजाय हेमगीर तहसील के तहत ग्राम कुसीरा की पूरी भूमि के अधिग्रहण के लिए जीएम, बसुंधरा क्षेत्र को सूचित किया गया।तदनुसार, बसुंधरा एरिया ने एक प्रस्ताव की शुरुआत की। दिनांक 31 दिनांक 01.03.2019 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन और गाँव कुइसिरा की कुल किरायेदारी भूमि (427.92 एसी) के अधिग्रहण के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देशों की आवश्यकता है।

7. <u>सरकार का गैर वन भूमि का अधिग्रहण</u> – दिनांक 30.10.2018 को तहसीलदार, हिमगीर द्वारा भूमि का अधिग्रहण (एसी 0.58 और एसी 1.49) दिया गया है। जी.एन.एफ भूमि का पट्टा करार छह महीने के भीतर पूरी करनी है।

8. <u>चरण –I वन परिवर्तन</u> – दिनांक 15.01.2019 को आयोजित अपनी बैठक में एफएसी ने 29.41 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने की सिफारिश की है। MoEF और CC का पत्र प्रतीक्षित है।

9. <u>पर्यावरण मंजूरी</u> – इस मंत्रालय के दिनांक 9 अगस्त, 2018 के ओएम नंबर 22-34 / 2018-IA.III के अनुबंध-XVII में निर्दिष्ट कोयला वाशरी के लिए मानक शर्तों के अलावा ईएसी ने 14/12/2018 को आयोजित अपनी बैठक में बसुंधरा वाशरी के लिए ईसी की अनुदान राशि, वन भूमि के 29.41 हेक्टेयर और कुछ अन्य शर्तों के लिए चरण -1 वन मंजूरी के अधीन प्रस्तुत करने की सिफारिश की है।

(ग) **<u>बीओएम संकल्पना पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमपीटीए क्षमता</u>** :

1. चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर 2015 को स्वीकृति दी।
2. 29 दिसंबर, 2015 को एसपीसीबी द्वारा जारी स्थापना के लिए सहमति।
3. बीओएम संकल्पना पर एमसीएल के पक्ष में स्थापित करने के लिए ईसी और सहमति प्राप्त हुए थे।
4. 1 जनवरी 2016 को मैसर्स एमआईईएल को लेटर ऑफ़ अवार्ड (LoA) जारी किया गया
5. निर्धारित अवधि के भीतर पीएफएस जमा नहीं करने के कारण मेसर्स एमआईईएल को जारी एलओए दिनांक 03/11/2016 को रद्द कर दिया गया और मैसर्स एमआईईएल की बोली सुरक्षा के खिलाफ बैंक गारंटी दिनांक 05/11/2016 को भुनाया गया।

6. बीओएम संकल्पना पर नए सिरे से टेंडर के दौरान, एमओसी के फैसले के बारे में सीआईएल से निर्देश प्राप्त हुए थे कि "सभी नए प्रस्तावित वॉशरियों, जिनके टेंडर को अंतिम रूप दिया जाना है, उन्हें बीओओ (बिल्ड-ओन-ऑपरेट) अवधारणा के तहत बनाया जाना चाहिए।" और उसे एमसीएल बोर्ड के सामने दिनांक 28/02/2016 को आयोजित बैठक में रखा गया बीओएम से बीओओ अवधारणा के बदलाव पर ध्यान नहीं देते हुए, एमसीएल बोर्ड ने कहा कि यह CIL / मंत्रालय के उदाहरण पर किया जा रहा है। इसके बाद, हिंगुला वाशरी

(10.0 एमटीपीए), एमसीएल की स्थापना के लिए पूर्व-निविदा गतिविधियां, बीओओ अवधारणा पर शुरू की गई और बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी।

7. इसके अलावा, सचिवों (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 11/01/2018 को वाशरीज की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में, सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्ड में वॉशरियों के निर्माण के तरीके (बीओएम / बीओओ / ईपीसी) पर निर्णय लेना चाहिए।"
8. MCL बोर्ड ने अपनी दिनांक 31.01.2018 के 198 वीं बैठक में, BOO अवधारणा से BOM अवधारणा तक जगन्नाथ वाशरी और हिंगुला वाशरी की स्थापना के मोड में परिवर्तन को मंजूरी दी।
9. बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए निविदा 26 मार्च, 2018 को आमंत्रित की गई थी।
10. एमसीएल के निदेशक मण्डल ने दिनांक 28/01/2019 को आयोजित बैठक में "सबसे कम बोली लगाने वाले" यानी मेसर्स झार खनन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को "काम का पुरस्कार" देने की मंजूरी दी।
11. दिनांक 07/02/2019 को सबसे कम बोली लगाने वाले को पत्र जारी किया गया था।
12. ईसी में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 26/03/2019 को एमओईएफ़ वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

(घ) **<u>बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीपीए क्षमता):</u>**

1. दिनांक 31/8/16 की पर्यावरण मंजूरी दिनांक 05/09/16 को प्राप्त हुई। कुछ विशिष्ट स्थितियों में संशोधन की आवश्यकता होती है। दिनांक 27/12/16 को आयोजित ईएसी की बैठक के मिनटों के अनुसार ईसी में संशोधन के लिए, समिति ने 31 अगस्त 2016 को परियोजना के प्रस्तावक के अनुरोध के अनुसार ईसी में संशोधन की सिफारिश की। संशोधित ईसी की अभी भी प्रतीक्षा है।
2. दिनांक 22/10/16 को स्थापित करने पर सहमति दिनांक 30/10/2016 को प्राप्त हुई।
3. BOM अवधारणा पर एमसीएल के पक्ष में स्थापित करने के लिए ईसी और सहमति दोनों किए गए थे।
4. अपेक्षित पुष्टिकरण दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण तथा एल -1 बिडर की पेशकश की अस्वीकृति के कारण 15 जून 2015 को ई-टेंडर मोड पर आमंत्रित निविदा को रद्द कर दिया गया। दिनांक 06/10/16 को रद्द करने के आदेश को दिनांक 07/10/16 को अपलोड किया गया।
5. L-1 बोलीदाता ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, कटक, उड़ीसा में निविदा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21/06/2017 को रिट याचिका को खारिज कर दिया और L-1 बोलीदाता की बोली सुरक्षा के खिलाफ बैंक गारंटी को भुनाया गया।

6. बीओएम अवधारणा पर पुन: -टेंडर के दौरान, एमओसी के निर्णय के संबंध में सीआईएल से निर्देश प्राप्त हुए थे कि “सभी नए प्रस्तावित वॉशरियों, जिनके टेंडर को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, को बीओओ (बिल्ड-ओन-ऑपरेट) अवधारणा के तहत बनाया जाना चाहिए।" और उसी को एमसीएल बोर्ड के सामने दिनांक 28/02/2016 को आयोजित बैठक में रखा गया था। बीओएम से बीओओ अवधारणा के बदलाव पर ध्यान देते हुए, एमसीएल बोर्ड ने कहा कि यह सीआईएल / मंत्रालय के उदाहरण पर किया जा रहा है। इसके बाद, जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए), एमसीएल की स्थापना के लिए पूर्व-निविदा गतिविधियां, बीओसी अवधारणा पर शुरू की गई और बोली दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी।

7. इसके अलावा, सचिवों (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 11/01/2018 को वाशरीज की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में, सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्डों में वॉशरी के निर्माण के तरीके (बीओएम / बीओओ / ईपीसी) पर निर्णय लेना चाहिए।"
8. MCL बोर्ड ने अपनी दिनांक 31.01.2018 के 198 वीं बैठक में, BOO से BOM अवधारणा तक जगन्नाथ वाशरी और हिंगुला वाशरी की स्थापना के मोड में परिवर्तन को मंजूरी दी।
9. बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए निविदा 26 मार्च, 2018 को आमंत्रित की गई थी।
10. MCL के निदेशक मण्डल ने दिनांक 20/12/2018 को आयोजित अपनी बैठक में "सबसे कम बोली लगाने वाले" यानी मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड को "काम का पुरस्कार" देने की मंजूरी दी।
11. दिनांक 29/12/2018 को सबसे कम बोली लगाने वाले को पत्र जारी किया गया था।
12. ईसी में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 05/03/2019 को एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

17. भूवैज्ञानिक अन्वेषण:

विवरण		**2018-19**	
सीआईएल ब्लॉक में कुल ड्रिलिंग(एम)		लक्ष्य	वास्तविक
	विभागीय	23000	18767.00
	बाह्यस्रोत	10000	2475.50
	कुल	33000	21242.50
कोयला रिजर्व (सीआईएल ब्लॉक) मिलियन टन में		तालचेर कोलफील्ड्स	ईब-वैली कोलफील्ड्स
	साबित	-	583.150
	सूचित	-	
	अनुमानित	-	-
	कुल		583.150

18. पर्यावरण प्रबंधन

18.1 <u>सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन</u> :

एमसीएल 2011-12 से सीएसआर और स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। अब तक, एमसीएल ने सात रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। स्थिरता रिपोर्टिंग में हमारा क्रमिक विकास हमें साथियों के खिलाफ हमारे प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में मदद कर रहा है और पर्यावरण और समाज के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। हम सामग्री के मुद्दों पर अपने हितधारकों के लिए स्थिरता प्रकटीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने का इरादा रखते हैं। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए खनन और धातु क्षेत्र अनुपूरक सहित मुख्य मानदंडों के 'अनुसार' ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल जीआरआई जी 4 मानकों के अनुरूप किया गया है।

18.2 **सांविधिक मंजूरी और अनुपालन**

18.2.1 **मंजूरी** :

18.2.1.1 **वन मंजूरी (एफ़सी) प्राप्त करना** :

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके संशोधन के अनुसार गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), और वन मंजूरी की आवश्यकता है। तदनुसार, एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान स्टेज- I और स्टेज- II वन मंजूरी (एफ़सी) प्राप्त किया है।

a) चरण- I वन मंजूरी

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**वन क्षेत्र (हेक्टयर में)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	लखनपुर ओसी विस्तार	25.238	फाइल संख्या -8-280/1989-एफ़सी(वीओएल-I) दिनांक -22.6.2018
2.	बसुंधरा वाशरी	29.41	फाइल संख्या -8-176/1997-एफ़सी (वीओएल-I) दिनांक 11.3.2019

b) चरण- II वन मंजूरी

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**वन क्षेत्र (हेक्टयर में)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	अनंता ओसीपी विस्तार (चरण -III)	240.672	फाइल संख्या.8-37/2015-एफ़सी, दिनांक 18.05.2018
2.	लखनपुर ओसी विस्तार	25.238 (भूमि उपयोग योजना में बदलाव)	फाइल संख्या -8-280/1989-एफ़सी(वीओएल-II) दिनांक 02.11.18

18.2.1.2 पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना :

ईआईए अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार, किसी भी खदान, वाशरी के संचालन / निर्माण या किसी भी खदान के विस्तार / विस्तार के लिए MoEF और CC से पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल नियमित रूप से सभी खानों (नए और विस्तारित) के लिए ईसी को लागू और प्राप्त कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त / आयोजित संदर्भ की शर्तें (ToRs), सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तें निम्न तालिका में सूचीबद्ध हैं :

क.   2018-19 के दौरान प्राप्त संदर्भ की शर्तें

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	सिआरमल ओसीपी	50	जे-11015/230/2014-IA-II(एम) दिनांक : 09/07/18
2.	संलेश्वरी ओसीपी विस्तार चरण -IV	15	J-11015/183/2008-IA-II(एम) दिनांक: 14/08/18
3.	जगन्नाथ ओसी विस्तार	7.5	जे-11015/177/2005-IA-II(एम) दिनांक : 10/12/18 (टीओआर – ईएसी (उल्लंघन)

ख. **2018-19** के दौरान **आयोजित** सार्वजनिक परामर्श

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**जन सुनवाई की तारीख**
1.	सिआरमल ओसीपी	50	दिनांक 03-01-2019 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
2.	संलेश्वरी ओसीपी विस्तार चरण -IV	15	दिनांक 14.12.2018 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
3.	बसुन्धरा (पश्चिम) विस्तार	8.75	दिनांक 14-02- 2019 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
4.	जगन्नाथ ओसी विस्तार	7.5	दिनांक 19-02-2019 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया

ग. 2018-19 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	जगन्नाथ ओसीपी विस्तार	7.5	जे-11015/177/2005-IA-II(एम) दिनांक: 06/09/18 valid till 31-03-2019.
2.	जगन्नाथ ओसीपी विस्तार	7.5	जे-11015/177/2005-IA-II(एम) दिनांक : 20/03/19 – 30-09-2019 तक पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता का विस्तार
2.	लखनपुर ओसी विस्तार P	21	जे -11015/391/2012-IA-II(एम) दिनांक : 13/02/19
3.	भुवनेश्वरी ओसीपी	28	जे -11015/280/2013-IA-II(एम) दिनांक 18/03/19
4.	कुलडा ओसीपी	14	जे -11015/10/1995-IA-II(एम) दिनांक 28/03/19

घ. गजट नोटिफिकेशन एस.ओ. **1530** (ई) **दिनांक 06-04-18** के अनुसार एमओईएफ और सीसी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत ईसी के पुन: सत्यापन के लिए आवेदन

क्रमांक .#	**खदान का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**प्रस्तुति की तिथि**	पावती प्राप्ति की तिथि
1	छेंदीपाड़ा ओसीपी	0.35	12/09/2018	12/09/2018
2	लिलारी ओसीपी	1.69	19/09/2018	19/09/2018
3	नंदिरा यूजी	0.33	24/09/2018	24/09/2018
4	नटराज यूजी	0.64	24/09/2018	24/09/2018
5	तालचेर यूजी	0.27	26/09/2018	26/09/2018
6	देउलबेरा यूजी	0.20	27/09/2018	27/09/2018
7	बसुंधरा (ई)	0.60	01/10/2018	01/10/2018

ङ. एमसीएल खदान के लिए कुल उपलब्ध ईसी

क्रमांक	विवरण	तालचेर कोलफील्ड्स	ईब-वैली कोलफील्ड्स	कुल
1	31.03.2018 के अनुसार उपलब्ध ईसी	131.60 एमटीवाई	87.51 एमटीवाई	219.11 एमटीवाई
2	2018-19 में स्वीकृत ईसी (अतिरिक्त क्षमता)	1.50एमटीवाई	0.00 एमटीवाई	1.50 एमटीवाई
3	01.04.2019 तक उपलब्ध कुल ईसी	133.10 एमटीवाई	87.51 एमटीवाई	220.61 एमटीवाई

18.2.2. वैधानिक अनुपालन :

- एमसीएल के सभी परिचालन खानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओड़िशा सरकार से जल और वायु अधिनियमों के तहत कार्य करने (सीटीओ) के लिए सहमति प्राप्त की गई है।

- एमसीएल के सभी परिचालन खानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), ओड़िशा सरकार से खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन आंदोलन) नियमावली, 2016 के तहत "प्राधिकरण" भी प्राप्त किया गया है। इस्तेमाल की गई बैटरी और बरामद जले हु ए तेल और ग्रीस अधिकृत री-प्रोसेसर के लिए नीलाम किए जाते हैं। क़ानून के अनुसार बैटरी के लिए अर्ध-वार्षिक रिटर्न और अन्य खतरनाक कचरे के लिए वार्षिक रिटर्न एसपीसीबी, ओड़िशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था।
.
- अप्रैल से सितंबर 2018 की अवधि के लिए पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन करने के लिए MCL की सभी कार्यशील खानों की अंतर-परियोजना पर्यावरण लेखापरीक्षा 04.03.2019 से 08.03.2019 तक की गई है। ऑडिट टीम में 03 ऑडिट सदस्य (मुख्यालय से एक मुख्य टीम और दो अलग-अलग क्षेत्रों / परियोजनाओं से) और CMPDI, RI-VII से 01 बाहरी पर्यवेक्षक शामिल थे। व्यक्तिगत परियोजनाओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन के बाद, खानों की रैंकिंग भी की गई है।
- ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी वाले सभी परिचालन खानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, एमओईएफ और सीसी, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, भुवनेश्वर और एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली को 2018-19 के दौरान समय पर प्रस्तुत की गई।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम -14 के तहत फॉर्म-वी में पर्यावरणीय विवरण तैयार करने के लिए, वर्ष के दौरान 22 ऑपरेटिंग खानों में से प्रत्येक के लिए, अधिकारियों की बहु अनुशासनिक टीम द्वारा पर्यावरण ऑडिट किया गया था।. जो कि समय पर एसपीसीबी को दिनांक 15.09.18 के पत्रांक का अवलोकन करते हु ए उक्त रिपोर्ट पर सभी 22 संचालित खानों के लिए प्रस्तुत की गई थी।
- खनन कार्य के कारण भूजल की गुणवत्ता और उतार-चढ़ाव की नियमित निगरानी 39 पिजोमीटर के नेटवर्क (तालचेर कोलफील्ड्स में 23 और ईब वैली कोलफील्ड्स में 16) के साथ-साथ अन्य बोर / खुले कुएं के माध्यम से की जा रही है।

खदान जल का उपयोग :

- o अनुपयोगी खदानों / खदानों में संग्रहीत ओसीपी के अधिशेष पानी का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, अग्निशमन और एक्वाफाइयर्स के पुनर्भरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- o अधिशेष भूमिगत खदान के पानी का उपयोग पेय, कृषि आदि हेतु समुदाय की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।
- o मोबाइल एप्लिकेशन "कोयलांचल" लॉन्च करने के लिए खदान के पानी के उपयोग के डेटा की वैधता को दिनांक 14.08.2018 को सीएमपीडीआई, रांची को जमा किया गया। जिसे संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है। पीने के लिए लगभग 85,79,632 m3 / वर्ष और आसपास के गाँवों में कृषि / सिंचाई के उद्देश्य से 54,64,656 m3 / वर्ष पानी की आपूर्ति की जाती है।

- एम.सी.एल बोर्ड ने सीएमपीडीआई, आरआई-VII, भुवनेश्वर के लिए दिनांक 31.01.2018 को 11 सीएएक्यूएमएस (तालचेर कोलफील्ड्स में 04 ईब वैली कोलफील्ड्स में 04 और बसुंधरा क्षेत्र में 03) की खरीद, स्थापना और शुरुआत के काम को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। CMPDI, RI-VII को कार्य आदेश संख्या 1654, दिनांक: 16-03-18 जारी किया गया है। CMPDI ने दिनांक 17.12.2018 को निविदा अधिसूचना जारी की और बोली 24.01.2019 को खोली गई। CMPDI में पात्र बोलीदाता के दस्तावेजों की जांच चल रही है।

18.3 **पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए किए गए उपाय**

18.3.1 **वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय**

पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए इसने वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं को उचित संख्या में उपायों के साथ रखा है, जिनमें से कुछ पर यहां प्रकाश डाला गया है।

- MCL ने पर्यावरण के अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक (1999-2000 में 4.2% से 2018-19 में 93.29% तक) के माध्यम से उत्तरोत्तर कोयला उत्पादन बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सर्फेस माइनर के माध्यम से कोयले का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है।

कुल कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	खुले खदान (एमटीवाई) द्वारा उत्पादन)	सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन	
		एमटीवाई	%
144.15	143.28	133.67	93.29

यह एक ब्लास्ट-कम माइनिंग तकनीक है जो एक ही समय में पानी छिड़कते समय ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्य को समाप्त कर देती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू क्रशर-अनलोडिंग और री-लोडिंग जैसी बुनियादी इकाई संचालन (पारंपरिक के माध्यम से कोयला उत्पादन हुआ था) के उन्मूलन और इन कार्यों में डीजल की खपत के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों की पीढ़ी में भी कमी आई है । 3 से 5% राख सामग्री में कमी के कारण बिजली संयंत्रों में परिवहन की कम मात्रा के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों की पीढ़ी में और कमी आई है और जो परिवहन के पैमाने और दूरी को देखते हुए बड़ी मात्रा में अनुवाद करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि एमसीएल ने इन खातों पर कार्बन फुटप्रिंट को लगभग 1.59 लाख टन तक घटा दिया है।

- 2018-19 के दौरान, लगभग 79% कोयला परिवहन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल इनलैंड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रेल, बेल्ट और एमजीआर के माध्यम से और सड़क के माध्यम से डिस्पैच केवल 21% है। रेल मोड में, प्रति रेक ले जाने की क्षमता लगभग 3,800 टन है, जो लगभग 240 ट्रकों के बराबर है, जिनमें से प्रत्येक में 15-16 टन कोयला होते हैं।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल आधारभूत संरचना को बढ़ाया / बेहतर और मजबूत किया जा रहा है, वर्तमान में कोयले का 21 साइडिंग और 03 आरजीआर के माध्यम से भेजा जाता है। रेक की प्रति दिन औसत संख्या 66.20 रेक है।
- सरडेगा साइडिंग को कमीशन दिया गया है। सरडेगा-बरपाली-झारसुगुड़ा समर्पित रेल गलियारे का उद्घाटन बसुंधरा कोयला क्षेत्र से कोयला निकालने के लिए किया गया है।
- रैपिड लोड सिस्टम (आरएलएस) के साथ 8 साइलों निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं -
    - ✓ लिंगराज साइलों (2X10 एमटीवाई) 230.82 करोड़ रुपये की लागत से से- 99.93% पूर्ण
    - ✓ भरतपुर साइलों (2X10 एमटीवाई) 173.20 करोड़ की लागत से - 99.80% पूर्ण।
    - ✓ हिंगुला साइलों (10 एमटीवाई) रु. 159.20 करोड़ की लागत से 32.33% पूर्ण।
    - ✓ भुवनेश्वरी साइलों (10 एमटीवाई) रु. 247.01 करोड़ की लागत से 68.32% पूर्ण।
    - ✓ आगामी साइलों- लखनपुर (10 एमटीवाई), कनिहा वृद्धि बिन (10 एमटीवाई), अनंता (2X10 एमटीवाई) और बसुंधरा (10 एमटीवाई)।

- खनन गतिविधियों के कारण होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के 137 मोबाइल वाटर टैंकर (8 किलो से लेकर 34 किलो मीटर तक) विभागीय और संविदात्मक दोनों ही खानों में तैनात हैं।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को दरकिनार कर अलग समर्पित कोयला परिवहन गलियारे का निर्माण:
    - o समर्पित कोयला परिवहन गलियारे की लंबाई तालचेर कोलफील्ड्स लिमिटेड में 20.99 किमी और ईब-वैली कोलफील्ड्स में 17.03 किमी है।
    - o तालचेर कोलफील्ड्स :

      चरण – I – कोयला परिवहन गलियारे बलराम की भौतिक प्रगति- 30%, भरतपुर -100%, जगन्नाथ -100%, अनंत -100%, भुवनेश्वरी -75% और लिंगराज -100%।

      चरण II –बलराम, अनंत, लिंगराज, जगन्नाथ, भुवनेश्वरी और भरतपुर ओसीपी के संबंध में कोल कॉरिडोर रोड (द्वितीय चरण) के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। भरतपुर ओसीपी और बलराम ओसीपी के लिए काम किया गया है। भरतपुर ओसीपी कोयला परिवहन गलियारे की भौतिक प्रगति - 8%
    - o <u>ईब-वैली कोलफील्ड्स</u> :

      ओरिएंट क्षेत्र के संबंध में, 1.6 किमी की लंबाई के लिए काम पूरा कर लिया गया है और ईब-वैली क्षेत्र के मामले में, लजकुरा ओसीपी के टीसीआर को एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखा गया है और एसओसीपी के लिए : कार्य का पुनःसंचालन जारी है।

- 35% राख सामग्री से कम राख का कोयला प्राप्त करने हेतु कोयले की धुलाई के लिए 10 एमटीवाई के क्षमता के प्रत्येक तीन वाशरी पहले चरण में स्थापित की जानी है। ईसी और एफसी की स्थिति नीचे दी गई है

क्रमांक	वाशरी का नाम	ईसी और एफ़सी स्थिति
1	हिंगुला वाशरी	दिनांक 26.03.2019 को ईसी दिनांक-28/10/2015 में संशोधन के लिए आवेदन किया। क्षेत्र और धुलाई प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण संशोधन की मांग की जा रही है।
2	जगन्नाथ वाशरी	धुलाई प्रौद्योगिकी में संशोधन के कारण ईसी दिनांक-31/08/2016 में संशोधन को दिनांक 05.032019 लागू किया गया है।
3	बसुंधरा वाशरी	बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) के अनुसार दिनांक 13-14/12/2018 को आयोजित 41 वें ईएसी में ईसी की सिफारिश की गई है। ईसी के पत्र की प्रतीक्षा है।

- एमएल क्षेत्र से परे कोयला क्षेत्र में कोयला परिवहन सड़क पर, धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 12 किलोवाट क्षमता के मोबाइल पानी के टैंकरों को ठेके पर तैनात किया जा रहा है।
- धूल दमन के लिए सभी रेलवे साईडिंग में, निश्चित स्प्रिंकलर प्रदान किए गए हैं। स्प्रिंकलर के अलावा, मोबाइल वाटर टैंकर प्रदान किए जाते हैं। कुल 249 निश्चित जल छिड़काव साधन स्थापित किए गए हैं और वे परिचालन में हैं।
- धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मिस्त्री, फिक्स्ड स्प्रिंकलर और रेन गन के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट प्रदान किये जाते हैं। हालांकि, नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन (केवल 7.27%) ने सीएचपी में क्रशिंग कार्य को सीमित कर दिया है, जिसके कारण सीएचपी से धूल का उत्पादन काफी कम हो गया है।
- वर्ष के दौरान स्थायी और अर्ध-स्थायी सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को बनाए रखा गया है और इसे और मजबूत किया गया है।
- सभी रोड सेल ट्रकों को खदान परिसर छोड़ने से पहले तिरपाल से ढंक दिया जाता है।
- कोयला परिवहन सड़कों के साथ स्पिलज कोयला और धूल की मैन्युअल स्वीपिंग और सफाई की जाती है।.
- तालचेर कोलफील्ड में पक्की कोयला परिवहन सड़कों पर कोयला फैलाव और धूल की सफाई और संग्रह के लिए तीन भारी शुल्क वाले ट्रक पर लगे वैक्यूम संचालित मैकेनिकल रोड स्वीपर संचालन में हैं
- सभी ड्रिल में धूल चिमटा प्रणाली और गीला ड्रिलिंग प्रणाली है।
- एमसीएल बोर्ड द्वारा प्रभावी धूल दमन के लिए, 10 मिस्ट ब्लोअर सह रोड फोगर को किराए पर लेने हेतु अनुमोदित किया गया है और 4 प्रस्ताव अनुमोदन चरण के तहत हैं।
- आवासीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे सहित खदान के बीच ग्रीन बेल्ट का विकास जारी है।

18.3.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्यनीति :

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एम.सी.एल के सभी खानों ने "शून्य निर्वहन" प्राप्त किया है।
- खनन कार्य के कारण अन्य बोर कुओं के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी 39 पाइज़ोमीटर लोगों के नेटवर्क के माध्यम से की जा रही है। .
- सतह जल की गुणवत्ता और जल प्रवाह की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। .
- मृदा जल संरक्षण के लिए बांध का निर्माण किया गया है।
- सतह के प्रवाह के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का का निर्माण किया गया है।
- डी-कोल वाइडस का उपयोग वर्षा जल संचयन और जलीय पदार्थ को पुनः चार्ज करने के लिए किया जाता है। माइन सम्प औद्योगिक कार्यों जैसे के लिए पूरे साल में पानी की आपूर्ति, जैसे अग्निशमन, धूल दमन, कार्यशालाओं में वाहन धोने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि में जल की आपूर्ति करता है।
- भूमिगत का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के बाद कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। आसपास के गांव में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए इस तरह के पानी की मांग करते हैं।
- ये सम्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतह के प्रवाह के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- भूमिगत जल की रिचार्जिंग के लिए एम.सी.एल में कुल 62 जल संचयन संरचनाएं मौजुद हैं।
- वर्ष 2018-19 में समलेश्वरी ओसीपी में रिचार्ज पिट के निर्माण के लिए 6 बोर होल ड्रिल किए गए हैं। लखनपुर ओसीपी के संबंध में 20 पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण का प्रस्ताव पाइपलाइन में है।
- एचईएमएम कार्यशालाओं से निकले प्रवाह को ईटीपी/तेल और ग्रीस ट्रेप में शुद्ध किया जाता है और शुद्ध किए गए पानी का पुन :उपयोग किया जा रहा है।
- स्थानीयकृत अपवाह के शुद्धिकरण के लिए अवशोषण तालाब/खनन जल निकासी उपचार संयंत्र प्रदान किए गए हैं।
- सभी बड़ी कॉलोनियों(9)के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी) उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य कॉलोनियों में सीवेज नीकासी हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की गई है।

18.3.3 ध्वनि एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय :

- कुल कोयले का 93.29% विस्फोट कम पर्यावरण के अनुकूल सर्फेस माइनर तकनीक के माध्यम से उत्पादित किया जा रहा है, जो पारंपरिक खनन की तुलना में शोर और जमीन कंपन को काफी कम करता है जिसके लिए आकार के कोयले के उत्पादन के लिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सीएचपी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।
- इस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नए आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है।

- शोर शराबे में कार्य करनेवाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया है जिससे शोर तथा कम भूमिगत कंपन होता है। शोर और जमीन के कंपन को कम करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक को अपनाया जाता है।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली तकनीक लगाई गई हैं।

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण :

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयलेवाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में वृक्षारोपण किया गया।
- वैकल्पिक रूप से, एमसीएल ने फ्लाईएश के साथ डी-कोयला वाले शून्य को भरना, पाइपलाइनों में स्लरी मोड के माध्यम से परिवहन को अपनाया है। टीटीपीएस, एसटीपीएस कनिहा, एनबीवीएल और बीएसएल के साथ एमओयू, जगन्नाथ और बालगाम खानों में फ्लाईएश भरने के लिए बनाया गया है। मार्च,19 तक दक्षिण बालंदा OCP शून्य में 16.089 Mm3 और जगन्नाथ OCP शून्य में 0.558 एमक्यूब भरा गया है।
- पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हु ए, एमसीएल ने बाहरी डंपों और मिश्रित आंतरिक डंपों (पर्याप्त शारीरिक पुनर्वसन के बाद) के साथ-साथ अन्य भूमि और रास्ते के खाली पैच में खानों में मिश्रित देशी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। स्थापना के बाद से वृक्षारोपण (1992-1993 से 2018-19) 59.411 लाख (टीसीएफ- 21.558 लाख, आईबीसीएफ - 31.016 लाख, मुख्यालय और सरकार भूमि - 6.836 लाख) के आंकड़े को समेट लिया गया है।
- खदान क्षेत्रों में भूमि की कमी और वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप गिरावट के कारण, एमसीएल ने अपने परिचालन जिलों - अंगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, खोरदा और सुंदरगढ़ में सरकारी भूमि पर हरियाली में सुधार के अपने दायरे का विस्तार किया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, पौधों की कुल संख्या 4.041 लाख है (सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों के साथ) एम.सी.सी की निधि से सी.एस.आर के माध्यम से राज्य वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों की संख्या 3.606 लाख (अनगुल-0.4 लाख, झारगुड़ा-1.0 लाख, चंदका डब्लू एल, भुवनेश्वर-0.8 लाख, भुवनेश्वर शहर – 0.6 लाख, सम्बलपुर – 0.35 लाख और सुदरगढ़ – 0.456 लाख)है।।
- 2018-19 के दौरान 12,577 पेड़ के नमूने वितरित किया गए।
- पौधों को आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में विशेष रूप से फलदार, फूलों और औषधीय पौधों और पेड़ों को लगाया जाता है।
- CMPDI द्वारा तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स दोनों में 16 खुले खदानों (प्रत्येक वर्ष - 13n> 5 Mm3 / साल और तीन साल में Nos <5 एमएम3 / वर्षक्षमता) के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा उत्पन्न रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि के पुनर्ग्रहण की निगरानी की जा रही है।

18.3.5 कचरा प्रबंधन :

- नीलामी में अपशिष्ट पदार्थों(एच.ई.एम.एम से जले हुए तेल एवं इस्तेमाल की गई बैटरियाँ) को पंजीकृत रीसाइक्लिंग एजेंसियों को बेचा गया है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग की गई 814.5 कि.ली तेल जिनकी कीमत रु 2.19 करोड़ रुपए एवं 390 एसीड बैटरियों, जिनकी कीमत रु 11.08 लाख है उन्हें अधिकृत रिसाइक्लर को बेचा जा चुका है।
- मेडिकल यूनिटों से बायो मेडिकल और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। .
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 और संशोधन- प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने के लिए, पर्यावरण विभाग ने मुख्यालय के जागृति विहार और आनंद के निवासियों को 5 किलो (900), 10 किग्रा (600) और 15 किग्रा (595) के 2095 जुट बैग बांटे हैं। ।
- कचरे के संग्रह के लिए कॉलोनियों के निर्दिष्ट स्थानों में अलग-अलग डस्टबिन रखे गए थे।

18.3.6 पर्यावरणीय निगरानी :

- वर्ष 2018-19 के दौरान 10.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला होने के कारण सीएमपीडीआई, आरआई- VII के माध्यम से हवा, पानी और शोर की नियमित पर्यावरण निगरानी की गई । ।
- सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियाविधि, आवृत्ति, आदि को कड़ाई से बनाए रखा था।

- संविधान के अनुसार एसपीसीबी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी के परिणाम प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी के परिणाम कंपनी के वेबसाइट पर मासिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं।
- ईब नदी और ब्राह्मणी नदी में दो निरंतर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीडब्ल्यूक्यूएमएस) स्थापित हैं, वास्तविक समय की निगरानी के परिणाम सीधे एसपीसीबी और सीपीसीबी साइटों पर प्रदर्शित होते हैं।

18.4 वेब साइट का प्रकाशन :

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर नियमित रूप से निम्नलिखित पर्यावरण सूचना प्रकाशित और अद्यतन कर रहा है।

- पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अर्ध-वार्षिक अनुपालन द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक डायवर्सन परियोजना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परियोजना के एसपीसीबी द्वारा जारी किए जाने वाले संचालन और सहमति के लिए सहमति।
- एस.पी.सी.बी द्वारा जारी प्रत्येक परियोजना का खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण।
- एमसीएल के सभी संचालित खानों का पर्यावरणीय विवरण।
- वार्षिक सीएसआर और स्थिरता रिपोर्ट।

- पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट की वार्षिक और मासिक रूटीन ।
- सेटलाइट डेटा पर आधारित भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट्।
- भूमि पुनरुद्धार
- खदान जल उपयोगिता।

18.5: वर्ष 2018-19 के लिए खदान बंदी प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

- एमसीएल के पास 26 खानों के लिए एस्क्रो खाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष खदान बंदी दिशानिर्देशों 2009 और 2013 के अनुसार खदान बंद करने की गतिविधियों के लिए धनराशि जमा की जाती है।
- भुवनेश्वरी ओसीपी, जगन्नाथ क्षेत्र के एस्क्रो अकाउंट से रु.1,89,58,300 / - के फंड की प्रतिपूर्ति को दिनांक 08.02.2019 को प्रभावित किया गया था।
- वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं के एस्क्रो खाते से निधि की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए फाइल सीसीओ, कोलकाता कोप्रस्तुत की गई है।

क्रमांक	खदान का नाम	* प्रगतिशील एमसीपी गतिविधियों का चरण	एमसीएल की दावा राशि लाख रु. में
1	संलेश्वरी ओसीपी	चरण -1	2527.296
2	लखनपुर ओसीपी	चरण -1	4194.00
3	लिलारी ओसीपी	चरण -1	733.80
4	संलेश्वरी ओसीपी	Phase-2	4441.51

*. चरण पांच साल के क्लस्टर को इंगित करता है।

18.6 पर्यावरण जागरूकता :

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

विश्व पर्यावरण दिवस " बीट प्लास्टिक प्रदूषण " विषय पर मनाया गया, जहाँ अपने कोयला क्षेत्रों और मुख्यालय में सप्ताह भर (जून-2018 के प्रथम सप्ताह) विभिन्न गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएँ जैसे पेंटिंग, एक्सटेम्पोर, निबंध, " बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट" ऑन द स्पॉट कॉन्टेस्ट-, पर्यावरण रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, साइक्लिंग, रोड शो का आयोजन किया गया। उपरोक्त के अलावा, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण विभाग, मुख्यालय ने जागृति विहार और आनंद विहार के निवासियों को 2095 जूट के बैग वितरित किए। गंदगी के संग्रह के लिए कॉलोनियों के निर्दिष्ट स्थानों में अलग-अलग डस्टबिन रखे गए थे।

- **वनमहोत्सव उत्सव**

  ."वन महोत्सव", वृक्षों का उत्सव मनाया गया, साथ ही साथ इसे कर्मचारियों के बीच आसपास के स्कूलों और आश्रमों में वृक्षों के पौधे वितरित करके मनाया गया। एमसीएल द्वारा 2018-19 के दौरान कुल 12,577 पेड़ पौधे वितरित किए गए।

- **कार्यशाला**

दिनांक 26-02-2019 को "कोयला खनन के पर्यावरणीय मुद्दे" पर मुख्यालय में पर्यावरण विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (टी एंड सी), एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली के डॉ नर्मदा प्रसाद शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष , MPPCB और डॉ जय कृष्ण पांडे, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर ऑफ मिनरल हेल्थ एंड सेफ्टी, CSIR-CIMFR ने अपनी प्रस्तुति दी है और उसके बाद एक परस्पर संवादात्मक सत्र हुआ। कार्यशाला में निदेशक (तकनीकी / संचा.), निदेशक (तक.. / योजना एवं परि.), महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष, सीएमपीडीआई, RI-VII के क्षेत्रीय निदेशक अपनी टीम के साथ , क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी और एमसीएल के परियोजना पर्यावरण अधिकारियों उपस्थित थे।

19. <u>बिक्री और विपणन कार्यप्रणाली</u>

एम.सी.एल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 142.306 मि.टन के ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया है यह बढ़ोत्तरी बंद तथा राज्य सरकार द्वारा गर्मी के दिनों में कोयले परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद है।

19.1. मांग एवं ऑफ-टेक -

वर्ष 2018-19 के दौरान ऑफ टेक 151.5 मि.टन लक्ष्य की तुलना में 142.306 मि.टन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 93.93 % है जिस पर 4.039 मि.टन की वृद्धि हुई है।

2018-19 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े मिलियन टन में.)

क्षेत्र	2018-19			2017-18
	लक्ष्य	वास्तविक	% हासिल	वास्तविक
बिजली	111.78	102.527	91.72	99.274
सीमेंट	0.26	0.221	85.00	0.186
सीपीपी तथा अन्य	39.46	39.555	100.24	38.802
कोलियरी उपभोग	0.00	0.003	-	0.005
कुल	151.50	142.306	93.93	138.267

2018-19 के दौरान बल की कमी के कारण कोयले के ऑफ-टेक की हानि के कारण नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े मिलियन टन में.)

परियोजना का नाम/ / विवरण	2018-19			बल की कमी के कारण वास्तविक हानि	टिप्पणी
	MOU लक्ष्य	वास्तविक	अंतर		
कनिहा क्षेत्र	8.0	6.854	1.146	1.146	समर्पित MGR के माध्यम से NTPC- कनिहा, नालको द्वारा कोयले का कम उठाव। गर्मियों के मौसम के दौरान सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण कम प्रेषण। तालचेर कोलफील्ड्स में स्थानीय आंदोलन / हड़ताल के कारण कम प्रेषण।
लिंगराज क्षेत्र	15.0	13.3202	1.68	1.68	
हिंगुला क्षेत्र	13.0	7.3401	5.66	5.66	
भरतपुर क्षेत्र	15.0	12.614	1.679	1.679	
रेलवे से रेक की कम उपलब्धता के कारण कम प्रेषण	71.50 (रैक/दिन)	66.20 (रैक/दिन)	5.30 (रैक/दिन)	7.42	1 रैक =1.4MT/वर्ष

17.585 मीट्रिक टन के बल के कारण ऑफ-टेक में कुल नुकसान, लेकिन प्रभावी नुकसान 9.194 मीट्रिक टन था, क्योंकि अन्य खानों ने रेलवे के अलावा अन्य तरीकों के माध्यम से 2018-19 के दौरान अधिक भेजा है।

19.2. वैगन लोडिंग -

MCL में 2018-19 के दौरान दैनिक औसत वैगन लोडिंग 66.2 रेक / दिन थी जो कि 2017-18 के दौरान 65.2 रेक / दिन थी, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 रेक / दिन अधिक थी। लक्ष्य और आपूर्ति के विरुद्ध क्षेत्रवार लोडिंग को नीचे दिया गया है :

रैक/दिन में आंकड़े

क्षेत्र	**2018-19**			**2017-18** वास्तविक लक्ष्य
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	
ईब-वैली	30.7	29.97	29.97	30.0
तालचेर	40.8	36.22	36.22	35.2
कुल	71.50	66.20	66.20	65.2

19.3. ई- नीलामी :

एम.सी.एल ने वर्ष 2018-19 में स्पाट तथा अन्य विशेष प्रकार के ई-नीलामी के तहत 19.611 मिलियन टन उपलब्ध कराया है जिसके जवाब में बोलीदाताओं ने 18.280 मिलियन टन की बुकिंग की है जिससे अधिसूचित मूल्य पर रु 1510.75 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई है।

19.4. इर्धन आपूर्ति समझौता : (एफएसए)

वर्ष 2018-19 के दौरान एमसीएल ने उपभोक्ताओं के साथ एक सौ अट्ठाईस (128) एफएसए हस्ताक्षर किया गया।

20. <u>कोयले की गुणवत्ता में सुधार</u>

उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए साथ ही भिन्न पॉवर हाउस को सही आकार एवं गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए एम.सी.एल ने कई उपाए किए हैं। वर्ष के दौरान सही गुणवत्ता एवं आकार के कोयलों के प्रेषण हेतु भी कई कदम उठाए हैं।

कंपनी द्वारा गुणवात्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:.

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत संवाद स्थापित किया गया है
2. उपभोक्ताओं को साईडिंग पर कोल लोडिंग व्यवस्था साथ ही कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
3. उन मुख्य सभी साइडिंग्स, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है।
4. प्रमुख व मामूली शिकायतों की प्राप्ति पश्चात इनकी जांच की जाएगी एवं इसके परिणाम संबंधित उपभोक्ता को दिखाई जाएगी तथा इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों द्वारा सुधारात्मक उपाय लिए जाएंगें।
5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंग का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा कार्य, साइडिंग एवं विश्लेषण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
7. बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतोष के लिए सी.आई.एम.एफ.आर को सी.पी.पी जैसे आई.पी.पी और बिजली उपयोगिता उपभोक्ताओं और गैर-विनियमित क्षेत्र में आपूर्ति की जाने वाले कोयले के संग्रह और विश्लेषण के लिए एम.ओ.सी/सी.आई.एल के निर्देशों के आधार पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसी के रुप में तैनात किया गया है। गैर नियमित क्षेत्र जैसे सी.पी.पी, स्पंज एवं सीमेंट क्षेत्र आदि, लिंकेज नीलामी, अन्य ई-नीलामी योजना भारत की गुणवत्ता परिषद/ आईआईटी – आईएसएम द्वारा तीसरी पार्टी के लिए कवर किया गया है।
8. विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईब-वैली, लखंपुर,ओरिएंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर एवं कनिहा में कुल 10 कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। ईब-वैली, भरतपुर एवं जगन्नाथ, हिंगुला तथा कनिहा क्षेत्र के तीन कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एन.बी.पी.एल मान्यता प्राप्त है। लखनपुर कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के

एनएबीएल मान्यता प्राप्त के लिए अंतिम मूल्यांकन को पूरा कर लिया गया है और एनएबीएल अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र को जल्द ही जारी किया जाएगा। चरण अनुसार बाकी बचे क्षेत्रों के लिए एन.बी.पी.एल मान्यता हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

9. इस वर्ष के दौरान इस वर्ष के दौरान भी कोयले के निष्कर्षण की चयनात्मक खनन विधि जारी रखी गई और लगभग 93% उत्पादन खदानों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

10. सरफेस माइनर का उपयोग करके कोयले की सीम से अस्वीकार को अलग किया जा रहा है जो कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है।

11. उपभोक्ताओं को -100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति की ओर उचित ध्यान दिया गया है। इसके लिए, रेल, बेल्ट और एमजीआर द्वारा भेजे गए कोयले को सीएचपी और एफबी द्वारा क्रश दिया गया था।\

12. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ साईडिंग/लोडिंग केंद्रों पर बाउंड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

13. सी.सी.ओ, कोलकाता द्वारा सख्त नमूना प्रक्रिया विधि को अपनाकर सीम, साइडिंग एवं टिपर नमूनों के संबंध उनकी गुणवत्ता का आंकलन किया गया और वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए उसे उचित घोषित किया गया। इससे उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा हु आहै।

21. सुरक्षा और बचाव

“सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी की मूल क्षमताओं में से एक है जिसे सुरक्षा विधियों और तकनीकों के निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया गया है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ आपकी कंपनी नियमित रूप से स्वयं को तैयार करती है योजना बनती है, तथा सज्जित होती है ताकि सर्वोत्तम लक्ष्य हासिल किया जा सके और कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादक करने के लिए प्रेरित बल बन सके।

1. <u>दुर्घटना सांख्यिकी</u>

क्रमांक	विवरण	2018-19	2017-18
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	7	3
2	घाटकों की संख्या	7	3
3	गंभीर दुर्घटना की संख्या	4	6
4	गंभीर चोट की संख्या	4	6
5	विपत्ति की दर प्रति मिलियन टन आउटपुट प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.049 **0.436**	0.021 0.191
6	गंभीर चोट की दर प्रति मिलियन टन आउटपुट प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.028 0.249	0.042 0.382
7	स्थान-वार घातक यूजी ओसी एजी	1 3 3	0 2 1

2. सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम :

(i) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके। वर्ष 2018-19 में 6000 जोड़ी माइनिंग हेलमेट, 10344 जोड़ी माइनिंग बूट तथा 14229 जोड़ी गमबूट खरीदे गए। साथ ही, MCL की विभिन्न खानों में मौजूदा LED **कैप लैम्प** के अलावा 1030 LED कैप लैंप और 09 चार्जिंग रैक की खरीदी गई और उसकी आपूर्ति की गई।

(ii) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।

(iii) कोयला खान विनियमन 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(iv) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है। सहायक स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 27.08.2018 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

(v) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय निरीक्षण किया जाता है।

(vi) कंपनी के सुविधाजनक स्थानो में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार बाहरी संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उदाहरण के लिए डंपर ऑपरेटरों के कौशल सुधार के लिए वर्ष 2018-19 में 26 डंपर ऑपरेटरों को नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(vii) कामगारों और पर्यवेक्षकों के दोष व बीमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके। वर्ष 2018-19 के दौरान, एमसीएल के आवधिक चिकित्सा परीक्षण(पीएमई) केंद्रों में 5880 विभागीय कर्मचारियों और 1447 संविदात्मक (कॉंट्रक्चुअल) व्यक्तियों की पीएमई जांच की गई।

(viii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन 2010 के प्रावधान के अनुपालन में प्रत्येक खदान और क्षेत्र के लिए विद्युत सुरक्षा अधिकारी तैनात किया गया था।

(ix) **सुरक्षा** ऐप को **दिनांक** 29/04/2018 को वार्षिक सुरक्षा पखवाड़े के अंतिम दिवस समारोह में विकसित और लॉन्च किया गया था। ऐप को "मेरी सुरक्षा जानकारी" टैग के तहत गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है । यह सभी हितधारकों के बीच सुरक्षा संबंधी सूचनाओं को आसानी से साझा करने में सक्षम होगा।

(x) तालचेर कोलफील्ड्स में दिनांक 16.01.2019 को प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ओरिएंट क्षेत्र , ईब वैली क्षेत्र , लखनपुर क्षेत्र, तालचेर क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र और सीडब्ल्यूएस (तालचेर) क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व स्वरूप के रूप में भाग लेती है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता में 22 टीमों ने भाग लिया।

(xi) ओबी डंप और स्ट्रेट की प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक स्तर पर सक्रिय कार्यप्रणाली के साथ सहायक स्तर, क्षेत्र स्तर और खदान स्तर पर जियो टेक्निकल सेल की स्थापना। खदानों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण पर ऑन-साइट प्रशिक्षण बीटीआई, बेलपहाड़ में एमसीएल के विभिन्न खानों और क्षेत्रों में तैनात 14 अधिकारियों को 28/01/2019 से 02/02/2019 तक IIT (ISM) के संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया था।

(xii) कोल इंडिया सुरक्षा सूचना पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है।

3. <u>बचाव सेवाएँ</u>

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल ने ईब वैली कोलफील्ड्स में ओरिएंट क्षेत्र और तालचेर कोलफील्ड्स में आरआरआरटी**,**तालचेर क्षेत्र में सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन स्थापित किए है। एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा किया गया **:**

1. दिनांक 26/10/2018 से 27/10/2018 तक ओरिएंट क्षेत्र के खदान बचाव स्टेशन और माइन नंबर -4 में क्षेत्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।
2. माइंस रेस्क्यू स्टेशन, मैसर्स ईसीएल के सीतारामपुर, आसनसोल में ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता में **दिनांक** 10/12/2018 से 13/12/2018 तक भाग लिया और थ्योरी टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
3. खान बचाव स्टेशन और आरआरआरटी ने कुल 13 आपात / अग्निशमन कार्यों में भाग लिया, जिनमें से दो यू / जी खानों में, 01 भूमिगत खदान में और 10 किसी भी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं हैं लेकिन 2018-19 के दौरान पास के समाज / सिविल टाउनशिप में उत्पन्न होते हैं।
4. 2018-19 के दौरान बचाव और रिकवरी ऑपरेशन में 11 व्यक्तियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था।
5. 194 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को आरआरएस, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर एरिया में बचाव और रिकवरी के संचालन में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई।
6. कुल 194 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें फिट पाया गया।
7. 2018-19 में रायगढ़ क्षेत्र के मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निजी भूमिगत माइन्स गेयर पलामा IV/4 तथा IV/5 को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।

<u>वर्ष 2018-19 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्निलखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे। :</u>

1. 160 कॉर्ड लेस कैप लैम्प.
2. 01 फ़र्स्ट ऐड मानिकीन
3. 01 वाटर प्यूरिफायर कम कूलर।

<u>वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित सामग्रियों की खरीदी की गई थी :</u>

1. 2 गैस क्रोमैटोग्राफ, एमआरएस, ओरिएंट क्षेत्र तथा आरआरआरटी में स्थापित
2. 02 अलग ट्रांसफॉर्मर
3. 01 सए/सी -1.5 टन
4. 02 इनवरटर –यूपीएस
5. 02 स्टाइबलाइजर
6. 01 बचाव वैन
7. 06 एसडीबीए (लघु अवधि श्वास उपकरण)
8. 16 एफआरपी बास्केट स्ट्रेचर
9. 01 ऑक्सीजन शुद्धता परीक्षक

22. कम्प्यूटरीकरण

अनुकूलित ईआरपी (कोलनेट प्रणाली) :– कोलनेट के विभिन्न मॉड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली(एफ़आईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजीकरण, विक्रय एवं विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, सामाग्री प्रबंधन प्रणाली, उपकरण निगरानी प्रणाली का उपयोग हो रहा है। कोलनेट सिस्टम में कुछ विविध मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है जिसमे संविदात्मक कर्मचारियों के फोटो के साथ साथ आवधिक चिकित्सा परीक्षा, निविदा और 2 लाख से कम के पुरस्कार, पूरी में हॉलिडे रूम की ऑनलाइन बूकिंग, फ़ाइल ट्रेकिंग सिस्टम, ऑनलाइन संविदा प्रबंधन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पूंजी निधि प्रबंधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली को भी शामिल किया गया है।

सड़क तथा रेल मार्ग से बिक्री बिलिंग, बिल भुगतान प्रविष्टि स्थिति, कर्मचारियों की जानकारियों का अद्यतन, उत्पादन जानकारी की प्रविष्टि, ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली, पेरोल प्रणाली आदि गतिविधियाँ सेंट्रल कोलनेट सर्वर में क्षेत्र व परियोजना स्तर पर संचालित है। सेंट्रल कोलनेट सर्वर में शिफ्ट होने के बाद एमसीएल भुवनेश्वर सहित एमसीएल कोलकाता कार्यालय में वित्तीय लेखांकन, पेयरोल और व्यक्तिगत सूचना प्रणाली जैसी गतिविधियाँ आवश्यक होने पर मूल्य संवर्धन के साथ आसानी से चल रही हैं। तालचेर कोलफील्ड्स, ईब वैली कोलफील्ड्स और बसुंधरा क्षेत्र, एमसीएल के नोडल क्षेत्रों में स्थित संबंधित सर्वरों में विरासत प्रणाली से कोलनेट सिस्टम तक वित्तीय सूचना प्रणाली के प्रवास के बाद, मॉड्यूल संतोषजनक रूप से चल रहा है। इसी प्रकार, एमसीएल के सभी स्थानों के लिए विरासत प्रणाली से कोलनेट प्रणाली के लिए पेयरोल प्रणाली के प्रवास के बाद, एमसीएल में कोलनेट सर्वर के माध्यम से केंद्रीकृत वेतन प्रसंस्करण, मुख्यालय सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

लागत प्रबंधन और बजट नियंत्रण: -. लागत प्रबंधन और बजट नियंत्रण मॉड्यूल को संशोधित किया गया, उसका परीक्षण किया गया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 से वह कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

कोलनेट के बिक्री और विपणन मॉड्यूल में सुधार :-

I. वास्तविक समय आधार पर ग्राहक लेजर का सृजन।
II. एमसीएल कोलकाता कार्यालय द्वारा रेल बिक्री बिल का पुनर्मुद्रण।
III. ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ता को रेल बिक्री बिल की ऑटो डिलीवरी।
IV. रेल के माध्यम से प्रेषण के लिए **ई-मेल के माध्यम से** उपभोक्ता को ई-वे बिल चालान **का सृजन** और उसी के ऑटो संचार।
V. वास्तविक समय के आधार पर संबन्धित अधिकारियों को लोडिंग विवरण के तहत रेक वाइज / साइडिंग वार के एसएमएस के माध्यम से ऑटो संचार।
VI. विश्लेषण ग्रेड के आधार पर डेबिट / क्रेडिट नोट की संपूर्ण प्रणाली आधारित **सृजन।**

टीए / डीए, एलटीसी और मेडिकल प्रतिपूर्ति का भुगतान : क्षेत्र स्तर पर मासिक वेतन के साथ टीए / डीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्चों के भुगतान की सुविधा के लिए कोलनेट के वित्त और पेयरोल मॉड्यूल में संशोधन किए गए हैं। उसका परीक्षण किया गया है और उसे जल्द ही लागू किया जाएगा।

केंद्रीय कोलनेट सर्वर के माध्यम से आयकर गणना :-. केंद्रीय कोलनेट सर्वर के माध्यम से आयकर गणना और संबद्ध रिपोर्ट **के सृजन** को एमसीएल में लागू किया गया है।

सीएमपी पोर्टल के माध्यम से वेतन का केंद्रीय संवितरण :- एसबीआई के सीएमपी (कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट) का उपयोग करते हुए मुख्यालय के माध्यम से एमसीएल के सभी स्थानों के लिए वेतन का वितरण केंद्र द्वारा किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक पूंजी निधि प्रबंधन: - परियोजनाओं के पीआर प्रावधानों को बनाए रखने के लिए कोलनेट में विकसित मॉड्यूल - प्रमुख और यूनिट वार, फंड आवंटन के लिए अनुरोध की पहल, फंड का पुन: विनियोजन (यदि आवश्यक हो), पी एंड पी विभाग, वित्त विभाग के विभिन्न स्तरों पर अनुरोध की जांच और और सक्षम प्राधिकारी की अंतिम मंजूरी, सफलतापूर्वक चल रही है। इसके अलावा, इस परियोजना के स्तर से फाइल शुरू करने के लिए मॉड्यूल में प्रावधान किया गया है, जब पीआर प्रावधान से परे किसी विशेष परियोजना के लिए फंड समाप्त हो जाता है। जब भी ऑनलाइन मोड में फंड आवंटन / पुन: विनियोजन के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है तो संबंधित अधिकारियों को, जो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं स्वत: जनित एसएमएस दिया जाता है।

ई-भुगतान तथा ई-प्राप्ति :- सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से की जा रही हैं।

एमसीएल वेबसाइट :- एमसीएल की वेबसाइट www.mahandicoal.in सीएमपीडीआई रांची के सर्वर पर होस्ट की जाती है तथा उनके द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। आवश्यकतानुसार वेबसाइट की पुनर्सरचना की जा रही है। कोयला उपभोक्ता को वापसी से संबंधित जानकारी, दूरस्थ प्रासंगिक जानकारी के अद्यतन की सुविधा, मासिक तीसरे पक्ष का कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, भर्ती विभाग की सूचना और परिणाम सीएसआर से संबंधित गतिविधियां, निविदा और 2 लाख कोलनेट है। जाता किया अद्यतन से रूप नियमित को आदि पुरस्कार के कम से के सर्वर माध्यम से सही समय पर संविदाकार/वेंडर के भुगतान बिल की स्थिति को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है।

पेमेंट डिस्बर्स टैब के तहत साप्ताहिक / मासिक आधार पर स्टेकहोल्डर्स के बिलों के भुगतान से संबंधित प्रासंगिक जानकारी अपलोड की जाती है।

एमसीएल सीपीआरएमएसई –अर्पण :- सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वे अपने चिकित्सा बिलों की भुगतान की स्थिति देख सकते हैं और वे अपनी शेष राशि की सीमा और बिना सीमा के हकों की भी जांच कर सकते हैं। एमसीएल द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन- "अर्पण" इसी उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वत: जनित एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं।

ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान): इंटरफेस के रूप में वर्तमान वेबसाइट में जोड़े गए “ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान)” का स्टेकहोल्डर्स के शिकायत निवारण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

ई-मेल अकाउंट : एमसीएल के सभी अधिकारियों को एनआईसी द्वारा प्राप्त डोमेन ‘coalindia.in’ के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है साथ ही ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ गैर-अधिकारियों को भी ‘coalindia.in’ डोमेन के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है।

निविदाओं की अपलोडिंग::- सीआईएल के ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से जारी सभी निविदाएँ भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी) में स्वचालित रूप से प्रदर्शित किए जाते है। 02 लाख से कम निविदाओं से संबंधित जानकारी कोलनेट पर उपलब्ध है और नियमित आधार पर एमसीएल के वेबसाइट पर होस्ट किए गए है।

ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस) :- केंद्रीय कोलनेट सेवा में सभी क्षेत्रीय/केंद्रीय भंडारों और केंद्रीय कार्यशालाओं के स्टोर से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए और पीओएल रसीद/विस्फोटक के मुद्दे/प्राप्ति के लिए भी चल रहा है। वस्तुसूची के प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न रिपोर्ट भी उपलब्ध है। स्टोर अंकों के 100% सीआईएल मानक कोडिफिकेशन योजना के अनुसार चेक अंकों के साथ संहिताबद्ध किया गया है। इसके अलावा, ई एंड एम / एचईएमएम वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण, ईआरपी डेटा तैयारी उद्देश्य के लिए सीआईएल के निर्देश के अनुसार आंशिक सुधार किए जा रहे हैं।

एमसीएल के भुवनेश्वर और कोलकाता कार्यालय के बीच संबंध: कोलनेट मॉड्यूल के प्रचालन के लिए बीएसएनएल से प्राप्त 1 एमबीपीएस लीज लाइन के माध्यम से भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित एमसीएल के कार्यालय आपस में जुड़े है। बीएसएनएल से अतिरिक्त एमपीएलएस नेटवर्क को भी इन कार्यालयों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से कोलनेट प्रचालन संभव है।

इंटरनेट लीज लाइन - वर्तमान में मौजूदा कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से एमसीएल के प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल से प्राप्त इंटरनेट लीज लाइन को 40 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया गया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन से प्राप्त अन्य 40 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन को भी रखा गया जिसे जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग सिस्टम के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर:- उत्पादकता सुधार स्कीम के तहत इनसेन्टीवों की गणना के लिए विकसित सॉफ्टवेयर, एमसीएल के विभिन्न खुली खदानों में सफलतापूर्वक चल रहें है। सॉफ्टवेयर आवश्यकतानुसार समय-समय पर निगमित योजनाओं में हुए बदलाव का संशोधन करता है।

वेब – कनेक्टिविटी की ब्रीज-रेल व रोड(स्टेटिक और इन-मोशन) दोनो वे आईटीआई मेसर्स ब्रिज-लिमिटेड द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क : बीएसएनएल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना की जा रही है । एमपीएलएस कनेक्टिविटी पूरा हो चुका है।

केंद्रीय डेटा केंद्र और नोडल कंप्यूटर केंद्रों में सर्वर की स्थापना - हाई-एंड आईबीएम सर्वर मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्रों यानि तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ एरिया, ईब वैली कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र और बसुंधरा गर्जनबाहल क्षेत्र में स्थापित हैं।। नोडल स्थानों पर ये सभी सर्वर मुख्यालय सर्वर के साथ सिंक में हैं। बसुंधरा क्षेत्र सर्वर को आपदा वसूली स्थल के रूप में स्थापित किया गया है।

ठेकेदारों के बिल भुगतान की निगरानी:- कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग माड्यूल भलीभांति कार्यशील है । इस प्रणाली में ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है । इन बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात, उनके भुगतान तक की स्थिति कोलनेट सर्वर में अद्यतन की जाती है तथा उसे एमसीएल वेबसाइट अर्थात www.mahanadicoal.in में अपलोड किया जाता है ताकि संबंधित पार्टी अपनी बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार संबंधित पार्टी हमारे वेबसाइट से अपने बिलों की

स्थिति ज्ञात कर सकते है I संबंधित पक्षों को कार्य आदेश संख्या या बिल संख्या और कार्य आदेश तिथि के आधार पर अपने बिल की स्थिति जानने के लिए एक मोबाइल ऐप्स विकसित किया गया है।

बाद में सुधार विकास मंच पर बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल में सुधार पेश किए गए हैं और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए क्षेत्र स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक अंतरक्रियात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद, संशोधनों को मॉड्यूल में शामिल किया गया है और 1 मई, 2019 से वह कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) :- एमसीएल की तीन खुली परियोजनाओं अर्थात् बलराम, लिंगराज और भरतपुर में स्थापित ओआईटीडीएस सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्राकिंग प्रणाली :

(i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन तथा उत्पादन में संलग्न 1800 निजी ट्रक/टिपर पर वीटीएस आधारित जीपीएस (वाहन ट्रैकिंग प्रणाली) लगाए गए हैं I इन वाहनों द्वारा जियो-फेंसिंग का उल्लंघन, ट्रिप, लंबा-ठहाराव, तय की की गई दूरी सहित विभिन्न संबंधित प्रतिवदेन सीधा दृष्यावलोकन, http://.mclvts.in. वेबलिंक पर उपलब्ध है। यह लिंक हमारे www.mahanadicoal.in वेबसाइट में भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में यह सुविधा भी है कि यह संबंधित परियोजना व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगकर्ताओं तक एसएमएस अलर्ट भी स्वत: प्रेषित करता है I

(ii) वाहन जियों फेंसिंग के बाहर न जा पाएं इसकी ट्रेकिंग के लिए मार्ग सहित खान सीमा का जियो-फेंसिंग किया जा चुका है।

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का केन्द्रीय नियंत्रण आवास एमसीएल मुख्यालय में स्थापित किया जा चुका हैं।

(iv) उत्पादन/आंतरिक परिवहन तथा ओ.बी हटाने के कार्य में लगे दोनों संविदात्मक तथा विभागीय/वाहनों/उपकरणों में 3483 जीपीएस इकाइयों के लिए दर अनुबंध (आरसी) के आधार पर स्थापित की गई है।

वेब-ब्रिज तथा रेलवे साईडिंग के निगरानी के लिए सीसीटीवी :-

i) 22 रेलवे साइडिंग में विडीयों कैमरे लगवाए गए हैं।

ii) 94 इन-मोशन और स्थिर वेब- ब्रिजों पर आईपी कैमरे लगाए गए हैं।

iii) ऑनलाईन के माध्यम से वेजर्मेंट आंकडे को तीव्र गति से इन-मोशन एवं स्थिर वे-ब्रिज से केन्दीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर के माध्यम से एमसीएल मुख्यालय प्रेषित किया जाता है।

फाइल ट्रैकिंग प्रणाली : एमसीएल के विभिन्न विभागों और स्थानों में महत्वपूर्ण फाइलों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कोलनेट में विकसित सॉफ्टवेयर का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।31 मार्च 2019 तक 68091 फाइलें इस माध्यम से संशाधित की जा चुकी हैं।

एसएमएस /ई-मेल सजगता: एमसीएल द्वारा अपनाए गए ई-पहल के अनुसार सड़क द्वारा सुपुर्दगी आदेश,आरडीओ के माध्यम सुपुर्दगी, आरडीओ को वापसी, तथा वेतन बनाने संबंधी कर्मचारियों की जानकारी

एसएमएस द्वारा उपभोक्ता को भेजी जाती है। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष /जीएमएस लंबित फाइलों की स्थिति पर नियमित आधार पर इस फाइल ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से ट्रैकिंग कर रहें है। बैंक गारंटी की समाप्ति के संबंध में संबंधित विक्रेताओं/दलों और वित्त विभाग के अधिकारियों को एसएमएस भेजने का भी प्रावधान किया गया है। स्वचालित मेलिंग प्रणाली जो कोयले में ई-वे बिल जेनरेशन एवं रेल सेल चालान भेजने के लिए और उपभोक्ताओं के लिए कोयला चालान में विकसित की गई थी, कार्यरत है।

मोबाइल एप्लिकेशन (एंडरोइड आधारित) : मोबाइल एप्लिकेशन का विकास (i) कोयले के उत्पादन आंतरिक परिवहन से संबंधित स्थायी एवं इन-मोशन वे-ब्रिजो से वजन किए गए कोयले की जानकारी को देखने के लिए। (ii) रेलवे साईडिंग में स्थापित किए गए कैमेरे में चल रहे सीसीटीवी विडियो को मोबाइल द्वारा जमा किए बिल की ट्रेकिंग की स्थिति जानने के लिए। (iii) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की ट्रेकिंग स्थिति। (IV) एमसीएल की सीएसआर संबंधी उपयोगी जानकारी जैसे ओड़ीशा के कई जिलों में पूर्ण/अपनाई गई सीएसआर गतिविधियां साथ ही में सीएसआर पॉलिसी, वार्षिक रिपोर्ट, सीएसआर के अंतर्गत बजट और खर्च, प्रमुख सीएसआर गतिविधि की जानकारी को दर्शाने के लिए। V) आरडीओ विवरण, लोडिंग शेड्यूल, दैनिक प्रेषण सारांश और किसी भी आरडीओ के प्रेषण विवरण देखने के लिए एमसीएल द्वारा अलग मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे सीआइएल मोबाइल ऐप “ग्राहक साधक कोयला वितरण” के साथ एकीकृत किया गया है। आगे खान बचाव पर बचाव पहल- जैसे घटनाओं के धुरी, डीजीएम परिपत्र, वीडियो क्लिप से संबन्धित खान बचाव सूचना के लिए मोबाइल ऐप लागू किया गया।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन : पहले चरण के कार्यान्वयन के तहत एमसीएल मुख्यालय में ई-ऑफिस का उपयोग किया जाता है। ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्तियों और फाइलों की आवाजाही का विचलन एमसीएल मुख्यालय में चालू है।

पीसी और उनसे संबंधित उपकरण की खरीद/प्रतिस्थापन : प्रतिस्थापन और अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पीसी (774) की खरीद, जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई है । पुराने पीसी के एक और सेट के प्रतिस्थापन के खिलाफ पीसी और बाह्य उपकरणों की खरीद और कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं की प्रक्रिया चल रही है।

मौजूदा लैन का उन्नयन : आपूर्ति की गई सामग्री के आधार पर एमसीएल मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय/क्षेत्रीय स्टोरों में लैन को अपग्रेड करने कार्य पूरा कर लिया गया है।। इसके अलावा, कार्य आदेश के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता के खिलाफ उन्नयन कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

संविदा प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली – कोलनेट में एक ऐसा विकसित मॉड्यूल तैयार किया गया है जो संविदा, संबंधित जानकारियाँ जैसे संविदा विवरण, कार्यारम्भ, मुख्यालय /क्षेत्र/ परियोजना स्तर पर की सभी कोल/ओबी संविदा दैनिक कृत्यों की जानकारियों को सामाहित करता है । इस मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है।

रोड ई-वे बिल चालान : रोड वेबब्रिज पर i3MS (इंटीग्रेटेड माइंस, मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से जारी किए जा रहे मौजूदा गेट पास में सड़क उपभोक्ता द्वारा ई-वे बिल जमा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी को प्रिंट करने का प्रावधान किया गया है।

ईआरपी और एचएमएस के कार्यान्वयन के लिए तैयारी : मौजूदा बुनियादी ढांचे और एमसीएल भर में कोलनेट के काम को ध्यान में रखते हु ए इसे ईआरपी कार्यान्वयन के पहले चरण में रखा गया है। एसएपी ईआरपी के सुचारू कार्यान्वयन के तैयारियों से संबंधित सभी कार्य जैसे ईआरपी सेंटर का विकास, एफआरएस (कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टता), एफएमएस (कार्यात्मक मैट्रिक्स) का समय पर पूरा होना, कोर समूह की पहचान और गठन, एसएमई (विषय वस्तु विशेषज्ञ), प्रदान करना प्रासंगिक और समय में आवश्यक के रूप में सीआईएल को जानकारी देना। समय-समय पर एएस-आईएस दस्तावेजों को अंतिम रूप देना, एसएपी ईआरपी और अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) के कार्यान्वयन में शामिल कार्यकारी अधिकारियों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करना।

भावी योजना/ अन्य जारी गतिविधियां :

» **एमसीएल में ईआरपी के कार्यान्वयन** : सीआईएल ने ईआर / एचएमएस को CIL और इसके अनुषंगी (चरण- I) में लागू करने के लिए मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड पर अवार्ड की अधिसूचना जारी की है और MCL को फेज -1 में शामिल किया जाएगा। इस SAP-ERP के कार्य का कार्यात्मक दायरा (1) सेल्स एंड मार्केटिंग, (2) सामाग्री प्रबंधन (3) प्लांट मेंटेनेंस, (4) मानव संसाधन प्रबंधन , (5) वित्त (अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग), (6) उत्पादन योजना और रखरखाव, (7) परियोजना प्रबंधन होगा। सहमत परियोजना योजना के अनुसार गो-लाइव 21 सितंबर, 2020 से निर्धारित है।

» **एमसीएल में एचएमएस का कार्यान्वयन:** एचएमएस के कार्यान्वयन के लिए एनएससीएच तालचेर अस्पताल और केंद्रीय अस्पताल ईब-वैली का चयन किया गया है। फार्मेसी के अलावा सभी नैदानिक और गैर-नैदानिक विभाग, आउट-डोर और इन-डोर इकाइयों के प्रबंधन, नैदानिक अनुभाग और स्टोर को प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत मंच में एकीकृत किया जाएगा। और, एचएमएस कार्यात्मकता को कोएसएपी ईआरपी के साथ एकीकृत किया जाएगा। सहमत परियोजना योजना के अनुसार गो-लाइव 24 अगस्त 2020 से निर्धारित है।

» **क्षेत्र और परियोजनाओं पर ईऑफिस का कार्यान्वयन-:-** ई-ऑफिस को दूसरे चरण में फाइल के प्राप्तियों और मूवमेंट के लिए क्षेत्र और परियोजना पर लागू किया जाना है।

» **मोबाइल ऐप :-** हितधारकों के साथ जहां तक संभव हो और अधिक से अधिक प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए अतिरिक्त मोबाइल एप्लिकेशन का विकास।

» **स्वत: जनित एसएमएस :** अपने हितधारकों को ऑटो जनरेट एसएमएस भेजने के लिए अधिक से अधिक गतिविधियों को शामिल करना। कोलनेट में बिलों की प्राप्ति पर पावती के रूप में एसएमएस भेजने की शुरुआत , बिलों और भुगतान की पुष्टि आदि से संबंधित दस्तावेजों की कमी (यदि हो तो) की जानकारी।

» **ई-मेल के माध्यम से वेतन पर्ची :** एन्क्रिप्टेड पीडीएफ प्रारूप में स्वत: उत्पन्न मेल के माध्यम से कर्मचारियों को मासिक वेतन पर्ची भेजने की शुरुआत।

23. दूरसंचार

- **ओपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस)**:- एमसीएल की तीन भूमिगत परियोजनाओं अर्थात बलराम, लिंगराज और भरतपुर में स्थापित ओआईटीडीएस सफलतापूर्वक चल रहा है। ओआईटीडीएस के उपकरण के साथ कुल 137 एचईएमएम लगाए गए हैं।

- **निरर्थक डेटा संचार नेटवर्क** :- एमपीएलएस / वीएसएटी आधारित द्वितीयक डेटा संचार नेटवर्क जिसे मुख्यालय के साथ क्षेत्र कार्यालयों / परियोजना कार्यालयों / वीजीब्रिज आदि को जोड़ने का काम बीएसएनएल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। चरण- I और चरण- II के 50 स्थानों पर एमपीएलएस संयोजकता पूरी हो गई है।

  तीसरे चरण में, 66 वीएसएटी नोड्स के माध्यम से 116 वेबब्रीजों पर एमपीएलएस वीपीएन संयोजकता की स्थापना चल रही है।

- **जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली :-**

I. जीपीएस आधारित वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) इकाइयाँ 3978 ट्रकों / टिपरों / एचईएमएम में लगाई गई हैं जो कोयले के उत्पादन और आंतरिक परिवहन ओबी हटाने के साथ-साथ कुछ एम्बुलेंस और स्कूल बसें में लगे हैं। इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग के साथ-साथ जिओन-फेंस, लंबी रोक, दूरी यात्रा आदि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के लिए वेब सक्षम लिंक यानी http://mclvts.in पर उपलब्ध हैं। यह लिंक हमारी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी उपलब्ध है। परियोजनाओं के संबंधित उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वत: उत्पन्न एसएमएस अलर्ट भेजने की भी व्यवस्था है।

II. यदि वे जियो-फेंस की सीमा को पार कर रहे हैं तो वाहनों को ट्रैक करने के लिए मार्गों के साथ-साथ खदान सीमा का जियो-फेंस किया गया है। जियो-फेंस के उल्लंघन के मामले में , परियोजनाओं और क्षेत्र कार्यालयों के संबंधित उपयोगकर्ताओं को ऑटो उत्पन्न एसएमएस अलर्ट भेजने का प्रावधान है।

III. एमसीएल-मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

- **वेब-ब्रीजों के लिए संयोजकता** :- रेलमार्ग और रोड (स्टेटिक और इनमोशन) दोनों वेब-ब्रीजों को मेसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जोड़ा गया है।

- **वेब-ब्रिज तथा रेलवे साईडिंग की निगरानी के लिए सीसीटीवी**

  (i) 22 रेलवे साइडिंग में वीडियो निगरानी कैमरों को स्थापित किया गया है। ओरिएंट साइडिंग को बंद करने के पश्चात नए कमीशन सरडेगा साइडिंग को सीसीटीवी निगरानी में लाया गया है।

(ii) 94 इन-मोशन और स्टैटिक रोड वेबब्रिज पर आईपी कैमरे लगाए गए।.

(iii) इन-मोशन तथा स्टैटिक रोड वेवब्रिज से वजन डेटा को एमसीएल-मुख्यालय में केंद्रीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर पर ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

- एमसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में **वाई-फाई नेटवर्क** स्थापित किया गया है। जागृति विहार के आवासीय क्षेत्रों में वाईफाई नेटवर्क को पुन: सु दृढ़ और पुनर्जीवित किया जा रहा है।

  सभी क्षेत्रीय कार्यालय वाई-फाई ब्रॉडबैंड सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

  24x7 असीमित संचार को न्यूनतम लागत पर सक्षम बनाने हेतु ओडिशा राज्य में एमसीएल के सभी संगठनों की विभिन्न इकाइयों में सेवा प्रदान करने के लिए एमसीएल के सभी अधिकारियों, जेसीसी सदस्यों, प्रमुख कर्मचारियों, रेलवे साइडिंग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, बचाव ब्रिगेड कार्मिकों और खान बचाव स्टेशनों के ड्राइवरों, को **मोबाइल CUG सुविधा** प्रदान की गई है, जिससे एमसीएल के संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

2018-19 में, मौजूदा सीयूजी योजनाओं को कंपनी के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना सभी सीयूजी उपयोगकर्ताओं के लिए असीमित डेटा, आवाज और राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नत किया गया है।

- **एमसीएल का आईपी आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) या एकीकृत संचार नेटवर्क**

  एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों को शामिल करते हुए इसका विभिन्न वित्तीय, कर्मियों और परिचालन अनुप्रयोगों को चलाने के लिए एक नेटवर्क रीढ़ के रूप में व्यापक रूप से और सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, जिससे संगठन की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऑनलाइन डेटा संचार और प्रबंधन की सुविधा मिलती है। बीएसएनएल एमपीएलएस नेटवर्क के साथ मौजूदा कोलनेट नेटवर्क (आईसीएन) के अन्य रियल टाइम डेटा सेवाओं जैसे कि ईआरपी, ई-सर्विलांस, आदि का उपयोग बढ़ाने के लिए नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं, जो कोलनेट कनेक्टिविटी के लिए अब एक अनावश्यक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। उसे भी सुविधा दी गई है।

  ई-ऑफिस के लिए कनेक्टिविटी को आईसीएन-एमसीएल के साथ भी हस्तक्षेप किया गया है।

- **<u>वीएचएफ़ संचार</u>** : वीएचएफ संचार नेटवर्क को कोयला खानों तक की परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में स्थापित किया गया है। परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है।

* **<u>सीसीटीवी निगरानी प्रणाली</u>** :

  क) एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला के कार्यालय परिसर में, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है और इसका उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नवनिर्मित ईआरपी केंद्र और कुछ और क्षेत्रों को भी सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क के तहत लाया गया है।

  ख) सभी क्षेत्रीय / केंद्रीय भंडार और एमसीएल के केंद्रीय कार्यशालाओं में सीसीएल निगरानी प्रणाली स्थापित की गई हैं।

  ग) एमसीएल में सभी कोल स्टॉक्स, लोडिंग पॉइंट्स, कोल सैंपलिंग पॉइंट्स और लैब्स के सभी सीसीटीवी निगरानी सिस्टम भी लगाए गए हैं।

  घ) सीआईएल मुख्यालय तक देखने के लिए 37 कैमरों को इंटरनेट पर हस्तक्षेप किया गया है।

  ङ) जंबुबली पत्रिका, भरतपुर क्षेत्र सहित एमसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर विभिन्न कैमरे लगाए गए हैं।

  च) अनधिकृत गतिविधि की संभावना को कम करने, और एक परिष्कृत नेटवर्क बनाने के लिए खानों और पत्रिका समूहों, HEMM कार्यशालाओं, डीजल वितरण स्टेशनों, और परियोजनाओं के अन्य कमजोर बिंदुओं के विभिन्न प्रवेश / निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की गई है। कैमरों की सुरक्षा बढ़ाने और अनधिकृत वाहनों और कर्मियों के प्रवेश को रोकने के लिए, जिनकी धारा सीआईएल मुख्यालय या इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य स्थान तक उपलब्ध होगी।

* **<u>आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) :</u>** भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और सीआईएल के एचआर विजन 2020 के साथ, एईबीएएस को 2017-18 में एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय, क्षेत्र कार्यालयों में कुल 75 डिवाइस के साथ स्थापित किया गया है।

2018-19 में, एमसीएल के सभी उपस्थिति स्थानों में अतिरिक्त 732 डिवाइस लगाए गए हैं और चालू किए गए हैं, जिससे सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के श्रमिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जा रहा है। सभी उपकरणों के लिए अतिरेक के साथ इंटरनेट संयोजकता प्रदान की गई है।

* **<u>टेलिफ़ोन एक्सचेंज :</u>** इन कार्यालयों में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स सिस्टम की हजारों लाइनें स्थापित की गई और उसका रखरखाव किया गया।

* तेज गति के लिए 24x7 संचार और सूचना चैनल सुनिश्चित करने के लिए ऑन-द-गो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने हेतु आवासीय कार्यालयों में बीएसएनएल

ब्रॉडबैंड के अलावा एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, सीवीओ और एचओडी के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों **को हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट** प्रदान किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इन सभी सलाहकारों ने दैनिक संचार को कागज से इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बचत होती है।

- **सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क** : कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के बीच गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से निदेशकों और सीवीओ के लिए एक इंटरनल क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क बनाया गया है।

- एमसीएल के सभी रोड वेबब्रिज के लिए वाईमैक्स इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है और इसका उपयोग रोड सेल मोड के माध्यम से भेजे जाने वाले ट्रकों के लिए ऑनलाइन जनित ई-ट्रांजिट पास के लिए किया जा रहा है। एमसीएल मुख्यालय के केंद्रीय सर्वर पर वेबमेंट के ट्रांसमिशन के लिए तथा अन्य संबन्धित डाटा के संचरण के लिए **वाईमैक्स इंटरनेट की सुविधा** को इन-मोशन रोड वेबब्रिज तक आगे बढ़ाया गया है।

- **डीटीएच सेवा** : एक अस्पष्ट जगह होने के नाते, एमसीएल मुख्यालय में कर्मचारी के मनोरंजन के लिए, मुख्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास और अन्य स्थानों जैसे गेस्ट हाउस आदि पर, जागृति विहार और आनंद विहार दोनों को शामिल करते हुए लगभग 700 कनेक्शन के साथ डीटीएच सेवाएं प्रदान की जाती है और विभाग द्वारा उसकी व्यवस्था और रखरखाव किया जाता है।
  2017-18 में, MCL ने सभी स्थानों के लिए एनालॉग केबल टीवी से डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी में अपग्रेड किया था।

  2018-19 में, MCL ने सभी स्थानों के लिए डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी से DTH (डायरेक्ट टू होम) टीवी सेवाओं का उन्नयन किया है।

- तीव्र और सुरक्षित संचार के लिए सभी भूमिगत परियोजनाओं में **भूमिगत संचार प्रणाली** स्थापित की गई है। विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में पर्यावरण टेली-निगरानी प्रणाली को भी बनाए रखा जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली** : मुख्य प्रबंधन कार्मिक द्वारा त्वरित और सहयोगी निर्णय लेने को सक्षम करने तथा समय और लागत की बचत हेतु सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट (सार्वजनिक नेटवर्क) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के लिए एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर और एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज़ ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह प्रणाली लाइसेंस प्राप्त उद्यम ग्रेड मल्टी कांफ्रेंस यूनिट और एमसीएल के क्लाइंट सर्वर पर चलती है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करती

है। हम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ एमसीएल के भुवनेश्वर और कोलकाता कार्यालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।

2018-19 में, एमओसी, नई दिल्ली, सीआईएल मुख्यालय, सीआईएल दिल्ली कार्यालय, एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जगन्नाथ और ईब वैली के जीएम कार्यालयों के बीच 227 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र जिसमें 417 से अधिक घंटे शामिल हैं , का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ।

24. अनुषंगी उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया के माध्यम से एसवी-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भंडार/उपभोग्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व द्वारा पर्याप्त हिस्सेदारी के द्वारा उन्हें एक स्थायी व्यवसाय प्रदान करता है।

उपरोक्त कारणों के लिए एमसीएल की पूर्ण एमएसएमई-सहायक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है :

- ओडिशा राज्य के भीतर अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में छोटे पैमाने पर उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उनके विकास करने के लिए अनुमति देता है और सभी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- राज्यों के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात प्रतिस्थापन, पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करना।
- बढ़ी हुई स्व-रोज़गार की संभावना को बनाने और राज्य के क्षेत्रीय युवा जनसंख्या के बीच आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को पाने की नई गतिशीलता तक पहुंचने के लिए इस राज्य के आम जनता की समृद्धि और देश के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य की उन्नति और एमएसईएस के साथ एससी/एसटी एमएसईएस के औद्योगिक उत्पादों का समायोजन।

कंपनी की स्थापना के बाद से, एमसीएल ने ओडिशा के एमएसईएस की मदद की और विकसित किया है। एमएसईएस को विभिन्न उपभोज्य पुर्जों/वस्तुओं और एमसीएल के अभियांत्रिकी और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े सेवा संबंधी कार्यों के लिए प्रूवन/ अनंतिम अनुषंगी से नवाजा गया है।

आगे इन अनुषंगी इकाइयों को बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों में एमसीएल उन अनुषंगी इकाइयों को सतत व्यवसाय प्रदान कर रहा है जो सामग्री की गुणवत्ता की आपूर्ति और शीघ्र सुपुर्दगी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुषंगी इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद उनके मामलों को अनुषंगी स्थिति के नवीकरण के लिए समझा जाता है। दिनांक 31/03/2019 को एमसीएल की लगभग 17 एमएसईएस इकाइयां (अनुषंगी इकाइयां) योग्यता और खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी और उपयोगकर्ता के क्षेत्रों में विभिन्न गुणवत्ता वाले उत्थान की आपूर्ति के आधार पर सहायक स्थिति मे साबित हुई हैं।भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 358 आइटमों के अलावा एमसीएल द्वारा पहचाने जाने वाले 49 अनुसूचित अनुषंगी मदें हैं।

एमसीएल सहायक इकाइयों पर लगातार निगरानी रख रहा है और समय-समय पर परस्पर संवादात्मक सत्र/ बैठकों का आयोजन करके उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश कर रहा है। यह सत्य है कि वित्त वर्ष 2018-19 में, एमसीएल ने पहले ही बी 2 बी बैठक सह कुल 08 राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। विक्रेता इंटरैक्शन बैठक निम्नानुसार है:

i. इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा 16 अप्रैल 2018 को भुवनेश्वर में आयोजित "**MSME शिखर सम्मेलन सह् एक्सपो 2018"** निर्धारित किया गया था। इस घटना में, MCL ने रु. 1 लाख (केवल एक लाख रुपए) प्रायोजित किए।

ii. 12 और 13 अगस्त, 2018 को भुवनेश्वर में **OASME** कटक द्वारा आयोजित "32 वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार" निर्धारित किया गया था। इस मौके पर, एमसीएल ने रु. 2 लाख (केवल दो लाख रुपए) प्रयोजन के लिए दिये।

iii. "राष्ट्रीय एससी / एसटी हब, क्षेत्रीय सम्मेलन" भुवनेश्वर में **30** अगस्त **2018** को एनएसएसएचओ**,** भुवनेश्वर द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर **, MCL** ने रु. **2** लाख (केवल दो लाख रुपए) प्रयोजन के लिए दिये थे।

iv. दिनांक 22 जनवरी 2019 को राउलकेला, ओड़िशा में मेगा विक्रेता विकास कार्यक्रम - सह - राष्ट्रीय एससी / एसटी हब योजना के तहत खरीदार विक्रेता मीट " का आयोजन।

v. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ओड़ीशा, निर्यात, संवर्धन और विपणन निदेशालय, उड़ीसा लघु उद्योग निगम, भुवनेश्वर के सहयोग से उद्योग निदेशालय, ओडिशा द्वारा 28 **जनवरी से 3 फरवरी** 2019 तक भुवनेश्वर में उद्यमी सप्ताह के साथ "**ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला -** 2019" का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए एमसीएल ने 5 लाख (केवल पांच लाख रुपये) दिए।

vi. "MSME-DI, भारत सरकार, कटक , MSME विभाग, ओड़िशा सरकार और CTTC, भुवनेश्वर द्वारा दिनांक 26.02.2019 से 27.02.2019 तक बलियात्रा अपर ग्राउंड, कटक में संयुक्त रूप से आयोजित **उद्यम समागम**। इस उत्सव में एमसीएल ने वित्तीय सहायता के रूप में रु. 1 लाख (सिर्फ एक लाख रुपये) दिये।

vii. दिनांक 01 मार्च 2019 को राउलकेला**,** ओड़िशा में **मेगा विक्रेता विकास कार्यक्रम - सह् - राष्ट्रीय एससी / एसटी हब योजना के तहत खरीदार विक्रेता मीट "** का आयोजन। इस अवसर पर एमसीएल ने वितति सहायता के रूप में रु. 50**,000.00** (सिर्फ पचास हजार रुपये) प्रयोजन के लिए दिये थे।

viii. एनएसआईसी, राउरकेला द्वारा द्वारा दिनांक 20.03.2019 को आयोजित सुंदरगढ़ में विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन 2015-16 से अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई, 2013 से प्रभावी मौजूदा सहायक नीति को तैयार और कार्यान्वित कर लिया था। एमएसईएस और अनुषंगी उद्योग के लिए एमसीएल द्वारा अनुसरित नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल

में सहायक और एमएसई के शीर्ष (http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf)पर उपलब्ध है।

- सूक्ष्म और लघु उद्योग द्वारा उत्पादित कुल वार्षिक उत्पादों और सेवाओं की कम से कम 25 प्रतिशत की खरीद की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत में से, 20 प्रतिशत (यानी, 25 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदे जाएंगे। हालांकि, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने की विफलता की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए निर्धारित 5% उपलक्ष्य को अन्य सूक्ष्म और लघु उद्योग से खरीदा जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत भी महिला उद्यमी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदे जाएंगे।

- निविदा में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग, एल-1+15 प्रतिशत के प्राइस बैंड के भीतर कीमत का हवाला देते हुए उनकी कीमत एल 1 से कम कर ऐसी स्थिति में आपूर्ति की अनुमति दे सकते हैं जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्योग के अलावा अन्य एंटरप्राइजेज दे और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग को कुल निविदा मान के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

- वर्तमान व्यापार करने के लेन-देन की लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा का सेट नि:शुल्क देकर, बकाया धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर सहायता प्रदान की जाएगी।

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों की खरीद, जिसे उनसे विशेष खरीदारी के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक एनआईटी पहले से ही कार्यान्वित कर दी गई है जहां केवल एमएसई फर्म ही भाग ले सकते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यम कंपनियों के अलावा कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह बताया जा सकता है कि एमसीएल के पास निविदा 2.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य वाले निविदाओं के लिए ई-निविदा की नीति है । एमएसई सहित सभी के लिए खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों के एमएसई से खरीद का % नीचे दिया गया है:

		2018-19	2017-18	2016-17
1	कुल वार्षिक खरीद (लाख में)	8181.00	9460.00	7927.00
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम से कुल खरीद (लाखों में)	3281.66	5621.76	3002.69
3	% कुल खरीद के एमएसई से खरीद	40.11	59.42	37.87

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 में कुल वार्षिक खरीद का 40.11 % एमएसई से खरीदा है और न्यूनतम 20% लक्ष्य को लगातार प्राप्त कर रहा है और भविष्य में इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पॉलिसी

एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद के 25% को प्राप्त करने की जरूरत है, जो सफलतापूर्वक हासिल की गई है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओं के डाटाबेस को अद्यतन, 25% लक्ष्य को हासिल करने और सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ परसस्पर विचार विमर्श कर रहा है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

औद्योगिक संबंध :

अग्रणी औद्योगिक संस्थान होने से कंपनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हु ए औद्योगिक संबंध बनाये हु ए हैं ताकि संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बना रहे। हमारी कंपनी ने बाह्य एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखा है।

ऊँचाईयों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध ही एक धुरी (Pivotal) है और कंपनी सदैव उत्तम औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में पूरा ध्यान देती है। इस वर्ष भी कंपनी ने तीन स्तरीय औद्योगिक संबंध जैसे इकाई स्तर तथा कॉर्पोरेट स्तर पर कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मामला एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर के औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए “भारत बंद” के कारण कोल इंडिया के केंद्रीय व्यापार संघों द्वारा 8 जनवरी 2019 को आयोजित एक हड़ताल को छोड़कर, औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे। इसके अलावा और वर्ष 2018-19 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हु आ जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है ।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहु त ही सराहनीय है।

सहभागी प्रबंधन :

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजन में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हु ए इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

अपने कर्मचारियों के साथ न केवल प्रबंधन सहभागिता के जरिए बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़े इत्यादि मे सहभागिता के अवसर पर वाद-विवाद और संगोष्ठी ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबंद्धता जैसी श्रेष्ठ पद्धतियों को आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में एमसीएल विश्वास रखता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरों का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावी रुप से आगे बढ़ सके, इस के लिये एमसीएल विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2018-19 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित नियमित बैठकें हुई जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समरस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गई। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिनी कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सी.आई.एस.टी.ई.ए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई।

एससी/एसटी संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है :-

i) आवास आबंटन समिति
ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति
iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

25.3 **प्रशिक्षण तथा विकास**

तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रबंधकीय कौशल के विभिन्न पहलुओं में सतत प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करने का प्रयास करती है। प्रशिक्षण हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें मानव संसाधनों के विकास को संगठनात्मक विकास की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है।

सामरिक योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रबंधन संस्थानों- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान(एमटीआई), बुर्ला; बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान(बीटीआई) लखनपुर क्षेत्र; खनन इंजीनियरिंग एवं उत्खनन प्रशिक्षण

संस्थान(एमईईटीआई), केंद्रीय कर्मशाला,तालचेर तथा पाँच ग्रुप वोकेशनल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (जीवीटीसी) क्रमश: जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर, लखनपुर, ओरियंट और बसुंधरा क्षेत्र में एचआरडी के प्रयासो को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक एचआरडी योजना पर कार्य किया जाता है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रशिक्षण विवरण

1. आंतरिक प्रशिक्षण - एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई और जीवीटीसी

क्र.सं.	कर्मचारियों	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	कार्यकारी	246	384
2.	पर्यवेक्षक	789	1098
3.	श्रमिक	5797	6292
	कुल	6832	7774

2. बाह्य प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	कार्यकारी	741	747
2.	पर्यवेक्षक	50	50
3.	श्रमिक	61	45
	कुल	852	842

3. कुल प्रशिक्षण (आंतरिक और बाह्य)

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	कार्यकारी	987	1131
2.	पर्यवेक्षक	839	1148
3.	श्रमिक	5858	6337
	कुल	7684	8616

4. विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण

क्र.सं.	विद्यार्थी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	खनन अभियंता	146	167
2.	खनन डिप्लोमा	756	1028
3.	बी टेक	98	104
4.	एमबीए	91	48
5.	अन्य	73	63
	कुल	1164	1410

दिनांक 05.02.2014 को आयोजित एमसीएल बोर्ड की 155 वीं बैठक के फैसलों के अनुसार, नव नियुक्त कर्मचारियों को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के तहत 02 साल की अवधि के लिए अपनी स्कूलिंग और कौशल विकास के लिए विभिन्न सूचीबद्ध संस्थानों को प्रायोजित किया जा रहा है।

5. **स्कूलिंग और स्किलिंग (आईटीआई) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रायोजन का विवरण (आईटीआई)**

सत्र	व्यापार		कुल
	फिटर	इलेक्ट्रिशियन	
2018-19	29	39	68
2017-18	48	82	130

6. **कौशल विकास प्रशिक्षण (शिक्षा के तहत) के लिए प्रायोजन का विवरण**

सत्र	केएसएएस , भुवनेश्वर	एमआईटीएस, रायगड़ा	कुल
2018-19 (31.03.2019)	-	91	91
2017-18	145	41	186

7. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) मान्यता प्राथमिक शिक्षा (आरपीएल) विभागीय खान संचालन कर्मचारियों (05 साल से अधिक अनुभव) को 02 दिनों का प्रशिक्षण 03.04.2017 से 30.05.2017 तक 571 कर्मचारियों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के लिए शुरू किया गया। 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरपीएल (ब्रिज कोर्स) 10.07.2017 से 01.11.2017 तक 921 कर्मचारियों (05 वर्ष से कम अनुभव) के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में शुरू हु आ। लेकिन एनएसडीसी के प्रशिक्षण भागीदार ने एनएसडीसी के निर्देशानुसार 01.11.2017 के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद कर दिया है।

8. **एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया**

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षण की संख्या	भारत के भीतर	विदेश
1.	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य
2.	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य

9. **2017-18 एवं 2018-19 में प्राप्त किया मानव दिवस प्रशिक्षण**

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	अधिकारी	5523	5081
2.	पर्यवेक्षक	4438	6079
3.	श्रमिक	59422	60606
	कुल	69383	71766

10. **विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्रमांक	**कर्मचारी**	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
1.	परियोजना प्रबंधन	11	8
2.	संविदा प्रबंधन	9	14
3.	जोखिम प्रबंधन	4	23
4.	पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भू अधिग्रहण	12	10
5.	सिम्यूलेटर प्रशिक्षण	17	34

सन् 2018-19 में समझौता ज्ञापन के 34.% लक्ष्य की तुलना में 34.3% कर्मचारियों को पाँच दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है।

भुवनेश्वर में प्राकृतिक संसाधन तथा ऊर्जा प्रबंधन(एम.आई.एन.आर.ई.एम.) के एमसीएल संस्थान -

एमसीएल ने कोयला अनुभाग में कोयला उपक्रम के अधिकारियों के लिए विकसित एवं उभरते हु ए विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया कदम उठाया है। टोमांडों भुवनेश्वर में आगामी सुविधाओं ने प्रशिक्षण एवं विकास, आर. एवं डी., कसलटेंसी और सामान्य शिक्षा कार्यक्रम जैसी विविध गतिविधियों पर लक्ष्य साधा है। नई तकनीकी से उभरती योग्यता अंतराल, व्यापार के विविधिकरण, और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को फिर से संरचित मानव संसाधन विकास हस्तक्षेप के माध्यम से फिर से भरा जा सकता है जिसके लिए संस्थान रुका हु आ था।

राजधानी भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय संस्था के रुप में उभरने के लिए एमसीएल द्वारा एकमात्र उन्नत एवं पूर्ण पूंजीकृत संस्था एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अँड एनर्जी मैनेजमेंट, सोसाइटी के रूप में दिनांक 16.01.2016 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत महानिरीक्षक(पंजीकरण), ओड़िशा द्वारा पंजीकृत की गई है।

चूंकि MINREM का प्रचालन अधिकारियों की मौजूदा प्रतिभा को विकसित करने, शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने और नवीनता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नियत किया जाता है।

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, संबलपुर, बेलपहार प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहार / खनन इंजीनियरिंग तथा उत्खनन खुदाई प्रशिक्षण संस्थान, तालचेर

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क. अधिकारी विकास कार्यक्रम :-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम : अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों कार्यनिष्पादन को बढ़ाने हेतु।

कार्यात्मक और क्रॉस कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य के बारे में ज्ञान विकसित करने के लिए।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल एवं सरलतापूर्वक कार्यकलाप हेतु।

ख. <u>पर्यवेक्षक कार्यक्रम :-</u>

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।

पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन : पर्यवेक्षकों में सुरक्षा जागरुकता विकसित करने हेतु।

ओवरमैंन व माइनिंग सरदार जैसे व्यक्तियों के कैरियर संवर्धन हेतु ।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम : सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

ग. <u>श्रमिकों हेतु कार्यक्रम:-</u>

निष्पादन हेतु श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उचित प्रशिक्षण के बाद विभिन्न खदानों मे तैनाती के लिए भू-विस्थापितों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम : सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

प्रबंधन प्रशिक्षण:

प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को संगठनात्मक विकास के विभिन्न प्रबंधकीय और व्यवहारिक पहलुओं में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यतानुसार विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाह्य संगठनों जैसे आई.आई.सी.एम. रांची, आई.आई.एम., आई.आई.टी. , एन.आई.टी. एवं भारत तथा विदेश के अन्य प्रख्यात् प्रशिक्षण केन्द्रों में नए कौशल हासिल करने और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए भेजा जाता है।

तकनीकी प्रशिक्षणः

खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जी.वी.टी.सी. में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकी के साथ श्रमिकों/ऑपरेटरों/मैकानिकों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने हेतु किया जाता है। जी.वी.टी.सी. में श्रमिकों के प्रशिक्षण के प्रकार दिए गए हैं। जी.वी.टी.सी. में सभी प्रशिक्षण वैधानिक प्रकृति में दी जाती है।

बुनियादी पाठ्यक्रम:

इस प्रशिक्षण का मूल उद्धेश्य नवनियुक्त श्रमिकों को खनन गतिविधियों, नियमों और विनियमों तथा प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना है।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

ये कार्यक्रम पांच साल में एक बार उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो पहले से ही बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजर चुके हैं और खानों में कार्यरत् हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना तथा उसे अद्यतन करना है, ताकि उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सके।

विशिष्ट पाठ्यक्रमः

इन कार्यक्रमों के तहत् श्रमिकों को प्रौद्योगिकी में बदलाव, नौकरी प्रोफाइल में बदलाव, उपकरण विन्यास/क्षमता में परिवर्तन और उत्पादन प्रणाली में सुधार के मामलों की जानकारी दी जाती है।

मानव संसाधन पहल

सलाहकार-मैंटी योजना

सी.आई.एल. के सलाहकार मैंटी योजना के अनुसार, नए प्रवेशकों की उच्च प्रतिधारण दर सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध सलाहकारों के पूल को विकसित करने के लिए, एमसीएल ने 125 मैंटीस (सहायक प्रबंधक E-3 ग्रेड में) के लिए विभिन्न विषयों से 29 सलाहकार नियुक्त किए हैं। संगठन के लिए यह एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र है। इस योजना का उद्देश्य उनके व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैंटीस के साथ उनके सामाजिक संपर्क को बनाने में मदद करना है तथा भविष्य में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए उच्च क्षमता वाले अधिकारियों को विकसित करना है।

मुख्यालय में वर्ष 2018-19 के दौरान सलाहकार मैंटी योजना 1 के अंतर्गत सलाहकारों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से संकाय आमंत्रित करके एक पारस्परिक विचार-विमर्श कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी।

<u>प्रशिक्षु (अपरेंटिस) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण देना 1961 (संशोधित 2016)</u>

क्रमांक	वर्ष	आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षु के संलग्न की संख्या	पी.डी.पी.टी. में संलग्न की संख्या	पी.जी.पी.टी. में संलग्न की संख्या
1	**2018-19**	705	145	03
2	**2017-18**	205	195	02

25.5 **मनोरंजन गतिविधियां :**

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को ध्यान में रखते हु एएमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक व मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। । सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया। कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया। 01 अप्रेल से लेकर 03 अप्रेल, 2018 के दरम्यान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का एक क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2018 के दौरान सर्वोत्तम खिलाडियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि में अनेकों परोपकारी कार्य किए। विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एमसीएल के हमारे कर्मचारियों साथ-साथ बाहर की एजेंसियों की सांस्कृतिक उन्नति के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु 77,10,302 / - का वित्तीय सहायता बढ़ाया है। हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रचार जैसी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है।

25.5.1 शिक्षा :

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, 16 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएव्ही पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल तथा सभी डीएव्ही स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू. 3918.71लाख (राजस्व) तथा निजी स्कूलों को रू 98,06, 800/- उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारी वार्डों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 2018-19 के दौरान इस शीर्ष से रु 10,78,440/ - की राशि 620 मेधावी विद्यार्थियों (सभी कर्मचारी वार्ड हैं) को प्रदान की गई ।

एमसीएल ने कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया देकर वित्तीय सहायता दी थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 171 कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना के तहत 50,15,346/- रुपये वितरित किए गए।

साफ-सुथरा आवास/सामाजिक सुविधाएं-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, साफ-सुथरे आवास के लिए राशि-68,00,00,000/- रु के विशेष बजट की स्वीकृति दे दी गई, जिसमें आवासीय भवन, सड़क और अन्य सहयोगी कार्यों, गैर आवासीय भवन और स्वच्छता इत्यादि शामिल हैं।

26. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्र में लागू करने के लिए प्रतीक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम / कैलेंडर तैयार किया जाता है और सभी कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार किए जाते है।

वर्ष 2018-19 के दौरान एमसीएल में निम्न कार्यक्रमो / गतिविधियों का आयोजन किया गया था :

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28.04.2018, 25.07.2018, 30.10.2018 और 24.01.2019 को संपन्न हुई जिसमें क्षेत्र और मुख्यालयों में राजभाषा गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार के राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. **राजभाषा कार्यशाला :**

एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्र में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गई :

वर्ष 2018-19 में एमसीएल में कुल 13 राजभाषा कार्यशालाएं आजोजित की गई, जिसमें 519 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के नियम और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागीयों ने हिंदी में

टिप्पणियां और मसौदा तैयार करने का अभ्यास किया। वर्ष 2017-18 में 14 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न विभागों कुल 445 अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

3 राजभाषा (हिंदी) का प्रशिक्षण:

राजभाषा (हिंदी) प्रशिक्षण और परीक्षाओं का आयोजन हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कुल 181 कर्मचारी उत्तीर्ण हु ए थे जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 167 कर्मचारी उत्तीर्ण हु ए है।, ब्योरा निम्नानुसार है: -

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्रज्ञा	कुल
2018-19	45	43	79	167
2017-18	38	63	80	181

कोल इंडिया लिमिटेड के परिपत्र के अनुसार सफल उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि इनाम के रूप में दी जाती है। प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

4. **कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण :**

वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 09.11.2018 को तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया था तथा दिनांक 25.02.2019 to 02.03.2019 तक कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें एमसीएल के 91 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 2017-18 के दौरान 52 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

5. **अनुवाद प्रशिक्षण:**

अनुवादकों के कौशल विकास के लिए, एमसीएल, मुख्यालय में 03.12.2018 to 07.12.2018 तक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें एमसीएल के 18 कर्मचारी प्रशिक्षित हु ए।

6. राजभाषा पुरस्कार योजना :

एमसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए, "**एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना**" वर्ष 2015 में शुरू की गई है। 09 में 03 पुरस्कार क्षेत्रो को, 03 बड़े विभागों को और शेष 03 कंपनी मुख्यालय के छोटे विभागों को दिए गए थे। वर्ष 2017-18 के लिए सभी 9 पुरस्कार दिनांक 28.09.2018 को आयोजित राजभाषा पखवाड़ा-2018 के समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए थे।

7.**हिंदी दिवस/हिंदी पखवाडा :**

दिनांक 13.9.2018 को एमसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री जे पी सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन),एमसीएल ने किया। एमसीएल मुख्यालय/क्षेत्रों में 13 से 28 सितंबर, 2018 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान एमसीएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन, परिचर्चा, नोटिंग और मसौदा, तथा हिंदी टाइपिंग एवं गृहिनियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एमसीएल ऑडिटोरियम, जागृति विहार में 28.09.2018 को हिंदी पखवाड़ा के समापन दिवस के समारोह पर हिंदी प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक तकनीकी (यो. एवं परि.) और श्री मुनवार खुर्शीद (आईआरपीएफ), सीवीओ, एमसीएल द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

8.अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन:

एमसीएल मुख्यालय में "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन राजभाषा पखवाड़ा -2018 के समापन दिवस समारोह दिनांक 28.09.2018 को आयोजित किया गया था।

9.विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2019 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10.01.2019 को कार्यक्रम का उद्घाटन श्री पी.के. साहू,मुख्य प्रबंधक (प्रबं.प्रशि.सं./राजभाषा/) द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। प्रो. के.पी. गुप्ता, पूर्व-विभागाध्यक्ष(हिंदी), जीएम विश्वविद्यालय और डॉ. सदन कुमार पॉल, विभागाध्यक्ष(हिंदी), जीएम विश्वविद्यालय और डॉ. कमल प्रभा कपानी, प्रिंसिपल, पंचायत कॉलेज, बरगढ़ को सम्मानित किया गया और उन्होंने सभा को संबोधित किया।

10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),संबलपुर की दो छमाही बैठकों का आयोजन दिनांक 22.06.2018 and 28.11.2018 को एमसीएल मुख्यालय में हुआ। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने की थी।

11. टॉलिक (TOLIC), राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता:

नगर राजभाषा समिति, सम्बलपुर के सभी सदस्य कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की उन्नति के लिए “नराकास राजभाषा शील्ड” प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 2018-19 में कुल 09 चयनित सदस्य कार्यालय को “नराकास राजभाषा शील्ड -2018” से सम्मानित किया गया गया था। दिनांक 06.12.2018 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की बैठक में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,एमसीएल द्वारा शील्ड प्रदान की गई।

12.एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी की गई है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

13.राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड वेबसाइट में राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन के रूप में देखी जा सकती हैं।

14. राजभाषा पत्रिका : वर्ष 2018-19 के दौरान , एमसीएल मुख्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में नराकास, संबलपुर की गृह पत्रिका "संबलप्रभा" का 6 वां संस्करण दिनांक 22.06.2018 को विमोचित किया गया है।

27. भूमि / आर एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना प्रभावित / विस्थापित परिवारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है जो इसकी आर एंड आर नीति में काफी स्पष्ट दिखाई देता है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आर एंड आर नीति का पालन करता है और 2018-19 के दौरान रोजगार / वार्षिकी के बदले 837 रोजगार / नकद मुआवजा प्रदान किया है और शुरुआत के बाद से कुल 15,849 रोजगार/वार्षिकी के बदले में रोजगार/नकद मुआवजे प्रदान किया है। एमसीएल भूमि निकायों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर काम कर रहा है। भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों , डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों , पूजा स्थानों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध मौजूदा अस्पतालों /दवाखानों में मुफ्त में या 2.00 रुपये प्रति रोगी के मामूली शुल्क पर सभी आसपास के ग्रामीणों को ओपीडी सुविधा प्रदान करता है।

आपकी कंपनी ने प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान एमसीएल ने 237.989 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा कर लिया है ।

28. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कोयला उत्पादन में वृद्धि को देखते हु ए गांवों और प्रभावित समुदाय के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर शुरू की जा रही है। एमसीएल समाज के सतत विकास के लिए सीएसआर को एक प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में मानता है।

सीसीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए एमसीएल ने कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% के आधार पर 136.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के तहत खर्च की गई राशि 167.16 करोड़ रुपये है।

एमसीएल ने महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर), तालचेर के निर्माण भी शुरू कर दिया है। एमआईएमएसआर में 100 सीट वाला मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ 500 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल होंगे। इस परियोजना में 300 लड़कों के लिए छात्रावास, 200 लड़कियों के छात्रों के लिए एक अलग से छात्रावास, 100 इंटर्न के लिए दो ब्लॉक छात्रावास , 57 जूनियर निवासी डॉक्टरों के लिए एक छात्रावास और नर्सों के लिए 50 बेडेड छात्रावास की कल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में एमआईएमएसआर को 492.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एमसीएल ने 64.58 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए 25.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 के उपनियम (3) के खंड (0) तथा कंपनी नियमावली 2014 के नियम (9) (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अनुसार कानून दवारा आवश्यक प्रकटीकरण अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न है।

29 जेंडर बजट की व्यवस्था –

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली माध्यम है। नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकिया है। 31 मार्च 2019 को कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 2085 थी, जो एमसीएल के कुल कर्मचारियों की 9.33 % थी।

आपकी कंपनी ने अपनी सामाजिक प्रतिक्रिया के बावजूद हमेशा जेंडर बजट के मुद्दों पर कंपनी और कंपनी के बाहर संवेदनशीलता दिखाई है और अपने संभव प्रयासों द्वारा उन्हें संबोधित करने की कोशिश की है। कुछ उदाहरण निम्न है :

- एमसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका (विप्स) को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना।
- अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।.
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।
- सीआईएल नियमावली तथा विनियमन के अनुसार पात्र महिला अधिकारियों को शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियों के रोजगार हेतु आयु सीमा में छूट।
- उपयुक्त प्रतिनिधित्व और संबोधन से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।

"कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी ने एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, ठेका, अस्थायी, प्रशिक्षु) शामिल हैं।“

प्राप्त शिकायतों की संख्या : 02
निपटाए गए शिकायतों की संख्या : 01

30. **जनसंपर्क :**

आपकी यह कंपनी हितधारकों के लिए अग्रसक्रिय और सुलभ रहती है।आपकी कंपनी की पीआर टीम(जनसंपर्क) प्रतिक्रियाशील और बड़े पैमाने पर जनता को मीडिया प्रबंधन के माध्यम से आवश्यक जानकारी के साथ -साथ कंपनी के व्यावसायिक संचालन संबंधित चुनौतियों को संचार समाधान प्रदान करने, कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए हमेशा उत्सुक है इस प्रकार जरूरत के समय में प्रतिक्रिशील और सुलभ होने के नाते ,एमसीएल जनसंपर्क विभाग अपने आदर्श वाक्य: "संपर्क से समाधान" (संचार के माध्यम से समाधान) के लिए यथार्थ बना हुआहै।

आपकी कंपनी व्यवसाय संचालन के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख और साथ ही साथ संगठन में होने वाली घटनाओं / कार्यक्रमों को सभी हितधारकों को सूचित और अद्यतन रखने की दिशा में बहुतसक्रिय है।

खुले संचार प्लेटफार्मों के साथ, हितधारकों के साथ हमारा संपर्क दिन-प्रतिदिन मजबूत हो रहा है,जैसा कि हम मास मीडिया को प्रवर्धक शक्ति मानते हैं जो कंपनी की व्यवसाय से संबंधित और सामाजिक और विकासात्मक विभिन्न पहलों को पूरा करने में मदद करता है।

हमें आपको सूचित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आपकी कंपनी चौथे स्तम्भ के सदस्यों के साथ एक बहुतही स्वस्थ पेशेवर संबंध रखती है, जो वास्तव में समाज के कान और आंख हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, जनसंपर्क टीम संचार अभियानों में पारंपरिक और नए मीडिया उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुये मिश्रण जनसंचार के लिए अग्रशील रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करनेऔर स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए शामिल रही।

राजभाषा गतिविधियों में 'बड़े विभाग' के रूप में वर्गीकृत, जनसंपर्क विभाग अन्य विभागों / क्षेत्रों की कॉर्पोरेट कार्यक्रमों / गतिविधियों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जनसंपर्क विभाग, एमसीएल द्वारा स्वच्छता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो अभियान संचालित किया गया उसकी व्यापक रूप से सराहना की गई। परफोरमिंग आर्ट्स के छात्रों के सहयोग से आयोजित वन-एक्ट-प्ले के माध्यम से जन संचार के विचार ने वितरण सामग्री की गुणवत्ता वृद्धि की है। ओड़िशा पुलिस ने भी "परी" अभियान के लिए इसी तरह की गतिविधि आयोजित करने का विशेष अनुरोध किया, जिसे राज्य सरकार द्वारा लड़कियों / महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया है।

एक ऑडियो-विजुअल विज्ञापन बनाया और इसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2019 के दौरान सिनेमा हॉलों में रिलीज़ की गई और जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक रेडियो जिंगल बनाया गया जिसे पेशेवर राष्ट्रीय जनसंपर्क और मीडिया संगठनों, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) और पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया (PRCI), आदि द्वारा पुरस्कृत किया गया।

प्रेस बयानों / विज्ञप्तियों की नियमित प्रकाशन के लिए पारंपरिक मीडिया के अतिरिक्त, आपकी कंपनी की जनसंपर्क विभाग सोशल नेटवर्किंग साइट Facebook @/mahanadicoal; माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter

@/mahanadicoal; और ऑडियो-वीडियो चैनल YouTube@ / MahanadiCoalfields पर हितधारकों के बीच बड़े पैमाने पर सूचना प्रसार के लिए कुशलता से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। सोशल मीडिया स्पेस, विशेष रूप से किशोरों के बीच और अधिक पैठ जमाने के लिए, आपकी कंपनी फ़ोटो और वीडियो साझा करने के लिए अब एंड्रॉइड आधारित सोशल प्लेटफॉर्म जिसे Instagram @ / pro.mcl कहा जाता है पर भी है ।

विभिन्न पहलों में अपनी उत्कृष्टता के लिए जनसंपर्क विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्न पुरस्कारें प्राप्त की हैं –

क्र.	पुरस्कार का नाम और श्रेणी	संस्था का नाम	प्रदानकर्ता	प्राप्ति तिथि
1.	पीआर में उत्कृष्टता	ओड़िशा भास्कर	अध्यक्ष, नाल्को	15.08.2018
2.	पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 • रजत पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ कंपनी) •कांस्य पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट फिल्म – ए ग्रोविंग कोल जायंट)	पीआरएसआई	उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत	08-12-2018
3.	13 वां ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव • गोल्ड अवार्ड (जन जागरूकता के लिए रेडियो विज्ञापन) • कांस्य पुरस्कार (टेबल कैलेंडर) • कांस्य पुरस्कार (लोक सेवा विज्ञापन) • विशेष प्रशंसा (वॉल कैलेंडर)	पीआरसीआई	मुख्य चुनाव आयुक्त	16-02-2019

31. सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए डेटा वैधानिक लेखा परीक्षा एवं सीएजी द्वारा समीक्षा के पश्चात अद्यतित होगी)

दिनांक 31.03.2019 के साथ –साथ दिनांक 31.03.2018 के अनुसार सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश के ब्यौरा का विवरण विस्तार में इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रमांक सं.	विवरण	तय परिसम्पत्ति का कुल मूल्य	
		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
1	भवन	524.71	476.49
2	संयंत्र तथा मशीनरी	75.96	74.56
3	फर्नीचर, फिटिंग तथा उपकरण	9.44	9.16
4	वाहन	7.43	7.56
5	विकास	9.29	9.29
	कुल	**626.82**	**577.06**

32. <u>सतर्कता गतिविधियां और उपलब्धियां</u> :

एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य केंद्र लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से निवारक सतर्कता पर रहा है। उनकी मुख्य भूमिका कंपनी के कारोबारी लेनदेन में मानव हस्तक्षेप को कम कर भ्रष्टाचार से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार का सुझाव देना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एक निवारक, भावी सूचक और प्री एम्पटिव (पूर्व रिक्तिपूर्व) सतर्कता उपायों के रूप में, विभिन्न क्षेत्र संचालन के साथ-साथ उचित प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान के लिए सीवीओ के मार्गदर्शन में नियमित औचक निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक एजेंडे में कर्मचारियों के बीच सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है, जिसमें विचार विमर्श / संगोष्ठी के माध्यम से नए भर्ती हु एप्रबंधन प्रशिक्षु, विक्रेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हैं।

1. <u>सतर्कता निवारक गतिविधियां:</u>

(क) <u>निरीक्षण:</u>

वित्तीय वर्ष **2018-19** के दौरान, **8**1 औचक निरीक्षण और 33 नियमित निरीक्षण किए गए हैं। इस तरह के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली / प्रक्रिया की सुव्यवस्थितता पर ध्यान देना रहा है।

(ख) <u>2017-18 के दौरान किए गए प्रणालीगत सुधार:</u>

व्यवस्थित सुधार लाने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा **26** परामर्श जारी किए गए हैं।

2. <u>दंडात्मक सतर्कता:</u>

वित्तीय वर्ष **2018-19** के दौरान 01.04.2018 से 31.03.2019 तक जांच, पूछताछ इत्यादि हेतु लिए गए सतर्कता मामलों का विवरण निम्नलिखित है :

विवरण		**01.04.2018** से **31.03.2019** तक मामलों की संख्या	शामिल कार्मिकों की संख्या
(क)	पंजीकृत कुल सतर्कता मामलों की संख्या	20	49
(ख)	विभागीय कार्यवाही के लिए उठाए गए मामलों की कुल संख्या	18	42
(ग)	प्रमुख दंड कार्रवाई की संख्या	13	33
(घ)	लघु दंड कार्रवाई की संख्या	18	40
(ड़)	कुल मामले जिनमें जुर्माना लगाया गया	24	46
	i) प्रमुख	4	9
	ii) लघु	16	31
	iii) अन्य	4	6

3. <u>कर्मचारियों का क्रमावर्ती:</u>

कंपनी में संवेदनशील पदों/विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्रमावर्ती की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान, **222** कर्मचारियों को क्रमावर्तित किया गया। इसमें वे अधिकारी भी शामिल है जिनका नाम वर्ष **2018** के लिए "सहमत सूची" (**Agreed List**) और "संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों" की सूची में है।

4. <u>सतर्कता मंजूरी :</u>

वर्ष के दौरान, निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सहित **11,544** कर्मचारियों की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता मामलों से संबंधित सतर्कता अनापत्ति स्थिति कोल इंडिया लिमिटेड/, कोयला मंत्रालय/ मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रस्तुत किया गया। सतर्कता स्थिति ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों दोनों के लिए ऑनलाइन सतर्कता अनापत्ति मॉड्यूल लागू किया गया है।

5. <u>कोयला खानों में बेहतर निगरानी और अनुरक्षण के लिए आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग</u> :

कोयला खानों एवं कार्यालयों में बेहतर निगरानी और अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है :

i) जियो-फेंसिंग

ii) जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वेहिकल ट्रैकिंग डिवाइस

iii) आंतरिक कोयला परिवहन टिपर्स और आरएफ़आईडी रीडर की आरएफआईडी टैगिंग

iv) भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटलाईजेशन

v) वेबब्रिज

vi) सीसीटीवी कैमरे से निगरानी

vii) कंट्रोल रूम

viii) आधुनिक कोयला सर्वेक्षण और मापन गैजेट्स

क) एसयूआरपीएसी सॉफ्टवेयर

ख) **3** डी स्थलीय लेजर स्कैनर (**3**डीटीएलएस)

ग) अनमैन्ड एरियल वेहिकल (यूएवी ड्रोन)

ix) विस्फोटक टेस्टिंग (वीओडी मीटर)

x) मोबाइल एप्लीकेशन

xi) संपत्ति प्रबंधन पोर्टल

xii) बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली

xiii) एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली

xiv) ई- ऑफिस

xv) कोलनेट के मॉड्यूल

6. <u>सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2018 का आयोजन :</u>

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर में दिनांक 29 अक्टूबर 2018 से 03 नवंबर 2018 तक मुख्यालय एवं इसके सभी क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 (**VAW-2018**) मनाया गया। सतर्कता जागरूकता से संबंधित गतिविधियां निर्धारित सप्ताह के पहले और बाद में भी जारी रहा । एमसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा 18 स्थानो पर **VAW-2018** से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई।

इन स्थानों के अलावा, **VAW-2018** ओड़िशा के 47 ग्राम सभाओं में भी मनाया गया। अत: **VAW-2018** महानदी कोलफील्डस् लिमिटेड द्वारा ओड़िशा के 65 विभिन्न स्थानों पर मनाया गया।

33. <u>**ई-प्रोक्योरमेंट**</u>

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली दिनांक **15.08.2009** को शुरू की गई और यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है और आज तक इस माध्यम से **16000** से अधिक निविदाएं को अंतिम रूप दिया गया हैं। एमसीएल को इस वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान को लागू करके अत्यधिक लाभान्वित किया गया है। निविदाएं को अंतिम रूप देने में समय चक्र में काफी कमी हुई है और यह निविदा प्रबंधन की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की आवश्यकता पर जोर देता है। विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा जमा बयाना राशि **(**ईएमडी**)** का प्रबंधन स्वचालित किया गया है और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी**,** बोली की अस्वीकृति के अगले दिन स्वत: वापस कर दी जाती है। बोली लगाने वालों के लिए बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की वजह से संगठन के सद्भावना को बढ़ाया गया है। सिस्टम में निरंतर सुधार हैं और नई सुविधाओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। निविदा की रिवर्स नीलामी मोड जो पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है**,** वित्त वर्ष के दौरान अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में पॉलिसी के मामले में**, 2.00** लाख रुपये और उससे अधिक की कीमत वाले निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा रहा हैं। इसमें मल्टीकरेंसी वैश्विक निविदाओं सहित वर्क्स की खरीद**,** वस्तु और सेवाओं की खरीद शामिल है। इस वर्ष "बिल्ड ओन मेनटेन" की संकल्पना के आधार पर वाशरी के निर्माण और कमीशन से संबंधित जटिल प्रकृति की 'टर्न -की टेंडर' इस मोड में सफलतापूर्वक तय कर ली गई।

एमसीएल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की विशेष विशेषताएं

1. बोलीदाता द्वारा संरचित और उद्देश्य प्रारूप में बोलीदाता प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर पोर्टल सॉफ्टवेयर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परिणामस्वरुप बोली के मूल्यांकन में मानव हस्तक्षेप को कम किया जाता है।
2. बोलीदाताओं को निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है।
3. व्यापार निविदाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक व्यापार तर्क इनपुट डेटा को मान्य करने और उचित अलर्ट संदेश देने के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर में शामिल है।
4. रुपये **1** करोड़ मूल्य और इससे अधिक के मूल्य की निविदा के बेहतर मूल्य की सुरक्षा के लिए उच्चतम बोली को समाप्त करने के प्रावधान के साथ ऑनलाइन रिवर्स नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई है।
5. हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) और महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए उच्च मूल्य निविदाओं के लिए मूल्य बोली लगाने से पहले सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के साथ दो भाग निविदा प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

34. <u>एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)</u>

एमसीएल 1995 से आईएसओ/आईएमएस प्रमाणीकरण के लक्ष्य का पीछा कर रहा है और वर्ष 2012-13 में**,** एमसीएल को कंपनी-व्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) आईएसओ 9001: 2008 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली**,** आईएसओ14001: 2004-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001: 2007 - व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त है जो 201**9** में पूरी हुई**,** जो 3 साल की अवधि के लिए सभी लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है**,** जो निमन्वत है -

आईएसओ **9001: 2015:** क्यूएमएस – संगठन के आंतरिक दक्षता तथा ग्राहकों के ध्यानकेन्द्रीयता को नियंत्रित करने हेतु आईएसओ **14001: 2015** ईएमएस - संगठन के पर्यावरणीय की चिंताओं के प्रबंधन के लिए ओएचएसएएस **18001:2007** ओएचएसएमएस – संगठन की व्यावसायिक-स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन के लिए।

यह प्रमाणीकरण सीएमपीडीआई, रांची के माध्यम से एमएस प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया गया।

सितंबर **2018** में, एमसीएल ने उपरोक्त सभी मानकों को दिनांक **06.06.2019** तक वैध रूप में **3** वर्ष की अवधि के लिए पुनरीक्षित किया हैं।

<u>**वर्ष 2018-19 में आईएमएस कक्ष द्वारा जारी की गई गतिविधियां**</u>

इन मानकों में संशोधन किया गया है और नए मानकों के जारी होने के 3 वर्षों के भीतर यानि सितंबर 2018 तक आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएएस 18001 के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय संस्करणों का पालन करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य के लिए, सीएमपीडीआईएल को आईएसओ मानकों के परामर्श और उन्नयन के लिए तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के कार्य से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल के अधिकारियों के साथ बैठकें और चर्चा सत्र आयोजित करके एमसीएल में आईएमएस का व्यापक अध्ययन किया। नई कॉर्पोरेट प्रबंधन नीति तैयार की गई और उसे नए आईएमएस नियमावली के मसौदे में शामिल किया गया।

सीएमडी, एमसीएल के अनुमोदन हेतु मार्च 2018 में सीएमपीडीआईएल ने अंतिम मसौदे नियमावली प्रस्तुत की। संशोधित मानकों में किए गए परिवर्तनों के पूर्ण अध्ययन के बाद अद्यतन आईएमएस नियमावली तैयार की गई हैं। अनावश्यक सुविधाओं का विलय करके अप्रचलित आवश्यकताओं को सुलझाने के लिए नए मैनुअल को अपेक्षाकृत संक्षिप्त, समझने में आसान और सुलभ बनाया जाता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अब तक 25 अन्य युवा अधिकारियों ने अलग-अलग विभागों और क्षेत्र / इकाइयों को साइट जागरूकता और प्रशिक्षण के रूप में, आईआईसीएम रांची और एमटीआई, एमसीएल मुख्यालय में प्रशिक्षण से सम्मानित किया है।

सीएमडी, एमसीएल द्वारा आईएमएस मैनुअल की स्वीकृति पर प्रमाणन एजेंसी, मेसर्स/ एमएस प्रमाणन ने निगरानी सह संचालित परिवर्धन लेखा परीक्षा आयोजित की और जून 2018 के अंतिम सप्ताह में पहली निगरानी लेखा परीक्षा निर्धारित की गई है, जिसके सफलतापूर्ण समापन पर संशोधित मानकों के लिए एमसीएल को प्रमाणित किया जाएगा।

अक्टूबर **2018** में, लेखापरीक्षकों के नेतृत्व में इन **25** नए प्रशिक्षित आंतरिक लेखा परीक्षकों ने संशोधित प्रणाली पर प्रथम आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित किया।

उपर्युक्त के अलावा, आईएमएस सेल सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

- वर्ष **2018-19** के लिए अर्द्ध-वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा।
- प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा अर्ध-वार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा, अगले अप्रैल 2019 में निर्धारित की जा रही है।

- एमसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, क्षेत्र /इकाई के प्रमुखों और नोडल अधिकारी को अद्यतन 200 आईएमएस मैनुअल वितरित किए गए है।
- आईएमएस **11.3** का वार्षिक उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य योजना और उपलब्धियां; वर्ष **2018-19** के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
- **360 *** आईएमएस के कार्यान्वयन पर प्रतिपुष्टि;माइनर्स डे और सीआईएल स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाइयों का सम्मानित करना।
- एमसीएल के कर्मचारियों के लिए मस्तिष्क प्रेरक सह-प्रेरणात्मक सत्र।

अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकृत प्रक्रियाओं की सर्वोतम कला को आईएसओ मानकों के रूप में कार्यान्वित करते हुए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु एमसीएल मुख्यालय में आईएमएस सेल कार्यान्वित है :

- कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समान प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।
- विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जो कि अन्यथा असंबंधित और असंगत हो सकते हैं।
- एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तररदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति को शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।
- नियमित कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।
- सभी इच्छुक पार्टियों में आत्मविश्वास पैदा करना।
- कोयले का खनन एवं आपूर्ति करना जो कि लगातार उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।
- सतत सुधार प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण।
- सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।
- कुछ छोटी अवधि की उपलब्धियों के स्थान पर स्थायी एवं सतत सुधार पर जोर देना।

<u>भविष्य की कार्य योजना : वर्ष 2019-20</u>

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में, एमसीएल पूर्ण रूप में आईएसओ 50001: 2011 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को मान्यता देने के लिए आवेदन करने जा रहा है - जो संगठन में सभी ऊर्जा इनपुट की युक्तिसंगत खपत के प्रबंधन में मदद करेगा।

   मौजूदा मानकों के साथ आईएसओ 50001 के एकीकरण की प्रक्रिया सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा की जा रही है और इसे अद्यतन प्रबंधन नियमावली में दर्शाया जाता है।

   प्रमाणन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया हेतु तथा कुछ उपयुक्त और व्यावहारिक प्रक्रिया का पता लगाने के लिए सीएमडीआईएल, रांची के परामर्श से एमसीएल मुख्यालय में एक समिति गठित की गई है।

2. एमसीएल ओएचएसएएस 18001: 2007 को आईएसओ 45000 में अपग्रेड करने की भी योजना बना रहा है और इसके लिए आईएसओ के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

35. <u>पुरस्कार और मान्यता</u>

1. **6** सितंबर'**2018** को नई दिल्ली के होटल अशोक में एमसीएल को " कुल उत्पादकता के लिए एमजीएमआई के उत्कृष्टता प्रदर्शन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2. एमसीएल को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थागत कार्य की श्रेणी में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्य सतर्कता आयोग का **"**सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार **-2018"** प्राप्त हुआ। एमसीएल के श्री मुनव्वर खुर्शीद, मुख्य सतर्कता अधिकारी (एमसीएल) और श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त),एमसीएल को **31** अक्टूबर **2018** को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री राम नाथ कोविंद के कर कमलों से पुरस्कार प्रदान किया गया।
3. एमसीएल को क्षेत्रों में सीएसआर खर्च की विविधता की श्रेणी में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव**-2018** के तहत ओडिशा सीएसआर अवार्ड**- 2018** पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री एल.एन. मिश्रा,पूर्व निदेशक (कार्मिक) को **15** नवंबर को भुवनेश्वर में ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया।
4. **11** मई को भुवनेश्वर के होटल स्वस्ति प्रीमियम में एमसीएल को **18** वें वार्षिक जियोमिनीटेक सम्मेलन के दौरान **"**निगमित प्रबंधन अभिनव उत्कृष्टता पुरस्कार**"** से सम्मानित किया गया।
5. श्री ए. के. झा, सीएमडी, एमसीएल को **11** मई को होटल स्वस्ति प्रीमियम, भुवनेश्वर में **18** वें वार्षिक जियोमिनीटेक सम्मेलन के दौरान **"**बेस्ट अचीवर अवार्ड**"** से सम्मानित किया गया।
6. एमसीएल की पहली महिला श्रीमती /डॉ. निशा ठाकुर ने **11** मई को होटल स्वस्ति प्रीमियम, भुवनेश्वर में **18** वें वार्षिक जियोमीनेटेक सम्मेलन के दौरान जागृति महिला मंडल की ओर से **"**सर्वश्रेष्ठ सामाजिक दायित्व प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार**"** प्राप्त किया।.

7. **24** दिसंबर **2018** नई दिल्ली में श्री ए.के. झा को “आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता” सम्मेलन के दौरान, भारत अंतर्राष्ट्रीय मैत्री समाज द्वारा “भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी उत्कृष्टता पुरस्कार” से सम्मानित किया गया।
8. एमसीएल को **16** फरवरी को जयपुर में आयोजित **13** वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में भारतीय जनसंपर्क परिषद (पीआरसीआई) से जनसम्पर्क में उत्कृष्टता के लिए **4** राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।.
9. एमसीएल को नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की **29** वीं वार्षिक बैठक में मिनीरत्न श्रेणी के तहत "सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।यह पुरस्कार मणिपुर की माननीय राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला द्वारा श्रीमती कोमला वल्ली जावेद, अध्यक्षा, विप्स एमसीएल को प्रदान किया गया था।
10. डॉ. ए.आई.जे. टीरु, पूर्व. सीएमएस,एमसीएल को नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की **29** वीं वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ महिला कार्यकारी पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त हु आ।
11. एमसीएल को बड़े उद्यम के लिए प्लेटिनम श्रेणी में "सीएसआर में संबाद कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक द्वारा प्रदान किया गया ।
12. **8** दिसंबर **2018** को देहरादून में आयोजित **40** वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एमसीएल को **2** पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार **2018**, से सम्मानित किया गया ।
13. श्री एल.एन. मिश्रा,पूर्व निदेशक (कार्मिक),एमसीएल को जियोमीनेटेक द्वारा "बेस्ट कॉर्पोरेट लीडरशिप एचआर प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

36. लेखा परीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को सांविधिक/ शाखा लेखा परीक्षकों के रुप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षक	शाखा लेखापरीक्षक
सिंह राय मिश्रा एंड क	मेसर्स एसआरबी असोसियट्स
चार्टर अकाउंटेंट	पांचवा तल्ला, आईडीसीओ टावर,
भवनेश्वर	जनपथ , भुवनेश्वर ओड़िशा -751022

36.2 **लागत लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमवाली 2014 के साथ पढ़ा जाए, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबंधित लागत लेखा परीक्षा का रिकॉर्ड रखती है, जिसका लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आप के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर **i)** मेसर्स चन्द्र वाधवा एण्ड कंपनी 204, कृष्णा हाउस **4805/24**, भारत राम रोड दरियागंज, नई दिल्ली को कंपनी मुख्यालय एवं इसके ईकाइयों ईब कोयलांचल के क्षेत्रों और बसुंधरा तथा सीडबल्यूएस (ईब-वैली) क्षेत्र के लिए वितीय वर्ष 2017-18 के कुल लेखा परीक्षा फीस रु **2,78,910.00** तथा ज़ेब खर्च रु **1,39,455.00** (अधिकतर) लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए मुख्य लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया तथा **ii** मेसर्स एसधल एंड कं, लागत लेखापाल प्लॉट -400/4897 ग्राम बारामुंडा, भुवनेश्वर, ओड़िशा को वर्ष 20**1**8-1**9** के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर कनिहा क्षेत्र तथा सीडबल्यूएस(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स के क्षेत्रों के लेखा परीक्षा लागत रिकॉर्ड पर कुल लेखा परीक्षा फीस रु **1,84,570.00** तथा ज़ेब खर्च रु **92,285.00** तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर पर नियुक्त किया गया है।

36.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक**:

कंपनी लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्त और प्रबंधन कार्मिक के परिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स मोहापात्रा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों, भुवनेश्वर, ओड़िशा को वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट को अनुलग्नक II में संलग्न किया गया है। आगे कंपनी ने निदेशक मण्डल (एसएस-4) के रिपोर्ट पर सचिवीय मानक के प्रावधान के अनुपालन की दिशा में कदम उठाया है। एसएस-4 के अनुपालन पर एक रिपोर्ट को अनुलग्नक -III के रूप में रखा गया है।

37. सावधि जमा -

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित रूप में, लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

38. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) (यूएस) के तहत सूचनाओं का विवरण –

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी विनिमय के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-IV में दी गई है।

39. निदेशक मण्डल

39.1 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक बने रहे –

1. श्री ए.के. झा	-	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	6. आर. के. सिन्हा	-	निदेशक
2. श्री जे.पी. सिंह	-	निदेशक (तक./संचालन)	7. श्री एस.एन. प्रसाद	-	निदेशक
3. श्री एल.एन. मिश्रा	-	निदेशक (कार्मिक)	8. डॉ. राजीव मल्ल	-	निदेशक
4. श्री ओ.पी.सिंह	-	निदेशक (तक./यो.एवं परि.)	9. श्री एच. एस. पति	-	निदेशक
5. श्री के आर वासुदेवन	-	निदेशक (वित्त)	10. श्रीमती सीमा शर्मा	-	निदेशक

39.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक नियुक्त हु एः

1. श्री आर.आऱ मिश्रा **-** सीएमडी (25.09.2018 से प्रभावी)

एमओसी, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र का अवलोकन करते हु ए निदेशक राज़ीब मल्ल और श्री एच. एस. पति, जो एमसीएल के बोर्ड में दिनांक 17.11.2015 से 16.11.2018 में शामिल थे**,** को स्वतंत्र निदेशकों/गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में एक साल की अवधि के लिए दिनांक 17.11.2018 से प्रभावी रूप में या आगे के आदेशों आने तक **,** इनमें से जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्त किया गया। तदनुसार**,** कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 149(10) के अनुपालन में उनकी पुनर्नियुक्ति को अनुसमर्थन /अनुमोदन के लिए कंपनी के सामान्य आम सभा के समक्ष रखा जा रहा है।

39.3 निम्न व्यक्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक पद से मुक्त हु एः

1. श्री ए.के. झा**-** सीएमडी (24.09.2018 तक)
2. श्री जे.पी. सिंह **-** निदेशक (तक.**/**संचालन) (28.02.2019 तक)
3. श्री एल.एन. मिश्रा **-** निदेशक (कार्मिक) (31.12.2018 तक)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण -

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(सी) के अनुसार निम्न विवरण प्रस्तुत है -

क) मार्च 31**, 201**9 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही एवं स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार आधार के (कंसर्न गोईंग) है। किया प्रस्तुत पर्तिवेदन पर

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभारी रूप से संचालित है।

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं वह पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

41. निगमित शासन : इस रिपोर्ट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक- **V** में संलग्न है।

42. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-**VI** में संलग्न है।

43. भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी :

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-**VII** में संलग्न है ।

44. लेखा परीक्षा समिति:

निम्नलिखित सदस्यों के साथ दिनांक **07.03.2019** को आयोजित एमसीएल की **213** वीं बोर्ड बैठक की समिति का पुनर्गठन किया गया है:

1.	श्री राजीव मल्ल	-	अध्यक्ष
2.	सरकारी नामांकित निदेशक	-	सदस्य
3.	श्री एस. एन. प्रसाद, डी(एम), सीआईएल	-	सदस्य
4.	श्री एचएस.. पति	-	सदस्य
5.	श्रीमती सीमा शर्मा	-	सदस्य
6.	श्री ओ.पी.सिंह,निदेशक (तक.)	-	सदस्य
7.	श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त)/ सीएफओ	-	आमंत्रित

44.1 **कार्यक्षेत्र**

पुनर्गठित समिति के प्रावधान के तहत कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **177** में काम का दायरा और अधिकार निहित है, इसे कंपनी (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियमावली, **2014** के साथ में पढ़ा जा सकता है।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल के वित्तीय और अन्य डेटा / जानकारी को प्राप्त किया जाता है।समिति द्वारा किए गए अवलोकन की सूचना एमसीएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करती है।समिति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रायः मिल सकती है लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार मिलने की उम्मीद की जाती है।

45. लागत रिकॉर्ड :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी केवल एक उत्पाद, अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवरहेड सहित मदवार लागत के ब्योरों के साथ रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है। इसका नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्टों से मिलन किया जाता है।

46. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन

लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारी उद्योग एवं लोक उद्योग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हस्तक्षरित समझौता ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा- परीक्षा की है। इसका कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समझौता-ज्ञापन रेटिंग “सर्वोत्तम” रहा है।

47. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा: कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/ 2011तहत के एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

48. आभार

48.1 आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहु मूल्यसहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहु मूल्यसहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

48.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

48.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

48.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

48.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहनेवाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है।

49. <u>कार्यसूची</u>

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचनाएं।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति तथा प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों के परिश्रमिक), नियमावली 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) तहत निदेशकों की रिपोर्ट में अनुपूरक।
4. लेखा परीक्षकों द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। पर
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ।

ह/-

(बी. एन. शुक्ला)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: **05131449)**

संबलपुर
तिथि: 08.07.2019

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(बी. एन. शुक्ला)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: **05131449)**

संबलपुर
तिथि: 08.07.2019

अनुलग्नक-I

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (0) और कंपनी नियमावली, 2014 के (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम 9 के खंड के अनुपालन में]

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

I. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने वाले परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

एमसीएल की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

उद्देश्य:

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सतत विकास के लिए सीएसआर को प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश देना है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों की गतिविधियों में सरकार की भूमिका को बढ़ाना है।

एमसीएल कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों को अपनाने के लिए, एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र :

सीसीआर के क्षेत्र में समय समय पर संशोधन के साथ एमसीएल कंपनी अधिनियम 2013 की सातवी अनुसूची का पालन करता ।है

सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल के संबंध में, सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए, बजट राशि का 80% परियोजना / साइट / खानों / क्षेत्र मुख्यालय / कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना चाहिए और बजट का 20% खर्च ओड़िशा के बाकी हिस्सों में किया जाएगा।

एमसीएल (मुख्यालय) के संबंध में, सीएसआर को विस्तृत रूप से परिचालित जिलों सहित पूरे ओड़िशा में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

राशि का आवंटन:

तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय लाभ के लिए सीएसआर का फंड कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई है।

एमसीएल की पूर्ण सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक :http://www.mahanadicoal.in/About/csrpolicy.php

II. सीएसआर समिति का गठन

एमसीएल में तीन प्रकार की सीएसआर समितियां हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. क्षेत्र स्तर की सीएसआर समिति :

• क्षेत्रीय मुख्य मु.म.प्र./म.प्र.	अध्यक्ष
• क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक	सदस्य
• क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी	सदस्य
• स्टाफ ऑफिसर (सिविल)	सदस्य
• क्षेत्रीय वित्तीय प्रबन्धक	सदस्य
• क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
• स्टाफ ऑफिसर (ई एंड एम)	सदस्य
• स्टाफ ऑफिसर (एल एवं आर)	सदस्य

2. मुख्यालय स्तर की सीएसआर समिति:

• निदेशक(कार्मिक),एमसीएल	अध्यक्ष
• महाप्रबंधक (सीएसआर),एमसीएल	सदस्य
• महाप्रबंधक (सिविल),एमसीएल	सदस्य
• महाप्रबंधक (वित्त),एमसीएल	सदस्य
• महाप्रबंधक (पर्यावरण),एमसीएल	सदस्य
• महाप्रबंधक (एल एंड आर),एमसीएल	सदस्य
• महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ. सं.),एमसीएल	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा प्रमुख, एमसीएल	सदस्य

3. एमसीएल बोर्ड की उप समिति सीएसआर और एसडी बोर्ड स्तर पर एक समिति है। सदस्य नीचे दिए गए हैं:

• श्री एच.एस. पति (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
• डॉ राजीव मल्ल(स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
• श्रीमती सीमा शर्मा(स्वतंत्र निदेशक)	सदस्य
• श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य
• निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
• निदेशक(वित्त/कार्मिक)	सदस्य

III) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ बजट गणना

सीएसआर के लिए कर से पहले 3 साल के मुनाफे की गणना (2018-19 के लिए)	
वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2015-2016	6260.43
2016-2017	6853.32
2017-2018	7339.66
कुल	20453.41
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले लाभ)	6817.80
औसतन लाभ का 2%	**136.36**

IV) निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले लाभ) का दो प्रतिशत 136.36 करोड़ रुपये है।

V) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण।

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि 136.36 करोड़ रुपये है।

ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;

पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा के बाद से अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक खर्च बजट की राशि से अधिक है) (122.85 करोड़ रुपए – 267.52 करोड़ रूपये)

इस वर्ष में अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक व्यय बजट की राशि से अधिक है) [(136.36 करोड़ रुपये + 0 रुपये) – 167.16 करोड़ रुपये}

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है

निर्धारित प्रारूप में गतिविधियों की सूची संलग्नक -1 के रूप में अनुलग्नक की गई है।

VI) अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में असफल होती है, तो वह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण प्रस्तुत करेगी ।

लागू नहीं।

VII) सीएसआर समिति का एक जवाबदेही कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है-

कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित सीएसआर समिति का एक जवाबदेही विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में अलग से संलग्न है।

<u>**अनुलग्नक-1**</u>

							आंकड़े (लाख में)
सं	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्दिष्ट की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना शामिल किए जाने वाले क्षेत्र	परियोजनाओं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले निर्दिष्ट करे जहां परियोजेन या कार्यक्रम किए गए थे	परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों उप-प्रमुख (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेडस पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2018 तक संचयी व्यय	व्यय राशि : या प्रत्यक्ष कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से
1	भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, स्वास्थ्य निवारक देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुन्दरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, बोलांगीर, ढेंकानाल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, कालाहंडी, नयागढ़, रायगड़ा, सोनपुर, कंधमाल,बरगढड, कटक	27583.18	**5401.22**	**21713.49**	मसीएल, एनपीसीसी , सीपीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार
2	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के कौशल, विशेषकर बच्चों, महिलाएं, बुजुर्गों और विकलांगो के शिक्षण को बढ़ावा तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ाना ।	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर और बरगड़,	53849.77	**6941.82**	**39873.97**	एमसीएल और एनबीसीसी और राज्य सरकार
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, नुआपाड़ा	31.56	**14.83**	**30.28**	एमसीएल और राज्य सरकार
4	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषिसंसाधन-, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	संबलपुर, अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़,खुर्दा	898.07	**623.11**	**745.61**	एमसीएल और राज्य सरकार

5	ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्थलो और कलात्मक कार्य के पुनर्स्थापना सहित राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति का संरक्षण; पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास एवं उन्नयन	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, संबलपुर, खुर्दा और कटक	616.21	**245.78**	**504.82**	एमसीएल और राज्य सरकार
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध के कारण हुई विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों के लिए उपाय			0.00	**0.00**	**0.00**	
7	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़,और जाजपुर	2638.06	**757.02**	**1596.01**	एमसीएल तथा राज्य सरकार
8	प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक- और आर्थिक विकास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी भी अन्य कोष को योगदान			0.00	**0.00**	**0.00**	
9	शैक्षिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया अंशदान या निधि जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है।			0.00	**0.00**	**0.00**	
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	ओड़िशा के सभी खनन जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	10130.81	**2732.41**	**4588.98**	एमसीएल तथा राज्य सरकार
11	गंदी बस्ती क्षेत्र विकास			0.00	**0.00**	**0.00**	
	कुल			95747.66	**16716.20**	**69053.16**	

अनुलग्नक--2

<u>प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

ह/-	ह/-
महाप्रबंधक (सीएसआर), एमसीएल	निदेशक (कार्मिक), एमसीएल

ह/-

अध्यक्ष, सीएसआर तथा एसडी समिति

(डीआईएन: 05283445)

अनुलग्नक -II

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

समाप्त वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम सं .9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कर्मियों) नियमावली, 2014 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्य,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

हमने **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड** (जिसे बाद कंपनी कहा गया) पर लागू वैधानिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धति के अनुपालन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि कॉर्पोरेट संहिता/ वैधानिक अनुपालन उस पर हमारी राय के मूल्यांकन का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी भी, सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के समय इसके अधिकारी, एजेंट, और प्राधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन के आधार पर हम अपने मतानुसार रिपोर्ट देते है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा कंपनी के पास रिपोर्टिंग के संबंध में उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा विस्तृत अनुपालन-तंत्र है ।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड का निम्न प्रावधान के अंतर्गत परीक्षण किया है:

i. कंपनियों अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) और इसके तहत बनाए गए नियमावली।
ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियमावली **(लागू नहीं)**
iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए विनियम और उप-कानून (लागू नहीं)
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी के विस्तार के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियम।**(लागू नहीं)**
v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:-
   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवेर्स); **(लागू नहीं)**
   ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिषेध) विनियम, 1992; **(लागू नहीं)**
   ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे); **(लागू नहीं)**

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2008 (मुद्दा और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग); **(लागू नहीं)**

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1993 को के बारे में (मुद्दा और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार); **(लागू नहीं)**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 **(लागू नहीं)** और

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूति की पुनर्खरीद); **(लागू नहीं)**

vi. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

vii. विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को समय समय पर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित प्रमाणपत्रों और रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर औद्योगिक विशेष कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया और अनुपालनों को सत्यापित किया जा रहा है।

क. खान अधिनियम, 1952

ख. खान रियायत नियमावली, 1960

ग. खान बचाव नियमावली, 1985

घ. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ङ. खान (एब्सट्रैक्ट की पोस्टिंग) नियमावली, 1954

च. खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957

छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985

ज. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

झ. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 2008

ञ. कोयला खान विनियम, 1957

ट. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974

ठ. कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ड. कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948

ढ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

ण. जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974

त. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

थ. मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1956

द. अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1959

ध. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963

न. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000

ऩ. कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

प. भारतीय खान ब्यूरो (इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियमावली, 1990

हमने निम्न लागू खंड के अनुपालन की जांच की है:

i. भारत के कंपनी सचिव की संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा किसी स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार (लागू नहीं)

हम और वित्तीय कानूनों के अनुपालन, वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनकी सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा की जा रही हैं।

अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट निरीक्षणों और योग्यता के संबंध में समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, नियमों, विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, सचिवीय मानक, आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

बोर्ड का गठन:

कंपनी के निदेशक मंडल को अनुलग्नक-बी में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण और योग्यता के अधीन विधिवत गठित किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे तथा बोर्ड को सूचना का खुलासा पर्याप्त था और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

बैठक का आयोजन:

बोर्ड बैठकें, एजेंडा को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा पर जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड और कमेटी बैठक में बहुमत निर्णय लिए जाते है और विधिवत दर्ज किए जाते हैं।

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन:

कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

इक्विटी शेयर की वापसी क्रय:

ऑडिट अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने **28** जनवरी, **2019** को अपनी बैठक में धारा **68, 69** और **70** और अन्य सभी लागू प्रावधान का अनुपालन किया, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी द्वारा 442967 शेयरों तक की इक्विटी शेयरों के वापसी क्रय को मंजूरी दे दी है जो रू.8014.13 प्रति शेयर इक्विटी (वापसी क्रय मूल्य) रु 1000 की पूर्ण भुगतान की गई इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक कंपनी के कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी का 6.27% का प्रतिनिधित्व करती है जो कुल राशि रू. 354,99,95,124.00 के लिए नकद में देय है। कंपनी के नवीनतम अर्धवार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय खातों के अनुसार पूरी तरह से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूँजी और निर्बाध आरक्षित निधि का 6.32% है। 28.01.2019 (रिकॉर्ड तिथि) के अनुसार इक्विटी शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों को निविदा प्रस्ताव के माध्यम से आनुपातिक आधार पर 30 सितंबर, 2018 को समाप्त हुए आधे वर्ष के लिए और वापसी क्रय में हुये खर्च और होने वाले कोई भी खर्च शामिल नहीं है।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

भारत सरकार के अवर सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 21/27/2018-BA-Part (1) दिनांक 24.09.2018 के अनुसार श्री आर.आर. मिश्रा, सीएमडी, डब्ल्यूसीएल को दिनांक 24.09.2018 से और अगले आदेशों तक या उस पद के लिए नियमित रूप से नियुक्त होने तक जो भी पहले हो, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तदनुसार,श्री

मिश्रा ने 25.09.2018 को सीएमडी, एमसीएल का कार्यभार संभाला। श्री मिश्रा की नियुक्ति को एमसीएल बोर्ड ने 5 अक्टूबर 2018 को आयोजित 204 वीं बैठक में नोट किया गया।

निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में उन्हें सीएमडी, एमसीएल पद पर नियुक्त किया है।

<u>गैर-सरकारी अंश-कालिक निदेशक की पुनर्नियुक्ति</u> :

श्री एस भट्टाचार्य, भारत सरकार के अवर सचिव के पत्र क्रमांक **21/33/2018-BA(V)** दिनांक **17.11.2018** में श्री राजीब मल्ल और श्री हिमांशु शेखर पति की दिनांक **17.11.2018** से अगले **1** वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुनः नियुक्ति को राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना प्राप्त हुई। 2**9** नवंबर, **2018** को आयोजित **208** वीं बैठक में एमसीएल बोर्ड द्वारा इसे नोट किया गया।

स्थान:भुवनेश्वर
तिथि: 14.05.2019

देब महापात्र एंड कंपनी,
कंपनी सचिव
हस्ताक्षर
अंचल अगरवाल , साझेदार,
एफसीएस सं. 9393 सी पी संख्या: 10548

नोट: यह रिपोर्ट हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाएँ जिसे **अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख** के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक - क'

सेवा में,
सदस्य,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है :

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही है। हम मानते हैं कि पद्धति और प्रक्रियाएं जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खातों की पुस्तकों तथा वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। परीक्षण के आधार पर हमारे सत्यापन का परीक्षण सीमित था।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न ही कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता के लिए और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के मामलों का आयोजन किया गया है, के रूप में एक आश्वासन है।

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक :

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस देबदत्त महापात्र साझेदार,
एफ़सीएस सं. 5474, सीपी सं.: 4583

'अनुलग्नक 'ख'

सचिवीय लेखा परीक्षक और प्रबंधन के जवाब का अवलोकन

क्र.	निरीक्षण	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खण्ड VIII के प्रावधान के तहत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।	5 जुलाई, 2017 को एमसीए ने अधिसूचना के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के प्रावधान से छूट दी गई है।
2.	क्या कंपनी ने CPSE, दिनांक 14.05.2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का और बोर्ड और समिति में निदेशक मण्डल के इष्टतम संयोजन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 पालन किया था	एमसीएल बोर्ड के गठन में 4 स्वतंत्र निदेशक है। उनमें से 3 कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गये हैं। शेष 01 निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय के पास लंबित है। एक बार जब वे नियुक्त किए जाते हैं तो समिति के रूप में अच्छी तरह से कंपनी नियम और डीपीई दिशा निर्देशों के प्रावधानों को पूरा करेंगे।

अनुलग्नक-III

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन पर सचिवीय मानक के अनुपालन पर प्रतिवेदन

घोषणा

1. **कंपनी की विशेष जानकारी**

1.1 वित्तीय सारांश और विशेषताएँ: मुख्य प्रतिवेदन में शामिल

1.2 **वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियां**

क. **कंपनी के मामलों की स्थिति:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल

ख. **व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन**

वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के तहत कोई भी नया व्यापार उद्यम शुरू नहीं किया गया था। हालाँकि, वर्ष के दौरान,नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल), एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी और ओपीटीसीएल को धारा 248 के तहत दिनांक 28.06.2018 को आरओसी, कटक द्वारा कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया था।

ग. **वर्ष के अंत तक और रिपोर्ट की तारीख तक हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धता, यदि कोई हो :** स्वतंत्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल।

1.3 वित्तीय विवरण के संशोधन या रिपोर्ट का विवरण: वित्तीय विवरण या कंपनी की रिपोर्ट पिछले तीन वित्तीय वर्षों में संशोधित नहीं की गई है।

2. **सामान्य जानकारी : मुख्य रिपोर्ट में शामिल**

3. **पूंजी एवं ऋण संरचना**

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित सहित कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन :

क. अधिकृत, जारी, सब्सक्राइब की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी में परिवर्तन : पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटि शेयर 442967 के बाइबैक के कारण, कंपनी के जारी की गई, सब्सक्राइब की गई एवं प्रदत्त इक्विटि पूंजी 7061330 से घटाकर 6618363 कर दिया गया है।

ख. अधिकृत शेयर पूंजी का पुनर्विकास या उप-विभाजन: शून्य

ग. शेयर पूंजी में कटौती या शेयरों का बायबैक: कंपनी ने 8014.13 प्रति शेयर इक्विटी का प्रतिनिधित्व करते हुए 1000 रुपए प्रत्येक के 442967 इक्विटी शेयर वापसी खरीद की है।

3.1 शेयर या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम : शून्य

3.2 विशेष अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना: शून्य

3.3 पारिश्रमिक इक्विटी शेयर जारी करना :शून्य

3.4 कर्मचारी स्टॉक विकल्प का विवरण: शून्य

3.5 कर्मचारी हितलाभ के लिए ट्रस्ट में रखे गए शेयर जहां कर्मचारियों द्वारा सीधे मतदान के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है: शून्य

3.6 ऋणपत्र, बॉन्ड या किसी भी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करना :शून्य

3.7 वारंट जारी करना: शून्य

4. प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग: कंपनी को वित्तीय वर्ष में किसी भी क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता नहीं थी।

5. **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ़):** चूंकि लावारिस / अवैतनिक लाभांश की कोई राशि नहीं थी और ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी जिसके लिए ईआईएफ़को राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता है, कोई राशि ईआईएफ़ को हस्तांतरित नहीं की गई थी।

6. प्रबंधन

6.1 निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

6.2 स्वतंत्र निर्देशक: एक सरकार कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त / पुनः नियुक्त किया जाता है।

6.3 **स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और आचार संहिता के अनुपालन का विवरण:**

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यक घोषणा प्राप्त की गई है और उन्होंने अधिनियम की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है।

6.4 **बोर्ड बैठकें:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

6.5 **समितियां:** बोर्ड समितियों का विवरण मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

6.6 **लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशें:** ऐसा कोई मामला नहीं था जहां बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को अस्वीकार किया हो।

6.7 **निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति:** एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक आदि पर नीति रखने का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

6.8 **बोर्ड मूल्यांकन:** एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, बोर्ड मूल्यांकन का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

6.9 **सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक:** लागू नहीं।

6.10 **नियंत्रक या अनुषंगी कंपनी से प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक:** शून्य

6.11 **निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

6.12 **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

6.13 **लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी:** वर्ष में लेखा परीक्षक (सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक) द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

7. **अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित घोषणा:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

7.1 **अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उपक्रमों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट**

अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उद्यमों वाली कंपनियों के मामले में, रिपोर्ट में प्रत्येक अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के कार्य निष्पादन और कंपनी के समग्र प्रदर्शन में उनके योगदान को उजागर करने वाला एक अलग खंड शामिल होगा।

7.2 वे कंपनियां जो अनुषंगी, सहायक संयुक्त उद्यम बन गई हैं या बंद हो गई हैं।

वर्ष के दौरान, रिपोर्ट के तहत कोई भी नया व्यापार उद्यम शुरू नहीं किया गया था। हालाँकि, वर्ष के दौरान, नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल), एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी और ओपीटीसीएल को धारा 248 के तहत दिनांक 28.06.2018 को आरओसी, कटक द्वारा कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया था।

8 **जमा विवरण:** कंपनी ने वर्ष के दौरान जमा स्वीकार नहीं किया है।

9 **ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण।**

कंपनी ने वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उपरोक्त विवरणों की घोषणा की है।

10 **ठेकेदारों का विवरण या संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्था :** शून्य

11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): मुख्य रिपोर्ट में शामिल

12 **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

13 **जोखिम प्रबंधन:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

14 **सतर्कता-तंत्र के स्थापना का विवरण:** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

15 **न्यायिक निकाय /विनियामक के भौतिक आदेश**:

किसी भी विनियामक, कोर्ट, न्यायाधिकरण, सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण, जो कंपनी की आगामी प्रसंग की स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करता हैः शून्य .

16 **लेखा परीक्षक**: मुख्य रिपोर्ट में शामिल.

17 **सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट: अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न ।**

18 **लेखा परीक्षकों के पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण :** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

19 **सचिविक मानकों का अनुपालन**

कंपनी ने लागू सचिवीय मानक अर्थात एसएस -1 और एसएस -2 के अनुपालन का उचित ध्यान रखा है। आगे, कंपनी ने निदेशक मंडल (SS-4) की रिपोर्ट पर सचिवीय मानकों के अनुपालन के लिए भी कदम उठाए हैं, जो कंपनी द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई है। एसएस -4 के तहत आवश्यक सभी प्रासंगिक और प्रयोज्य जानकारियां दी गई हैं।

20 दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016(आईबीसी), के तहत शुरू की गई कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी संकल्प प्रक्रिया

कंपनी ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी संकल्प प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। अतः आईबीसी के तहत वित्तीय या परिचालन लेनदार द्वारा कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी संकल्प प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को कोई आवेदन नहीं किया गया है.

21 किसी कॉर्पोरेट कार्रवाई को लागू करने में चूक: शून्य

22 वार्षिक रिटर्न: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

23 अन्य प्रकटीकरण

23.1 कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अतिरिक्त समेकित वित्तीय विवरण को भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

23.2 शेयरधारक से संबंध, ग्राहक संबंध, पर्यावरण, सतत विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुख्य पहल: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

23.3 वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने में विलंब, यदि कोई हो, तो विलंब का कारण: लागू नहीं

23.4 कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का विवरण: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

24 सूचीबद्ध विनियमन के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण

24.1 **व्यतिक्रम या भिन्नता का विवरण**: लागू नहीं।

24.2 **प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):** मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

24.3 **कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र**: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

24.4 **व्यापार का स्थगन** : लागू नहीं है।

25 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 **से संबंधित प्रकटीकरण**: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक - IV

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी को ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय, आय एवं व्यय से संबंधित कंपनी नियमावली,1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का उल्लेख) के साथ पढ़ा जाए।

1. ऊर्जा का संरक्षण

1(क). अपनाए गए विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य आकर्षण नीचे तुलनात्मक कथन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं:

i. वर्ष 2018-19 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए) वर्ष 2017-18 के 2.12 किलोवाट/ टन की तुलना में 2.16 किलोवाट /टन अर्थात 1.88% अधिक है।

ii. 2018-19 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. हटकर) वर्ष 2017-18 के 1.35 किलोवाट / क्यूबिक मीटर की तुलना में 1.44 है जो 6.66% अधिक है।

iii. पी.एफ. बनाए रखने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान उपरोक्त 0.97 पीएफ़ के अनुरक्षण के लिए 100.02 लाख रुपए के पावर फैक्टर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

iv. वर्ष 2018-19 के दौरान सभी आपूर्ति केंद्र के मासिक बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था के लिए हर महीने के चौथे तारीख को 178.01 लाख रुपए की छूट वेसको/सीईएसयू से उपलब्ध कराई गई थी।

1.(ख) विशेष पहल

i) 2 एमडबल्यूपी सोलर प्लांट दिनांक 13/10/2014 को 75% के औसत पीआर अनुपात के साथ सफलतापूर्वक चालू किया गया है। आज तक प्लांट ने 73,25,938 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम किया है।

ii) .एमसीएल में पहले चरण में सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की संस्थापना के लिए 66 सेवा भवनों की पहचान की गई है। जिसमें 16 भवनों की पहचान की गई है जो नोडल अधिकारी (सौर), सीआईएल के निर्देशानुसार 2.5 मेगावाट सौर क्षमता को समायोजित कर सकते हैं। 1.21 एमडबल्यूपी क्षमता वाली एमसीएल जनित ऊर्जा को कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रकाशित सीआईएल के केंद्रीकृत निविदा में शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। निविदा दिनांक 11/04/2019 को खोली जाएगी।

Iii चिन्हित स्थान नीचे सारणीबद्ध हैं।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	स्थान / भवन	क्षमता (केडबल्यूपी)
1	ईब वैली क्षेत्र	महाप्रबंधक कार्यालय	65
2		केंद्रीय अस्पताल	335
3	ओरिएंट क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	85
4	लखनपुर क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	45
5		बेलपहाड़ परियोजना अधिकारी कार्यालय	55
6		त्रिवेणी गेस्ट हाउस	25
7	बसुंधरा क्षेत्र	महाप्रबंधक कार्यालय	40
8		मेघदुत सामुदायिक केंद्र	30

9	तालचेर क्षेत्र	सीडब्ल्यूएस तालचेर (3 भवन + 5 शेड)	230
10		डीएव्हीं स्कूल	20
11	जगन्नाथ क्षेत्र	डीएव्हीं स्कूल	155
12	लिंगराज क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	50
13		अस्पताल	5
14		लिंगराज परियोजना अधिकारी कार्यालय	20
15	हिंगुला क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	35
16		बलरामपुर परियोजना अधिकारी कार्यालय	15

IV) छेंदीपड़ा, भरतपुर क्षेत्र के लिए 30 सौर स्ट्रीट लाइट, बसुंधरा क्षेत्र के 48 बेडेड एमटी हॉस्टल के लिए 02 सौर जल तापन प्रणाली और भुवनेश्वरी ओसीपी के ट्रांज़िट हाउस के लिए 02 सोलर वॉटर हीटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और उसी की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

1.(ग) <u>ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में संभावित / संभव कमी के लिए उठाए गए कदम</u>

i. 0.97 से ऊपर पावर फैक्टर का रख-रखाव: 2018-19 के दौरान 0.97 से अधिक पावर फैक्टर बनाए रखने के लिए 100.02 लाख रुपये का पावर फैक्टर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

ii. पावर फैक्टर में सुधार के लिए नॉर्थ क्वारी सब-स्टेशन, भरतपुर क्षेत्र के लिए 3.3 केवी के 4 नाग , 450 केवीएआर कैपेसीटर बैंक की खरीद

iii. सब-स्टेशन से खानों तक चलने वाली 3.3KV ओवरहेड लाइनों को ईब वैली क्षेत्र में बिजली नुकसान कम करने व सर्किट दूरी को कम करने के लिए फिर से व्यवस्थित किया गया है ।

iv. लिंगराज क्षेत्र के उप-स्टेशनों में पॉवर फैक्टर को बेहत करने के लिए संधारित्र बैंकों 11 केवी 2x 900 केवीएआर और 3.3 केवी 3x450 केवीएआर की स्थापना की गई है।

v. तालचेर कोलफील्ड के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए नंदिरा सब-स्टेशन का 60 एमव्हीए से 120एमव्हीए तक का विस्तार पूरा हो गया है।

vi. केवल उच्च स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर की खरीद, एयर कंडीशनर के फिल्टर की नियमित सफाई, एयर कंडीशनर के उपयोग न होने पर उसे बंद रखना आदि। खरीदी जा रही सभी नई विंडो और स्प्लिट एयर-कंडीशनर फाइव स्टार रेटिंग के हैं. 2018-19 में खरीदे गए 5 स्टार रेटेड एसी का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	एयर कंडीशनर के प्रकार	मात्रा (सं.)
1	1.5 टन स्प्लिट एसी, 5 स्टार	463
2	1.5 टन विंडोस एसी, 5 स्टार	134
3	2 टन स्प्लिट एसी, 5 स्टार	154

vii. 5 स्टार रेटेड सीलिंग पंखें की खरीद। एमसीएल ने वर्ष 2018-19 में 5 स्टार रेटेड 4521 सीलिंग पंखें खरीदे हैं।

viii. ऊर्जा बचत एलईडी प्रकाश फिटिंग के साथ सीएफएल और एचपीएसव्ही प्रकाश फिटिंग का रूपांतरण।एमसीएल ने वर्ष 2018-19 में 2191 एलईडी स्ट्रीट / फ्लड लाइट और 4388 एलईडी ट्यूब लाइट / बल्ब खरीदे हैं ।

ix. 13,908 नग 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के 20 वाट एलईडी लैंप के साथ प्रतिस्थापन के लिए खरीद एमसीएल बोर्ड की अनुमोदन के प्रक्रियाधीन हैं। इन लैंपों को वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिस्थापित किये जाने की उम्मीद है।

x. मैसर्स ईईएसएल से कम वाट क्षमता वाले एलईडी लैंप के साथ 7,044 संख्या में उच्च वाट क्षमता वाली पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के प्रतिस्थापन के लिए खरीद एमसीएल बोर्ड की अनुमोदन के प्रक्रियाधिन है। वर्ष 2019-20 के दौरान इन स्ट्रीट लाइटों को प्रतिस्थापित किये जाने की उम्मीद है।

xi. एमसीएल के अधिकारियों के क्वार्टरों में ऊर्जा मीटरों की स्थापना प्रक्रियाधीन है और यह वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी तरह से संस्थापित होने की उम्मीद है।

xii. सिंगल पॉइंट ट्रांसफॉर्मर से मल्टी पॉइंट पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर तक टाउनशिप पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पुनर्गठन।.

xiii. कम स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग को कम करने तथा जितना संभव हो सके टॉड (दिन का समय) प्रोत्साहन उपलब्ध करने के लिए पंपिंग जैसे नियमित लोड को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

xiv. औद्योगिक पम्पों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, कदम उठाए गए हैं, जैसे रखरखाव की प्रभावशीलता और बोर-छेद के माध्यम से पोंटुन,डिलिवरी और केबल्स का उपयोग आदि।

xv. पंखो के लिए पारंपरिक चोक और रेग्युलेटर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर का उपयोग।

xvi. ढीली कनेक्शन से बचने और फ़्यूज़ के उचित आकार का उपयोग करना।.

xvii. उचित केबल के आकार के साथ न्यूनतम केबल घाटे अर्थात रेटेड क्षमता का सुनिश्चित करना।

xviii. ट्रांसफार्मर क्षमता का इष्टतम उपयोग जिससे ट्रांसफार्मर घाटे को कम किया जा सकता है।

xix. पावर कैपेसिटर का उपयोग करके ऊर्जा के करीब करीब 0.97 का अनुरक्षण किया गया है, ताकि ऊर्जा क्षति को कम किया जा सके।

xx. ओवरहेड कंडक्टर के उचित आकार का उपयोग करके न्यूनतम संचरण हानि सुनिश्चित की गई है।

xxi. ऊर्जा के नुकसान को कम करने के लिए स्टेज पम्पिंग / इंटरमीडिएट पम्पिंग को कम कर दिया गया है और पंपों में बिजली के मोटर्स के उचित क्षमता को सुनिश्चित करना।

xxii. ऊर्जा अपव्यय को रोकने के लिए प्रकाश फिटिंग के साथ स्वचालित टाइमर स्विच संस्थापित किए गए हैं।

xxiii. थ्रोटलिंग से बचने के लिए पंपों के डिजाइन के अनुसार स्क्सन और वितरण लाइनों के उचित आकार का उपयोग।

xxiv. पाइपलाइनों में कोई रिसाव न हो, को सुनिश्चित करना जिससे पंपिंग दक्षता में सुधार हो।

xxv. बीयरिंग आदि की उचित स्थिति सुनिश्चित करना। .

xxvi. पीक घंटे के दौरान गैर-उत्पादक लोड को नियंत्रित कर अर्थात् यदि आवश्यक हो तो लोड-शेडिंग का सहारा लेकर सटीक निगरानी के लिए अनुबंध की मांग के करीब अधिकतम मांग को समाविष्ट किया जाता है। कम से कम मांग के दोहरे लाभ के लिए विद्युत कारक को बढ़ाने के लिए उपयुक्त विनिर्देशन के कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

2. क. ईंधन और स्नेहक:

ईंधन और स्नेहक के उपभोग में कमी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क) इंजन, प्रसारण और हाइड्रोलिक संचालित प्रणालियों की आवधिक मरम्मत की जा रही है।

ख) सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों में विशेष डीजल खपत की नियमित नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ग) उपकरणों के हाइड्रोलिक तेल के रिसाव को कम करने के लिए होज़ों और उनके मार्ग की आवधिक जांच की जा रही है।

घ) टायर्स में हवा के दबाव की नियमित रूप से उचित जांच की जाती है।

ङ) सेल्फ स्टार्टर्स, अल्टर्नेटर्स और बैटरियों की नियमित जांच।

च) उपकरणों की खराबी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छ) बेहतर नियंत्रण और डीजल की खपत के लिए एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के फिटमेंट और स्थापना की शुरुआत की जा रही है।

2. ख. ऊर्जा उपभोग के लिए उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामस्वरूप प्रभाव

विवरण	2018-19	2017-18	पिछले वर्ष से % परिवर्तन
विद्युत ऊर्जा			
(I) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए), किलोवाट/टन में	2.16	2.12	(1.88)(ए)
(ii) बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (यानि कोयला+ओबी रिमुवल), किलोवाट/क्यूबिक मीटर में	1.44	1.35	(6.66)(ए)
ईंधन और स्नेहक			
(i) एचएसडी की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में।	0.192	0.193	(-0.52)(एफ)
(ii) स्नेहक की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में।.	0.009	0.009	0.00
(iii) एचएसडी की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/टन में	0.289	0.303	(-4.62)(एफ)
(iv) स्नेहक की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/क्यूबिक में।	0.013	0.014	(-7.14) (एफ)
v) पीओएल की विशिष्ट लागत, रु./टन	22.09	20.07	(10.06) (ए)

एफ - अनुकूल ए – प्रतिकूल

2. ग) विदेशी विनिमय का आय और व्यय

i) निर्यात से संबंधित गतिविधिया : कंपनी निर्यात गतिविधियों में नहीं लगी हुई है।

निर्यात बढाने के लिए की गई पहल,
उत्पादों के निर्यात गतिविधियों सेवाओं और
निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास

II)विदेशी विनिमय उपयोग और अर्जन।

(रु. करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
क) विदेशी विनिमय का उपयोग		
I) आयात के सीआईएफ मूल्य		
क)घटक, भंडार, स्पेयर पार्टस	0.03	0.10
ख) पूंजीगत वस्तुएं	1.93	28.37
II)यात्रा	0.09	0.36
III) ब्याज	0.07	0.09
IV) अन्य	--	--
ख) विदेशी विनिमय का आय	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-V

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यों

मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**(इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन के शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो लोक उद्यम विभाग,भारत सरकार के कॉरपोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई है।

कॉर्पोरेट शासन के शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन तक हमारी जांच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण व प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शायें गए **'अनुलग्नक-1'** में उल्लेखित निरीक्षण के आधार पर डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के तहत् दिये गए कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुनः कहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों को देखने वाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है।

कृते राघव गर्ग एंड एसोसियेट्स
(कंपनी सचिव)

स्थान-संबलपुर
दिनांक-20.05.2019

हस्ता/-
सी.एस. राघव गर्ग, ए.सी.एस.
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-51644, सी.पी. संख्या-18834

अनुलग्नक-1

क लेखा परीक्षा समिति की संचरना:-

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ष 2018-19 के दौरान स्वतंत्र निदेशक का 01 पद लंबे समय से खाली पड़ा हैं एवं भारत सरकार भी अब तक इस खाली पद को भर नहीं कर पायी है। ऐसा लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध मेँ डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप हुआ है। वैसे लेखा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बार 01 से अधिक स्वतंत्र निदेशकों शामिल किए जाने के बाद कंपनी के लेखा परीक्षा समिति के सभी 04 स्वतंत्र निदेशकों को इसके सदस्य के रूप में माना जाएगा तथा इनमे से एक को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। यह डीपीई दिशानिर्देश के प्रावधान का अनुपालन करेगा।

कृते राघव गर्ग एंड एसोसियेट्स
(कंपनी सचिव)

स्थान-संबलपुर
दिनांक-20.05.2019

हस्ता/-
सी.एस. राघव गर्ग, ए.सी.एस.
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-51644, **सी.पी. संख्या-**18834

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के संगठनात्मक प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है, जिससे पारदर्शिता, वृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कॉर्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा-निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया है।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं। एमसीएल के संबंध में इन सभी आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल:

कार्यकारी, नामित एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के 08 (आठ) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल दिनांक 31.03.2019 को गठित किया गया:-

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत, 03 (तीन) कार्यकारी निदेशक।

ख) 03 (तीन) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नामांकित) ।

ग) 02 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक (नामांकित)

इसके अलावा मुख्य प्रचालन प्रबंधक, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया गया है। .

वर्ष 2018-19 के दिनांक 24.05.2018, 06.08.2018,05.10.2018, 23.10.2018, 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 18.12.2018, 20.12.2018, 28.01.2019, 16.02.2019, तथा 07.03.2019 को निदेशकों की उपस्थिति में 80 % औसत से अधिक उपस्थिति में 12 बार बैठकें की गई।

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर	उप स्थित पिछले एजीएम	अन्य समिति में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उप स्थित				
श्री राजीव रंजन मिश्रा	कार्यकारी	10	10	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	शून्य	01
श्री ए.के.झा	कार्यकारी	02	02	शून्य	हां	शून्य	01
श्री जे.पी .सिंह, निदेशक (तक./संचा)	कार्यकारी	11	11	शून्य	नहीं	01	05
श्री ओ पी सिंह, निदेशक (संचा/यो.एवं परि.)	कार्यकारी	12	12	(i) एमजेएसजे कोल लिमिटेड (ii) एमएनएच शक्ति लिमिटेड (iii) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (iv) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	नहीं	01	05
श्री एल.एन .मिश्रा, निदेशक(कार्मिक)	कार्यकारी	09	09	शून्य	नहीं	*शून्य*	05
श्री एस.एन.प्रसाद निदेशक	**सरकारी नॉमिनी**	12	06	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि (iii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (iv) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हां	01	02
डॉ राजीव. मल्ल निदेशक	स्वतंत्र	12	12	शून्य	नहीं	01	02
श्री एच.एस. पति, निदेशक	स्वतंत्र	12	12	शून्य	नहीं	01	02
श्री आर.के. सिन्हा, निदेशक	सरकार नामिती	12	10	कोल इंडिया लिमिटेड	नहीं	01	01
श्रीमती सीमा. शर्मा, निदेशक	कार्यकारी	12	12	शून्य	नहीं	01	02
श्री के.आर .वासुदेवन	कार्यकारी	12	12	(i) एमजेएसजे कोल लिमिटेड (ii) एमएनएच शक्ति लिमिटेड (iii) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (iv) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	नहीं	*शून्य*	04

छमाही और वार्षिक लेखों, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि जैसे प्रशासन के निश्चित विषय बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) पूर्णकालिक निदेशक

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार संबंध, यदि कोई है	वर्ष **2018-19** के लिए पारिश्रमिक पारिश्रमिक पैकेज अर्थात वेतन, कार्य निष्पत्ति से जुड़े प्रोत्साहन योजना, पीएफ योगदान, पेंशन आदि (रु.) के सभी अवयव
श्री राजीव रंजन मिश्रा	शून्य	*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	शून्य (वेतन डब्ल्यूसीएल द्वारा भुगतान किया जाता है)
श्री ए.के.झा	शून्य	*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	26,78,859.35
श्री जे.पी .सिंह,	शून्य	पूर्व निदेशक (तकनीकी / संचालन)	53,97,156.14
श्री एल.एन .मिश्रा	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	39,75,390.64
श्री ओ पी सिंह,	शून्य	निदेशक (तकनीकी /परि एवं यो.)	55,41,952.77
श्री के.आर .वासुदेवन	शून्य	निदेशक (वित्त)	28,23,427.08

ख) अधिकारिक अंशकालिक निदेशक:
कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है।

ग) गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक
बोर्ड/समिति की बैठकों शुल्क को छोड़कर कोई पारिश्रमिक भुगतान गैर-अधिकारी अंशकालिक निदेशकों को नहीं किया जाता है।

घ) सेवा करार, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्क:
कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति *03* महीने की नोटिस पर या उसके बदले *03* महीने के वेतन के भुगतान पर दोनों तरह समाप्त कर दी जा सकती है।

बोर्ड की समितियां:

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि उचित स्वशासन और निर्धारित कार्यक्षेत्र व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए कुशल मशीनरी हो सकती है। समिति में नियमित अंतराल पर बैठके होती है और जितनी जल्दी हो सके यह मुद्दों को संबोधित करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित एजेंडे और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के साथ समयबद्ध रूप से आयोजित की जाती हैं।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल की वित्तीय और अन्य डेटा/जानकारी है। समिति द्वारा किए गए निरीक्षण से एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति जितनी बार वांछित बैठके बुला सकती है, लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की आशा की जाती है।

कार्य क्षेत्र

कंपनियों (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) **नियमवाली, 2014** के साथ पठित, कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **177** के प्रावधान के अनुसार **,** लेखा परीक्षा समिति के पास निहित कार्य और प्राधिकारी का प्रावधान है ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की ग्याहरवीं बैठके जो कि दिनांक 24.05.2018, 05.08.2018, 17.09.2018, 30.10.2018, 18.12.2018, 28.01.2019, 07.03.2019 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ आर मल्ल	अध्यक्ष	7	7
2.	श्री आर.के. सिन्हा,	सदस्य	7	3
3.	श्री एस.एन प्रसाद	सदस्य	7	4
4.	श्री एच.एस. पति,	सदस्य	7	7
5.	श्रीमती एस. शर्मा,	सदस्य	7	7
6.	श्री जे.पी .सिंह,	सदस्य	6	4

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सी.एफ.ओ.,आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त,लेखा,लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखा परीक्षा समिति के अतिरिक्त, कंपनी की रणनीति और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उत्साह से पालन करने हेतु और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की आवश्यकता के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के दौरान 134 व 135 वीं बोर्ड की मीटिंग में निम्नलिखित उप-समितियां गठित की गई हैं।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन,निरूपण और सिफारिश करना।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की तीन बैठकें दिनांक-24.06.2018 को हुई जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित थेः-

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए.के. झा	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	1	1
3.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	1	1
5.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	1	1
6.	श्री के.आर. वासुदेवन	सदस्य	1	1

iii) सीएसआर तथा सतत विकास उप समिति (सी.एस.आर. एंड एस.डी.) :

कार्य-क्षेत्र:

डीपीई के प्रावधानों तथा एमसीएल बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत पुनर्निर्मित समिति के साथ निहित कार्यक्षेत्र और प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और बैठक विवरण:

वर्ष के दौरान 27.06.2018, 05.10.2018, 20.12.2018,11.02.2019 तथा 16.02.2019 को सीएसआरएसडी उप-समिति की चार बैठके हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एच.एस. पति	अध्यक्ष	5	5
2.	श्री एस.एन प्रसाद	सदस्य	1	0
3.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	5	4
4.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	3	3
5.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	1	1
6	डॉ. राजीव मल्ल	सदस्य	5	5
7.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	5	5
8.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	5	5

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र:

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

दिनांक-09.02.2016 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया तथा वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति:

कार्य क्षेत्र:

समिति के साथ निहित काम और प्राधिकरण का क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार सरकार को दी गई छूट के अनुसार होगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छुट दी जाएगी।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

वर्ष के दौरान दिनांक 05.08.2018 और 23.10.2018 को नामांकन और पारिश्रमिक उप-समिति की दो बार बैठक हुई सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एस.एन प्रसाद	अध्यक्ष	2	1
2	डॉ. राजीव मल्ल	अध्यक्ष	2	2
3.	श्री एच.एस. पति	सदस्य	2	2
4.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	2	2
5.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	2	2

vi) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर. एंड आर. नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 16 बैठकें दिनांक 23.05.2018, 29.06.2018, 14.08.2018, 24.10.2018, 06.11.2018, 21.11.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 09.01.2019, 08.02.2019, 16.02.2019, 25.02.2019, 13.03.2019, 18.03.2019, 23.03.2019, तथा 26.03.2019 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री आर.आर.मिश्रा	अध्यक्ष	13	13
2.	श्री ए.के.झा	अध्यक्ष	03	03
2	श्री जे.पी.सिंह	सदस्य	12	09
3	श्री ओ.पी.सिंह	सदस्य	16	16
4	श्री एल.एन.मिश्रा	सदस्य	07	07
5	श्री के .आर .वासुदेवन	सदस्य	16	16

सांविधिक लेखापरीक्षक-

कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक /शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया

वैधानिक लेखा परीक्षक
सिंह राय मिश्रा एंड कं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एस.आर.बी. एसोसिएट्स
5 वीं मंजिल, आई.डी.सी.ओ. टावर्स,
जनपथ, भुवनेश्वर,
ओड़िशा-751022

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक रु.	टिप्पणियां
वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	रु. 40,43,235/- (रु. 25,88,170/- प्रमुख लेखा परीक्षा के लिए और रु.. 14,55,065/- शाखा लेखा परीक्षा के लिए)	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय कर लागू होगा। (प्रिंसिपल ऑडिटर के ऑडिट फीस में एमसीएल, इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ के खातों के समेकन की समीक्षा के लिए शुल्क शामिल है,)
कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन	रु.. 30,000.00	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय कर लागू होगा।

शेयरधारकों की सामान्य बैठक:

पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक सामान्य बैठकें:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2016-17	11.07.2016	4.00 अपराह्न	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	शून्य
2017-18	21.07.2017	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक
2018-19	27.07.2018	10.00 पूर्वाह्न	कोयला भवन, परिसर नंबर -4 मार्च, प्लॉट नं- एएफ-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टॉउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	*शून्य*

असाधारण सामान्य बैठक:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2016-17	12.03.2017	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	*एक*
2017-18	21.03.2018	10.30 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	*एक*
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति :

दिनांक 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में कंपनी के निर्देशक मण्डल ने निर्देशकों एवं वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है जिसे एमसीएल के वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट:

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षक ने एमसीएल में प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी लेखा परीक्षकों ने यह राय दी है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण) संचालन नियंत्रणों सहित (को निर्धारित किया है और इस तरह के नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है। आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सुचारु रूप से चल सके। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है। कंपनी के अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(3)(एन) का आवश्यकता अनुसार पालन करने हेतु प्रावधान किया गया है जिसके तहत समिति का पुनर्गठन एमसीएल बोर्ड जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) द्वारा दिनांक 09.02.2016 को किया गया था महाप्रबंधक (एस एंड आर) एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी(**सीआरओ**) के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया गया था। एमसीएल के एक प्रतिनिधि आरएमसी समन्वय तथा जोखिम प्रबंधन से संबन्धित मामलो का अनुपालन करेंगे।

व्हीसल ब्लोवर नीति *:*

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड एजी सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा हेतु खुले हैं। सी.आई.एल. की नीति के अनुसार ही बनाई गई है और उसका अनुपालन किया जाता है।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा योग्यताएं*:*

कंपनी का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीएल के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कार्यकारी निदेशकगण उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ व्यवसाय मॉडल के बारे में जागरूक है। अंशकालिक निदेशकों को कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी जानकारी है। यद्यपि कॉर्पोरेट प्रशासन से बेहतर परिचित होने के उद्देश्य से, शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण भी किया जाना है।

डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन

आपकी कंपनी ने ओएम नंबर डीपीई/14 (38)/10-वित्त दिनांक 28.06.2011 के अनुसार डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सी.ई.ओ. द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए कॉर्पोरेट शासन में 97.65% का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक-VI

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

A. उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, टिकाऊ और भरोसेमंद स्रोत है। वैश्विक रूप से, वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग 1950 से मुख्यतः पर्यावरण संबंधी चिंता और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता के कारण नीचे जा रहा है। हालांकि, भारत में परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। देश में कोयले के प्रचुर भंडार और आसानी से उपलब्धता के कारण कोयले की बिजली उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयला का हैं। दिनांक 01.04.2018 के अनुसार राष्ट्रीय कोयला इन्वेंटरी में 68 अलग-अलग कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई तक 319.020 अरब टन (बी.टी.) में कोयले के स्रोतों का विवरण देता है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बीटन.)	भारत का %
1	झारखंड	12	83.152	26.06%
2	ओड़िशा	2	79.295	24.86%
3	छत्तीसगढ	13	57.206	17.93%
4	पश्चिम बंगाल	4	31.667	9.93%
5	मध्यप्रदेश	8	27.987	8.77%
6	तेलंगाना	1	21.702	6.80%
7	महाराष्ट्र	5	12.299	3.86%
8	उत्तर पूर्वी राज्य	20	1.703	0.53%
9	आन्ध्र प्रदेश	1	1.581	0.50%
10	उत्तर प्रदेश	1	1.062	0.33%
11	बिहार	1	1.367	0.43%
कुल		68	319.020	100

झारखंड के बाद कोयले के आरक्षित भंडार में ओड़िशा भारत में दूसरे स्थान पर है। 01 अप्रैल, 2018 को ओड़िशा में कोयले का कुल भंडार 79.295 बिलियन टन है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.86% है। ओड़िशा के दो कोलफील्ड्स अर्थात् तालचेर और ईबवैली कोलफील्डस-, एमसीएल के अपने अधिकार क्षेत्र में हैं, तालचेर सबसे बड़ा कोलफील्डस (51.220 बिलियन टन) और ईब-वैली (28.074 बिलियन टन) भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोलफील्ड्स है। रिजर्व कोयले के 79.295बिलियन टन में से मापा गया रिजर्व कोयला 37.391 बीटी (47.15%)है।

ओड़ीशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल तापीय ग्रेड नॉन –कुकिंग कोल का भंडार है, जिनके पास सबसे अनुकूल क्वेरेबल संभावना है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के मौजूदा और प्रस्तावित तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयला ऑफ टेक और प्रेषण:

वर्ष 2019-20 के लिए एमसीएल ने 160.00 एमटी के लिए ऑफ-टेक कार्यक्रम योजना बनाई गई है।

XI योजना, XII योजना, 2017-18, 2018-19 तथा के लिए एमसीएल का क्षेत्रवार वास्तविक कोल ऑफ टेक और 2019-20 का अनुमान (आंकड़े मि.टन में)

	XI योजना					XII योजना							
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 (बीई)
विद्युत	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	91.173	98.550	99.274	102.527	116.670
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.24	0.257	0.186	0.221	0.264
उर्वरक	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.004	0.00	0.052	0.053	0.00
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	48.797	44.204	38.750	39.505	43.066
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.342	123.001	140.214	143.011	138.262	142.306	160.000

वर्ष 2017-18,2018-19 के XIवीं और XIIवीं योजना के लिए विधि-वार वास्तविक कोयला परिचालन तथा वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान

(आंकड़े मि.टन में)

	XI योजना					XII योजना							
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 (बीई)
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	81.260	89.079	90.776	89.442	87.38	101.50
सड़क	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	34.515	38.210	34.816	42.78	43.50
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	15.231	12.611	12.588	10.57	13.00
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.389	1.410	1.416	1.57	2.00
संपूर्ण	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	123.001	140.214	143.007	138.262	142.306	160.00

कोयला उपलब्धता:

एमसीएल में 2008-09 से 2018-19 प्रक्षेपण में वास्तविक कोयला उत्पादन और 2019-20 में मौजूदा खानों, पूर्ण परियोजना, एवं कार्यरत परियोजना से उत्पादन नीचे दी गई है।

(आंकड़े मि.टन में)

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 (बीई)
मौजूदा खदान	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	1.127	0.981	0.8936	0.91	0.764	0.79
पूर्ण परियोजना	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.906	76.220	77.5699	68.817	59.381	56.71
कार्यरत एवं नई परियोजना	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	49.346	60.70	60.7549	73.331	84.006	102.50
कुल	96.34	104.08	100.28	103.118	107.895	110.440	121.379	137.901	139.2084	143.058	144.151	160.00

उत्पादकता:

एमसीएल में ओ.सी.पी. से कोयला उत्पादन तथा ओ.बी. निष्कासन अनुबंध के माध्यम और विभागीय माध्यम से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओ.बी.आर. को बाह्य स्रोतो से भी निकाला जाता है। एमसीएल मे ओएमएस की स्थिति निम्नानुसार हैः-

	2008-09 वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** वास्तविक	**2015-16** वास्तविक	**2016-17** वास्तविक	**2017-18** वास्तविक	**2018-19** वास्तविक	**2019-20** (बीई)
यूजी	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.77	0.67	0.65	0.74	0.82	0.83
ओसी	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	22.11	24.24	25.72	31.52	28.75	29.21
संपूर्ण	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	17.10	18.88	20.08	24.22	23.83	24.49

<u>स्वाट विश्लेषण</u>

शक्ति:

- सीआईएल की सहायक कंपनियों में दूसरी सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन,उत्पादकता और राजस्व के मामले में विकास की मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य प्रणाली- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की मजबूत क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।

कमजोरी:

- भूमिगत खानों को हानि पर चलाना।
- कोयले की निकासी काफी हद तक बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है और निकासी बढ़ते हुए कोयला अंचल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में कम ग्रेड के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की भारी संभावना।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- एक स्वस्थ विपणन रणनीति तैयार करने के लिए और उपभोक्ताओं,रेलवे और वाहक के साथ दीर्घकालिक समझौता तैयार करने के लिए।
- वाशरी की स्थापना के लिए
- सत्ता में विविधीकरण
- तरल (तेल) के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले के लिए संयुक्त उपक्रम।.

चुनौती:

- कोयला खुली खदान खनन के लिए उत्तरदायी अधिक भूमि की आवश्यकता।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान खनन में आशंका।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- उपभोक्ताओं का बहुमत कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात उपभोक्ताओं को रेल भाड़ा में वृद्धि उच्च भूमि लागत।
- तटीय आधारित टीपीपीएस के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के लिए विकल्प हैं
- कैप्टिव खनन - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

क. **कार्य निष्पादन :**

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

ख. आउटलुक

सदस्यों को पता है कि वर्तमान में एमसीएल में 73.78 मिलियन टन क्षमता (बंद खानों की क्षमता सहित) की 37 पूर्ण परियोजना है जिसमें से XI योजना अवधि के दौरान 1.60 मिलियन टन क्षमता की 02 परियोजना बंद हो चुकी है। कार्यान्वयन के अंतर्गत 156.83 मिलियन टन क्षमता की 16 चालू परियोजनाएं (मार्च, 2019 के अनुसार) हैं। 2018-19 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से उत्पादन 84.006 मिलियन टन है।

ईब-वैली कोलफील्ड के बसुंधरा क्षेत्र (गोपालपुर पथ के रूप में जाना जाता है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन वहाँ केवल थोड़ा-थोड़ा कोयला निकासी व्यवस्था है। आपकी कंपनी ने कोयले के परिवहन को बढ़ाने हेतु योजना बनाई और बसुंधरा क्षेत्र से झारसुगुडा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है।

इसी तरह तालचेर कोलफील्ड में कलिंगा अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है। एक बार यह खंड पूरा हो गया है तो वहाँ अंगुल साइड से खाली रेल की एक दिशात्मक आंदोलन होगा तथा तालचेर साइड से लोडेड रेक खाली की जाएगी। इस दोहरे रेक आंदोलन से तालचेर कोयला क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि होगी।

ग. जोखिम और चिंता:

खनन स्थल विशिष्ट होता है और इसके स्थान को बदला नहीं जा सकता। निम्न जोखिम और चिंताएं इसमें शामिल है :

- वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- रोजगार कानून और व्यवस्था मे निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग, खनन और कोयला परिवहन के संचालन में बाधा डालने की बार-बार समस्या।
- एच.ई.एम.एम. और अन्य विद्युत एवं यान्त्रिकी समान की खरीद मे देरी।

घ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनके पर्याप्तता:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ङ) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चाएँ:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

च) अनेक कार्यरत् लोगों को शामिल कर मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।.

छ) पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ज) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक -VI

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टेंडर्लोन वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27.05.2019 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 27.06.2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यरत कागजातों के आकलन के बिना और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है। संशोधन के मद्देनजर 12.64 करोड़ रुपये के प्रावधान राशि को वापस लिखने और दंड राशि का भुगतान न करने के लिए अन्य मामलों के तहत मद (ई) में रु 50.97 करोड़ और साथ हो साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक -1 के मद (vii) (a) अनुपूरुक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित हमारी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरुप हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से

हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 05.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लेखा पर अधिनियम धारा 129(4) पढ़ी जाए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए**,** अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27.05.2019 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 27.06.2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टेंडर्लोन वित्तीय विवरण की एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड**,** एमजेएसजे कोल लिमिटेड**,** एमएनएच शक्ति लिमिटेड और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण की एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यरत कागजातों के आकलन के बिना और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है।

अनुपूरुक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित लेखा परीक्षा के परिणामस्वरुप “अन्य मामले” के तहत मद (क) उल्लेखित रूप में मद (ई) को शामिल स्वतंत्र लेखा परीक्षा किए गए संशोधन में, हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है। जिसके आधार पर उस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 05.07.2019

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ-हानिलेखा (अन्य समेकित आय सहित),नकद प्रवाह विविरण तथा वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन**,** महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकके वित्तीय विवरणों" का संदर्भ) शामिल हैं। इस वित्तीय विवरणी में छः खनन क्षेत्रों एवं तालचेर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कर्मशाला,तालचेर क्षेत्र, अंगुल जिले में स्थापित से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित आंकड़े शामिल हैं।

31 मार्च, 2019 तक कंपनी के मामलों की स्थिति एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार हमारी राय और जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और इसके अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), उस वर्ष के लिए इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन समाप्त हो गया है।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है।. हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतके सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं।, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडअलोनभारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी के निदेशक मण्डल, इस स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") 2013 की धारा 134(5) के तहत नियमों को पढ़े, मे उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार मामलों (वित्तीय स्थिति) की सही एवं स्पष्ट जानकारी, लाभ-हानि (अन्य समेकित आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन),नगदीप्रवाह, कंपनी के एक्विटी शेयर मे परिवर्तन की जानकारी देता है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति सेसंबंधित हो और सत्यवनिष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली गलत विवरण से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है, जो किसं स्था, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या यथार्थवादी नहीं है वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदारहैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप समग्र रूप से वित्तीय विवरण के भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारणहो, और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है।उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा।. गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले

क. तालचेर क्षेत्र के छह खदान क्षेत्रों एवं एक केंद्रीय कार्यशाला के वित्तीय विवरण / सूचना का लेखा-परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया (कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल हैं जो 31 मार्च 2019 तक वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी में कुल 15,996.25 करोड़ रुपये की संपत्ति तथा वर्ष की समाप्ति पर 9,787.32 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाती है) जिसकी रिपोर्ट हमारे लिए प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में, जो शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ख. यह सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अनुसूची के अनुसार वित्तीय विवरण प्रारूप) के तहत अनुसूची- III के तहत आवश्यकता के अनुसार एक अमूर्त संपत्ति के रूप में अपने खनन अधिकार का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में यह राय का है इसके लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कोई यार्डस्टिक माप नहीं है।

ग. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों जैसेचोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए स्थायी संपत्तियों, भंडार एवं पुर्जों और कोयले की स्टॉक की समाप्ति के लिए कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

हम निम्न बिन्दुयों पर विश्वास जताते हैं:

क. ओबीआर लागत के मानक एवं चालू अनुपात में समायोजिन सहित ओवर बर्डेन में अग्रिम स्ट्रिपिंग, प्रदर्शित कोयला, औसत/मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात में परिवर्तन आदि का प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

ख. खदान बंदी व्यय के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य से कंपनी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित तथा केंद्रीय खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा प्रस्तुत खदान बंद करने की योजना

ग. अचल संपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान करने के लिए प्रबंधन का मूल्यांकन/अनुमान, चाहे तकनीकी हो या अन्यथा प्रबंधन का मूल्यांकन /आंकलन।

अन्यवैधानिकऔरनियामकआवश्यकताओंपररिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार हमने "अनुलग्नक-1", निर्दिष्ट आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 का वक्तव्य प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों के ऐसे चेक के आधार पर, जिसे हमने उचित माना और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक-2 में हमें दी गई जानकारी और विवरण के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं,:

   क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है, जैसा कि पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

   ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा अभी तक उक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार आवश्यक लेखा की उचित पुस्तकें रखी गई हैं क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा की रिपोर्ट से प्रकट होती है।

   ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षा किए गए तालचेर क्षेत्र के छह खानों और केंद्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है।

   घ. ईस रिपोर्ट में तुलनपत्र, लाभ और हानि के विवरण,नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी विवरण के साथ भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ सहमति है(शाखा लेखा परीक्षक से प्राप्त लाभ)।

   ङ. हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो जारी किए गए संबंधित कंपनी नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं।

   च. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की नियमों के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, हमें सूचित किया जाता

है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान समूह के तहत कंपनियों पर लागू नहीं है।

छ. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक:3"** में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 तथा हमारी राय और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, नोट: 38 के संदर्भ संख्या 4 में कंपनी ने अपने वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की कल्पना नहीं की है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. चूंकि कंपनी के कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व धारा 205 सी) की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है अत: फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई

हस्ता/
(सीए असित कुमार मंडल)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052028

हस्ताक्षर का स्थान : कोलकाता
दिनांक: 27.06.2019

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-1

मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोनभारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणीमें कंपनी के सदस्यों के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों को संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) क. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरणों का समुचित रिकार्ड रखा है।
ख. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है। इन जाँचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।
ग. हमें दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर यह सप्ष्ट हुआ है कि कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्लीयर टाइटल लीज डीड है/यद्यपि कंपनी के कब्जे में आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि है। कंपनी ने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके पक्ष में भूमि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया है,जिसके लिए संप्रेषण कार्य निष्पादित किया जाना है।

(ii) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक (मार्गस्थ और/या आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है। वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टॉक के वास्तविक जाँच से उत्पन्न अंतर को लेखा की पुस्तक में दर्शाया गया।

(iii) हमें दी गई सूचना तथा सुपष्टीकरण के अनुसार एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि चालू लेखा बही सहित अल्प अवधि ब्याज का कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी तथा अनुषंगिक कंपनियों महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के साथ अनुरक्षित किया जाता है। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण दिया है, जिसे कोयला मंत्रालय की सहमति भी मिली है।

क. रिकार्ड की परीक्षा एवं उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह के दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्त कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

ख. कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी और अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू शेष खाते पर ब्याज की नियमित प्राप्ति की जाती है। चालू जमा के ब्याज दर पर एम.सी.एल. कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ब्याज दर जमा करती है तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां भी इस प्रकार के ब्याज जमा करने का कार्य करती है।

एनएलसीआईएल को दिए गए ऋणों के संबंध में, एनएलसीआईएल द्वारा मूलधन का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और एनएलसीआईएल कंपनी को ब्याज का नियमित भुगतान कर रहा है।

ग. महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल इंडिया लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है क्योंकि पुनः भुगतान अवधि निर्धारित नहीं है तथा वित्त वर्ष के दौरान एनएलसीआईएल को प्रदान किए गए ऋण करने के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

(iv) हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज, निवेश तथा गारंटी से संबंधित अधिनियम की धारा-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

vii) क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं, को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। निम्न को छोडकर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं।

अधिनयम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रु लाख में)	राशि से संबन्धित अवधि	बकाया तिथि	भुगतान की तिथि
एमएमडीआर अधिनियम	जुर्माना	5096.88	2015-16	04.07.2017	अभी तक भुगतान नहीं किया गया

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31मार्च 2019 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	**अधिनियम का नाम**	**बकाया की प्रकृति**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि से संबंधित अवधि**	**जहां से विवाद लंबित है**
1	आयकर अधिनियम	आयकर	155604.63	2016-17, 2015-16, 2011-12	सीआईटी (ए), संबलपुर
2	आयकर अधिनियम	आयकर	5542.09	2015-16	आईटीएटी, कटक
3	आयकर अधिनियम	आयकर	26714.82	97-98, 98-99, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11,11-12, 12-13, 13-14, 14-15	उच्च न्यायालय, ओड़िशा
4	आयकर अधिनियम	आयकर	32151.28	1999-00 to 2006-07, 2008-09 से 2014-15	डीसीआईटी/जेसीआईटी, सम्बलपुर
बसुंधरा					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	654.11	2011-2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	वित्त अधिनियम , 1994	सेवा कर	2.75	2009-2012	आयुक्त (अपील)
ओरिएंट					
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	17.78	2014-15	आयुक्त (अपील)
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	17.83	2013-14	आयुक्त (अपील)

ईब वैली					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	843.24	2011-12	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1,015.06	2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
3	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	793.79	2013-14	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1,145.92	2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	243.89	2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	1.5	2008-09	आयुक्त सीबीईसी
7	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	17.72	2010-11 से 2014-15	आयुक्त सीबीईसी
8	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	123.93	2005-06	आयुक्त विक्रय कर
9	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	683.12	2006-07	आयुक्त विक्रय कर
10	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	2.68	2009-11	आयुक्त विक्रय कर
11	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	86.3	2013-14	आयुक्त विक्रय कर
12	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	6,694.67	2015-16	आयुक्त विक्रय कर
लिंगराज					
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	7.59	2012-13, 2013-14	आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर
2	ओड़िशा वैट	सीएसटी	2.28	1998-99, 2004-05	एसीसीटी, कटक II रेंज
3	ओड़िशा वैट	सीएसटी	16.19	2000-01, 2001-02	आयुक्त कटक
4	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	52.06	1999-2000	सहा. आयुक्त, अंगुल
5	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	9.45	2003-04, 2004-05	उच्च न्यायालय, ओड़िशा
भरतपुर					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	101.49	अप्रैल 2011 से मार्च 2015	माननीय ओड़िशा का उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	133.64	अप्रैल 2011 से मार्च 2015	माननीय ओड़िशा का उच्च न्यायालय
3	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	9.41	01.06.07 से 31.03.12	सहा.आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवंसीमा शुल्क और सेवा कर, अंगुल
4	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	20.13	01.01.2005 से 15.03.2006	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	8108.93	अप्रैल 2006- फरवरी 2011	सीईएसटीएटी, कोलकाता
जगन्नाथ					
1.	सीएसटी अधिनियम 1957	बिक्री कर	5780.65	1993-2016	एसीसीटी अपील
2.	सीएसटी अधिनियम 1957	बिक्री कर	58.81	1985-1997	सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, कटक
3.	सीएसटी अधिनियम 1957	बिक्री कर	2000.17	1990-2015	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर

4.	ओईटी	प्रवेश कर	240.98	2004-14	सहायककमिश्नर, अपील
5.	ओएसटी	विक्रय कर	80.53	1983-2002	एसीसीटी/डीसीसीटी/ ट्रिब्यूनल
6.	ओवीएटी	बिक्री कर	541.48	2009-16	एसीसीटी (अपील)
7.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	212.67	01.03.2011 से 31.03.2015	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर
8.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	6870.11	2010-11 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राउरकेला
9.	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	50.74	2011-12 से 2013-14	कमिश्नर(अपील)
10.	स्वच्छ ऊर्जा उपकर अधिनियम और नियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	9,117.79	2010-11 से 2014-15	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राउरकेला
11.	सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	23.12	2013-14 से 2015-16	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद
लखनपुर					
1	स्वच्छ ऊर्जा उपकर, 2010	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	4976.00	2010-15	ओड़िशाउच्च न्यायालय, कटक
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क,1944	उत्पाद शुल्क	4608.90	2011-15	ओड़िशाउच्च न्यायालय, कटक
तालचेर					
1	बिक्री कर	Central Sales Tax U/R 12(5)	0.06	2000-01	अतिरिक्त आयुक्त, बिक्री कर, कटक
2	बिक्री कर	ओड़िशा बिक्री कर 12(4)	1.08	1998-99	वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक
3	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944	उत्पाद शुल्क	16.43	2013-14, 2014-15	सहायक आयुक्त, अंगुल
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944	उत्पाद शुल्क	70.34	मार्च 2011- फरवरी 2015	सीईएसटीएटी
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	6.20	2013-14, 2014-15	सहायक आयुक्त, अंगुल
हिंगुला					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	16162.62	2010-11 से 2014-15	उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	16589.66	2010-11से 2014-15	उच्च न्यायालय
3	ओड़िशा बिक्री कर	बिक्री कर	9.96	1993 से 2004	अतिरिक्त आयुक्त, अपील, कटक
4	ओड़िशा बिक्री कर	बिक्री कर	57.77	1993 से 1996	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
5	ओड़िशा प्रवेश कर	ओईटी	135.45	2003 से 2005	अतिरिक्त आयुक्त (अपील)
6	ओड़िशा प्रवेश कर	ओईटी	5.42	2004 से 2005	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
7	सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	23.52	2013-14 से 2015-16	सहायक आयुक्त /सीईएसटीएटी

उपरोक्त राशि में से रु. 31.77 करोड़ रुपये के बिक्री करअंडर प्रोटेस्टके रूप में जमा किया गया है, रु. 900.69 करोड़ रुपये आयकर के रूप में जमा किए गए हैं, रुपये की राशि। प्रोटेस्ट के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के खिलाफ 2.94 करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। विरोध के तहत सेवा कर के खिलाफ 2.98 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

(viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक या सरकार से किसी भी ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण जारी नहीं किया है।

(ix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा कोई राशि नहीं की है। तदानुसार आदेश का अनुच्छेद-3 (ix) लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार की धोखा संबंधी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि कोयले की आपूर्ति के लिए कुछ निजी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए संगठन के कुछ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कोलकाता बिक्री कार्यालय में खातों में हेरफेर करने का आरोप दायर किया गया था।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर प्रावधान की धारा-197 , अधिनियम की अनुसूची-V में पढ़ी जाये तथा उसके द्वारा आदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रिक का भुगतान/प्रदान किया है।

(xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदानुसारआदेश का अनुच्छेद-3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी एक राज्य नियंत्रक उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के साथ भारतीय लेखांकन मानक-24के अनुच्छेद-26 की तहत जरूरी प्रासंगिक विवरण को प्रस्तुत किया गया।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया। जैसा कि कंपनी आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नही किया, कंपनी अधिनियम,2013 धारा के आवश्यकता अनुसार जिस उद्देश्य 42 के लिए फंड बढ़ाया गया उसमें इस्तेमाल राशि के अनुपालन, जो लागू नहीं है ।

(xv) हमें दी गई सूचना एवं मानकीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड के जांच के आधार पर कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर कानूनी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया गया है। तड के आदेश का अनुच्छेद -3 (xv) लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45- आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए असित कुमार मंडल)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052028

हस्ताक्षर का स्थान : कोलकाता
दिनांक: 27.06.2019

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध- 2

वर्ष 2018-19 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 कीउप-धारा 143(5) के अनुसार दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों की रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	लेखा परीक्षक का जवाब
	भाग:क	
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है?यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	धारक कंपनी (एमसीएल) के उपयोग में कोलनेट (COALNET) नाम की एक आईटी प्रणाली है। जबकि वित्तीय लेनदेन "वित्त मॉड्यूल" में दर्ज किए जाते हैं, बिक्री लेनदेन "बिक्री मॉड्यूल" में दर्ज किए जाते हैं।दोनों मॉड्यूलों को प्रत्येक तिमाही में जर्नल एंट्री के माध्यम से मैन्युअल रूप से शुरू किए गए वित्त मॉड्यूल में बिक्री की रिकॉर्डिंग के बजाय वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत करने की आवश्यकता है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट पत्र/ बट्टे खाते में डालना /ऋण / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं है।
3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सड़कों और रेल ढांचे के कार्यों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। अब तक कुल 208.58 करोड़ रुपये का सीसीडीए अनुदान राशि प्राप्त किया गया है जिसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर संशोधित किया गया है और नोट -22 के तहत 194.68 करोड़ रुपए बकाया राशि का खुलासा विलंबित आय के रूप में किया गया है । जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

	भाग : ख	
1	क्या समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक माप किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।	एमसीएल के मामले में स्टॉक माप समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए किया गया है और भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं।वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुन: संरचना का कोई मामला नहीं था।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खातों को बनाए रखा गया है। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	एमसीएल,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खान-वार एस्क्रो खातों का रखरखाव कर रहा है।वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पश्चात खान बंदी गतिविधि के लिए रु. 1.90 करोड़ निकाला है।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए दंड का प्रभाव विधिवत माना गया है और इसका हिसाब दिया गया है?	उप निदेशक खान के कार्यालय ने स्वीकृत पर्यावरण मंजूरी सीमा से परे कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को सूचना जारी किया है।एमसीएल पर रु 10,289.83 करोड़ का दावा है। कंपनी ने इस तरह के दावों के खिलाफ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है और दावा आकस्मिक देनदारियों की सूची में दर्शाई गई है।अन्य सहायक कंपनियों के पास वर्ष के दौरान कोई खनन गतिविधि नहीं है।

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुबंध- 3

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के संयोजन में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षाहमारे द्वारा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा में बताए गए आंतरिक नोट के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार परआंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करनाकंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समयबद्ध प्रस्तुतीकरणशामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध मेंमत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत निर्दिष्ट एवंचार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया है कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमी से होने वाली जोखिम का आकलन करना,डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा से साक्ष्य प्राप्त किए हैं,वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षापर दी गई राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो

1. अभिलेखोंकेरखरखाव से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ
2. उचित आश्वासन प्रदान करेंकि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य की तैयारी की अनुमतिप्रदान करने के लिए आवश्यक लेनदेन रिकॉर्ड किए जा रहे हैंतथा कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;तथा
3. अनधिकृतअधिग्रहण, उपयोगव कंपनी की संपत्ति का निपटान जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभावपड़ सकता है, का समय पर पता लगाएँ एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की अभिसंधि या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों में गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है।साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए असित कुमार मंडल)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052028

हस्ताक्षर का स्थान : कोलकाता
दिनांक: 27.06.2019

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के (इसके बाद "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित)समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च**,** 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलनपत्र में,समेकित लाभ-हानि विवरण(अन्य समेकित आय सहित),समेकित नकद प्रवाह विविरण तथा वर्ष के लिए समेकित इक्विटीमें परिवर्तन**,**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश (इसके बाद वित्तीय विवरणों के अनुसार "समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप में संदर्भित") शामिल है।

हमारी राय, हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी सही अनुरूपता और भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा 31 मार्च, 2019 समाप्त वर्ष के लिए समूह की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), और समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उसके समेकित नकदी प्रवाह का विवरण निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है।. हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत और अन्य लेखा परीक्षा द्वारा दिए गए उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, अन्य मामले अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क) के नीचे दिए गए हैं जो वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त और उचित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

धारक कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवश्यकता के अनुसार इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित मामलों (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), समूह में इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह में समेकित परिवर्तन, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक सहित (भारतीय लेखांकन मानक के रूप में) संबंधित नियमों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करतें हैं,समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित

निदेशक मंडल समूह, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, के लिए जिम्मेदार हैं , जिसका उपयोग धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक की तैयारी के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो एक लाभकारी कारोबार वाला संस्थान है, संस्थान से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चलते संस्थान के आधार का उपयोग करना, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप समग्र रूप से वित्तीय विवरण के भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारणहो, और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है।उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा।. गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले:

क. हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर संबलपुर में एक ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 27.05.2019 (मूल रिपोर्ट) जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह ऑडिट रिपोर्ट मूल रिपोर्ट को बढ़ाती है, जिसे इस अनुच्छेद के आइटम नंबर (ई) में विस्तृत रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकन पर विचार करने के लिए संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी ऑडिट प्रक्रिया इस पैराग्राफ के आइटम नंबर (ई) के लिए किए गए संशोधन तक सीमित है।

ख. हमने चार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक 24302.52 लाख रुपये की कुल संपत्ति, 0.52 लाख रुपए का कुल राजस्व और वर्ष के समाप्ति पर 348.21 लाख रुपए के शुद्ध नकदी प्रवाह

को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है।समेकित वित्तीय विवरणों में समूह शेयर के हानि निवल राशि रुपये 4.41 लाख शामिल है। (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय वक्तव्यों में समेकित के रूप में) जो हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किए गए हैं।इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित है, और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग. यह सूचित किया जाता है कि समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अनुसूची के अनुसार वित्तीय विवरण प्रारूप) के तहत अनुसूची- III के तहत आवश्यकता के अनुसार एक अमूर्त संपत्ति के रूप में अपने खनन अधिकार का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में यह राय का है इसके लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कोई माप यार्डस्टिक नहीं है।

घ. समूह ने अचल संपत्ति, भंडार और पुर्जों और ऊर्जा के लिए कोयले के समापन स्टॉक जैसी अपनी परिसंपत्तियों पर बीमाकवरेज नहीं लिया है।

ङ. वर्ष के दौरान ग्राहकों को वापस किए जाने वाले कोयला पर उपकर के लिए ब्याज का प्रावधान करने के लिए रु 12.64 करोड़ की धुन पर वापस लिखा गया था। प्रतिधारित अर्जन के ओपनिंग बैलेंस के माध्यम से रूटिंग के बजाय यह लाभ और हानि के वर्ष के विवरण के माध्यम से पारित किया गया था।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के **"अनुबंध-क"** में कंपनी और लेखा परीक्षकों की 4 सहायक कंपनियों की रिपोर्ट की पुस्तकों और रिकॉर्डों के आधार पर हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण को हम अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं,:
   क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा है और प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है, जैसा कि पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।
   ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा अभी तक उक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार आवश्यक लेखा की उचित पुस्तकें रखी गई हैं क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होती है।

ग. समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि के समेकित विवरण और इस रिपोर्ट के साथ समेकित नकदी प्रवाह विवरण के साथ समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ सहमति है।

घ. हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो जारी किए गए संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

ङ. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्‌वारा जारी किया गया अधिसूचना संख्या जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की नियमों के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, हमें सूचित किया जाता है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान समूह के तहत कंपनियों पर लागू नहीं है।

च. समूह की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ख में हमारी अलग प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

छ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 तथा हमारी राय और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

i. नोट -38 के क्रमांक संख्या.4, के समेकित वित्तीय वक्तव्यों (भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन) में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया गया है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि समूह ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की कल्पना नहीं की है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. चूंकि समूह की कंपनियों (धारककंपनी और उसकी सहायक कंपनियां) को कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व धारा 205 सी) की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है अत: फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
हस्ता/
(सीए असित कुमार मंडल)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052028

हस्ताक्षर का स्थान : कोलकाता
दिनांक: 27.06.2019

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध- क

वर्ष 2018-19 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 कीउप-धारा 143(5) के अनुसार दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों की रिपोर्ट

क्रम संख्या	**विवरण**	**लेखा परीक्षकों का जवाब**
	भाग:क	
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है?यदि हाँ, तो आईटीसिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	धारक कंपनी (एमसीएल) के उपयोग में कोलनेट (COALNET) नाम की एक आईटी प्रणाली है। जबकि वित्तीय लेनदेन "वित्त मॉड्यूल" में दर्ज किए जाते हैं, बिक्री लेनदेन "बिक्री मॉड्यूल" में दर्ज किए जाते हैं।दोनों मॉड्यूलों को प्रत्येक तिमाही में जर्नलएंट्री के माध्यम से मैन्युअल रूप से शुरू किए गए वित्त मॉड्यूल में बिक्री की रिकॉर्डिंग के बजाय वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत करने की आवश्यकता है। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि , सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली संबंधित सहायकों में मौजूद नहीं है, हालांकि यह खातों की अखंडता को प्रभावित नहीं करेगा।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट पत्र/ बट्टे खाते में डालना /ऋण / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं है। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मौजूदा ऋण में छूट पत्र / बट्टे खाते में डालना/ ऋण / ब्याज इत्यादि का पुनर्गठन नहीं है।
3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सड़कों और रेल ढांचे के कार्यों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।अब तक कुल 208.58 करोड़ रुपये का सीसीडीए अनुदान राशि प्राप्त किया गया है जिसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर संशोधित किया गया है और नोट -22 के तहत 194.68 करोड़ रुपए बकाया राशि का खुलासा विलंबित आय के रूप में किया गया है । जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

भाग : ख		
1	क्या समोच्चनक्शे को ध्यान में रखते हु ए कोयला स्टॉक माप किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्चनक्शे के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।	एमसीएल के मामले में स्टॉक माप समोच्चनक्शे को ध्यान में रखते हु ए किया गया है और भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्चनक्शे के साथ हैं।वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान किसी भी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुन: संरचना का कोई मामला नहीं था।जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार कोई भी विलय / विभाजन / पुन: संरचना नहीं की गई थी.
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खातों को बनाए रखा गया है। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	एमसीएल,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खान-वार एस्क्रोखातों का रखरखाव कर रहा है।वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पश्चात खान बंदी गतिविधि के लिए रु. 1.90 करोड़ निकाला है।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए दंड का प्रभाव विधिवत माना गया है और इसका हिसाब दिया गया है?	उप निदेशक खान के कार्यालय ने स्वीकृत पर्यावरण मंजूरी सीमा से परे कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को सूचना जारी किया है।एमसीएल पर रु10,289.83 करोड़ का दावा है। कंपनी ने इस तरह के दावों के खिलाफ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है और दावा आकस्मिक देनदारियों की सूची में दर्शाई गई है।अन्य सहायक कंपनियों के पास वर्ष के दौरान कोई खनन गतिविधि नहीं है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध- ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिनांक को 31.03.2019समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के संयोजन में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों जो भारत की कंपनियों में शामिल हैं, के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षाहमारे द्वारा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के चार्टड अकाउंटन संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और स्थापित करने, धारक कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के संबंधित निदेशक प्रभाग की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव और कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित और अनुकूल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, आशंका और त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम , और लेखा परीक्षा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर समयबद्ध प्रस्तुतीकरण शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करे। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीयनोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा से साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षण ने अपने प्रतिवेदन के संदर्भ में जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे अन्य अनुच्छेद में उल्लिखित हैं। वित्तीय प्रतिवेदन परकंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य की तैयारी की अनुमतिप्रदान करने के लिए आवश्यक लेनदेन रिकॉर्ड किए जा रहे हैंतथा कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;तथा
3. अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व कंपनी की संपत्ति का निपटान जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभाव पड़ सकता है, का समय पर पता लगाएँ एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण**,** नियंत्रण की अभिसंधि या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित**,** त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों में गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है।साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है**,** या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

अन्य मामले

कंपनियों के लेखा परीक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत अब तक सहायक कंपनियों से संबंधित हमारी उपरोक्त प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर आधारित हैं, जो भारत में शामिल कंपनियाँहैं ।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई

हस्ता/
(सीए असित कुमार मंडल)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052028

हस्ताक्षर का स्थान : कोलकाता
दिनांक: 27.06.2019

तुलनपत्र

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	6,429.10	4,535.91
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,343.71	2,241.12
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	143.08	126.95
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	4.74	4.83
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	1,075.41	1,075.41
(ii) ऋण	8	1,125.66	1,000.82
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,018.38	876.30
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-
(i) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	208.35	305.00
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		11,348.43	10,166.34
चालू परिसंपत्तियां			
(क) वस्तु सूची	12	502.30	474.76
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	1,000.83	-
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	465.24	433.41
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	356.41	204.85
(iv) अन्य बैंक शेष	15	12,866.24	13,096.76
(v) ऋण	8	500.32	0.32
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	695.04	745.43
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		744.97	698.66
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,541.53	1,387.95
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		18,672.88	17,042.14
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**30,021.31**	**27,208.48**

तुलन पत्र

जारी......

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्वीटी शेयर पूँजी	16	661.84	706.13
ख) अन्य इक्वीटी	17	3,211.33	2,236.99
कंपनी के इक्वीटीधारकों को इक्वीटी का श्रेय		3,873.17	2,943.12
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्वीटी (क)		3,873.17	2,943.12
देयताएं :			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	5.71	6.50
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	51.22	45.08
(ख) प्रावधान	21	18,905.78	17,650.46
(ग) आस्थगित कर दायिताएं(निवल)		321.99	247.79
(घ) अन्य गैर चालू दायिताएँ	22	194.68	208.58
कुल गैर चालू दायिताएं (ख)		19,479.38	18,158.41
चालू दायिताएं :			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.09	0.92
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		492.03	782.71
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,307.70	1,316.57
(ख) अन्य चालू दायिताएं	23	3,911.17	2,903.17
(ग) प्रावधान	21	957.77	1,103.58
(घ) चालू कर दायिताएं(निवल)			
कुल चालू दायिताएं (ग)		6,668.76	6,106.95
कुल इक्वीटी एवं दायिताएं (क+ख+ग)		**30,021.31**	**27,208.48**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप

ह/-
(ए.के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
महाप्रबंधक (वित्त)

कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(के. आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(आर. आर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05103300

ह/-
(सीए आसित कुमार मोंडल)
भागीदार
सदस्य संख्या 052028

दिनांक: 24.05.2019
स्थान: रायपुर

लाभ- हानि विवरण

(`.करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व			
क	विक्रय (निवल उगाही परंतु उत्पाद शुल्क सहित)	24	15,324.75	13,580.64
ख	अन्य संचालन राजस्व(निवल उगाही परंतु उत्पाद शुल्क सहित))		1,686.25	1,008.88
(I)	**ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (क+ख)**		17,011.00	14,589.52
(II)	अन्य आय	25	1,572.03	1,214.65
(III)	**कुल लाभ (I+II)**		**18,583.03**	**15,804.17**
(IV)	**व्यय**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	672.19	604.56
	व्यापार में भंडार का क्रय			
	तैयार माल प्रगतिशील कार्य/ भंडार माल की बस्तु सूची में परिवर्तन	27	(32.01)	(188.54)
	उत्पाद शुल्क		-	230.50
	कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	28	3,009.95	3,002.93
	बिजली पर व्यय		134.72	130.58
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	167.16	267.52
	मरम्मत	30	157.76	129.33
	संविदात्मक व्यय	31	2,564.01	2,480.64
	वित्तीय लागत	32	44.19	73.26
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि पर व्यय		501.19	371.87
	प्रावधान	33	62.72	(287.30)
	बट्टे खाते डालना	34	0.02	-
	अन्य व्यय	35	839.14	648.51
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		1,180.91	1,000.65
	कुल व्यय (IV)		**9,301.95**	**8,464.51**
(V)	**अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**9,281.08**	**7,339.66**
(VI)	अपवादात्मक मदें		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**9,281.08**	**7,339.66**
(VIII)	कर संबंधी व्यय	36	3,241.54	2,578.37
(IX)	**संचालन जारी रखने की अवधि पर लाभ (VII-VIII)**		**6,039.54**	**4,761.29**

लाभ- हानि विवरण

जारी.......

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(X)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	संचालन बंद होने पर ब्याज व्यय		-	-
(XII)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम /एसोसियेट्स के शेयर से लाभ/(हानि)		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**6,039.54**	**4,761.29**
	अन्य व्यापक आय	37		
	क. (i) ऐसे मदें जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे		(16.28)	27.34
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(5.69)	9.46
	ख. (i) मदे जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक लाभ**		**(10.59)**	**17.88**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) वर्ष के लिए लाभ(हानि) एवं अन्य व्यापक लाभ सहित)**		**6,028.95**	**4,779.17**
	लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**6,039.54**	**4,761.29**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			6,039.54	**4,761.29**
	अन्य व्यापक आय का श्रेय :			
	कंपनी का मालिक		**(10.59)**	**17.88**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			(10.59)	**17.88**
	कुल व्यापक लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**6,028.95**	**4,779.17**
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
			6,028.95	**4,779.17**
(XVII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने हेतु):**			
	(1) मूल		**8,622.45**	**32,419.32**
	(2) मंदित		**8,622.45**	**32,419.32**
(XVIII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन बंद एवं सतत करने हेतु):**			
	(1) मूल		-	-
	(2) मंदित		-	-
(XIX)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने एवं बंद करने हेतु):**			
	(1) मूल		**8,622.45**	**32,419.32**
	(2) मंदित		**8,622.45**	**32,419.32**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(ए.के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(आर. आर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05103300

ह/-
(सीए आसित कुमार मोंडल)
भागीदार
सदस्य संख्या 052028

दिनांक: दिनांक: 24.05.2019
स्थान: स्थान: रायपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
करपूर्व लाभ :	**9,264.80**	**7,367.00**
निम्न के लिए समायोजन :		
स्थायी परिसंपत्तियों का ह्रास/हानि	501.19	341.94
बैंक जमा पर ब्याज	(988.11)	(858.91)
वित्तीय गतिविधियों संबंधी वित्तीय लागत	11.43	22.11
डिस्काउन्ट का अनवाइन्डिंग	38.16	51.15
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(0.52)	(0.24)
विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.20)	1.02
स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,180.91	1,000.64
निवेश से ब्याज/लाभांश	(195.99)	(177.98)
बट्टे खाते एवं बनाये गए प्रावधान	(66.51)	150.39
चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ निम्न के लिए समायोजन :	**9,745.16**	**7,897.12**
निम्न के लिए समायोजन :		
वस्तुसूची	(27.54)	(159.31)
व्यापार से प्राप्य	(72.44)	526.97
गैर चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य परिसंपत्तियॉ	(170.36)	133.68
चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य परिसंपत्तियॉ	(373.60)	1,400.40
चालू/गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं एवं अन्य देयताएं	699.87	(2,086.55)
संचालन से उत्पन्न नगद	**9,801.09**	**7,712.31**
भुगतान/वापस किए गए आयकर	(3,207.96)	(2,533.98)
अस्थगित कर देयताएं		
असाधारण मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**6,593.13**	**5,178.33**
असाधारण मदें	-	-
संचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नगद (क)	**6,593.13**	**5,178.33**
ख निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	(1,514.43)	(1,329.52)
सीआईएल के साथ लघु अवधि जमा	-	53.94
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.52	0.24
निवेश में बदलाव	(1,000.83)	202.00
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	1,081.69	929.63
निवेश से ब्याज/लाभांश	102.41	107.26
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ख)	**(1,330.64)**	**(36.45)**
ग वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
उधार में बदलाव	(0.80)	0.45
विनियम दर में उतार-चढ़ाव	0.20	(1.02)
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत	(11.43)	(73.26)
इक्वीटी शेयर पर लाभांश	(3,875.00)	(4,350.00)
इक्वीटी शेयर संबंधी लाभांश पर कर	(796.52)	(885.56)
इक्वीटी शेयर पूँजी का बाईबैक	(355.00)	-
इक्वीटी शेयर पूँजी के बाईबैक पर कर	(72.38)	-
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ग)	**(5,110.93)**	**(5,309.39)**
नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	151.56	(167.51)
वर्ष के शुरूआत में नगद एवं नगद समतुल्य	204.85	372.36
अवधि के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**356.41**	**204.85**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह/-
(ए.के. सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी. के. स्वर्णकर)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. आर. वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(आर.आर. मिश्रा)
अध्यक्ष- सह- प्रबंध- निदेशक
डीआईएन: 05103300

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(सीए आसीत कुमार मण्डल)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052028

दिनांक 24.05.2019
स्थान रायपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2018 को बकाया के अनुसार	01.04.2018 को बकाया के अनुसार	वर्ष दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2019 के अनुसार बकाया
पूर्ण रूप से चुकाए गए ₹ 1000 प्रत्येक के 6618363 इक्विटि शेयर	141.23	564.90	706.13	706.13	(44.29)	661.84

ख . अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2017 के अनुसार शेष	249.35	-	2,077.81	920.05	11.07	3,258.28
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 को पुन: घोषित बकाया	249.35		2,077.81	920.05	11.07	3,258.28
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	(564.90)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,761.29	-	4,761.29
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	17.88	17.88
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-
अन्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	(4,350.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	(885.56)
बाईबैक वितरण कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	**2,000.32**	**207.72**	**28.95**	**2,236.99**
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	**2,000.32**	**207.72**	**28.95**	**2,236.99**
वर्ष के दौरान योग	44.29	-	-	-	-	44.29
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	(355.00)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,039.54		6,039.54
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(10.59)	(10.59)
विनियोग	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से/ को अंतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-
अन्य रिजर्व से/ को अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	(3,750.00)
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)	-	-	-	(125.00)	-	(125.00)
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	(796.52)
बाई बैक डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स	-	-	-	(72.38)	-	(72.38)
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,201.38**	**18.36**	**3,211.33**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी: 1 **कॉर्पोरेट जानकारी**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक,ईंट-भट्टे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:-

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक एमसीएल ने (बाद में जिसे कंपनी कहा गया) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक(ए.एस,) कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली, 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 मैं वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.20 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1<u>पूर्ण अंकों में राशि :</u>

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

ख. सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्ते जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.3 राजस्व मान्यता :

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व :

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है। कंपनी ने आम तौर

पर निष्कर्ष निकाला है कि वह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह वस्तु एवं सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय मानक लेखांकन 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शनकारी दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण :

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:
- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है।जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह

ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख) कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्‌यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :

कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है अर्थात् देय भुगतान से) (पूर्व केवल समय की अपव्ययता है

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय जो भी पहले) तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है (हो।

ब्याज

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है, जब प्राप्ति की निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है ।

2.4 **सरकार से अनुदान**

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और तथा यह सुनिश्चित है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सरकारी अनुदान / संपत्ति से संबंधित सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी समय पर क्रमवद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दियाजता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय ’के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलत: परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.5.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न,न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।
लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है। तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.5.1.2 परिचालित पट्टे - परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.5.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

परिचालन पट्टा : परिचालन पट्टा (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से आय पट्टा को आय के रूप में पहचाना जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टा शर्तों पर अवलंबित रहती है, जिसमें

क) एक और व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ता के लाभ के समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है, भले ही पाठकों को भुगतान उस आधार पर न हो;

ख) इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु उसे आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुनःस्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि (पट्टेकृत भूमि सहित)	-	परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।
वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.8 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;

- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) :

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.14 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.14.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय

के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंसट्रुमेंट दर इंसट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंसट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंसट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क)कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुईहानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकन विधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।

परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.15 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हु एहो, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो

कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हु ए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ

देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिऑं में परिवर्तन करती है।
पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।
लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.19 अलग करने हेतु खर्च/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।
1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।
कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।
कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।
कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.22 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी

निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

पिछले वर्ष के सीआईएल के समेकित वित्तीय विवरणी के लेखा परीक्षा के अनुसार (निवल सांविधिक लेवी) कुल मिलाकर सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व का यदि 0.50% से अधिक नहीं हैं तो पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है ।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के

बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा –

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.23.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग :

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभिवी व्याज दर (Effective interest rate)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :															
01.04.2017 के अनुसार	30.32	2,580.62	315.58	380.89	917.79	25.10	101.40	15.91	15.10	16.13	-	215.81	16.39	-	4,631.04
योग	-	660.35	4.97	61.21	170.33	1.64	49.18	2.07	5.15	2.04	-	17.73	2.01	-	976.68
विलोपन/समायोजन	-	-	(11.74)	(1.46)	(28.77)	0.05	-	(0.15)	(2.05)	(0.10)	-	(0.61)	(1.44)	-	(46.27)
31.03.2018 के अनुसार	30.32	3,240.97	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	17.83	18.20	18.07	-	232.93	16.96	-	5,561.45
01.04.2018 के अनुसार	30.32	3,240.97	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	17.83	18.20	18.07	-	232.93	16.96	-	5,561.45
योग	-	875.37	28.15	149.17	328.68	0.23	4.02	3.00	6.86	2.36	-	1,022.13	2.57	-	2,422.54
विलोपन/समायोजन	-	-	(20.77)	0.21	(3.55)	0.04	-	(0.03)	(1.53)	(0.47)	-	(0.49)	(4.00)	-	(30.59)
31.03.2019 के अनुसार	30.32	4,116.34	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	20.80	23.53	19.96	-	1,254.57	15.53	-	7,953.40
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
01.04.2017 के अनुसार	-	170.78	76.40	25.84	334.88	9.35	15.86	4.09	5.49	4.36	-	30.07	6.15	-	683.27
वर्ष के लिए प्रभार	-	149.23	36.44	15.54	128.03	4.73	12.33	1.66	3.25	2.21	-	17.98	-	-	371.40
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.87	-	1.78
विलोपन/समायोजन	-	(1.28)	-	0.18	(28.34)	0.03		0.78	(2.61)	0.04	-	0.84	(0.55)	-	(30.91)
31.03.2018 के अनुसार	-	318.73	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.53	6.13	6.61	-	49.80	6.47	-	1,025.54
01.04.2018 के अनुसार	-	318.73	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.53	6.13	6.61	-	49.80	6.47	-	1,025.54
वर्ष के लिए प्रभार	-	201.96	32.48	16.89	137.07	4.84	12.78	1.93	3.61	2.34	-	87.74	-	-	501.64
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-	1.54
विलोपन/समायोजन	-	(0.02)	-	0.02	(0.42)	0.01	-	(0.05)	(1.17)	(0.40)	-	-	(2.39)	-	(4.42)
31.03.2019 के अनुसार	-	520.67	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.41	8.57	8.55	-	137.54	5.62	-	1,524.30
निवल वहन राशि															
31 मार्च, 2019 के अनुसार	30.32	3,595.67	170.87	531.55	813.26	8.10	113.63	12.39	14.96	11.41	-	1,117.03	9.91	-	6,429.10
31 मार्च, 2018 के अनुसार	30.32	2,922.24	195.97	399.08	624.78	12.68	122.39	11.30	12.07	11.46	-	183.13	10.49	-	4,535.91

टिप्पणी

1. भूमि - अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि शामिल है ।

2. पट्टाधाक भूमि में कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1984,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 शामिल है। पट्टाधारक भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि के स्वामित्व को उस हद तक स्थानांतरित करने के लए अधिसूचना के आधार पर पूँजीलकृत किया गया है,जिसके लिए स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 को राज्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार प्रमाणित होने पर पूँजीकृत किया गया है।

3.अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि के वाहनों का कार्य निष्पादन लंबित है।

4. भूमि सुधार / स्थल पुनर्स्थापना लागत में अनुमानित लागत शामिल होती है जो खदान बंद होने की स्थिति में मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के लिए विधिवत रूप से खर्च की जाती है और फिर 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

5.टिप्पणी 2.7 में उल्लिखित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, निश्चित परिसंपत्ति के पृथक मूल्य के लिए तकनीकी मूल्यांकन के लंबित होने पर, भिन्न वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए इन परिसंपत्तियों के गैर-पृथक वर्ग की संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

6. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में लाभ और हानि के विवरण ₹ 1.54 करोड़ की राशि का विवरण दिया गया है।

7. उपरोक्त अन्य खनन संरचना में ₹ 966.95 करोड़ की संपत्ति के साथ-साथ रेलवे ट्रैक को सक्षम करना शामिल है।

8.ऊपरोक्त प्लांट और मशीनरी में ₹ 8.98 करोड़ का स्टैंड बाय उपकरण और स्टोर और पुर्जों को शामिल किया गया है जो पीपीई के रूप में मानदंड को संतुष्ट करता है लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए है।

9. सीआईएल से परिचालित दिनांक 17.04.2017 की समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -4 : पूँजी डब्लुआईपी

(₹. करोड़)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिग	अन्य खनन संरचना/ विकास	रेल कॉरीडोर विकास व्यय	निर्माणधिन रेल कॉरीडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :								
01.04.2017 के अनुसार	253.72	446.18	63.31	1,106.90	-	-	-	1,870.11
योग	73.69	149.26	17.73	300.99	-	-	-	541.67
पूँजीकरण	(59.45)	(8.10)	-	(34.25)	-	-	-	(101.80)
विलोपन/ समायोजन	(0.98)	(57.32)	1.68	0.52	-	-	-	(56.10)
31.03.2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,374.16	-	-	-	2,253.88
								-
01.04.2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,374.16	-	-	-	2,253.88
योग	48.24	192.57	57.38	131.58	-	-	0.22	429.99
पूँजीकरण	(131.22)	(183.07)	(4.26)	(978.49)	-	-	(0.22)	(1,297.26)
विलोपन/समायोजन	(0.61)	(1.88)		(26.23)	-	-		(28.72)
31.03.2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	501.02	-	-	-	1,357.89
संचित प्रावधान एवं हानि								
01.04.2017 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि	0.11	-	0.12	1.19	-	-	-	1.42
विलोपन/समंजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	-	14.18
निवल वहन राशि								
31.03.2019 के अनुसार	183.28	524.88	135.72	499.83	-	-	-	1,343.71
31.03.2018 के अनुसार	266.98	517.26	82.72	1,374.16	-	-	-	2,241.12

1. उपरोक्त विकास में बांकीबाहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक दो लेन सड़क को चार लेन सड़क के चौड़ीकरण की दिशा में ₹. 205.03 करोड़ की संपत्ति को सक्षम करना और एसएच -10 पर बांकीबहल से भदबाहल तक चार लेन सड़कों के निर्माण के दिशा में ₹. 55.16 करोड़ शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹. करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2017 के अनुसार	111.12
योग	15.83
विलोपन/समायोजन	
31.03.2018 के अनुसार	126.95
01.04.2018 के अनुसार	126.95
योग	16.13
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2019 के अनुसार	143.08
संचित प्रावधान एवं हानि	
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2018 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2019 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2019 के अनुसार	143.08
31.03.2018 के अनुसार	126.95

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -6 : अन्य अमूर्त(इंटेजीवल) परिसंपत्तियां

(₹. करोड़ में)

	कंप्यूटर साफ्टवेयर	अन्वेषनीय अमूर्त परिसंपातियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
योग	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	(0.33)	-	(0.33)
31.03.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
01.04.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
योग	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-		-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
संचित प्रावधान एवं हानि				
01.04. 2017 के अनुसार	0.20	-	-	0.20
वर्ष के लिए प्रभार	0.15	-	-	0.15
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
01.04. 2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
वर्ष के लिए प्रभार	0.09	-	-	0.09
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.44	-	-	0.44
निवल वहन राशि				
31.03.2019 के अनुसार	0.16	4.58	-	4.74
31.03.2018 के अनुसार	0.25	4.58	-	4.83

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 7 : निवेश

गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशतता (%) धारक	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या/(गत वर्ष)	चालू वर्ष प्रति शेयर अंकित मूल्य/ (गत वर्ष)	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
शेयर में निवेश					
अनुषंगी कंपनियों में इक्वीटी शेयर					
एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	70%	59570000/ (59570000)	10.00	59.57	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	60%	57060000/ (57060000)	10.00	57.06	57.06
एमबीपीएल	100%	50000/ (50000)	10.00	0.05	0.05
एमसीआरएल	64%	32000/ (32000)	10.00	0.03	0.03
गैर-व्यापार (उद्धृत)					
सुरक्षित बांड में					
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड		20000/ (20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड		1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		4999/ (4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड		1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल				**1075.41**	**1075.41**

अनुद्धत निवेश की कुल राशि	**116.71**	**116.71**
उद्धत निवेश की कुल राशि	**958.70**	**958.70**
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य	**997.24**	**993.40**
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :	-	-

टिप्पणी- 7 (ii) निवेश

चालू

(₹. करोड़ में)

	यूनिटों की संख्या (चालू वर्ष/(गत वर्ष)	एनएवी (₹)	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
व्यापार (अनुद्धत)				
म्यूचुअल फंड निवेश				
एसबीआई प्रीमियर लिक्वीड फंड	5985576.207/(-)	1003.25	600.50	-
यूटीआई मनि मार्केट फंड	3926868.713/(-)	1019.45	400.33	-
कुल :			**1,000.83**	-
उद्धत निवेश की कुल राशि			-	-
अनुद्धत निवेश की कुल राशि			1,000.83	-
अनुद्धत निवेश का बाजार मूल्य			1,000.83	-
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :			-	-

टिप्पणी : व्यापार (अनुद्धत) म्युचुअल फंड एनएव्ही ऊपर निर्दिष्ट अंकित मूल्य के बराबर है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	0.66		0.82	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा माना गया	1,125.00		1,000.00	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण हुई वृद्धि	-		-	
खराब क्रेडिट	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	1125.66	-	1,000.82
कुल		**1,125.66**		**1,000.82**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया		0.66		0.82
- असुरक्षित,जिसे अच्छा माना गया		1,125.00		1,000.00
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण हुई वृद्धि		-		-
खराब क्रेडिट		-		-
टिप्पणी- 8 : ऋण				
चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा माना गया	500.00		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण हुई वृद्धि	-		-	
खराब क्रेडिट	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	500.32	-	0.32
कुल		**500.32**		**0.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया		0.32		0.32
- असुरक्षित,जिसे अच्छा माना गया		500.00		-
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण हुई वृद्धि		-		-
खराब क्रेडिट		-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
गैर चालू				
बैंक जमा		0.85		2.68
खदान बंदी के तहत बैंक में जमा		978.51		834.81
अन्य जमा*		0.89		0.57
खदान बंदी व्यय हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
अन्य जमा और प्राप्य	38.29		38.40	
घटाव: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	0.16	38.13	0.16	38.24
कुल		**1018.38**		**876.30**

टिप्पणी :

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में ₹ 978.51 करोड़ की पूर्णता तक खनन बंदी के लिए एसक्रो एकाउंट में जमा होता है ।

2. बैंक में जमा ₹ 0.85 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना हेतु प्राप्त अनुमोदन से वहाँ किया जाता है ।

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
चालू				
अन्य जमा *		134.22		-
खदान बंदी व्यय हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
सीआईएल / अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	101.24		43.68	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	101.24	-	43.68
असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-		-
अर्जित व्याज		445.48		405.28
दावें एवं अन्य प्राप्य	14.16		297.23	
घटाव :संदिग्ध दावों के लिए भत्ते	0.06	14.10	0.76	296.47
कुल		**695.04**		**745.43**

* अन्य जमा में खानों के खर्च के लिए समवर्ती व्यय शामिल है जिसे एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के लिए सीसीओ द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
(i) पूँजी अग्रिम	198.83		295.79	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.64	198.19	0.55	295.24
(ii) पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	10.16		9.76	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	10.16	-	9.76
कुल		208.35		305.00
टिप्पणी				
वर्गीकरण				
असुरक्षित - अच्छा माना गया		208.35		305.00
- संदेहास्पद माना गया		0.64		0.55

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	233.45		228.94	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	6.54	226.91	4.90	224.04
(ख) वैधानिक बकाए का अग्रिम भुगतान	30.63		24.45	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	30.63	-	24.45
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	964.88		943.91	
घटाव: संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	0.02	964.86	0.03	943.88
(ङ) इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	319.13		195.58	
घटाव: प्रावधान	-	319.13	-	195.58
कुल		**1,541.53**		**1,387.95**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	425.46	400.78
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयले का स्टॉकl (निवल)	**425.46**	**400.78**
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	57.42	49.15
योग: मार्गस्थ भंडार	1.43	14.23
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक (लागत पर)	**58.85**	**63.38**
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.82	0.76
(घ) कार्यशाला कार्य	17.17	9.84
	502.30	**474.76**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या- 2.20 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टिप्पणी-12 का अनुलग्नक

(परिमाण लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

टेबूल -क

वर्ष के अंत में बुक स्टॉक के साथ खाते में अपनाए गए बंद स्टॉक से मिलान

	सकल स्टॉक		नन वेंडेवल स्टॉक		वेंडेवल स्टॉक	
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को आरभिंक स्टॉक	111.78	42054.31	-	-	111.78	42054.31
(ख) 5% से अधिक कमी	1.17	1,976.40	-	-	1.17	1,976.40
आरंभिक लेखा में लिए गए स्टॉक	110.61	40,077.91			110.61	40077.91
2. अवधि में उत्पादन	1,441.51	1,534,983.43	-	-	1441.51	1534983.43
3. उप कुल (1क+2)	1,553.29	1,577,037.74	-	-	1,553.29	1,577,037.74
4. अवधि के लिए ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,423.03	1,532,475.00	-	-	1423.03	1532475.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलु खपत	0.03	72.87	-	-	0.03	72.87
कुल(क)	1,423.06	1,532,547.87	-	-	1423.06	1532547.87
5. उत्पन्न स्टॉक	130.23	44,489.87	-	-	130.23	44489.87
6. मापा गया स्टॉक	127.89	42,116.24	-	-	127.89	42116.24
7. अंतर (5-6)	2.34	2,373.63	-	-	2.34	2,373.63
8. अंतर का ब्रेक-अप :						
(क) 5% के अंदर वृद्धि	0.11	17.16	-	-	0.11	17.16
(ख) 5% के अंदर कमी	1.28	447.40	-	-	1.28	447.40
(ग) 5% से अधिक वृद्धि	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	1.17	1,943.39	-	-	1.17	1,943.39
9. लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	129.06	42,546.48	-	-	129.06	42546.48

अंतिम कोयला स्टॉक का सारांश **टेबूल :ख**

	कच्चा कोयला				धोया/ देशाल्ड कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	111.78	42,054.31	-	-	-	-	-	-	111.78	42,054.31
5% से अधिक की कमी			1.17	1,976.40							1.17	1,976.40
घटाव : नन वेंडेवल कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित आरंभिक स्टॉक (वेंडेवल)	-	-	110.61	40,077.91	-	-	-	-	-	-	110.61	40,077.91
उत्पादन	-	-	1,441.51	1,534,983.43	-	-	-	-	-	-	1,441.51	1,534,983.43
आफटेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,423.03	1,532,475.00	-	-	-	-	-	-	1,423.03	1,532,475.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलु खपत	-	-	0.03	72.87	-	-	-	-	-	-	0.03	72.87
उत्पन्न अंतिम स्टाक	-	-	130.23	44,489.87	-	-	-	-	-	-	130.23	44,489.87
घटाव : कमी	-	-	1.17	1,943.39	-	-	-	-	-	-	1.17	1,943.39
अतिरिक्त			-	-								
अंतिम स्टॉक	-	-	129.06	42,546.48	-	-	-	-	-	-	129.06	42,546.48

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले का भौतिक रूप से स्टॉक का सत्यापित किया है। कुछ क्षेत्रों में भी बाहरी टीमों द्वारा सत्यापित किया गया है। बुक स्टॉक (खान / कोलियरीवार) पर +/- 5% के भीतर कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर मिली कमी / वृद्धि को लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (लाख टन में)		मापा गया स्टाक (लाख टन में)		% अंतर	
		31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
ओरिएंट	खदान संख्या 3- जी 9	0.12	0.12	-	-	100.00	100.00
	एचबीएम - जी 9	0.30	0.30	-	-	100.00	100.00
तालचेर	नंदिरा-जी 8	0.50	0.50	-	-	100.00	100.00
	तालचेर-जी 5	0.25	0.25	-	-	100.00	100.00
कुल		**1.17**	**1.17**	-	-		

पॉलिसी के अनुसार जब अंतर +/- 5% से अधिक है, उस मामले में मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2019 के अनुसार अंतर 5% की स्थिति में 1.17 लाख टन के परिमाण के लिए ₹ 19.43 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
चालू				
व्यापार प्राप्तियां				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	465.24		433.41	
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	70.75		30.14	
घटावः डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	70.75	465.24	30.14	433.41
कुल		**465.24**		**433.41**

टिप्पणी:

1 नियत तिथि से छः माह से कम अवधि के लिए बकाया ऋण ।	373.47		352.88	
2 नियत तिथि से छः माह से अधिक अवधि लिए बकाया ऋण ।	91.77		80.53	
संदेहास्पद ऋण	70.75		30.14	
		535.99		**463.55**

टिप्पणी:

1 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों की ओर से अलग-अलग या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां वकाया नहीं हैं,और न ही ऐसी संस्था या निजी कंपनीयों जिसमें कोई निदेशक सझेदार, निदेशक या सदस्य हो, का कोई वकाया नहीं हैं ।

2 किसी भी समय 3 महीने से कम समय में देनदारों से शेष राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।

3 प्रावधानों में `. 257.58 करोड़ (31.03.2018 को `. 173.45 करोड़) की स्वीकृति कोयला की गुणवत्ता में अंतर के लिए रखा गया है यह सीआईएमएफ़आर के नमूना जांच के परिणामों को व्यापार प्राप्य के साथ समायोजित किया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक में नगद		
- जमा खातों में		
(3 महीने तक परिपक्वता के साथ)	-	-
- चालु लेखा में		
क.(सीएलटीडी लेखा इत्यादि) सहित ब्याज	334.81	119.77
ख. गैर ब्याज वहन	21.58	85.08
- नगद जमा लेखा में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक में नगद	-	-
(ग) दिये गए चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) नगद रुपया	-	-
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नगद	-	-
(च) अन्य	0.02	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	356.41	204.85
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड़ाफ्ट का नेट)	356.41	204.85

टिप्पणी:

1 नगद और नगद समतुल्य पास में और बैंक में नगद , स्वीप अकाउंट्स और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंक में सावधि जमा शामिल करते हैं।

2 बैंक की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि इस प्रकार है: -ब्याज (सीएलटीडी) खाता- (346.14 करोड़ गैर-ब्याज - ₹ 10.25 करोड़
टिप्पणी-14 (क) की तुलना में शेष राशि में भिन्नता इसलिए है क्योंकि बैंक 30.03.19 को हमारे आरटीजीएस निर्देश के अनुसार भुगतान जारी नहीं कर सकी। अंतर को बैंक संधि विवरणी के माध्यम से विधिवत सुलझाया जाता है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
बैंक में शेष		
जमा खाता	12,827.00	13,062.01
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए - नीचे नोट 2 देखें)	39.24	34.75
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
अप्रदत्त लाभांश लेखा	-	-
लाभांश लेखा	-	-
कुल	**12,866.24**	**13,096.76**

टिप्पणी :

1. अन्य बैंक शेष में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसुल किए जाने आपेक्षित है ।

2.उपरोक्त बैंक जमा में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्रहणाधिकार के तहत प्रतिबंधात्मक / आयोजित की सूची निम्नलिखित हैं: -

क़. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर के अनुबंध के अनुसार ₹ 6.09 करोड़ सावधि जमा में शामिल हैं।

ख. मेसर्स आईआरसी लोजिस्टिक लिमिटेड के बीजी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार निर्धारित जमा में ₹ 0.21 करोड़ शामिल है ।

ग. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदीकरण (एफ़एसए) के अनुसार निर्धारित ₹ 8.72 करोड़ आरक्षित जमा शामिल है ।

घ. माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेशानुसार, 2015 के लिखित याचिका संख्या 3109 के अंतिम परिणाम आने तक कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 40% टैपरिंग मनी के लिए रु 0.17 करोड़ सावधि जमा शामिल किए गए हैं।

ड़. माननीय उच्च न्यायालय, कटक (ओड़िशा) के अन्तरिम आदेशानुसार सावधि जमा ₹ 6.20 करोड़ शामिल किए गए हैं जो कि विवादित भूमि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में मुआवजे की राशि जमा किए गए हैं।

च. मेसर्स मोंटेकारलो (एमसीएल) और मेसर्स कुनाल स्ट्रक्चर (भारत) प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल) जेवी द्वारा प्रस्तुत बीजी के नगदीकरण के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ₹ 1.06 करोड़ की सावधि जमा शामिल है ।

छ. भारतीय स्टेट बैंक के धरनाधिकार के अधीन ₹ 14.21 करोड सावधि जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से ब्लॉक आवंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए आश्वासन पत्र जारी करता है ।

ज. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में कनिका रेलवे साइडिंग में फुलफेड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के साथ 0.05 करोड़ की सावधि जमा राशि रखी गई है।

झ.कार्यकारी अभियंता मुख्य डैम खंड, बुर्ला के पक्ष में 1.336 क्यूसेक पानी के आहरण के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के साथ रु.0.45 करोड़ की सावधि जमा राशि निर्धारित की गई है, जिसमें तीन महीने के अग्रिम जल शुल्क और नौ महीने के लिए पानी की दर शामिल है।

ञ. बैंक जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में भारत सरकार के दूर संचार विभाग से मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लिए बीजी जारी करने के लिए ₹ 0.03 करोड़ शामिल हैं।

ट. माननीय जिला न्यायालय सुंदरगढ़ द्वारा विशेष जमा राशि के रूप में बैंक जमा रु. 2.00 करोड़ सहित अर्जित ब्याज रु. 1.41, अधिकारी द्वारा नकदी अवहेलना के मामले के रूप में वसूले जाएंगे, जो कि न्यायालय में लम्बित है.

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी- 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
प्राधिकृत		
₹1000 प्रत्येक का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
	775.82	**775.82**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर	661.84	706.13
	661.84	**706.13**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) एवं इसकी नामिती	6618363	100

2 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा के माध्यम से ₹ . 1000 के अंकित मूल्य के 442967 शेयर खरीदे थे, जिनका पूरा भुगतान कर दिया गया था।

3 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5649064 बोनस शेयर जारी किए थे, अर्थात पूरी तरह से भुगतान किए गए 4 मौजूदा इक्विटी शेयरों के प्रत्येक के ₹ .1000 के अंकित मूल्य के शेयर थे ।

4 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा के माध्यम से ₹ .1000 के अंकित मूल्य के 451743 शेयर खरीदे थे, जिनका पूरा भुगतान कर दिया गया था।

5 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	**-**	**2,077.81**	**920.05**	**11.07**	**3,258.28**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार पुनःघोषित शेष	249.35	-	2,077.81	920.05	11.07	**3,258.28**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	**(564.90)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,761.29	-	**4,761.29**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	17.88	**17.88**
विनियोग						
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-		-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	**(4,350.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-		-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	**(885.56)**
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	2,000.32	207.72	28.95	**2,236.99**
01.04.2018 को अनुसार शेष	-	-	2,000.32	207.72	28.95	**2,236.99**
वर्ष के दौरान योग	44.29	-		-	-	**44.29**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	**(355.00)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,039.54	-	**6,039.54**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(10.59)	**(10.59)**
विनियोग						
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	**(3,750.00)**
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)	-	-	-	(125.00)	-	**(125.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	**(796.52)**
बायबैक पर कर	-	-	-	(72.38)	-	**(72.38)**
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	**-**	**1,947.30**	**1,201.38**	**18.36**	**3,211.33**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 18: उधारी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	5.71	6.50
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	5.71	6.50
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	5.71	6.50
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी:

1.फ्रांस के लेबेरर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2019 (पुनर्भुगतान के बाद निवल) में ₹ 6.29 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2018 को ₹ 7. 09 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2018 के अनुसार शेष	882624.38	7.09
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनः भुगतान	74113.58	0.60
विनिमय अंतर	-	(0.20)
31.03.2019 के अनुसार	808,510.80	6.29

`. 0.58 करोड़ के दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं उपरोक्त `.6.29 करोड़ के बैलेन्स में शामिल हैं। `. 0.58 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता "अन्य वित्तीय देयताओं" की टिप्पणी 20 में घोषणा की गयी है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.09	0.92
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जो	42.82	44.34
-ऊर्जा एवं ईंधन	2.13	2.21
-वेतन भत्ता	264.07	211.62
-अन्य	183.01	524.54
कुल	**492.12**	**783.63**

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
प्रत्याभूति जमा	47.69	40.48
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट ट्रेनी)	3.53	4.60
	51.22	**45.08**
चालू		
चालू खाते		
- सीआईएल	-	27.95
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.58	0.59
अप्रदत्त लाभांश	-	-
प्रत्याभूति जमा	145.87	120.41
अग्रिम राशि	52.83	39.77
पूंजीगत व्यय के लिए देय	868.58	900.26
अन्य	239.84	227.59
कुल	**1,307.70**	**1,316.57**

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	45.98	10.75
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	64.78	63.76
	110.76	74.51
साइट बहाली/खदान बंदी	812.13	773.97
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	17,982.89	16,801.98
अन्य	-	-
कुल	**18,905.78**	**17,650.46**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	25.07	145.00
छुट्टी नकदीकरण	24.42	25.45
अनुग्रह राशि	127.63	118.15
- पीआरपी	177.97	97.95
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	73.23	244.21
- एनसीडबल्यूए - 10	-	303.06
- अधिकारी वेतन संशोधन	-	103.71
	428.32	1,037.53
साइट बहाली/खदान बंदी	-	-
अन्य	529.45	66.05
कुल	**957.77**	**1,103.58**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान जारी....

टिप्पणी:-

1 .खदान बंदी के लिए प्रावधान
खदान बंदी योजना के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2019 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुन:मूल्यांकन किया गया है।

2. खदान बंदी व्यय के प्रावधान में ₹ 9.44 करोड़ की व्यापक योजना के तहत ₹ 0.23 करोड़ वेतन और मजदूरी के अलावा वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के उपरांत (₹ 18.21 करोड़ के विभागीय वेतन और मजदूरी को छोड़ कर) में देउलबेरा कोलियारी में अस्थिर काम काज की रोक थाम और उन में स्थिरीकरण के लिए ₹ 4.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । बालू भरण के माध्यम से देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर कामकाज के स्थिरीकरण की योजना में शामिल किया गया जिसमें `.18.21 करोड़ का अनुमानित विभागीय श्रम शक्ति की लागत को शामिल नहीं किया गया क्योंकि लाभ और हानि के लिए सामान्य वेतन और मजदूरी का एक ही रूप है (गैर चालू) ।

3. 31.03.2019 के तहत कर्मचारियों के अन्य हित लाभ (चालू) जिसमे सेवानिवृत लाभ के लिए ₹ 50.61 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

4. स्थल मरम्मत/ खदान बंद करने की सुलह:

	31.03.2019	31.03.2018
01.04.2015 के अनुसार स्थल पुनर्स्थापना का सकल मूल्य	460.69	460.69
योग: एमसीपी के संशोधन के कारण प्रावधान में परिवर्तन	(2.49)	(9.86)
योग: 31.03.2018 / 31.03.2017 तक प्रावधान प्रभार (समावेशी पूंजीकृत) का खुलना ।	317.94	266.94
योग: वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधान प्रभार (समावेशी पूंजीकृत) का खुलना ।	33.00	51.00
घटाव: एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के लिए मायोजित एमसीपी प्रावधान	1.90	-
खदान बंदी प्रावधान	807.24	768.77
एस्क्रो खाता शेष		
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाता (चालू / गैर-चालू) में शेष	834.81	696.75
योग: चालू वर्ष के दौरान जमा शेष राशि	97.01	94.96
योग: वर्ष के दौरान ब्याज जमा	48.59	43.10
घटाव: चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	1.90	-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू/ गैर चालू) में शेष	978.51	834.81

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	194.68	208.58
कुल	**194.68**	**208.58**

1. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत आस्थगित आय में पूंजीगत प्रकृति के कार्यों के लिए मिलने वाली सब्सिडी शामिल है।

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
वैधानिक बकाया:	945.75	793.17
ग्राहकों/ अन्य से अग्रिम	2,841.53	1,978.97
अन्य देयताएँ	123.89	131.03
कुल	**3,911.17**	**2,903.17**

टिप्पणी:

1.दिनांक 31.7.2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देश के अनुसार वर्ष 2005-06 में ओड़िशा सरकार से प्राप्ति की तुलना में अन्य देयताओं में कोयले के ₹ 8.40 करोड़ मूलधन (निवल भुगतान) तथा पर उपकर में (निवल भुगतान) और ₹ 9.47 करोड़ का ब्याज शामिल है। पैसा ग्राहकों को वापस कर दिया जाता है। ग्राहकों ने अभी तक सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत नहीं किया है, धनवापसी आवश्यक तौर-तरीकों का पालन करने के बाद की जाएगी।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय	**24,607.68**	**22,287.23**
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क छोड़कर)	9,282.93	8,706.59
विक्रय (निवल) (क)	**15,324.75**	**13,580.64**
ख. अन्य संचालन राजस्व		
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	(2.00)	2.05
कोयला आयत के लिए सुविधा शुल्क	-	-
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	1,039.81	838.47
घटाव : संवेधिक लेवी	49.51	36.17
	990.30	802.30
निकासी सुविधा शुल्क	732.85	214.76
घटाव : संवेधिक लेवी	34.90	10.23
	697.95	204.53
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,686.25**	**1,008.88**
संचालन से राजस्व (क+ख़)	**17,011.00**	**14,589.52**

टिप्पणी :-

1. भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की सुरुआत की पेश किया गया । इसके परिणामस्वरूप 01.07.2017 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व जीएसटी का निवल प्रस्तुत किया गया।"

2. 01.07.2017 से पहले की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व का उत्पाद शुल्क, शामिल हैं। 01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए कोयले की बिक्री में `. 219.66 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल है। 01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क में `. 10.84 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल किए गए हैं।

3. स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रभावी रूप से 01.07.2017 से निरस्त किया गया और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को प्रभावी रूप से 01.07.2017 से शुरू किया गया।

4.वर्ष 2017-18 में सैंड स्टोविंग और प्रोटेक्टिव वर्क्स की अधिकतम सब्सिडी `. 2.00 करोड़ थी, जो सीसीओ से प्राप्त हुई थी और वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दी गई है।

5. कोयले की बिक्री के साथ ग्रेड स्लिपेज की राशि `. 84.12 करोड़ (वित्त वर्ष 2017-18 के लिए `. 92.68 करोड़) को समायोजित किया गया है।

6.अनुच्छेद 6. बिंदु 'o' का संदर्भ लेते हुए टिप्पणी - 38 के अन्य जानकारी के तहत, भारतीय मानक लेखांकन 115 के अनुसार अलग किए गए राजस्व का खातों में प्रकटीकरण।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज से प्राप्त आय	1224.39	1050.04
लाभांश आय	102.41	107.26
अन्य		
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	0.52	0.24
विनिमय दर भिन्नता	0.20	-
पट्टा किराया	13.76	17.21
देयता / प्रावधान पुनरांकन	0.20	1.68
विविध आय	230.55	38.22
कुल	**1,572.03**	**1,214.65**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	164.80	135.96
लकड़ी	0.03	0.28
तेल एवं लुब्रिकेंट	320.69	288.82
एचईएमएम के पुर्जे	133.88	125.37
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	52.79	54.13
कुल	**672.19**	**604.56**

टिप्पणी 27 : तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार स्टॉक की सूची में परिवर्तन।

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	400.78	215.37
कोयले का अंतिम स्टॉक	425.46	400.78
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	(24.68)	(185.41)
तैयार माल एवं डब्लूआईपी तथा छपाई के लिए कार्यशाला का प्रारंभिक स्टॉक	9.84	6.71
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	17.17	9.84
ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	(7.33)	(3.13)
व्यापार मे कार्यशाला सूची मे परिवर्तन (क+ख) {घटाव/अभिवृद्धि}	**(32.01)**	**(188.54)**

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि सहित)	2,233.96	2100.67
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	644.55	764.99
कर्मचारी कल्याण व्यय	131.44	137.27
	3,009.95	**3,002.93**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय	167.16	267.52
कुल	**167.16**	**267.52**

टिप्पणी:-कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। तृतीय निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर निधि का 2% औसत निवल लाभ या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का `. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, `. 136.36 करोड़ (`. 122.85 करोड़) के अंतर्गत निहित है।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹.करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बिल्डिंग	104.28	69.73
संयंत्र एवं मशीनरी	50.62	56.67
अन्य	2.86	2.93
कुल	**157.76**	**129.33**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन शुल्क:	1170.90	1180.93
वैगन लदाई	72.81	68.61
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	1,254.23	1,177.65
अन्य संविदात्मक कार्य	66.07	53.45
कुल	**2,564.01**	**2,480.64**

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधार	0.07	14.05
छुट (स्थल की मरम्मत)	32.76	51.15
अन्य	11.36	8.06
कुल	**44.19**	**73.26**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (परिवर्तन का निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए भत्ते/ किए गए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	41.56	19.64
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.09	0.08
भंडार एवं पुर्जे	-	6.68
अन्य	28.09	55.30
कुल(क)	**69.74**	**81.70**
(ख)भत्ते / प्रावधान परिवर्तन		
संदिग्ध ऋण	0.95	99.03
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.13	0.02
भंडार एवं पुर्जे	3.23	-
अन्य	2.71	269.95
कुल(ख)	**7.02**	**369.00**
कुल (क-ख)	**62.72**	**(287.30)**
टिप्पणी		
अन्य:- सृजित		
किया गया सर्वेक्षण	1.54	0.37
दावों पर प्राप्य	-	3.44
औषधियाँ	-	0.02
पर्यावरण निकासी 2015-16 की मांग	-	50.97
उपभोक्ताओं द्वारा किए गए दावे	-	0.50
ओएचपीसीएल की क्षतिपूर्ति की मांग	2.70	-
एनटीपीसी कनिहा पर लगाया गया एसटीसी	21.47	-
मेसर्स आईबीईयूएल के पट्टे किराए का प्राप्य	0.96	
सीडबल्यूआईपी की हानि	1.42	-
	28.09	55.30
अन्य:- परिवर्तन		
दउलबरा कालयरा क आस्थर कामकाज का स्टाावग और स्थिरीकरण	0.32	0.22
उत्पाद शुल्क	-	115.86
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	153.87
किया गया सर्वेक्षण	2.39	-
	2.71	**269.95**

टिप्पणी 34 : बट्टा खाता (गत प्रावधानों का निवल)

(₹ . करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	0.02	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	0.02	-
कुल	**0.02**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
यात्रा व्यय	17.37	15.02
प्रशिक्षण व्यय	7.38	7.42
दूरभाष एवं डाक खर्च	6.38	6.44
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	9.97	14.30
भाड़ा प्रभार	0.07	0.05
विलंब शुल्क	2.25	1.44
सुरक्षा व्यय	104.98	106.44
सीआईएल का सेवा प्रभार	144.15	143.22
भाड़ा प्रभार	44.86	38.30
सीएमपीडीआई व्यय	26.63	17.17
विधिक व्यय	4.32	1.69
परामर्श शुल्क	1.26	1.23
लदाई शुल्क	179.65	35.60
परिसंपतियों के विक्रय/अस्वीकृति/ सर्वेक्षण पर हानि	1.28	0.98
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.14	0.14
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.11	0.13
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.23	0.20
आंतरिक एवं लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	2.84	2.08
पुनर्वास शुल्क	85.38	82.96
किराया	0.45	0.49
दर एवं कर	20.24	29.96
बीमा	0.86	0.41
विनियम दर अंतरण में हानि	-	1.02
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.51	2.41
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.46	0.19
स्थल अनुरक्षण शुल्क	51.01	32.63
आर एंड डी व्यय	0.07	0.79
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	12.15	16.17
शेयरों के बायबैक पर व्यय	0.02	0.03
विविध व्यय	112.12	89.60
कुल	**839.14**	**648.51**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
चालू वर्ष	3165.24	2532.40
स्थगित कर	76.30	45.97
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
पिछले वर्षों में	-	-
कुल	**3,241.54**	**2,578.37**
31.03.2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर से गुणित कर व्यय एवं लेखा लाभ का मिलान आंतरिक कर।		
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	9,281.08	7,339.66
भारत में 34.944% की वैधानिक आयकर दर (31 मार्च 2018: 34.6081%)	3,243.18	2,540.12
घटाव : वर्तमान आयकर के संबंध में पिछले वर्ष का समायोजन	-	4.89
घटाव: कर से मुक्त आय	(60.50)	(61.60)
घटाव : सहयोगी और संयुक्त उद्यम के परिणामों का शेयर	-	-
योग: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती व्यय	372.07	385.47
घटाव: आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति	(389.50)	(336.48)
लाभ और हानि के विवरण में वर्णित आयकर व्यय	**3,165.24**	**2,532.40**
प्रभावी आयकर दर:	34.10%	34.50%
निम्न से संबंधित अस्थगित कर देयता : विलम्बित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	165.14	123.47
अन्य	264.83	241.87
कुल आस्थगित कर देयता	429.97	365.34
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
व्यापार प्राप्तियों से संबंधित	23.87	9.68
कर्मचारी हितलाभ	44.01	67.75
अन्य	40.10	40.12
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	107.98	117.55
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)	**(321.99)**	**(247.79)**

क) कपनी कर परिसपत्तियों और देनदारियों यदि हो तो देनदारियाँ समाप्त कर देती है और केवल अगर उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर देनदारियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देनदारियां समान कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

ख) 31 मार्च 2019 को, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए `76.30 करोड़ (31 मार्च 2018: `45.97 करोड़) की कर देयता को स्वीकार कर दिया गया।

ग)31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने अपने शेयरधारकों को `. 125 करोड़ अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए) और `. 3750 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है, परिणाम स्वरूप इससे कराधान अधिकारियों को `. 796.52 करोड़ का डीडीटी का भुगतान हुआ है। समूह का मानना है कि डीडीटी शेयरधारकों की ओर से कराधान प्राधिकरण को अतिरिक्त भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए डीडीटी का भुगतान इक्विटी से किया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत न किए जानेवाले मदें**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(16.28)	27.34
		(16.28)	27.34
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(5.69)	9.46
		(5.69)	9.46
	कुल (क)	**(10.59)**	**17.88**
(ख)	**(i)लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	**(10.59)**	**17.88**

टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च,2019		31 मार्च,2018	
	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड	-	958.70	-	958.70
प्राथमिक शेयर **-इक्विटि घटक** **-ऋण घटक**	 - -	 - -	 - -	 - -
म्यूचुअल फंड /आईसीडी	1000.83	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	1625.98	-	1001.14
जमा एवं प्राप्य	-	1713.42	-	1621.73
व्यापार प्राप्य	-	465.24	-	433.41
नगद एवं नगद समतुल्य	-	356.41	-	204.85
अन्य बैंक शेष	-	12866.24	-	13096.76
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	6.29	-	7.09
व्यापार देय	-	492.12	-	783.63
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	252.08	-	209.03
अन्य देयताएं	-	1106.26	-	1152.03

***** अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो **31.03.19** को **₹ 116.71** करोड़ (**31.03.2018** को **₹ .116.71** करोड़) शामिल नहीं किया गया है

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है ।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च, 2019			31 मार्च, 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	1000.83	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद,यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य प्रकट किया गया	31मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश	958.70			958.70		
प्राथमिक शेयर इक्विटी अवयव ऋण के अवयव	- -	- -	- -	- -	- -	- -
अन्य निवेश						
ऋण	-	-	1625.98	-	-	1001.14
जमा एवं प्राप्य	-	-	1713.42	-	-	1621.73
व्यापार प्राप्य	-	-	465.24	-	-	433.41
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	356.41	-	-	204.85
अन्य बैंक शेष	-	-	12866.24	-	-	13096.76
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	6.29	-	-	7.09
व्यापार देय	-	-	492.12	-	-	783.63
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	252.08	-	-	209.03
अन्य देयताएं	-	-	1106.26	-	-	1152.03

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) को म्यूच्यूअल फंड में निवेश के संबंध में शामिल किया गया है।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते है

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए

अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअलफंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क)   क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ़एसए)

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना-

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

जब संविदा संबंधी बाध्यताओं पर पार्टी की चूक होती है तो ऋण जोखिम उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है ।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि दिनांक-31.03.2018 तक

(₹ करोड़ में)

विश्लेषण	**दो महीनों के लिए बकाया**	**छ: माह के लिए बकाया**	**एक वर्ष के लिए बकाया**	**2 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया**	**कुल**
कुल वहन राशि	371.34	72.88	(16.79)	0.58	35.18	72.80	535.99
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	97.18	13.20
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	70.75	70.75

31.03.2018 के अनुसार **(₹ करोड़ में)**

विश्लेषण	**दो महीनों के लिए बकाया**	**छ: माह के लिए बकाया**	**एक वर्ष के लिए बकाया**	**2 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया**	**कुल**
कुल वहन राशि	372.83	23.26	(47.90)	36.30	48.78	30.28	463.55
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	99.54	6.50
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	30.14	30.14

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

	₹ करोड़ में
दिनांक- 31.03.2018 तक हानि भत्ता	30.14
हानि भत्ता में परिवर्तन	40.61
दिनांक-31.03.2019 तक हानि भत्ता	70.75

वित्तीय परिसम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय: -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) नगदी जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका अनुबंधित अदत्त भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करता है ।

	31.03.2019 के अनुसार			31.03.2018 के अनुसार		
	एक वर्ष से कम	एक और पाँच वर्ष के बीच	पाँच वर्ष से ज्यादा	एक वर्ष से कम	एक और पाँच वर्ष के बीच	पाँच वर्ष से ज्यादा
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
ब्याज बाध्यताओं सहित उधार	-	5.71	-	-	6.50	-
व्यापार देय	492.12	-	-	783.63	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	1307.70	51.22	-	1316.57	45.08	-

ग) बाजार जोखिम

क. **विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन, मान्य संपत्तियों या एक मुद्रा में मूल्यवर्ग देनदारियों से उत्पन्न होती है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपये) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी विनिमय जोखिम को प्रदर्शित होता है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम को अप्रभावी माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा जोखिम प्रबंधन किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे लागू किया जाता है, जब विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभावी हो जाती है।

ख. **नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम**

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है : **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	706.13
वरीयता शेयर पूंजी	शून्य	शून्य
दीर्घकालिक ऋण	5.71	6.50
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.58	0.59

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) उपदान

उपदान एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में अनुरक्षित है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में अंशदान जमा किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या संपत्ति, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से बीमांककों द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न लाभ और हानि का पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन उस अवधि में चिन्हित किए जाते हैं, जब वे सीधे अन्य व्यापक आय में समाहित होते हैं।

ii) **छुट्टि नकदीकरण**

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है ताकि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो उसके दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

iii) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए (`.223.75 करोड़ रुपए दिनांक- 31.03.2018 तक) `.394.75 करोड़ का योगदान स्वीकार किया गया है।

iv)कंपनी ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) फंडेड

- उपदान
- अवकाश नगदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ख) अनफंडेड

- जीवन सुरक्षा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- यात्रा छुट्टी रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2018 तक कुल देयता ₹ .1596.79 करोड़ हैं, सका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(₹ करोड़ में)

विषय	दिनांक –01.04.2018 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2019 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	1073.92	41.38	1115.30
अर्जित छुट्टी	247.51	41.83	289.34
अर्ध वेतन छुट्टी	42.86	8.99	51.85
जीवन सुरक्षा योजना	5.45	0.10	5.55
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	5.94	(0.32)	5.62
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.43	0.11	8.54
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	0.01	0.12
यात्रा छुट्टी रियायत	45.44	(15.71)	29.73
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	77.56	(2.47)	75.09
गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	1.23	0.97	2.20
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.91	(0.46)	13.45
कुल	1522.36	74.43	1596.79

v) प्रकटीकरण के अनुसार बीमांकिक प्रमाण पत्र

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2019 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	1073.92	718.74
चालू सेवा लागत	58.60	53.43
ब्याज लागत	76.45	52.43
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	-	354.97
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	12.67	(50.13)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	16.16	21.96
भुगतान किए गए लाभ	122.50	77.48
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	1115.30	1073.92

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	928.41	727.20
ब्याज आय	70.09	56.07
कर्मचारी योगदान	204.23	223.45
भुगतान किए गए लाभ	122.50	77.48
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	12.55	(0.83)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1092.78	928.41

(₹ . करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य प्रदर्शित करती विवरणी	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
लगाई गई राशि की स्थिति	(22.52)	(145.51)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	1092.78	928.41
देयता निधि	1115.30	1073.92

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
छूट दर	7.55%	7.71%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.55%	7.71%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	0.30%	0.30%

(₹ करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
वर्तमान सेवा लागत	58.60	53.43
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	-	354.97
शुद्ध ब्याज लागत	6.36	(3.64)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय)	64.96	404.76

(₹ करोड़ में)

अन्य व्यापक आय	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.67	(50.13)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.16	21.96
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	28.83	(28.17)
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	12.55	(0.83)
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	16.28	(27.34)
अन्य व्यापक आय में निर्दिष्ट अवधि में निवल (आय)/ व्यय	16.28	(27.34)

मृत्यु दर तालिका	
आयु	**मृत्यु दर** (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

मद प्रकटीकरण				
31.03.2018			31.03.2019	
बृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	बृद्धि	कमी
103.69	1113.33	छूट दर (-/+0.5%)	107.65	1156.61
-3.444%	3.670%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.474%	3.704%
110.24	1045.00	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	114.26	1087.42
2.652%	-2.693%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	2.452%	-2.499%
107.49	1072.97	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	111.63	1114.29
0.088%	-0.088%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.090%	-0.090%
108.03	1067.52	मृत्यु दर (-/+ 10%)	112.20	1108.58
0.596%	-0.596%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.602%	-0.602%

(₹ .करोड़ में)

नगद प्रवाह की जानकारी पदर्शित करती तालिका	
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	**1133.60**
न्यूनतम निधि आवश्यकाताएं	**84.95**
कंपनी का विवेकाधिकार	**-**

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
वर्ष	₹ in Crore
1	122.11
2	118.32
3	115.30
4	122.48
5	126.33
6 to 10	619.04
10 वर्ष से अधिक	1004.82
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	2228.40
ब्याज हेतु कम छूट	1113.11
अनुमानित हित लाभ देनदारी	1115.30

(₹ .करोड़ में)

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	60.32
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	79.60
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	84.20
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	-
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	-
निपटान लागत	-
संक्षेप लागत	-
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	-
लाभ लागत	55.71

(₹ .करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	दिनांक-31.03.2019 तक	दिनांक-31.03.2018 तक
चालू देयता	117.74	127.65
गैर-चालू देयता	997.55	946.27
शुद्ध देयता	1115.30	1073.92

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2019 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ई.एल./एच.पी.एल.) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

(₹ .करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	290.38	300.68
चालू सेवा लागत	24.61	23.39
ब्याज लागत	20.89	22.27
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.77	(15.97)
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	28.02	(16.30)
लाभ भुगतान	27.48	23.69
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	341.19	290.38

(₹ .करोड़ में)

परिसंपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	255.19	203.57
ब्याज आय	19.27	15.70
नियोक्ता योगदान	28.47	60.05
लाभ भुगतान	27.48	23.69
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(2.28)	(0.43)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	273.16	255.19

(₹ .करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते विवरण	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
लागत स्थिति	(68.03)	(35.19)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
संपत्ति निधि	273.16	255.19
देयता निधि	341.19	290.38

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
छूट दर	7.55%	7.71%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.55%	7.71%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	0.30%	0.30%

(₹ .करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
वर्तमान सेवा लागत	24.61	23.39
शुद्ध ब्याज लागत	1.62	6.57
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	35.08	(31.84)
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	61.31	(1.88)

मृत्यु दर तालिका	
आयु	**मृत्यु दर** (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

मद प्रकटीकरण				
31.03.2018			31.03.2019	
वृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	वृद्धि	कमी
278.19	303.53	छूट दर (-/+05%).5%)	326.66	356.89
-4.196%	4.529%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.257%	4.603%
303.44	278.16	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	356.74	326.67
4.500%	-4.207%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.559%	-4.256%
290.71	290.04	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	342.16	340.21
0.116%	-0.116%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.286%	-0.286%
292.18	288.57	मृत्यु दर (-/+ 10%)	343.26	339.11
0.622%	-0.622%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.609%	-0.609%

अनुमानित भावी भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
वर्ष	₹.करोड़ में
1	25.32
2	26.88
3	28.22
4	33.15
5	37.43
6 to 10	197.88
10 वर्ष से अधिक	485.64
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	834.51
ब्याज हेतु कम छूट	493.32
अनुमानित लाभ दायित्व	341.19

(₹ .करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
चालू देयता	24.42	25.45
गैर चालू देयता	316.77	264.92
शुद्ध देयता	341.19	290.38

4. अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयतायें

कंपनी द्वारा किये गए दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

तालिका I (₹ . करोड़ में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.18	1536.36	11162.54	1.13	235.62	12935.65
वर्ष के दौरान सम्मिलित	1587.22	864.52	-	44.27	2496.01
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	198.50	63.42	-	92.17	354.09
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	0.20	-	-	-	0.20
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	198.70	63.42	-	92.17	354.29
31.03.2019 को समाप्त	2924.88	11963.64	1.13	187.72	15077.37

तालिका II (₹ करोड़ में)

कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया		
	31.03.2019	**31.03.2018**
केंद्रीय सरकार		
केंद्रीय उत्पाद	328.10	328.32
आय कर*	2200.73	794.86
स्वच्छ ऊर्जा सेस	308.23	308.96
सेवा कर	82.32	98.68
अन्य	5.50	5.54
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय		
बिक्री कर	163.14	158.48
रॉयल्टी	1368.32	1291.36
पर्यावरण क्लीयरेंस	10289.83	9593.63
अन्य	142.35	119.07
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मामले	1.13	1.13
अन्य	187.72	235.62
कुल	**15077.37**	**12935.65**

* उपर्युक्त राशि में 0.61 करोड़ के आयकर में ब्याज से लेकर 31.03.19 तक ऑर्डर की तारीख शामिल थी।

ख) दिनांक 01.10.2010 से 31.08.2017 की अवधि के लिए ईब वैली क्षेत्र के लजकुरा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी द्वारा भूतल जल और भूजल की निकासी के लिए कार्यकारी अभियंता बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला से रु.6.66 करोड़ की मांग प्राप्त हुई। मुख्य सचिव, ओडिशा की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2017 को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार एमसीएल के सभी बकाये ₹ 147.83 के एकमुश्त निपटान के पश्चात दिनांक 28.02.2017 तक कर लिया गया था। जल निदेशालय के प्रमुख से ईआईसी- सह- डी ओ डब्लुआर में सरकार के विशेष सचिव के पत्र के अनुसार, दंडात्मक दरों में मांग बढ़ाने को उनके 'फॉर्म' जे में आवेदन की प्राप्ति की तारीख के बाद उचित नहीं ठहराया गया है और कार्यकारी को निर्देशित किया गया है कि उड़ीसा सिंचाई अधिनियमः धारा 28 (बी) के प्रावधान के अनुसार इंजीनियर अपनी मांगों की समीक्षा करें। इसके अलावा आज तक कोई संशोधित मांग प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि मूल राशि की मांग का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इंडस्ट्रीज़ 37 के अनुसार, विश्वसनीय अनुमान के अभाव में प्रावधान / आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी जानी है। इसलिए लेखा की किताबों में कोई मान्यता नहीं है।

ग) **गारंटीः**

कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

घ) **शाख पत्र एवं बैंक गारंटी:**

दिनांक 31.03.2019 तक बकाया शाख पत्र ₹ 2.83 करोड़ हैं (31.03.2018 तक ₹ 7.24 करोड़) लेटर ऑफ कम्फर्ट ₹ 13.35 करोड़ है(31.06.2018 तक 13.35 करोड़ रू.) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत ₹ 17.17 करोड़ (31.03.2018 तक ₹ 38.27 करोड़) हैं।

I. प्रतिबद्धता

संविदा की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है, लेकिन जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः - ₹ 839.02 करोड़ (31.03.2018 तक 833.04 करोड़)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : 2304.91 करोड़ रूपये (31.03.2018 तक 2894.57 करोड़)

5. समूह की जानकारी

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.19	31.03.18
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	64	64

6.अन्य जानकारी

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2019 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	31.12.2019 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी					
नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: सीडब्ल्यूआईपी के तहत	46.43	1.54	(2.39)	-	45.58
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि					
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :	12.76	1.42	-	-	14.18
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य जमा एवं प्राप्य उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा अनुषंगियों के साथ चालू लेखा : दावे एवं अन्य प्राप्य :					
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा :	-	-	-	-	-
नोट 13: प्राप्य व्यापार : गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :					
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :	-	-	-	-	-
अनुदान					
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	0.16	-	-	-	0.16

एनसीडब्लुए-X के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
अन्य	0.76	-	(0.70)	-	0.06
साइट के सुधार/ खदान बंदी	4.90	1.64	-	-	6.54
भूमि सुधार	-	-	-	-	-
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी	0.03	-	(0.01)	-	0.02
नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: सीडब्ल्यूआईपी के तहत					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि	30.14	41.56	(0.95)	-	70.75
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य जमा एवं प्राप्य उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा अनुषंगियों के साथ चालू लेखा : दावे एवं अन्य प्राप्य :	118.15	392.46	(382.98)	-	127.63
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा:	97.95	102.10	(22.08)	-	177.97
नोट 13: प्राप्य व्यापार : गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :	303.06	-	(303.06)	-	-
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :	103.71	-	(103.71)	-	-
अनुदान	66.05	470.52	(7.12)	-	529.45
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	768.77	28.15	(22.68)	33.00	807.24
एनसीडब्लुए-X के लिए प्रावधान	5.20	-	(0.31)	-	4.89

ख)सरकारी सहायता :

31.03.2019 (टिप्पणी-24) को समाप्त वर्ष के दौरान सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से शून्य छूट प्राप्त हुईहै।

रुपए शून्य के सीसीडीए ग्रांट को 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से कैपिटल ग्रांट के रूप में प्राप्त किया गया।

अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर अब तक कुल सीसीडीए अनुदान रु.208.58 करोड़ है और इसे रु.194.68 करोड़ के बकाया राशि को आस्थगित आय के रूप में नोट-22 के तहत खुलासा किया जा रहा है।

ग) सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है- **(₹. करोड़ में)**

	भारत	अन्य देश
राजस्व	17011.00	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	**राशि**	**देश**
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2506.17	भारत
अन्य	14504.83	भारत

स्थान के द्वारा निवल चालू परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
निवल चालू परिसंपत्ति	12004.12	शून्य

घ. प्राधिकृत पूंजी: **(₹ .करोड़ में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
प्रत्येक के ₹.1000 के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
प्रत्येक ₹.1000 के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पहले की स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ. प्रतिशेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पुनः वर्णित)	
		पीएटी	ओसीआई	ओएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)	6039.54	(10.59)	4761.29	17.88
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	6992154	6992154	1474174	1474174
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य ₹ .1000 प्रति शेयर)	8637.60	(15.15)	32298.03	121.29

च. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

1.संबंधित पार्टियों की सूची

i) अनुषंगी कंपनियां

1) महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(एमबीपीएल)

2) एमएनएच शक्ति लिमिटेड

3) एमजेएसजे कोल लिमिटेड

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	**पदनाम**	**से जारी**
श्री आर आर मिश्रा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	25.09.2018
श्री एल एन मिश्रा	निदेशक (कार्मिक/आई.आर.)	01.02.2016 to 31.12.2018
श्री जे पी सिंह	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.06.2013 to 28.02.2019
श्री ओपी सिंह	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	01.09.2016
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018
श्री ए. के. सिंह	कंपनी सचिव	19.11.2012
श्री एच एस पति	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015
डॉ. आर मल	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015
सुश्री सीमा शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	06.09.2017
श्री एस एन प्रसाद	अंशकालीन निदेशक	16.02.2016
श्री आर के सिन्हा	सरकार द्वारा नामित	12.06.2017

1. प्रमुखप्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ . करोड़ में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	1.50 - -	1.53 - -
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत** पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त) छुट्टी नकदीकरण गैच्युटी	- -	1.05 0.83
	कुल	**1.66**	**3.57**

टिप्पणी:

i) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम. नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i)	बैठक शुल्क	0.16	0.13

बकाया शेष (₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

2. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेन-देन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

राशि (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	**लीज किराया**	**एपेक्स प्रभार**	**पनर्स्थापना प्रभार**	**कार्मशाला/प्रेस डेबिट**	**सीएमपीडीआई व्यय**	**अनुषंगी कंपनियों/ सीआईएल के साथ निधि पर ब्याज**	**जारी भंडार सामग्रियां**	**चालू लेखा शेष**
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(ईसीएल)	-	-	-	-	-	-	0.07	-
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	-	-	-	0.74	-	-	-	-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लुसीएल)	-	-	-	-	-	-	0.32	-
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	-	-	-	(0.04)	-	-	0.10	-
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	-	-	-	-	-	-	(0.19)	-
सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिच्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआईएल)	-	-	-	-	84.94	-	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड	-	158.93	85.38	-	-	(0.80)	-	33.87
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-	-	-	-	-	(1.30)	-	23.69
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	(0.02)	-	-	-	-	-	-	0.08
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-	-	(1.83)	-	42.50
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	-	-	-	-	-	(0.03)	-	1.10

कोस्टक में दिए गए अंक शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

छ. शेयर का बायबैक

वर्ष 2018-19 के दौरान विवरण को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

कंपनी का नाम	सीआईएल से खरीदे गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर बुक वैल्यू (रु. में)	कुल वैल्यू (₹ . करोड़ में)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल)	442967	8014.13	355.00

ज) तत्कालीन लेखा विवरण

i) भारतीय मानक,116- पट्टे

मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 30 मार्च 2019 की अधिसूचना के तहत, भारतीय लेखा मानक (भारतीय ले.मा.) 116, पट्टों को अधिसूचित किया गया है जो अप्रैल 2019 के प्रथम दिन लागू होगा।

यह मानक पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रदर्शन के सिद्धांतों का निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टेदाता ईमानदारी से लेन देन की प्रासंगिक जानकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मानक संक्रमण के दो संभावित तरीकों की अनुमति देता है:

प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से इंडस्ट्रीज़ 8 के रूप में 1 अप्रैल 2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरंभ में आवेदन की तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 को मानक लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी।

प्रबंधन संक्रमण की उपयुक्त विधि का चयन करने और वित्तीय विवरण में प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

ii) भारतीय लेखा मानक(आईएनडी एएस 19) में संशोधन – योजना संशोधन, परित्याग या निपटान-

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, कटौति और निपटान के लिए लेखांकन के संबंध में इंडस्ट्रीज़ 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप में इंडस्ट्रीज़ को अधिसूचित किया है। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है:

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करना; तथा
- पिछली सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। प्रबंधन वित्तीय विवरण में उपरोक्त के प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

झ) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

ञ) लेखा में रखे गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ट) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ठ) चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ड) शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध एवं अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान रखा गया है।

ढ. **कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण**

(`करोड़ में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक शेयर	**11177.92**	**420.54**	**6387.29**	**276.54**
उत्पादन	144151.39	15349.83	143057.91	13818.28
बिक्री	142303.01	15324.75	138262.45	13673.32
स्व खपत	3.45	0.73	4.83	0.96
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	116.80	19.43	116.80	19.76
5% से अधिक	-	-	-	
अंतिम स्टॉक	**12906.05**	**425.46**	**11061.12**	**400.78**

ण. आईएनडी एएस **115** के अनुसार अलग-अलग राजस्व

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**
सामग्री एवं सेवा के प्रकार:-		
- कोयला	17013.00	14587.47
- अन्य		-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	14587.47
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	**10412.32**	8,781.00
- गैर- पावर सेक्टर	**6600.68**	5,806.47
- अन्य सेवाएं		-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	**14587.47**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	**13991.22**	10,733.73
- ई-ऑक्सन	**3021.78**	3,853.74
- अन्य	**-**	-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	14,587.47
सामग्री एवं सेवा का समय		
- ठीक समय पर सामग्रियों का अंतरण	**17013.00**	14587.47
- समय के बाद सामग्रियों का अंतरण	-	-
- ठीक समय पर सेवाओं का अंतरण	-	-
- समय के बाद सेवाओं का अंतरण	-	-
संचालन से कुल राजस्व	17013.00	14587.47

त. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण:-**

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	**संबंध**	**ऋण/निवेश**	**राशि (`. करोड़ में)**
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1625.00 (o/s)

- 31.03.2019 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कारपोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।

- निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 1000 करोड़ का ऋण दिया है एवं संवितरित कुल 2000 करोड़ रूपये की स्वीकृत ऋण 48 मासिक किस्त पर अगले माह से देय होगी।

थ. महानदी कोल प्रबंधन संस्थान का निर्माण

समूह ठेकेदार मेसर्स एन.बी.सी.सी. के माध्यम से 138.83 रूपये करोड़ की अनुमानित लागत पर 'महानदी कोल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। समूह एवं ठेकेदार के बीच खंड संख्या-5.18 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सांविधिक प्राधिकरणों से निर्माण एवं परियोजना के पूर्ण होने के लिए आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने इससे संबंधित अनुमोदन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह परियोजना सी.डी.पी.-2010 के अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड संरेखण पर पड़ती है। पत्र संख्या- HUD-TP-SCH-0022/2014/8008/HUD, दिनांक-28.03.2018 के अनुसार कथित सी.डी.पी.-2010 रिंग रोड को सी.डी.पी.-01/2016 में पुनः संरेखण हेतु ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये गए हैं। एमसीएल की सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने पुनः एम.आई.सी.एम. योजना के लिए बी.डी.ए. से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हालांकि समूह संस्थान के निर्माण के लिए 104.23 करोड़ रूपये व्यय कर चुकी है। अभी कार्य प्रगति पर है। समूह ने अब तक संस्थान के निर्माण के लिए `104.48 करोड़ खर्च किए हैं।

बालिपंडा मौजा, पुरी में भूमिः-

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से 05 करोड़ रूपये बालिपंडा मौजा, पुरी की भूमि जिसकी कीमत 0.80 करोड़ रूपये है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित की गई एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को "स्वीट वॉटर जोन" के तहत आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि कथित भूमि स्वीट वॉटर जोन के तहत आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी में 2008-09 तक भाड़े के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। एमसीएल ने पुरी के तहसीलदार को लिखित अनुरोध किया है कि वे 2009-10 से 2018-19 तक की अवधि की डिमांड नोट पर भेजें। निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या-4707, दिनांक-08.01.2019 के द्वारा कलेक्टर, पुरी को स्टाल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वैकल्पिक जमीन जल्द सौंपने का अनुरोध किया। राज्य प्राधिकरण के पास मामला सक्रिय विचाराधीन है। एमसीएल उम्मीद कर रहा है कि एमसीएल के पक्ष में वैकल्पिक भूमि जल्द ही आवंटित की जाएगी।

द. एमसीएल में 19 ओपन कास्ट माइंस और 11 अंडरग्राउंड माइंस हैं, जिनमें से 3 ओपन कास्ट माइंस और 5 अंडरग्राउंड माइंस गैर उत्पादक हैं :-

i)

क्र.सं.	खदानों के नाम	गैर-उत्पादकता के कारण
1.	छोंडिपदा ओसीपी	खदान बंदी के कारण
2.	लिलारी ओसीपी	लिलारी ओसीपी की खनन योजना मार्च 2018 तक वैध थी।
3.	साउथ बलंडा ओसीपी	कोयला भंडार समाप्त होने के कारण।
4.	हिंगिर रामपुर कोलियरी भूमिगत	ओरिएंट एरिया से जारी खदान बंदी नोटिस के आधार पर दिनांक 27.05.2013 से परित्यक्त रूप में इसे बंद दिया गया है।
5.	ओरियेंट खदान नं.4 भूमिगत	क. दिनांक 02.07.2017 से डेवलपमेंट पैच की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खदान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II के वन क्लीयरेंस के अभाव में डिप्लीयरिंग के लिए अनुमति नहीं है। ख. सेवानिवृत्ति आदि के कारण ओरिएंट क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी है। चूंकि ओरिएंट क्षेत्र की अन्य खानों की उत्पादक इकाइयों में श्रमशक्ति की कमी है, इस खदान की उपलब्ध श्रमशक्ति को लाभकारी उपयोग के लिए अन्य उत्पादक खानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब खदान को आउटसोर्स मोड में चलाने की प्रक्रिया चल रही है।
6.	तालचेर भूमिगत	डीएमएस, भुवनेश्वर की सूचना संख्या - 010686 / बीबीआर-डीएच / सीओ - 6 / नोटिस -22 ए (1/2015/2015/4562) द्वारा खानों अधिनियम 1952 की धारा 22 ए (1) का पालन नहीं करने के कारण अस्थायी रूप से कोयले का खनन बंद। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान में काम कर रहे) को तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और CMR-2017 के प्रावधान के अनुसार, आरईजी नं. - 158 (3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
7.	देउलबेरा भूमिगत	उत्पादन को नोटिस से रोकना पड़ा। अधीक्षण अभियंता की नोटिस कि पानी राइट बैंक कैनाल में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे खदान का काम दिनांक 19.07.2006 तक चालू था
8.	हॉडिधुआ भूमिगत	भारी नुकसान के कारण दिनांक 16.09.1998 से उत्पादन रोक दिया गया है।

प. महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, **2015** के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए**)** द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएसेज**)** के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (नोट -**2)** का मसौदा तैयार किया गया है ।

फ. अन्य **:**

क) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को आईएनडी एएसेज के अनुसार बहाल किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ख) नोट संख्या 3 से 38 में पिछले अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

ग) नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को दर्शाता है, 3 से 23 तक 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट एवं 24 से 37 तक उस तिथि समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के भाग स्वरूप तथा नोट -38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों को प्रदर्शित करता है।

ह/-	बोर्ड की ओर से	ह/-
(ए.के.सिंह)		(पी.के. स्वर्णकार)
कंपनी सचिवी		महाप्रबंधक (वित्त)

	उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत	
ह/-	रिपोर्ट के अनुरूप	ह/-
(के आर वसुदेवन)	कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.	(आर आर मिश्र)
निदेशक (वित्त)	सनदी लेखाकार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07915732	फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई	डीआईएन: 05103300

ह/-
(सीए असित कुमार मंडल)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052028

दिनांक : 24.05.2019
स्थान : रायपुर

समेकित तुलनपत्र

(` करोड़ में)

	टिप्पणी सख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार (पुन:घोषित)
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
(क). संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	6,487.42	4,595.74
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	1,407.96	2,303.98
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	158.40	142.27
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	4.74	4.83
(ङ) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-
(च) निवेश सम्पत्ति			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	958.70	958.70
(ii) ऋण	8	1,125.66	1,000.82
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,019.13	877.05
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	214.95	305.01
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		11,376.96	10,188.40
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12	502.30	474.76
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7	1,000.83	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	465.24	433.41
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	432.09	205.49
(iv) अन्य बैंक शेष	15	12,866.24	13,168.31
(v) ऋण	8	500.32	0.32
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	628.22	702.28
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		748.75	700.94
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,545.55	1,392.89
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		18,689.54	17,078.40
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**30,066.50**	**27,266.80**

समेकित तुलनपत्र

जारी......

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार (पुन:घोषित)
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	661.84	706.13
(ख) अन्य इक्विटी	17	3,190.06	2,219.31
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी		3,851.90	2,925.44
गैर नियंत्रित ब्याज		63.59	63.59
कुल इक्विटी (क)		3,915.49	2,989.03
देयताएं			
गैर- चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	5.71	6.50
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	51.22	45.08
(ख) प्रावधान	21	18,905.78	17,650.46
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		321.99	247.79
(घ) अन्य गैर- चालू देयताएं	22	194.68	208.58
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		19,479.38	18,158.41
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यम के कुल बकाया राशि		0.09	0.92
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया राशि		493.13	783.39
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,309.35	1,328.00
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	3,911.26	2,903.31
(ग) प्रावधान	21	957.80	1,103.74
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		6,671.63	6,119.36
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**30,066.50**	**27,266.80**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(एे.के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(आर. आर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05103300

ह/-
(सीए आसित कुमार मोंडल)
भागीदार
सदस्य संख्या 052028

दिनांक: 24.05.2019
स्थान: रायपुर

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व			
क	विक्रय (अन्य शुल्क का निवल लेकिन उत्पाद शुल्क सहित)	24	15,324.75	13,580.64
ख	अन्य संचालित राजस्व (उत्पाद शुल्क सहित अन्य शुल्क का निवल)		1,686.25	1,008.88
(I)	**ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व (क + ख)**		17,011.00	14,589.52
(II)	अन्य आय	25	1,568.50	1,211.89
(III)	**कुल आय (I+II)**		**18,579.50**	**15,801.41**
(IV)	**व्यय**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	672.19	604.56
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदारी			
	तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	27	(32.01)	(188.54)
	उत्पाद शुल्क		-	230.50
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	3,009.95	3,002.93
	बिजली एवं ईंधन		134.72	130.58
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	167.16	267.52
	मरम्मत	30	157.76	129.33
	संविदात्मक व्यय	31	2,564.01	2,480.64
	वित्तीय लागत	32	44.19	73.26
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि पर व्यय		501.20	371.87
	प्रावधान	33	62.72	(287.30)
	बट्टे खाते में डालना	34	0.02	-
	अन्य व्यय	35	839.19	648.55
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		1,180.91	1,000.65
	कुल व्यय (IV)		**9,302.01**	**8,464.55**
(V)	**असाधारण मदे और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**9,277.49**	**7,336.86**
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**9,277.49**	**7,336.86**
(VIII)	कर व्यय	36	3,241.54	2,578.37
(IX)	**निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)**		**6,035.95**	**4,758.49**

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
(X)	बंद संचालन से लाभ/(हानि)			
(XI)	बंद संचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद संचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम / सहयोगी के शेयर में लाभ/ (हानि)		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		**6,035.95**	**4,758.49**
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(16.28)	27.34
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		**(5.69)**	9.46
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(10.59)**	**17.88**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)**		**6,025.36**	**4,776.37**
	मुनाफे का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**6,035.95**	**4,758.49**
	अनियंत्रित ब्याज		-	
			6,035.95	**4,758.49**
	अन्य व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**(10.59)**	**17.88**
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			(10.59)	**17.88**
	कुल व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**6,025.36**	**4,776.37**
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			6,025.36	**4,776.37**
(XVII)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (जारी संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**8,617.32**	**32,400.32**
	(2) तरलीकृत		**8,617.32**	**32,400.32**
(XVIII)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-	-
	(2) तरलीकृत		-	-
(XIX)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद संचालन एवं जारी के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**8,617.32**	**32,400.32**
	(2) तरलीकृत		**8,617.32**	**32,400.32**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
कृत, सिंह राय मिश्रा एंड कॉर्पोरेशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(ए.के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(सीए असित कुमार मोंडल)
भागीदार
सदस्य संख्या 052028

ह/-
(के. आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 07915732

ह/-
(आर.आर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05103300`

दिनांक: 24.05.2019
स्थान: रायपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
कर पूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**9,261.21**	**7,364.20**
समायोजन के लिए :		
अचल परसंपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि	501.20	343.64
बैंक जमा पर ब्याज	(988.12)	(858.91)
वित्त पोषण गतिविधि से संबंधित वित्त लागत	11.43	22.11
छूट	38.16	51.15
संयुक्त उद्यम के (लाभ) / हानि में शेयर	-	-
स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ / हानि	(0.52)	(0.24)
विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.20)	1.02
स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,180.91	1,000.64
निवेश से ब्याज / लाभांश	(195.99)	(177.98)
बनाए गए प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	(66.64)	150.40
चालू/ गैर चालू संपत्तियों और देयताओं से पूर्व संचालन लाभ समायोजन के लिए:	**9,741.44**	**7,896.03**
समायोजन के लिए :		
वस्तु सूची	(27.54)	(159.31)
व्यापार से प्राप्य	(72.44)	526.97
गैर चालू ऋण/अग्रिम अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य परिसंपत्तियाँ	(176.95)	133.75
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां	(277.46)	1,415.54
चालू/ गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	690.46	(2,079.70)
संचालन से अर्जित नगद	**9,877.51**	**7,733.28**
आयकर भुगतान /प्रतिदाय	(3,209.46)	(2,536.26)
विलंबित कर देयताएँ		
असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह	**6,668.05**	**5,197.02**
असाधारण सामग्री	-	-
संचालन गतिविधियों से निवल नगद (क)	**6,668.05**	**5,197.02**
ख निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(1,514.32)	(1,347.76)
सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	-	53.94
स्थायी परिसंपतियों के विक्रय पर लाभ/ हानि	0.52	0.24
निवेश में बदलाव	(1,000.83)	202.00
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	1,081.70	929.63
निवेश से ब्याज / लाभांश	102.41	107.26
निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ख)	**(1,330.52)**	**(54.69)**
ग वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
उधार में बदलाव	(0.80)	0.45
विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.20	(1.02)
वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत	(11.43)	(73.26)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश	(3,875.00)	(4,350.00)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर	(796.52)	(885.56)
इक्विटी शेयर पूंजी का बॉयबैक	(355.00)	-
इक्विटी शेयर पूंजी के बॉयबैक पर कर	(72.38)	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ग)	**(5,110.93)**	**(5,309.39)**
नगद और नगद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	226.60	(167.06)
वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	205.49	372.55
अवधि के अंत में नगद और नगद समतुल्य	**432.09**	**205.49**

उपरोक्त विधि अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
पिछले वर्ष के आंकड़े को वतेमान अवधि में किए गए वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(ए.के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के स्वर्णकर)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(सीए आसित कुमार मोंडल)
भागीदार
सदस्य संख्या 052028

ह/-
(के. आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(आर. आर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05103300

दिनांक: 24.05.2019
स्थान: रायपुर

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(रु. करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2017 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में बदलाव	31.03.2018 के अनुसार शेष	01.04.2018 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में बदलाव	31.03.2019 के अनुसार शेष
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 6618363 इक्विटी शेयर	141.23	564.90	706.13	706.13	(44.29)	661.84

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	अनियंत्रित ब्याज	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	पूँजी रिजर्व					
01.04.2017 के अनुसार	249.35	-	2,077.81	910.17	11.07	63.59	**3,248.40**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-			-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	(5.00)			**(5.00)**
01.04.2017 को पुनः घोषित शेष के अनुसार	249.35		2,077.81	905.17	11.07	63.59	**3,243.40**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	-	**(564.90)**
वर्ष के दौरान निवेश	-	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,758.49	-	-	**4,758.49**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	17.88	-	**17.88**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	-	**(4,350.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	-	**(885.56)**
वापस खरीद वितरण कर	-	-	-		-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	-	-	**2,000.32**	**190.04**	**28.95**	**63.59**	2,219.31
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	**2,000.32**	**190.04**	**28.95**	**63.59**	2,219.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	44.29	-	-	-	-	-	**44.29**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	-	**(355.00)**
वर्ष के दौरान निवेश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,035.95	-	-	**6,035.95**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(10.59)	-	**(10.59)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	-	**(3,750.00)**
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए)	-	-	-	(125.00)	-	-	**(125.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	-	**(796.52)**
वापस खरीद वितरण कर	-	-	-	(72.38)	-	-	**(72.38)**
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,180.11**	**18.36**	**63.59**	**3,190.06**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी: 1 **कॉर्पोरेट जानकारी**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक,ईंट-भट्टे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी **2:** महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:-

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक एमसीएल ने (बाद में जिसे कंपनी कहा गया) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक(ए.एस,) कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली, 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 मैं वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.20 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1पूर्ण अंकों में राशि :

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियां -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण तब तक करता है, जब तक समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित कर उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता हो। समूह को हस्तांतरित नियंत्रण की तिथि से इसकी अनुषंगियों को समेकित किया जाता है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

समूह परिसंपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं। कंपनी के कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। एमसीएल के समेकित सभी कंपनियाँ आम तौर पर नीतियों का उपयोग करती है जैसे कि एमसीएल द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संकलित किया गया है। एमसीएल के समेकित एक विशेष सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में एमसीएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है। सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ:-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

समूह अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सन्युक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं, जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।समूह उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.4 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.5 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करतीहै। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

समूह अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। समूह द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम

इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 राजस्व मान्यता **:**

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व :

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि वह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह वस्तु एवं सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय मानक लेखांकन 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शनकारी दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण :

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:
- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है।जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल

सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख)कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग)कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों

के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;

ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :

कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है (अर्थात् देय भुगतान से पूर्व केवल समय की अपव्ययता है)

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते (या विचार की राशि देय है)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय जो भी पहले) तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है (हो।

ब्याज

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है, जब प्राप्ति की निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है ।

2.5 **सरकार से अनुदान**

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और तथा यह सुनिश्चित है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें समूह संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सरकारी अनुदान / संपत्ति से संबंधित सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी समय पर क्रमवद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दियाजता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय ’के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलत: परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में समूह :

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न,न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर समूह की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है। तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि समूह पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे - परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में समूह

परिचालन पट्टा : परिचालन पट्टा (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से आय पट्टा को आय के रूप में पहचाना जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टा शर्तों पर अवलंबित रहती है, जिसमें

क) एक और व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ता के लाभ के समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है, भले ही पाठकों को भुगतान उस आधार पर न हो;

ख) इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें समूह के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो समूह गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु उसे आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि समूह के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ समूह के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि (पट्टेकृत भूमि सहित)	-	परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।
वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत “अन्य भूमि” का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या समूह के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.9 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए समूह के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। समूह खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। समूह सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत क्यिे जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) :

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु समूह व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में**,** विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें समूह की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)

- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे समूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही समूह एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की

अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

समूह ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत समूह उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। समूह ऐसा चुनाव इंस्टुमेंट दर इंस्टुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर समूह एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्टुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्टुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- समूह ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

(ख समूह ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब समूह ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। समूह ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब समूह सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में समूह भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। समूह द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

- क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।
- ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।
- घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए समूह ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

समूह की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में समूह द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। समूह ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप

में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

समूह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो समूह के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब समूह महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। समूह वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। समूह पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।

एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर, अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकार किया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को

उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत समूह कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि परिभाषित लाभ योजनाएं है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में समूह के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो समूह को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। समूह निर्धारित अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान परिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त परिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण समूह ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए समूह ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/**समायोजन :**

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में समूह को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।
1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।
कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।
कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।
कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।
अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब समूह की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.23 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. समूह ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का

उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

समूह खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। समूह लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

पिछले वर्ष के सीआईएल के समेकित वित्तीय विवरणी के लेखा परीक्षा के अनुसार (निवल सांविधिक लेवी) कुल मिलाकर सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व का यदि 0.50% से अधिक नहीं हैं तो पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है ।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा -

समूह ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समूह शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। समूह आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। समूह भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। समूह हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए समूह अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ

आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां -

समूह ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। समूह परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.25 संक्षेपों का प्रयोग :

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभिवी व्याज दर (Effective interest rate)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ मे)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुल सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	सर्वेक्षण किए गए परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2017 के अनुसार	30.32	2,645.15	315.58	380.89	917.79	25.10	101.40	16.14	15.28	16.13	-	215.81	16.39	-	4,695.98
परिवर्धन	-	660.35	4.97	61.21	170.33	1.64	49.18	2.09	5.15	2.04	-	17.73	2.01	-	976.70
विलोपन / समायोजन	-	-	(11.74)	(1.46)	(28.77)	0.05	-	(0.15)	(2.06)	(0.10)	-	(0.61)	(1.44)	-	(46.28)
31 मार्च 2018 के अनुसार	30.32	3,305.50	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	18.08	18.37	18.07	-	232.93	16.96	-	5,626.40
1 अप्रैल 2018 के अनुसार	30.32	3,305.50	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	18.08	18.37	18.07	-	232.93	16.96	-	5,626.40
परिवर्धन	-	875.37	28.15	149.17	328.68	0.23	4.02	3.23	6.86	2.36	-	1,022.13	2.57	-	2,422.77
विलोपन / समायोजन	-	-	(20.77)	0.21	(3.55)	0.04	-	(0.03)	(1.54)	(0.47)	-	(0.49)	(4.00)	-	(30.60)
31 मार्च 2019 के अनुसार	30.32	4,180.87	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	21.28	23.69	19.96	-	1,254.57	15.53	-	8,018.57
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	174.06	76.40	25.84	334.88	9.35	15.86	4.13	5.59	4.36	-	30.07	6.15	-	686.69
वर्ष में किए गए परिवर्तन	-	150.87	36.44	15.54	128.03	4.73	12.33	1.70	3.29	2.21	-	17.98	-	-	373.12
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.87	-	1.78
विलोपन / समायोजन	-	(1.28)	-	0.18	(28.34)	0.03	-	0.78	(2.63)	0.04	-	0.84	(0.55)	-	(30.93)
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	323.65	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.61	6.25	6.61	-	49.80	6.47	-	1,030.66
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	323.65	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.61	6.25	6.61	-	49.80	6.47	-	1,030.66
वर्ष में किए गए परिवर्तन	-	203.59	32.48	16.89	137.07	4.84	12.78	2.00	3.65	2.34	-	87.74	-	-	503.38
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-	1.54
विलोपन / समायोजन	-	(0.02)	-	0.02	(0.42)	0.01	-	(0.05)	(1.18)	(0.40)	-	-	(2.39)	-	(4.43)
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	527.22	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.56	8.72	8.55	-	137.54	5.62	-	1,531.15
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2019 के अनुसार	30.32	3,653.65	170.87	531.55	813.26	8.10	113.63	12.72	14.97	11.41	-	1,117.03	9.91	-	6,487.42
31 मार्च 2018 के अनुसार	30.32	2,981.85	195.97	399.08	624.78	12.68	122.39	11.47	12.12	11.46	-	183.13	10.49	-	4,595.74

टिप्पणी:

1. भूमि- अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिग्रहित भूमि भी शामिल है।

2.समूह ने कोयला खनन श्रमिक कल्याण संगठन और कोयला खनन बचाव संगठन से विभिन्न सम्पत्तियों तथा देयताओं का अधिग्रहण किया है , जिसका कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है। समायोजन, यदि कोई हो, मात्रा और मूल्य के अंतिम रूप देने पर किया जाएगा।अन्य भूमि में कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं। कोयला असर क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि को पूंजीकृत किया गया है। अधिसूचना के आधार पर भूमि के स्वामित्व को उस हद तक स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके लिए मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणिकता के आधार पर पूंजीकृत किया गया है

3.अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि के वाहनों का कार्य निष्पादन लंबित है।

4. टिप्पणी-2 में उल्लेखित मूल्यह्रास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि,परिसंपत्ति के भिन्न वर्ग के भीतर इम्बेडेड कुछ लंबित परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन की सहायता ली गई, जिनका उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्यह्रास किया गया ।

5. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के संबंध में रु. 1.54 करोड़ रुपए जो हानि हुई उसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया।

6. रेलवे ट्रैक को सक्षम करने हेतु रु. 966.95 करोड़ उपरोक्त अन्य खनन अवसंरचना में शामिल है।

7. ऊपर संयंत्र और मशीनरी में रु. 8.98 करोड़ का स्टैंड बाय उपकरण और भंडार और पुर्जो को शामिल किया गया है जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंड को संतुष्ट करता है लेकिन अभी तक दुकानों से जारी नहीं किया गया है।

8. सीआईएल से दिनांक 17.04.2017 को परिचालित समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल डबल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	रेल कॉरिडोर विकास व्यय	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	253.72	446.18	63.31	1,142.47	1.17	12.72	0.20	1,919.77
परिवर्धन	73.69	149.26	17.73	301.69	2.09	17.30	0.03	561.79
पूंजीकरण	(59.45)	(8.10)	-	(34.25)	-	-	-	(101.80)
विलोपन / समायोजन	(0.98)	(57.32)	1.68	(6.40)	-	-	-	(63.02)
31 मार्च 2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,403.51	3.26	30.02	0.23	2,316.74
								-
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,403.51	3.26	30.02	0.23	2,316.74
परिवर्धन	48.24	192.57	57.38	133.72	1.28	0.65	0.22	434.06
पूंजीकरण	(131.22)	(183.07)	(4.26)	(978.49)	-	-	(0.45)	(1,297.49)
विलोपन / समायोजन	(0.61)	(1.88)	-	(28.68)	-	-	-	(31.17)
31 मार्च 2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	530.06	4.54	30.67	-	1,422.14
संचित मूल्यह्रास और हानि								
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
								-
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	-	12.76
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण	0.11	-	0.12	1.19	-	-	-	1.42
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	-	14.18
निवल वहन राशि								
31 मार्च 2019 के अनुसार	183.28	524.88	135.72	528.87	4.54	30.67	-	1,407.96
31 मार्च 2018 के अनुसार	266.98	517.26	82.72	1,403.51	3.26	30.02	0.23	2,303.98

1. उपरोक्त विकास में बांकीबाहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक दो लेन सड़क को चार लेन सड़क के चौड़ीकरण की दिशा में रु 205.03 करोड़ की संपत्ति को सक्षम करना और एसएच -10 पर बांकीबहल से भदबाहल तक चार लेन सड़कों के निर्माण के दिशा में रु 55.16 करोड़ शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ कारोड में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2017 के अनुसार	126.44
परिवर्धन	15.83
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	142.27
01.04.2018 के अनुसार	142.27
परिवर्धन	16.13
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	158.40
संचित प्रावधान और हानि	
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2019 के अनुसार	158.40
01.04.2018 के अनुसार	142.27

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपातियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अनुसंधानमूलक संपत्ति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	(0.33)	-	(0.33)
31 मार्च 2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
01.04.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
संचित परिशोधन और हानि				
01.04.2017 के अनुसार	0.20	-	-	0.20
वर्ष के लिए प्रभार	0.15	-	-	0.15
हानि	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	0.35			0.35
01.04.2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
वर्ष के लिए प्रभार	0.09	-	-	0.09
हानि	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.44			0.44
निवल वहन राशि				
31.03.2019 के अनुसार	0.16	4.58	-	4.74
01.04.2018 के अनुसार	0.25	4.58	-	4.83

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

गैर-चालू (₹ करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष में शेयरों की संख्या/ (गत वर्ष)	वर्तमान वर्ष में अंकित मूल्य प्रति शेयर की/ (गत वर्ष)	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर व्यापार (उद्धृत)				
सुरक्षित बांड में				
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आइआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	20000/ (20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल:			**958.70**	**958.70**
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			**958.70**	**958.70**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			**997.24**	**993.40**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी - 7(ii)

निवेश

चालू (₹ करोड़ में)

	वर्तमान अवधि / (गत वर्ष) इकाइयों की संख्या	एनएवी (₹ में)	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	01.04.2015 (पुन:घोषित)
व्यापार (गैर उद्धृत)					
म्यूचूयल फ़ंड निवेश					
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	5985576.207/(-)	1003.25	600.50	-	101.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	3926868.713/(-)	1019.45	400.33	-	79.00
कुल:			**1,000.83**	**-**	**247.70**
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-	
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:			1,000.83	-	247.70
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			1,000.83	-	225.60
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-	-

टिप्पणी: उपरोक्तानुसार व्यापार (गैर-उद्धृत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएवी अंकित मूल्य के बराबर हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.66		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1,125.00		1,000.82	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	-			
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए भत्ता		1125.66		1000.82
कुल		**1,125.66**		**1,000.82**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.66		-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1,125.00		1,000.82
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि।		-		-
- क्रेडिट हानि		-		-
चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	500.00		-	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	-			
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए भत्ता		500.32		0.32
कुल		**500.32**		**0.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.32
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		500.00		-
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि।		-		-
- क्रेडिट हानि		-		-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
गैर-चालू				
बैंक जमा		0.85		2.68
खदान बंदी योजना के तहत बैंक जमा		978.51		834.81
अन्य जमा*		0.89		0.57
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		0.00		-
अन्य जमा और प्राप्य	39.04		39.15	
घटाव: संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य के लिए भत्ता	0.16	38.88	0.16	38.99
कुल		**1019.13**		**877.05**

टिप्पणी:

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में ₹ 978.51 करोड़ की पूर्णता तक खनन बंदी के लिए एसक्रो एकाउंट में जमा होता है ।

2. बैंक में जमा ₹ 0.85 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना हेतु प्राप्त अनुमोदन से वहाँ किया जाता है ।

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
चालू				
अन्य जमा*		134.22		-
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
सीआईएल/अनुषंगी सहित चालू खाता	33.87			
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	33.87		-
असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-		-
अर्जित ब्याज		445.99		405.74
दावे एवं अन्य प्राप्य	14.20		297.30	
घटाव: संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	0.06	14.14	0.76	296.54
कुल		**628.22**		**702.28**

* अन्य जमा में खानों के खर्च के लिए समवर्ती व्यय शामिल है जिसे एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के लिए सीसीओ द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
(i) पूंजीगत अग्रिम	205.30		295.79	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.64	204.66	0.55	295.24
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति	0.02		0.01	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	0.02	-	0.01
(ख) अन्य जमा	10.27		9.76	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	10.27	-	9.76
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
कुल		214.95		305.01

टिप्पणी

वर्गीकरण

असुरक्षित - अच्छा माना जाता है	214.31	304.46
- संदेहास्पद माना जाता है	0.64	0.55

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 :अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम	233.45		228.94	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	6.54	226.91	4.90	224.04
(ख) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	30.63		24.48	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	30.63	-	24.48
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	968.90		948.78	
घटाव: संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	0.02	968.88	0.03	948.75
(ड़) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	319.13		195.62	
घटाव: प्रावधान		319.13	-	195.62
कुल		**1,545.55**		**1,392.89**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	425.46	400.78
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयला स्टॉक (निवल)	**425.46**	**400.78**
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	57.42	49.15
योग: मार्गस्थ भंडार	1.43	14.23
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक (लागत पर)	**58.85**	**63.38**
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.82	**0.76**
(घ) कार्यशाला कार्य	17.17	9.84
	502.30	**474.76**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या- 2.21 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य लाख रु. में)

तालिका:क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को प्रारंभिक स्टॉक	111.78	42054.31	-	-	111.78	42054.31
(ख) 5% से अधिक कमी	1.17	1976.4	-	-	1.17	1,976.40
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	110.61	40,077.91			110.61	40077.91
2. अवधि के दौरान उत्पादन	1441.51	1,534,972.43	-	-	1441.51	1534972.43
3. उप-योग (1 क+2)	1,553.29	1,577,026.74	-	-	1,553.29	1,577,026.74
4. अवधि के दौरान ऑफ-टेक						
(क) बाहरी प्रेषण	1423.03	1,532,475.00	-	-	1423.03	1532475.00
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.03	61.87	-	-	0.03	61.87
कुल(क)	1,423.06	1,532,536.87	-	-	1423.06	1532536.87
5. व्युत्पन्न स्टॉक	130.23	44,489.87	-	-	130.23	44489.87
6. मापी गई स्टॉक	127.89	42,116.24	-	-	127.89	42116.24
7. अंतर (5-6)	2.34	2,373.63	-	-	2.34	2,373.63
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	0.11	17.16	-	-	0.11	17.16
(ख) 5% के भीतर कमी	1.28	447.40	-	-	1.28	447.40
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.17	1,943.39	-	-	1.17	1,943.39
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	129.06	42,546.48	-	-	129.06	42546.48

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग			
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	111.78	42,054.31	-	-	-	-	111.78	42,054.31
5% से अधिक कमी			1.17	1,976.40					1.17	1,976.40
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	110.61	40,077.91	-	-	-	-	110.61	40,077.91
उत्पादन	-	-	1,441.51	1,534,972.43	-	-	-	-	1,441.51	1,534,972.43
ऑफ टेक										
(क) बाहरी प्रेषण	-	-	1,423.03	1,532,475.00	-	-	-	-	1,423.03	1,532,475.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.03	61.87	-	-	-	-	0.03	61.87
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	130.23	44,489.87	-	-	-	-	130.23	44,489.87
घटाव: कमी	-	-	1.17	1,943.39	-	-	-	-	1.17	1,943.39
अधिक			-	-						
अंतिम स्टॉक	-	-	129.06	42,546.48	-	-	-	-	129.06	42,546.48

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टॉक की वास्तविक जॉच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉच में यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो लेखांकन नीति के तहत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
5% से अधिक की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (परिमाण टन में)		मापे गए स्टॉक (परिमाण टन में)		% परिवर्तन	
		31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
ओरियंट	खदान संख्या -3	0.12	0.12	-	-	100.00	100.00
	एचबीएम-जी 9	0.30	0.30	-	-	100.00	100.00
तालचेर	नंदिरा - जी 8	0.50	0.50	-	-	100.00	100.00
	तालचेर - जी 5	0.25	0.25	-	-	100.00	100.00
कुल		1.17	1.17	-	-	-	-

उस मामले में जब अंतर +/- 5% से अधिक है, नीति के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2019 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.17 लाख टन के परिमाण के लिए रु.19.43 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
चालू				
व्यापार से प्राप्य				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	465.24		433.41	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	70.75		30.14	
घटाव : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	70.75	465.24	30.14	433.41
कुल		**465.24**		**433.41**
टिप्पणी:				
देय तिथि से छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋण	373.47		470.98	
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	91.77		135.88	
- संदेहास्पद	70.75		30.14	
		535.99		**637.00**

टिप्पणी:

कंपनी के निदेशक एवं अधिकारियों से अलग या संयुक्त रूप में कोई भी व्यापार एवं अन्य प्राप्य बकाया नहीं है न ही किसी फ़र्म व निजी कंपनियां जिसमें कोई निदेशक एक भागीदार है, सदस्य है से किसी प्रकार का व्यापार व अन्य प्राप्य बकाया नहीं है।

3 महीने से कम के देनदारों से शेष राशि की पुष्टि अब तक प्राप्त नहीं की गई है

रु. 257.58 करोड़ (31.03.2018 के अनुसार रु. 173.45 करोड़) के प्रावधान को रिफ्री एवं सीआईएमएफ़आर के किए गए नमूना परिणामों के लिए कोयला गुणवत्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे व्यापार प्राप्तियों से समायोजित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक में नगद		
- जमा खातों में		
(परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)	-	-
- चालु लेखा में		
क.ब्याज सहित(सीएलटीडी लेखा इत्यादि)	410.41	119.77
ख. गैर ब्याज असर	21.66	85.72
- नगद जमा लेखा में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक में नकद	-	-
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) हाथ में नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नगद	-	-
(च) अन्य	0.02	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	432.09	205.49
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का नेट)	432.09	205.49
अवधि के दौरान अनुसूचित बैंकों के अलावा किसी भी समय बैंकों के साथ अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1 नकद और नकद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ हाथ व बैंक में नकद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

2 "बैंक की पुस्तकों के अनुसार शेष राशि हैं: -
ब्याज असर (सीएलटीडी) खाता- (रु. 421.74 करोड़)
गैर-ब्याज असर- ₹ 10.33 करोड़
टिप्पणी -14 (क) की तुलना में शेष राशि में भिन्नता इसलिए है क्योंकि बैंक 30.03.19 को आरटीजीएस निर्देश के अनुसार भुगतान जारी नहीं किया है।
मतभेदों को बैंक सुलह विवरण के माध्यम से विधिवत सुलझाया जाता है।"

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
बैंक में शेष		
- जमा लेखा	12,827.00	13,133.56
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए - नीचे नोट 2 देखें)	39.24	34.75
कुल	**12,866.24**	**13,168.31**

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक शेष में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसुल किए जाने आपेक्षित है ।

2.उपरोक्त बैंक जमा में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्रहणाधिकार के तहत प्रतिबंधात्मक / आयोजित की सूची निम्नलिखित हैं: -

क. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर के अनुबंध के अनुसार ₹ 6.09 करोड़ सावधि जमा में शामिल हैं।

ख. मेसर्स आईआरसी लोजिस्टिक लिमिटेड के बीजी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार निर्धारित जमा में ₹ 0.21 करोड़ शामिल है ।

ग. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदीकरण (एफ़एसए) के अनुसार निर्धारित ₹ 8.72 करोड़ आरक्षित जमा शामिल है ।

घ. माननीय उच्च न्यायालय, कटक के आदेशानुसार, 2015 के लिखित याचिका संख्या 3109 के अंतिम परिणाम आने तक कंपनी द्वारा मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉय्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 40% टैपरिंग मनी के लिए रु 0.17 करोड़ सावधि जमा शामिल किए गए हैं।

ड़. माननीय उच्च न्यायालय, कटक (ओड़िशा) के अन्तरिम आदेशानुसार सावधि जमा ₹ 6.20 करोड़ शामिल किए गए हैं जो कि विवादित भूमि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में मुआवजे की राशि जमा किए गए हैं।

च. मेसर्स मोंटेकारलो (एमसीएल) और मेसर्स कुनाल स्ट्रक्चर (भारत) प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल) जेवी द्वारा प्रस्तुत बीजी के नगदीकरण के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ₹ 1.06 करोड़ की सावधि जमा शामिल है ।

छ. भारतीय स्टेट बैंक के धरनाधिकार के अधीन ₹ 14.21 करोड सावधि जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से ब्लॉक आवंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए आश्वासन पत्र जारी करता है ।

ज. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में कनिका रेलवे साइडिंग में फुलफेड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के साथ 0.05 करोड़ की सावधि जमा राशि रखी गई है।

झ.कार्यकारी अभियंता मुख्य डैम खंड, बुर्ला के पक्ष में 1.336 क्यूसेक पानी के आहरण के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के साथ रु.0.45 करोड़ की सावधि जमा राशि निर्धारित की गई है, जिसमें तीन महीने के अग्रिम जल शुल्क और नौ महीने के लिए पानी की दर शामिल है।

ञ. बैंक जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में भारत सरकार के दूर संचार विभाग से मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लिए बीजी जारी करने के लिए ₹ 0.03 करोड़ शामिल हैं।

ट. माननीय जिला न्यायालय सुंदरगढ़ द्वारा विशेष जमा राशि के रूप में बैंक जमा रु. 2.00 करोड़ सहित अर्जित ब्याज रु. 1.41, अधिकारी द्वारा नकदी अवहेलना के मामले के रूप में वसूले जाएंगे, जो कि न्यायालय में लम्बित है.

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
अधिकृत		
₹1000 प्रत्येक का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	295.82
	775.82	**295.82**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	661.84	706.13
	661.84	**706.13**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसके नामांकित	6618363	100

2 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा के माध्यम से रु. 1000 के अंकित मूल्य के 442967 शेयर खरीदे थे, जिनका पूरा भुगतान कर समाप्त किया गया था।

3 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने 5649064 की संख्या में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी पूरी तरह से भुगतान किए गए 4 मौजूदा इक्विटी शेयरों के हर 1 की संख्या में रु.1000 के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं।

4 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा प्रस्ताव के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए गए रु. 1000 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की 451743 वापस खरीद ली और उन शेयरों को समाप्त कर दिया।

5 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	**-**	**2,077.81**	**910.17**	**11.07**	**3,248.40**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	(5.00)	-	**(5.00)**
01.04.2017 के अनुसार पुनःघोषित शेष	**249.35**	-	**2,077.81**	**905.17**	**11.07**	**3,243.40**
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	**-**	**-**	**(564.90)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,758.49	-	**4,758.49**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	17.88	**17.88**
विनियोग	-	-	-	-	-	**-**
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	**-**
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	**(4,350.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	**(885.56)**
वापसी खरीद पर कर	**-**	**-**	**-**		-	**-**
31.03.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**2,000.32**	**190.04**	**28.95**	**2,219.31**
01.04.2018 को अनुसार शेष	**-**	**-**	**2,000.32**	**190.04**	**28.95**	**2,219.31**
वर्ष के दौरान बृद्धि	44.29	**-**	**-**	**-**	**-**	44.29
वर्ष के दौरान समायोजन	**-**	**-**	(355.00)	**-**	**-**	**(355.00)**
वर्ष के दौरान लाभ	**-**	**-**	**-**	6,035.95	**-**	**6,035.95**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	(10.59)	**(10.59)**
विनियोग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	**-**	**-**	301.98	(301.98)	**-**	**-**
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अंतरिम लाभांश	**-**	**-**	**-**	(3,750.00)	**-**	**(3,750.00)**
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)	**-**	**-**	**-**	(125.00)	**-**	**(125.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**-**	**-**	**-**	(796.52)	**-**	**(796.52)**
इक्विटी शेयरों की वापसी	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
वापसी खरीद पर कर	**-**	**-**	**-**	(72.38)	-	**(72.38)**
31.03.2019 के अनुसार	**44.29**	**-**	**1,947.30**	**1,180.11**	**18.36**	**3,190.06**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधार

(₹ करोड़)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	5.71	6.50
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	5.71	6.50
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	5.71	6.50
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से	-	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी:

1.फ्रांस के लेबेरर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2019 (पुनर्भुगतान के बाद निवल) में ₹ 6.29 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2018 को ₹ 7. 09 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है: -

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2018 को शेष	882,624.38	7.09
31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया पुनःभुगतान	74,113.58	0.60
विनिमय अंतर	-	(0.20)
01.04.2019 को शेष	808,510.80	6.29

दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं रु. 0.58 करोड़ हैं जो कि शेष 6.29 करोड़ रुपए में शामिल किया गया हैं।

'अन्य वित्तीय देनदारियों' के टिप्पणी- 20 में रु. 0.58 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता का खुलासा किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 क अनुसार	31.03.2018 क अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो के लिए व्यापार भुगतान	0.09	0.92
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जो	42.82	44.34
-ऊर्जा एवं ईंधन	2.13	2.21
-वेतन भत्ता	265.08	211.62
-अन्य	183.10	525.22
कुल	**493.22**	**784.31**

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	47.69	40.48
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा- प्रबंधन प्रशिक्षु)	3.53	4.60
	51.22	**45.08**
चालू		
- चालू खाते		
- सीआईएल	-	27.95
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.58	0.59
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	145.94	120.51
अग्रिम धन	52.86	39.80
पूंजीगत व्यय के लिए देय	869.23	911.13
अन्य	240.74	228.02
कुल	**1,309.35**	**1,328.00**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	45.98	10.75
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	64.78	63.76
	110.76	74.51
साइट बहाली/खदान बंदी	812.13	773.97
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	17,982.89	16,801.98
अन्य	-	-
कुल	**18,905.78**	**17,650.46**

चालू

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	25.07	145.00
छुट्टी नकदीकरण	24.42	25.45
अनुग्रह राशि	127.63	118.15
- पीआरपी	177.97	97.95
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	73.26	244.37
- एनसीडबल्यूए - 10	-	303.06
- अधिकारी वेतन संशोधन	-	103.71
कुल	428.35	1,037.69
साइट बहाली/खदान बंदी	-	-
अन्य	529.45	66.05
कुल	**957.80**	**1,103.74**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान (टिप्पणी)

टिप्पणी

1 .खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2019 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुन:मूल्यांकन किया गया है।

2. खदान बंदी व्यय के प्रावधान में ₹ 9.44 करोड़ की व्यापक योजना के तहत ₹ 0.23 करोड़ वेतन और मजदूरी के अलावा वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के उपरांत (विभागीय वेतन को छोड़ कर और ₹ 18.21 करोड़ के लिए मंजूरी) में देउलबेरा कोलियारी में अस्थिर काम काज की रोक थाम और उन में स्थिरीकरण के लिए ₹ 4.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । बालू भरण के माध्यम से देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर कामकाज के स्थिरीकरण की योजना में शामिल किया गया जिसमें `.18.21 करोड़ का अनुमानित विभागीय श्रम शक्ति की लागत को शामिल नहीं किया गया क्योंकि लाभ और हानि के लिए सामान्य वेतन और मजदूरी का एक ही रूप है (गैर चालू) ।

3. 31.03.2019 के तहत कर्मचारियों के अन्य हित लाभ (चालू) जिसमे सेवानिवृत लाभ के लिए ₹ 50.61 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

5 स्थल मरम्मत/ खदान बंद करने की सुलह:

	31.03.2019	31.03.2018
01.04.2015 को स्थल मरम्मत का सकल मूल्य	460.69	460.69
योग: एमसीपी के संशोधन के कारण प्रावधान में परिवर्तन	(2.49)	(9.86)
योग: 31.03.2018 / 31.03.2017 तक प्रभारी प्रावधान का खुलना (समावेशी पूंजीकृत)।	317.94	266.94
योग: वर्तमान वर्ष के लिए प्रभारी प्रावधान की अनुपलब्धता (समावेशी पूंजीकृत)	33.00	51.00
कम: एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के लिए एमसीपी प्रावधान में समायोजित	1.90	-
खदान बंदी प्रावधान	807.24	768.77

	31.03.2019	31.03.2018
एस्क्रो खाता शेष		
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाता (चालू / गैर-चालू) में शेष	834.81	696.75
योग: चालू वर्ष के दौरान जमा शेष राशि	97.01	94.96
योग: वर्ष के दौरान ब्याज जमा	48.59	43.10
कम: चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि	1.90	-
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू/ गैर चालू) में शेष	978.51	834.81

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	194.68	208.58
कुल	**194.68**	**208.58**

1. आस्थगित आय में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत पूंजीगत प्रकृति के कामों के लिए मिलने वाली सब्सिडी शामिल है।

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
वैधानिक बकाया:	945.84	793.31
ग्राहकों से अग्रिम/ अन्य	2841.53	1978.97
लाभांश वितरण पर कर	-	-
अन्य देयताएं	123.89	131.03
कुल	**3,911.26**	**2,903.31**

टिप्पणी:

1. ओड़िशा सरकार से प्राप्ति की तुलना में दिनांक 31.7.2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देश के अनुसार वर्ष 2005-06 में अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में ₹ 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) और 9.47 करोड़ (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को धन वापसी योग्य है।पैसा ग्राहकों को वापस कर दिया जाता है। ग्राहकों ने अभी तक सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत नहीं किया है, धनवापसी आवश्यक तौर-तरीकों का पालन करने के बाद की जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय	**24,607.68**	**22,287.23**
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क छोड़कर)	9,282.93	8706.59
विक्रय (निवल) (क)	**15,324.75**	**13,580.64**
ख. अन्य संचालन राजस्व		
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	(2.00)	2.05
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	1,039.81	838.47
घटाव : वैधानिक लेवी	49.51	36.17
	990.30	802.30
निकासी शुल्क की सुविधा	732.85	214.76
घटाव : वैधानिक लेवी	34.90	10.23
	697.95	**204.53**
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,686.25**	**1,008.88**
संचालन से राजस्व (क+ख़)	**17,011.00**	**14,589.52**

टिप्पणी:-

1. भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को माल और सेवा कर (जीएसटी) को पेश किया गया । इसके परिणामस्वरूप 01.07.2017 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व जीएसटी का निवल प्रस्तुत किया गया।"

2. परिचालन से राजस्व उत्पाद शुल्क, 01.07.2017 से पहले की अवधि के लिए शामिल किए गए हैं। कोयले की बिक्री में 01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए कोयले की बिक्री में रु. 219.66 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल है। 01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क में रु. 10.84 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल किए गए हैं।

3. स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रभावी रूप से 01.07.2017 से निरस्त किया गया और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को प्रभावी रूप से 01.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।
4.वर्ष 2017-18 में सैंड स्टोविंग और प्रोटेक्टिव वर्क्स की अधिकतम सब्सिडी रु. 2.00 करोड़ थी, जो सीसीओ से प्राप्त हुई थी और वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दी गई है।

5. कोयले की बिक्री के साथ ग्रेड स्लिपेज की राशि रु. 84.12 करोड़ (वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रु. 92.68 करोड़) को समायोजित किया गया है।

6.अनुच्छेद 6. बिंदु 'o' का संदर्भ लेते हुए टिप्पणी - 38 के अन्य जानकारी के तहत, भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार अलग किए गए राजस्व का खातों में प्रकटीकरण।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 :अन्य आय

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	1,220.88	1047.30
लाभांश आय	102.41	107.26
<u>**अन्य**</u>		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.52	0.24
विनिमय दर में भिन्नता	0.20	-
पट्टे पर किराया	13.74	17.19
देयता / प्रावधान पुनरांकन	0.20	1.68
अन्य आय	230.55	38.22
कुल	**1,568.50**	**1,211.89**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	164.80	135.96
लकड़ी	0.03	0.28
तेल एवं लुब्रिकेंट	320.69	288.82
एचईएमएम के पुर्जे	133.88	125.37
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	52.79	54.13
कुल	**672.19**	**604.56**

टिप्पणी 27 : तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	400.78	215.37
कोयले का अंतिम स्टॉक	425.46	400.78
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	(24.68)	(185.41)
तैयार माल एवं डब्लूआईपी तथा छपाई के लिए कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	9.84	6.71
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	17.17	9.84
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	(7.33)	(3.13)
व्यापार में कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (क+ख) { घटाव/अभिवृद्धि}	**(32.01)**	**(188.54)**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	2,233.96	2,100.67
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	644.55	764.99
कर्मचारी कल्याण व्यय	131.44	137.27
	3,009.95	**3,002.93**

टिप्पणी 29 :कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय	167.16	267.52
कुल	**167.16**	**267.52**

टिप्पणी:-कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। तृतीय निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर निधि का 2% औसत निवल लाभ या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का रु. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, रु. 136.36 करोड़ (रु. 122.85 करोड़) के अंतर्गत निहित है।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बिल्डिंग	104.28	69.73
संयंत्र एवं मशीनरी	50.62	56.67
अन्य	2.86	2.93
कुल	**157.76**	**129.33**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन शुल्क:	1170.90	1180.93
वैगन लदाई	72.81	68.61
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	1254.23	1,177.65
अन्य संविदात्मक कार्य	66.07	53.45
कुल	**2,564.01**	**2,480.64**

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधार	0.07	14.05
छुट (स्थल की मरम्मत)	32.76	51.15
अन्य	11.36	8.06
कुल	**44.19**	**73.26**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (विपर्यय का निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) भत्ते/प्रावधान के लिए		
संदिग्ध ऋण	41.56	19.64
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.09	0.08
भंडार एवं पुर्जे	-	6.68
अन्य	28.09	55.30
कुल(क)	**69.74**	**81.70**
(ख) भत्ते / प्रावधान का विपर्यय		
संदिग्ध ऋण	0.95	99.03
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.13	0.02
भंडार एवं पुर्जे	3.23	-
अन्य	2.71	269.95
कुल(ख)	7.02	**369.00**
कुल (क-ख)	**62.72**	**(287.30)**

टिप्पणी:

1 **अन्य:- सृजित**		
सर्वेक्षण किया गया	1.54	0.37
दावों पर प्राप्य	-	3.44
औषधियाँ	-	0.02
पर्यावरण निकासी 2015-16 की मांग	-	50.97
उपभोक्ताओं द्वारा किए गए दावे	-	0.50
ओएचपीसीएल की क्षतिपूर्ति की मांग	2.70	-
एनटीपीसी कनिहा पर लगाया गया एसटीसी	21.47	
मेसर्स आईबीईयूएल के पट्टे किराए का प्राप्य	0.96	
सीडबल्यूआईपी की हानि	1.42	-
	28.09	55.30
अन्य:-विपर्यय		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज की स्टोविंग और स्थिरीकरण	0.32	0.22
उत्पाद शुल्क	-	115.86
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	153.87
सर्वेक्षण किया गया	2.39	-
	2.71	269.95

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते में डालना (गत प्रावधानों का निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	0.02	-
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	0.02	-
कुल	**0.02**	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पुन:घोषित)
यात्रा व्यय	17.37	15.02
प्रशिक्षण व्यय	7.38	7.42
दूरभाष एवं डाक खर्चे	6.38	6.44
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	9.97	14.30
भाड़ा प्रभार	0.07	0.05
विलंब शुल्क	2.25	1.44
सुरक्षा व्यय	104.98	106.44
सीआइएल का सेवा प्रभार	144.15	143.22
भाड़ा प्रभार	44.86	38.30
सीएमपीडीआइ व्यय	26.63	17.17
विधिक व्यय	4.32	1.69
परामर्श शुल्क	1.27	1.24
लदान शुल्क के तहत	179.65	35.60
विक्रय/नामंज़ूर/परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण	1.28	0.98
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क	0.16	0.16
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.11	0.13
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.25	0.20
आंतरिक एवं लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	2.84	2.08
पुनर्वास शुल्क	85.38	82.96
किराया	0.45	0.49
दर एवं कर	20.24	29.96
बीमा	0.86	0.41
विनियम दर में अंतर से हानि	-	1.02
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.51	2.41
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.46	0.19
स्थल अनुरक्षण शुल्क	51.01	32.63
आर एंड डी व्यय	0.07	0.79
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	12.15	16.17
शेयरों के बायबैक पर व्यय	0.02	0.03
विविध व्यय	112.12	89.61
कुल	**839.19**	**648.55**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
चालू वर्ष	3,165.24	2532.40
स्थगित कर	76.30	45.97
मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
पिछले वर्षों में	-	-
कुल	**3,241.54**	**2,578.37**
31.03.2019 को भारतीय कर की दर में कर व्यय और लेखांकन लाभ का सामंजस्य।		
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	9277.49	7,336.88
भारत में 34.944% की वैधानिक आयकर दर (31 मार्च 2018: 34.6081%)	3,241.93	2,539.15
घटाव :विगत वर्ष में चालू आयकर का समायोजन	-	4.89
घटाव: कर से मुक्त आय	(60.50)	(61.60)
घटाव : संयुक्त उद्यम और शेयर के परिणामों का हिस्सा	-	-
योग: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती व्यय	373.32	386.43
घटाव: आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति है	(389.50)	(336.48)
लाभ और हानि के बयान में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	**3,165.24**	**2,532.40**
प्रभावी आयकर दर:	34.12%	34.50%
स्थगित कर देयता निम्न से संबंधित है:		
विलम्बित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	165.14	123.47
अन्य	264.83	241.87
कुल स्थगित कर देयता	429.97	365.34
स्थगित कर परिसंपत्ति		
प्राप्तियों से संबंधित व्यापार	23.87	9.68
कर्मचारी हितलाभ	44.01	67.75
अन्य	40.10	40.12
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति	107.98	117.55
निवल स्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)	**(321.99)**	**(247.79)**

क) समूह कर परिसंपत्तियां और देनदारियां परिसंतुलित होती हैं पर केवल तभी जब वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ और मौजूदा कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देनदारियां उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है

ख. 31 मार्च 2019 को, ₹ 76.30 करोड़ (31 मार्च 2018: रु. 45.97 करोड़) के सभी आस्थगित कर देयताएँ अस्थायी कर योग्य अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है ।
अनुषंगियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश से संबंधित कोई अस्थायी अंतर नहीं हैं, जिसके लिए किसी भी आस्थगित कर देयता को मान्यता नहीं दी गई है। "

ग) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने अपने शेयरधारकों को रु. 125 करोड़ अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए) और रु. 3750 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है, इससे कराधान अधिकारियों को रु. 796.52 करोड़ का डीडीटी का भुगतान हुआ है। समूह का मानना है कि डीडीटी शेयरधारकों की ओर से कराधान प्राधिकरण को अतिरिक्त भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए डीडीटी का भुगतान इक्विटी से किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(16.28)	27.34
		(16.28)	27.34
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(5.69)	9.46
		(5.69)	9.46
	कुल(क)	**(10.59)**	**17.88**
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**(10.59)**	**17.88**

टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकित)

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन (₹ करोड़ में)

	31 **मार्च**,2019		31 **मार्च**,2018	
	एफ़वीपीवाईएल	**परिशोधित लागत**	एफ़वीपीवाईएल	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड	-	958.70	-	958.70
प्राथमिक शेयर **-इक्विटि घटक** **-ऋण घटक**	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड /आईसीडी	1000.83	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	1625.98	-	1001.14
जमा एवं प्राप्य	-	1647.35	-	1579.33
व्यापार प्राप्य	-	465.24	-	433.41
नगद एवं नगद समतुल्य	-	432.09	-	205.49
अन्य बैंक शेष	-	12866.24	-	13168.31
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	6.29	-	7.09
व्यापार देय	-	493.22	-	784.31
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	252.18	-	209.16
अन्य देयताएं	-	1107.81	-	1163.33

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु समूह ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है ।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च, 2019			31 मार्च, 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	1000.83	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद,यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य प्रकट किया गया	**31 मार्च,2019**			**31 मार्च, 2018**		
	स्तर I	**स्तर II**	**स्तर III**	**स्तर I**	**स्तर II**	**स्तर III**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश	958.70	-	-	958.70	-	-
प्राथमिक शेयर						
इक्विटी अवयव	-	-	-	-	-	-
ऋण के अवयव	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश						
ऋण	-	-	1625.98	-	-	1001.14
जमा एवं प्राप्य	-	-	1647.35	-	-	1579.33
व्यापार प्राप्य	-	-	465.24	-	-	433.41
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	432.09	-	-	205.49
अन्य बैंक शेष	-	-	12866.24	-	-	13168.31
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	6.29	-	-	7.09
व्यापार देय	-	-	493.22	-	-	784.31
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	252.18	-	-	209.16
अन्य देयताएं	-	-	1107.81	-	-	1163.33

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) को म्यूच्यूअल फंड में निवेश के संबंध में शामिल किया गया है।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते है

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम - विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ़एसए)

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए समूह अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
-
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना-

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क्रेडिट जोखिम जब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणाम स्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि दिनांक-31.03.2018 तक

31.03.2019 के अनुसार **(₹ करोड़ में)**

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	371.34	72.88	(16.79)	0.58	35.18	72.80	535.99
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	97.18	13.20
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	70.75	70.75

31.03.2018 के अनुसार **(₹ करोड़ में)**

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	372.83	23.26	(47.90)	36.30	48.78	30.28	463.55
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	99.54	6.50
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	30.14	30.14

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य

	(₹ करोड़ में)
दिनांक- 31.03.2018 तक हानि भत्ता	30.14
हानि भत्ता में परिवर्तन	40.61
दिनांक-31.03.2019 तक हानि भत्ता	70.75

वित्तीय परिसम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। समूह इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

क. **नगदी जोखिम**

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर

समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका में अनुबंधित अनदेखे भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश दिया गया है।

	31.03.2019 तक			**31.03.2018** तक		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	5.71	-	-	6.50	-
व्यापार देनदारियां	493.22	-	-	784.31	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	1309.35	51.22	-	1328.00	45.08	-

ग) **बाजार जोखिम**

क. **विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है, जो एक मुद्रा में होती है जो समूह के कार्यात्मक (आईएनआर) नहीं है। समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। समूह भी आयात करता है और जोखिम नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समूह की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

ख.**नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम**

बैंक जमा समूह में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

समूह सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

समूह एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसारहै : **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	706.13
वरीयता शेयर पूंजी	शून्य	शून्य
दीर्घकालिक ऋण	5.71	6.50
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.58	0.59

2. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) **उपदान**

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों का उचित से मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

ii) **छुट्टि नकदीकरण**

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है ताकि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो उसके दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

iii) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से समूह भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए (`.223.75 करोड़ रुपए दिनांक-31.03.2018 तक) `.394.75 करोड़ का योगदान स्वीकार किया गया है।

iv) समूह ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) फंडेड

- उपदान
- अवकाश नगदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ख) अनफंडेड

- जीवन सुरक्षा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- यात्रा छुट्टी रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2019 तक कुल देयता ₹.1596.79 करोड़ हैं, सका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(₹ करोड़ में)

विषय	दिनांक - 01.04.2018 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2019 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	1073.92	41.38	1115.30
अर्जित छुट्टी	247.51	41.83	289.34
अर्ध वेतन छुट्टी	42.86	8.99	51.85
जीवन सुरक्षा योजना	5.45	0.10	5.55
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	5.94	(0.32)	5.62
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.43	0.11	8.54
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	0.01	0.12
यात्रा छुट्टी रियायत	45.44	(15.71)	29.73
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	77.56	(2.47)	75.09
गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	1.23	0.97	2.20
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.91	(0.46)	13.45
कुल	1522.36	74.43	1596.79

v) प्रकटीकरण के अनुसार बीमांकिक प्रमाण पत्र

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2019 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	1073.92	718.74
चालू सेवा लागत	58.60	53.43
ब्याज लागत	76.45	52.43
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	-	354.97
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	12.67	(50.13)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	16.16	21.96
भुगतान किए गए लाभ	122.50	77.48
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	1115.30	1073.92

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	928.41	727.20
ब्याज आय	70.09	56.07
कर्मचारी योगदान	204.23	223.45
भुगतान किए गए लाभ	122.50	77.48
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	12.55	(0.83)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1092.78	928.41

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य प्रदर्शित करती विवरणी	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
लगाई गई राशि की स्थिति	(22.52)	(145.51)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	1092.78	928.41
देयता निधि	1115.30	1073.92

(₹ करोड़ में)

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
छूट दर	7.55%	7.71%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.55%	7.71%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	0.30%	0.30%

(₹ करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
वर्तमान सेवा लागत	58.60	53.43
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	-	354.97
शुद्ध ब्याज लागत	6.36	(3.64)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय)	64.96	404.76

(₹ करोड़ में)

अन्य व्यापक आय	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.67	(50.13)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	16.16	21.96
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	28.83	(28.17)
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	12.55	(0.83)
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	16.28	(27.34)
अन्य व्यापक आय में निर्दिष्ट अवधि में निवल (आय)/ व्यय	16.28	(27.34)

मृत्यु दर तालिका	
आयु	**मृत्यु दर (प्रति वर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

मद प्रकटीकरण				
31.03.2018			**31.03.2019**	
बृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	बृद्धि	कमी
103.69	**1113.33**	छूट दर (-/+0.5%)	**107.65**	**1156.61**
-3.444%	**3.670%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**-3.474%**	**3.704%**
110.24	**1045.00**	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	**114.26**	**1087.42**
2.652%	**-2.693%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**2.452%**	**-2.499%**
107.49	**1072.97**	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	**111.63**	**1114.29**
0.088%	**-0.088%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**0.090%**	**-0.090%**
108.03	**1067.52**	मृत्यु दर (-/+ 10%)	**112.20**	**1108.58**
0.596%	**-0.596%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**0.602%**	**-0.602%**

(₹ करोड़ में)

नगद प्रवाह की जानकारी पदर्शित करती तालिका	
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	1133.60
न्यूनतम निधि आवश्यकताएं	84.95
कंपनी का विवेकाधिकार	-

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
वर्ष	₹ करोड़ में
1	122.11
2	118.32
3	115.30
4	122.48
5	126.33
6 to 10	619.04
6 से 10	1004.82
10 वर्ष से अधिक	-
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	2228.40
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	1113.11
ब्याज हेतु कम छूट	1115.30

(₹ करोड़ में)

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	60.32
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	79.60
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	84.20
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	-
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	-
निपटान लागत	-
संक्षेप लागत	-
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	-
लाभ लागत	55.71

(₹ करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	दिनांक-31.03.2019 तक	दिनांक-31.03.2018 तक
चालू देयता	**117.74**	**127.65**
गैर-चालू देयता	**997.55**	**946.27**
शुद्ध देयता	**1115.30**	**1073.92**

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2019 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ई.एल./एच.पी.एल.) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	दिनांक-31.03.2019 तक	दिनांक-31.03.2018 तक
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	**290.38**	**300.68**
चालू सेवा लागत	**24.61**	**23.39**
ब्याज लागत	**20.89**	**22.27**
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**4.77**	**(15.97)**
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	**28.02**	**(16.30)**
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	**27.48**	**23.69**
लाभ भुगतान	**341.19**	**290.38**

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	दिनांक-31.03.2019 तक	दिनांक-31.03.2018 तक
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	**255.19**	**203.57**
ब्याज आय	**19.27**	**15.70**
नियोक्ता योगदान	**28.47**	**60.05**
लाभ भुगतान	**27.48**	**23.69**
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	**(2.28)**	**(0.43)**
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	**273.16**	**255.19**

(₹ .करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते विवरण	दिनांक-**31.03.2019** तक	दिनांक-**31.03.2018** तक
लागत स्थिति	**(68.03)**	**(35.19)**
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	**0.00**	**0.00**
संपत्ति निधि	**273.16**	**255.19**
देयता निधि	**341.19**	**290.38**

योजना मान्यताओं को दर्शाते विवरण :	दिनांक-**31.03.2019** तक	दिनांक-**31.03.2018** तक
छूट दर	**7.55%**	**7.71%**
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	**7.55%**	**7.71%**
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	**9.00%** अधिकारियों के लिए एवं 6.25**%** कर्मचारियों के लिए	**9.00%** अधिकारियों के लिए एवं **6.50%** कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	**13,14**	**14**
नैतिकता तालिका	**IALM 2006-2008 ULTIMATE**	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरूष तथा महिला)	**60**	**60**
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं अशक्तता	**0.30%**	**0.30%**

(₹ .करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	दिनांक-**31.03.2019** तक	दिनांक-**31.03.2018** तक
वर्तमान सेवा लागत	**24.61**	**23.39**
शुद्ध ब्याज लागत	**1.62**	**6.57**
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	**35.08**	**(31.84)**
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	**61.31**	**(1.88)**

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर **(**प्रति वर्ष**)**
25	**0.000984**
30	**0.001056**
35	**0.001282**
40	**0.001803**
45	**0.002874**
50	**0.004946**
55	**0.007888**
60	**0.011534**
65	**0.0170085**
70	**0.0258545**

मद प्रकटीकरण				
31.03.2018			**31.03.2019**	
वृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	वृद्धि	कमी
278.19	**303.53**	छूट दर (-/+05**%**).5%)	**326.66**	**356.89**
-4.196%	**4.529%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**-4.257%**	**4.603%**
303.44	**278.16**	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	**356.74**	**326.67**
4.500%	**-4.207%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**4.559%**	**-4.256%**
290.71	**290.04**	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	**342.16**	**340.21**
0.116%	**-0.116%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**0.286%**	**-0.286%**
292.18	**288.57**	मृत्यु दर (-/+ 10%)	**343.26**	**339.11**
0.622%	**-0.622%**	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	**0.609%**	**-0.609%**

अनुमानित भावी भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
वर्ष	₹.करोड़ में
1	25.32
2	26.88
3	28.22
4	33.15
5	37.43
6 to 10	197.88
10 वर्ष से अधिक	485.64
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	834.51
ब्याज हेतु कम छूट	493.32
अनुमानित लाभ दायित्व	341.19

(₹ करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**दिनांक-31.03.2019 तक**	**दिनांक-31.03.2018 तक**
चालू देयता	24.42	25.45
गैर चालू देयता	316.77	264.92
शुद्ध देयता	341.19	290.38

3. अपरिचित मदें

क. आकस्मिक देयतायें

कंपनी द्वारा किये गए दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

तालिका I (₹. करोड़ में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.18	1536.36	11162.54	1.13	235.62	12935.65
वर्ष के दौरान सम्मिलित	1594.13	864.52	-	44.27	2502.92
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	198.50	63.42	-	92.17	354.09
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	0.20	-	-	-	0.20
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	198.70	63.42	-	92.17	354.29
31.03.2019 को समाप्त	2931.79	11963.64	1.13	187.72	15084.28

तालिका II (₹ करोड़ में)

कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया		
	31.03.2019	**31.03.2018**
केंद्रीय सरकार		
केंद्रीय उत्पाद	328.10	328.32
आय कर*	2207.64	794.86
स्वच्छ ऊर्जा सेस	308.23	308.96
सेवा कर	82.32	98.68
अन्य	5.50	5.54
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय		
बिक्री कर	163.14	158.48
रॉयल्टी	1368.32	1291.36
पर्यावरण क्लीयरेंस	10289.83	9593.63
अन्य	142.35	119.07
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मामले	1.13	1.13
अन्य	187.72	235.62
कुल	**15084.28**	**12935.65**

*उपर्युक्त राशि में 0.61 करोड़ के आयकर में ब्याज से लेकर 31.03.19 तक ऑर्डर की तारीख शामिल थी।

ख. दिनांक 01.10.2010 से 31.08.2017 की अवधि के लिए ईब वैली क्षेत्र के लजकुरा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी द्वारा भूतल जल और भूजल की निकासी के लिए कार्यकारी अभियंता बुर्ला सिंचाई प्रभाग बुर्ला से रु.6.66 करोड़ की मांग प्राप्त हुई। मुख्य सचिव, ओडिशा की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2017 को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार एमसीएल के सभी बकाये ₹ 147.83 के एकमुश्त निपटान के पश्चात दिनांक 28.02.2017 तक कर लिया गया था। जल निदेशालय के प्रमुख से ईआईसी- सह- डी ओ डब्लुआर में सरकार के विशेष सचिव के पत्र के अनुसार, दंडात्मक दरों में मांग बढ़ाने को उनके 'फॉर्म' जे में आवेदन की प्राप्ति की तारीख के बाद उचित नहीं ठहराया गया है और कार्यकारी को निर्देशित किया गया है कि उड़ीसा सिंचाई अधिनियम: धारा 28 (बी) के प्रावधान के अनुसार इंजीनियर अपनी मांगों की समीक्षा करें। इसके अलावा आज तक कोई संशोधित मांग प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि मूल राशि की मांग का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इंडस्ट्रीज़ 37 के अनुसार, विश्वसनीय अनुमान के अभाव में प्रावधान / आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी जानी है। इसलिए लेखा की किताबों में कोई मान्यता नहीं है।

ग. गारंटीः

कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

घ. शाख पत्र एवं बैंक गारंटी:

दिनांक 31.03.2019 तक बकाया शाख पत्र ₹ 2.83 करोड़ हैं (31.03.2018 तक ₹ 7.24 करोड़) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत ₹ 39.42 करोड़ (31.03.2018 तक (₹ 51.42 करोड़) हैं।

I. प्रतिबद्धता

संविदा की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है,

लेकिन जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः- ₹ 839.02 करोड़ (31.03.2018 तक 833.04 करोड़)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : 2304.91 करोड़ रूपये (31.03.2018 तक 2894.57 करोड़)

5. समूह की जानकारी

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.18	31.03.17
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	64	64

6. अन्य जानकारी

क. **प्रावधान**

दिनांक 31.03.2019 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं

प्रावधान	01.04.2018 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	31.12.2019 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी					
नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: सीडब्ल्यूआईपी के तहत	46.43	1.54	(2.39)	-	45.58
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि					
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :	12.76	1.42	-	-	14.06
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य जमा एवं प्राप्य उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा अनुषंगियों के साथ चालू लेखा : दावे एवं अन्य प्राप्य :					
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा :	-	-	-	-	-
नोट 13: प्राप्य व्यापार : गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :					
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :	-	-	-	-	-
अनुदान					
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	0.16	-	-	-	0.16
एनसीडब्लुए-X के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-

अन्य	0.76	-	(0.70)	-	0.06
साइट के सुधार/ खदान बंदी	4.90	1.64	-	-	6.54
भूमि सुधार	-	-	-	-	-
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी	0.03	-	(0.01)	-	0.02
नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर: सीडब्ल्यूआईपी के तहत					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि	30.14	41.56	(0.95)	-	70.75
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य जमा एवं प्राप्य उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा अनुषंगियों के साथ चालू लेखा : दावे एवं अन्य प्राप्य :	118.15	392.46	(382.98)	-	127.63
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा :	97.95	102.10	(22.08)	-	177.97
नोट 13: प्राप्य व्यापार : गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :	303.06	-	(303.06)	-	-
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :	103.71	-	(103.71)	-	-
अनुदान	66.05	470.52	(7.12)	-	529.45
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	768.77	28.15	(22.68)	33.00	807.24
एनसीडब्लुए-X के लिए प्रावधान	5.20	-	(0.31)	-	4.89

ख. सरकारी सहायता :

31.03.2019 (टिप्पणी-24) को समाप्त वर्ष के दौरान सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से शून्य छूट प्राप्त हुई है।

रुपए शून्य के सीसीडीए ग्रांट को 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से कैपिटल ग्रांट के रूप में प्राप्त

किया गया। अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर अब तक कुल सीसीडीए अनुदान रु.208.58 करोड़ है और इसे रु.194.68 करोड़ के बकाया राशि को आस्थगित आय के रूप में नोट-22 के तहत खुलासा किया जा रहा है।

ग. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है- **(₹. करोड़ में)**

	भारत	अन्य देश
राजस्व	17011.00	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	**राशि**	**देश**
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2506.17	भारत
अन्य	14504.83	भारत

स्थान के द्वारा निवल चालू परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
निवल चालू परिसंपत्ति	12017.91	शून्य

घ. प्राधिकृत पूंजी: **(₹ .करोड़ में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
प्रत्येक के **₹.**1000 के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
प्रत्येक **₹.**1000 के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पहले की स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ. प्रतिशेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पुनः वर्णित)	
		पीएटी	ओसीआई	ओएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)	6035.95	(10.59)	4758.49	17.88
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	6992154	6992154	1474174	1474174
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य ₹ .1000 प्रति शेयर)	8632.46	(15.15)	32279.03	121.29

च. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

1.संबंधित पार्टियों की सूची

i) अनुषंगी कंपनियां

1) महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(एमबीपीएल)

2) एमएनएच शक्ति लिमिटेड

3) एमजेएसजे कोल लिमिटेड

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल)

1. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	**पदनाम**	**कब से**
श्री आर आर मिश्रा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	25.09.2018
श्री एल एन मिश्रा	निदेशक (कार्मिक/आई.आर.)	01.02.2016 से 31.12.2018
श्री जे पी सिंह	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.06.2013 से 28.02.2019
श्री ओपी सिंह	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	01.09.2016
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018
श्री ए. के. सिंह	कंपनी सचिव	19.11.2012
श्री एच एस पति	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015
डॉ. आर मल	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015
सुश्री सीमा शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	06.09.2017
श्री एस एन प्रसाद	अंशकालीन निदेशक	16.02.2016
श्री आर के सिन्हा	सरकार द्वारा नामित	12.06.2017

2. प्रमुखप्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक (₹ . करोड़ में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	 1.50 - -	 1.53 - -
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत** पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त) छुट्टी नकदीकरण गैच्युटी	 - -	 1.05 0.83
	कुल	**1.66**	**3.57**

टिप्पणी:

i) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम.नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।.

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष
i)	बैठक शुल्क	0.16	0.13

बकाया शेष (₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

3. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेन-देन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

राशि (₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	लीज किराया	एपेक्स प्रभार	पनस्र्थापना प्रभार	कार्मशाला/ प्रेस डेबिट	सीएमपी डीआई व्यय	अनुषंगी कंपनियों/ सीआईएल के साथ निधि पर ब्याज	जारी भंडार सामग्रियां	चालू लेखा शेष
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(ईसीएल)	-	-	-	-	-	-	0.07	-
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	-	-	-	-	-	-	-	-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	-	-	-	0.74	-	-	-	-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लुसीएल)	-	-	-	-	-	-	0.32	-
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	-	-	-	(0.04)	-	-	0.10	-
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	-	-	-	-	-	-	(0.19)	-
सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिच्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआईएल)	-	-	-	-	84.94	-	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड	-	158.93	85.38	-	-	(0.80)	-	33.87
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-	-	-	-	-	(1.30)	-	23.69
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	(0.02)	-	-	-	-	-	-	0.08
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-	-	(1.83)	-	42.50
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	-	-	-	-	-	(0.03)	-	1.10

कोस्टक में दिए गए अंक शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

छ. शेयर का बायबैक

वर्ष 2018-19 के दौरान विवरण को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

कंपनी का नाम	सीआईएल से खरीदे गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर बुक वैल्यू (रु. में)	कुल वैल्यू (₹. करोड़ में)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल)	442967	8014.13	355.00

ज) हाल के लेखा प्रोनाउन्समेंट

i) भारतीय मानक लेखांकन, 116- लीज

मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 30 मार्च 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक(आईएनडी एएस) 116, पट्टों को अधिसूचित किया गया है जो अप्रैल 2019 के पहले दिन लागू होंगे।

यह मानक पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टेदार और पट्टेदार प्रासंगिक तरीके से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं जो ईमानदारी से उन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है।

मानक संक्रमण के दो संभावित तरीकों की अनुमति देता है:

प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से इंडस्ट्रीज़ 8 के रूप में 1 अप्रैल 2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरंभ में आवेदन की तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 को मानक लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी।

प्रबंधन संक्रमण की उपयुक्त विधि का चयन करने और वित्तीय विवरण में प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

ii) भारतीय लेखा मानक(आईएनडी एएस 19) में संशोधन **–** योजना संशोधन**,** परित्याग या निपटान-

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, कटौति और निपटान के लिए लेखांकन के संबंध में इंडस्ट्रीज़ 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप में इंडस्ट्रीज़ को अधिसूचित किया है। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है:

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करना; तथा
- पिछली सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। प्रबंधन वित्तीय विवरण में उपरोक्त के प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

झ) बीमा और वृद्धि के दावे प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

ञ) लेखा में रखे गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ट) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ठ) चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ड) शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध एवं अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान रखा गया है।

ढ. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(`. करोड़ में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	
	परिमाण	**मूल्य**	**परिमाण**	**मूल्य**
प्रारंभिक शेयर	**11177.92**	**420.54**	**6387.29**	**276.54**
उत्पादन	144151.39	15349.83	143057.91	13818.28
बिक्री	142303.01	15324.75	138262.45	13673.32
स्व खपत	3.45	0.73	4.83	0.96
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	116.80	19.43	116.80	19.76
5% से अधिक	-	-	-	
अंतिम स्टॉक	**12906.05**	**425.46**	**11061.12**	**400.78**

ण. आईएनडी एएस **115** के अनुसार अलग-अलग राजस्व

	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**
सामग्री एवं सेवा के प्रकार:-		
- कोयला	17013.00	14587.47
- अन्य		-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	14587.47
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	**10412.32**	8,781.00
- गैर- पावर सेक्टर	**6600.68**	5,806.47
- अन्य सेवाएं		-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	**14587.47**

संविदा के प्रकार		
- एफएसए	**13991.22**	10,733.73
- ई-ऑक्सन	**3021.78**	3,853.74
- अन्य	**-**	-
संचालन से कुल राजस्व	**17013.00**	14,587.47
सामग्री एवं सेवा का समय		
- ठीक समय पर सामग्रियों का अंतरण	**17013.00**	14587.47
- समय के बाद सामग्रियों का अंतरण	-	-
- ठीक समय पर सेवाओं का अंतरण	-	-
- समय के बाद सेवाओं का अंतरण	-	-
संचालन से कुल राजस्व	17013.00	14587.47
संविदा शेष:		

त. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (`. करोड़ में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1625.00 (o/s)

दिनांक 31.03.2019 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कारपोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।

निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 1000 करोड़ का ऋण दिया है एवं संवितरित कुल 2000 करोड़ रूपये की स्वीकृत ऋण 48 मासिक किस्त पर अगले माह से देय होगी।

थ. महानदी कोल प्रबंधन संस्थान का निर्माण

समूह ठेकेदार मेसर्स एन.बी.सी.सी. के माध्यम से 138.83 रूपये करोड़ की अनुमानित लागत पर 'महानदी कोल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। समूह एवं ठेकेदार के बीच खंड संख्या-5.18 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सांविधिक प्राधिकरणों से निर्माण एवं परियोजना के पूर्ण होने के लिए आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने इससे संबंधित अनुमोदन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह परियोजना सी.डी.पी.-2010 के अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड संरेखण पर पड़ती है। पत्र संख्या- HUD-TP-SCH-

0022/2014/8008/HUD, दिनांक-28.03.2018 के अनुसार कथित सी.डी.पी.-2010 रिंग रोड को सी.डी.पी.-01/2016 में पुनः संरेखण हेतु ओडिशा सरकार द्वशा अनुमोदन प्राप्त किये गए हैं। एमसीएल की सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने पुनः एम.आई.सी.एम. योजना के लिए बी.डी.ए. से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हालांकि समूह संस्थान के निर्माण के लिए 104.23 करोड़ रूपये व्यय कर चुकी है। अभी कार्य प्रगति पर है। समूह ने अब तक संस्थान के निर्माण के लिए `104.48 करोड़ खर्च किए हैं।

द. **बालिपंडा मौजा, पुरी में भूमिः-**

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से 05 करोड़ रूपये बालिपंडा मौजा, पुरी की भूमि जिसकी कीमत 0.80 करोड़ रूपये है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित की गई एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को “स्वीट वॉटर जोन” के तहत आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि कथित भूमि स्वीट वॉटर जोन के तहत आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी में 2008-09 तक भाड़े के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। एमसीएल ने पुरी के तहसीलदार को लिखित अनुरोध किया है कि वे 2009-10 से 2018-19 तक की अवधि की डिमांड नोट पर भेजें। निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या-4707, दिनांक-08.01.2019 के द्वारा कलेक्टर, पुरी को स्टाल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वैकल्पिक जमीन जल्द सौंपने का अनुरोध किया। राज्य प्राधिकरण के पास मामला सक्रिय विचाराधीन है। एमसीएल उम्मीद कर रहा है कि एमसीएल के पक्ष में वैकल्पिक भूमि जल्द ही आवंटित की जाएगी।

ध. एमसीएल में 19 ओपन कास्ट माइंस और 11 अंडरग्राउंड माइंस हैं, जिनमें से 3 ओपन कास्ट माइंस और 5 अंडरग्राउंड माइंस गैर उत्पादक हैं: -:

क्र.सं.	खदानों के नाम	गैर-उत्पादकता के कारण
1.	छोंडिपदा ओसीपी	खदान बंदी के कारण
2.	लिलारी ओसीपी	लिलारी ओसीपी की खनन योजना मार्च 2018 तक वैध थी।
3.	साउथ बलंडा ओसीपी	कोयला भंडार समाप्त होने के कारण।
4.	हिंगिर रामपुर कोलियरी भूमिगत	ओरिएंट एरिया से जारी खदान बंदी नोटिस के आधार पर दिनांक 27.05.2013 से परित्यक्त रूप में इसे बंद दिया गया है।
5.	ओरियेंट खदान नं.4 भूमिगत	क. दिनांक 02.07.2017 से डेवलपमेंट पैच की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खदान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II के वन क्लीयरेंस के अभाव में डिप्लीयरिंग के लिए अनुमति नहीं है। ख. सेवानिवृत्ति आदि के कारण ओरिएंट क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी है। चूंकि ओरिएंट क्षेत्र की अन्य खानों की उत्पादक इकाइयों में श्रमशक्ति की कमी है, इस खदान की उपलब्ध श्रमशक्ति को लाभकारी उपयोग के लिए अन्य उत्पादक खानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब खदान को आउटसोर्स मोड में चलाने की प्रक्रिया चल रही है।

6.	तालचेर भूमिगत	डीएमएस, भुवनेश्वर की सूचना संख्या - 010686 / बीबीआर-डीएच / सीओ - 6 / नोटिस -22 ए (1/2015/2015/4562) द्वारा खानों अधिनियम 1952 की धारा 22 ए (1) का पालन नहीं करने के कारण अस्थायी रूप से कोयले का खनन बंद। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान में काम कर रहे) को तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और CMR-2017 के प्रावधान के अनुसार, आरईजी नं. - 158 (3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
7.	देउलबेरा भूमिगत	उत्पादन को नोटिस से रोकना पड़ा। अधीक्षण अभियंता की नोटिस कि पानी राइट बैंक कैनाल में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे खदान का काम दिनांक 19.07.2006 तक चालू था
8.	हॉडिधुआ भूमिगत	भारी नुकसान के कारण दिनांक 16.09.1998 से उत्पादन रोक दिया गया है।

न. एमजेएसजे कोल लिमिटेड,एमसीएल की सहायक कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी नंबर 50/48 को रु. 22.248 करोड़ की राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में, कोयला मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए प्रस्तुत किया है। शास्त्री भवन, नई दिल्ली जो 18.02.2019 को 6 महीने के लिए (01.01.2019 से 30.06.2019 तक) रद्द कर दिया गया है, एमजेएसजे कोल लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है।

सरकार की ओर से भारत के कोयला मंत्रालय से दिनांक 09.07.2013 को प्राप्त F.No-47011/7 (6) / 93-CPAM / CA द्वारा बीजी के 20% (यानी रु.22.248 करोड़) की कटौती के संबंध में दिनांकित किया था, जिसके खिलाफ कंपनी के निजी शेयरधारकों ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। यह कटौती कंपनी द्वारा निर्धारित / विस्तारित समय-सीमा द्वारा लक्षित उत्पादन को पूरा न कर पाने के मद्देनजर किया जाना प्रस्तावित है।

प. दिनांक 24.09.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया।
तदनुसार, कोल ब्लॉक अर्थात् उत्कल-ए (एमजेएसजे कोल लिमिटेड,एमसीएल की सहायक कंपनी) और तलाबिरा-।। एवं ।।। (एमएनएच शक्ति लिमिटेड,एमसीएल की सहायक कंपनी) को पहले कंपनी के पक्ष में डी-आवंटित किया गया था, उसे भी आबंटित किया गया। हालांकि कंपनी को अभी तक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से डी-आवंटन का कोई पत्र नहीं मिला है। गोपाल प्रसाद (डब्ल्यू) नामक अन्य कोल ब्लॉक अभी भी एमजेएसजे कोल लिमिटेड के साथ है।
फ. कोल माइंस (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने 17 फरवरी 2016 को अपने पत्र के रूप में बताए गए नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। एमएचएन शक्ति लिमिटेड,

एमसीएल की एक सहायक कंपनी को नामांकित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण, प्रगति और अमूर्त संपत्ति में पूंजीगत कार्य के लिए खर्च की गई राशि के माध्यम से नए आवंटियों से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। मुआवजा नामित प्राधिकारी द्वारा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा।

नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों की लागत के लिए मुआवजा राशि और भुगतान के आयुक्त को शुल्क हस्तांतरित कर दिया है, अर्थात् कोल नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को पूर्व आवंटियों को पत्र सं। 110/13/2015 / एनए, दिनांक 12.09.2016 द्वारा तालाबीरा-II और III कोयला खदान की ओर ₹ 15.89 करोड़ की मुआवजा राशि शामिल है। इसके बाद कोल नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक 04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

एक बार फिर नामांकित प्राधिकरण के कार्यालय ने भुगतान के आयुक्त को कोल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत की क्षतिपूर्ति पत्रांक- 110/9/2015/एनए (भाग-II), दिनांक 01.12.2016 के द्वारा हस्तांतरित कर दी है। इसमें तालाबिरा- II और III कोयला खदान से संबंधित मात्र रु.2.67 करोड़ की मुआवजा राशि शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

ब. **लाभ मिलानः-** (₹ . **करोड़ में**)

	अवधि जिससे त्रुटि संबंधित है	2017-18 को समाप्त वर्ष के लिए
पहले रिपोर्ट की गई समूह के मालिकों के लिए जिम्मेदार कुल व्यापक आय		4776.39
<u>अवधि से पूर्व मदों का समायोजन</u>		
अन्य व्यय	2017-18	(0.02)
कंपनी के मालिको के लिए कुल व्यापक आय (पुनः वर्णित)		4776.37
दिनांक-01.04.2017 तक समायोजित प्रतिधारित कमाई :-		
पूँजीगत कार्य प्रगति पर(नोट-4).	2016-17 के पूर्व	(5.00)

भ. महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम**, 2015** के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए**)** द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएसेज**)** के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (नोट **-2)** का मसौदा तैयार किया गया है।

म. अन्य :

क) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को आईएनडी एएसेज के अनुसार बहाल किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ख) नोट संख्या 3 से 38 में पिछले अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

ग) नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को दर्शाता है, 3 से 23 तक 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट एवं 24 से 37 तक उस तिथि समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के भाग स्वरूप तथा नोट -38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों को प्रदर्शित करता है।

ह/-	बोर्ड की ओर से	ह/-
(ए.के.सिंह)		(पी.के. स्वर्णकार)
कंपनी सचिवी		महाप्रबंधक (वित्त)

	उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत	
ह/-	रिपोर्ट के अनुरूप	ह/-
(के आर वसुदेवन)	कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.	(आर आर मिश्र)
निदेशक (वित्त)	सनदी लेखाकार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07915732	फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई	डीआईएन: 05103300

ह/-
(सीए असित कुमार मंडल)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052028

दिनांक : 24.05.2019
स्थान : रायपुर